अध्याय - VII

राज्य/संघराज्य क्षेत्र विशेष निष्कर्ष

अण्डमान–निकोबार

1. पृष्ठभूमि[1]

अण्डमान–निकोबार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8,24,900 हैक्टेयर है। दिसम्बर 2008–दिसम्बर 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 6,72,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 81.51 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 3,76,100 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 2,41,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा अरक्षित वन के अन्तर्गत 54,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारणमें 6200 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

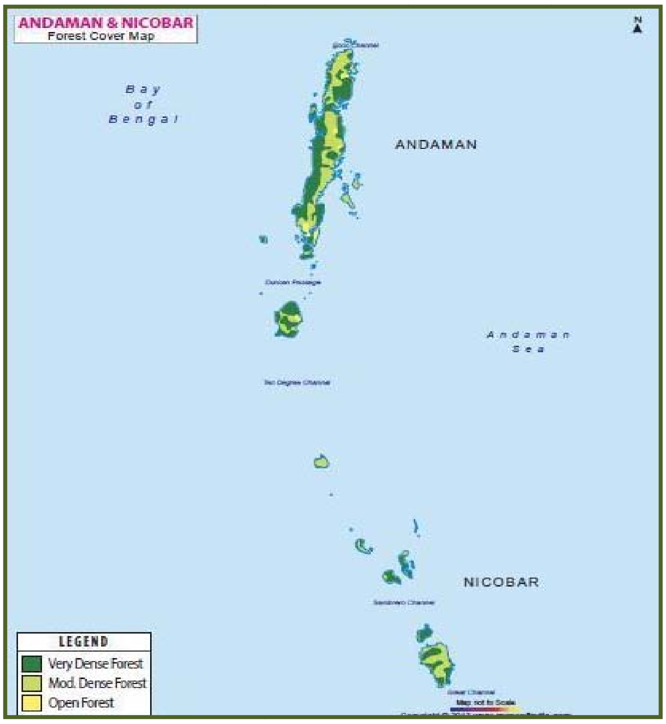

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)

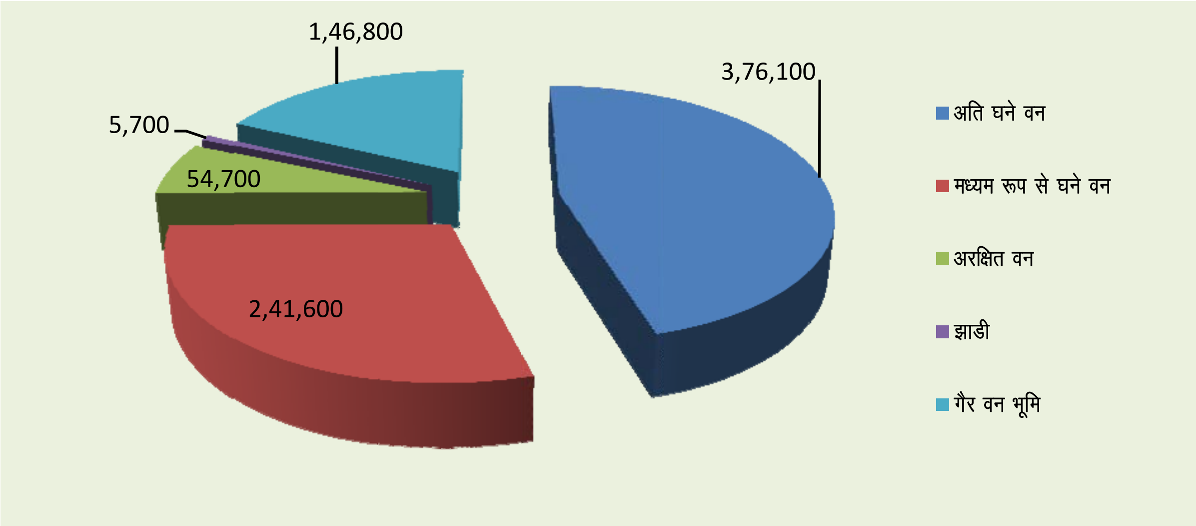

[1] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नवत थे:–

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[2] के पास निधियों का संचय
2006–12[3]	11.27	1.89	0.69	1.20

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि के 17 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किए गए थे। एपीओ के प्रति जारी ₹ 1.89 करोड़ का 63 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 0.11करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित नहीं की गई थीं और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थीं। वर्ष 2010–11 का एपीओ एक वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2011–12 का एपीओ जून 2012 में अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि और राज्य कैम्पा द्वारा उसके प्रति किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराए गए थे। राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय 2009–12 वर्षों के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी कुल राशियों के 37 प्रतिशत था। इसलिए यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 22.98 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं (31 मार्च 2012) और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

अण्डमान–निकोबार मे़ं के एनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं।इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायालयने मार्च 2008 में एन पी जी की दर संशोधित की। नमूना जांच में पता चला कि पांच मामलों में एनपीवी संशोधित दरों पर संग्रहीत नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीजी की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई थी।	0.04
2	निकोबार वनमण्डल में लालटेकरी में डिफेंस सिगनल इंटीलीजेंस यूनिट की स्थापना के लिए भारतीय नौसेना को आबंटित राजस्व भूमि, जिसका वन वितान 0.8 है० था, को माने गए वन के रूप में वर्गीकृत किया जाना था तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए 485 वृक्षों को गिराया जाना था।	1.15

[2] 2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[3] तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत/जारी राशि तथा राज्य कैम्पा द्वारा उठाये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा लेखापरीक्षा में नहीं वन उपलब्ध हुआ।

क्रम सं.	विवरण	राशि
	विपथन का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था और इसका अनुमोदन जनवरी 2007 में किया गया था। तथापि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्य ₹ 1.15 करोड का एनपीवी प्रस्ताव में नहीं शामिल किया गया था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने चूक को स्वीकार किया।	
3	दक्षिण अण्डमान मण्डल के दो मामलों में सीए की गलत दरें लागू करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 0.10 करोड़ का सीए कम वसूल किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से सी ए की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी।	0.10
4	निकोबार मण्डल के एक मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते समय शास्त्रीनगर से इंदिरा पाइन्ट तक उत्तर दक्षिण सडक के निर्माण के लिए अप्रैल 2012 में ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में 8.43 है0 वन भूमि विपथित की गई थी। मण्डल की रिपोर्ट में विपथित किए जाने वाली वन भूमि की सघनता 0.5 तथा 0.8 अर्थात पर्यावरण मूल्य–अतिघने वन के साथ पर्यावरण वर्ग–1 वर्गीकृत की गई थी। तथापि अनुमोदन की प्राप्ति पर मण्डल ने पर्यावरण मूल्य–घने वन (सघनता 0.1 से 0.4 तक) के साथ पर्यावरण वर्ग 1 की दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ और परिणमतः प्रयोक्ता एजेंसी, से ₹ 0.09 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹ 0.09 करोड़ के एनपीजी की मार्च 2013 में प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली गई थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा के बतायें जाने पर एनपीजी वसूली किया गया था।	0.09
5	प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए लागत की वसूली के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा द्वारा कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए थे। निर्धारित प्रतिमानों के अभाव में विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखे बिना चालू मूल्य सूचकांक के आधार पर वसूल किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सीए की लागत की वसूली के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित करना संभव नहीं होगा, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए विषय पर विचार किया गया था। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सीए की लागत के प्रतिमान अन्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए थे।	
	कुल	**1.38**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एपीओ अनुमोदन बिना परियोजना पर अनियमित व्यय**	राज्य कैम्पा ने पोर्टब्लेयर में राजस्व भूमि पर अबरदीन गांव में शहरी वन की स्थापना के लिए एक परियोजना आरम्भ की और तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन बिना वर्ष 2010–11 में कैम्पा निधियों से ₹ 0.13 करोड़ का व्यय किया। परियोजना तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थीइसको ईको टूरिज्म गतिविधि माना गया था। इस प्रकार इस परियोजना पर किया गया ₹ 0.13 करोड़ का व्यय अनियमित था।	0.13

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस परियोजना पर किया गया व्यय पूर्णतया निष्फल नहीं था और परियोजना क्षेत्र में उपयुक्त बागान प्रजातियां उगानें के लिए वर्तमान पेड़ पौधों, रूपरेखा मानचित्र पर स्थिति रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नही था क्योंकि परियोजना तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन के बिना आरम्भ की गयी थी।	
2	**विवादित भूमि पर निष्फल व्यय**	डिगलीपुर वन मण्डल में सितम्बर 2005 में कलारा जंक्शन से परंगारा जंक्शन तक 33 केबी हाई टेंशन सिंगल सर्किट ट्रांसमिलन लाइन बिछाने के लिए विपथित 12 है0 वन भूमि के बदले सीए के लिए प्राप्त गैर वन भूमि का अधिकार स्पष्ट नहीं था। ₹ 0.02 करोड़ के व्यय पर गैर वन भूमि पर किए गए सीए पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। परिणामस्वरूप इस भूमि पर सीए पर किया गया ₹ 0.02 करोड़ मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि रोपित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं हुआ था और प्रतिपूरक वन रोपण को कोई हानि नही हुई थी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नही था क्योकि सीए ऐसी गैर भूमि पर किया गया था जिसका स्पष्ट अधिकार नहीं था।	0.02
3	**सीए निधियों का कम उपयोग**	पांच वन मण्डल[4] 2009–12 वर्षों के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा दी गई निधियों का उपयोग नहीं कर सके। सीए की अव्ययित राशि की प्रतिशतता 2009–12 वर्षों के दौरान लगभग चार मण्डलों में 14.40 से 80.92 के बीच थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सीए निधि का कम अपयोग भण्डारो के बाजार मूल्यों में अन्तर, कार्यविधिक विलम्बों, सीए क्षेत्रों की दूरस्थता आदि के कारण था। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एपीओ में सीए के प्रावधान सभी सुसंगत घटकों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए थे।	
	कुल		**0.15**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[5]–80.48 है0[6] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–117.74 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–56.88 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 112.96 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–23.60 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–4.78 है0

[4]मध्य अण्डमान, मायाबन्दर, निकोबार, दिगलीपुर तथा सिल्विकल्वर
[5]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[6]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–112.96 है0 गैर वन भूमि पर–112.96 है0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–37.48 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–65.11 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–26.00 है0

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के चरण पर तथा मंत्रालय/राज्य प्रधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 80.48 है. थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 71 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 117.74 है. तथा 96 प्रतिशत थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आरफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 65.11 है. गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित केवल 26 है. गैर वन भूमि आरफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 33 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताए

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप
आरएफ/पीएफ के रूप में गैर वन भूमि का अधिसूचित न किया जाना	दो मामलों में 2006–12 के दौरान वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त 34.43 है0 गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एक अन्य मामले में 2006–07 के दौरान ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में कैम्पबैल खाडी से शास्त्रीनगर तक उत्तर–दक्षिण सडक के निर्माण के लिए वन भूमि केविपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 23.29 है0 गैर वन भूमि में से केवल 22.05 है गैर वन भूमि आरएफ के रूप में घोषित की गई थी। इस प्रकार 1.24 है0 गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक आरएफ के रूप में घोषित/अधिसूचित नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के बदले प्राप्त गैर भूमि को अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा रही थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में नहीं बनाए। उचित लेखाओं के अभाव में इसके वार्षिक लेखे की यथा तथ्यता की लेखापरीक्षा नही की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के साथ लेखाओं का मिलान नहीं किया, राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित राशि तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा वास्तव में प्राप्त राशि के बीच ₹ 0.49 करोड़ का अन्तर था। दिसम्बर 2012 तक अन्तर के मिलान के लिए राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह पाया गया था कि संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क, दक्षिण अण्डमान से 0.43 है के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त ₹ 1.5 करोड़ की राशि के निकाय निधि के अन्तर्गत कोई अलग लेखा लिए नहीं बनाया गया था जैसी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में अपेक्षा की गई। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होगी। हालांकि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 में) लेखापरीक्षा परीकलन को मान लिया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। अण्डमान–निकोबार कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठक के प्रति तीन बैठक हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठक हुईं। शासी निकाय की 2009–12 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

आंध्रप्रदेश

1. पृष्ठभूमि[7]

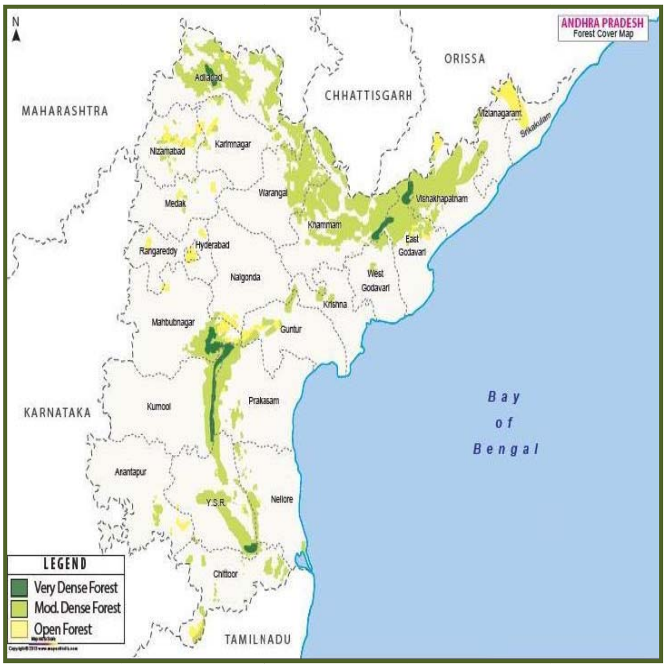

आंध्रप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,75,06,900 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–मार्च 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 46,38,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.86 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत क्षेत्र 85,000 हैक्टेयर, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत क्षेत्र 26,24,200 हैक्टेयर तथा मुक्त वन के अन्तर्गत क्षेत्र 19,29,700 हैक्टेयर था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में वन क्षेत्र – वन प्रकार 28,100 है० की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन का प्रकार (हैक्टेयर में)

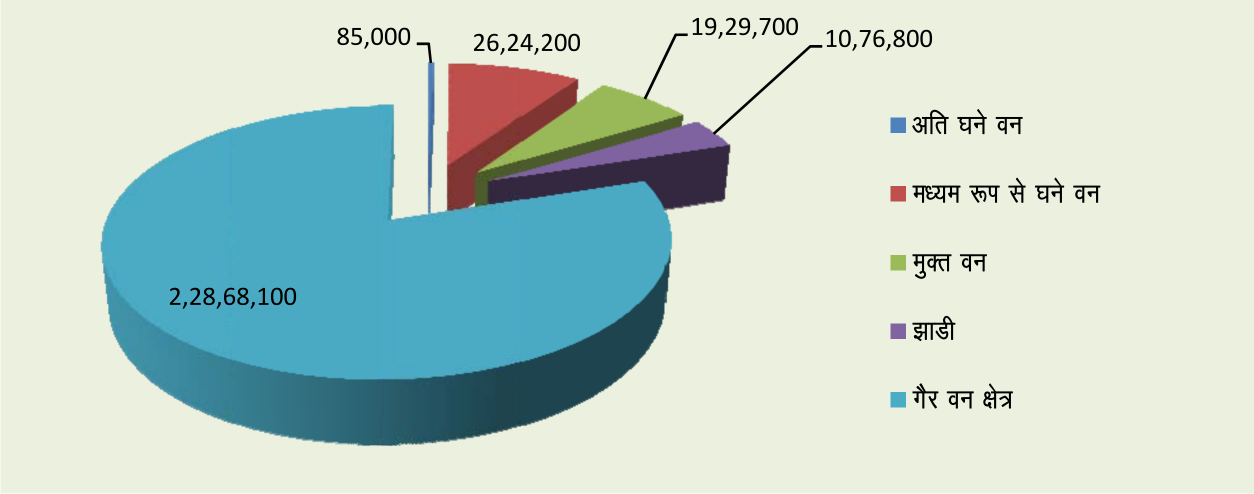

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[7]स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा की अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[8]
2006–07	270.85	शून्य	शून्य	
2007–08	270.42	शून्य	शून्य	
2008–09	234.83	शून्य	शून्य	
2009–10	677.84	89.78	10.87	78.91
2010–11	467.64	120.74	82.83	116.82
2011–12	183.96	118.57	153.56	81.83
कुल	2,105.54	329.09	247.26	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों 16 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किए गए थे। ₹ 329.09 करोड़ में से 25 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

आंध्रप्रदेश में एन पी वी/सी ए/पी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	राशि
1	1053.10 है० की वन भूमि सम्मिलित 22 मामलों[9] में जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[10] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	61.08[11]
2	सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की तथापि पलोचा तथा भद्रचालन वन मंडल के अभिलेखों की प्रति जांच में उदघटित हुआ कि एन पी वी पुनः संशोधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसी[12] से एकत्र नहीं किया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कि स्तर–1 क्लीयरेंस के समय पर वन्य जीवन संेचुरी का भाग 101.81 है० का क्षेत्र था तथा स्तर–1 शर्तों के परिपालन के बाद क्षेत्र सिर्फ राष्ट्रीय पार्क का भाग वन गया तथा पूर्वव्यापी एन पी वी की दरों को लागू करने की कोई न्यायसंगतता नही थी। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योकि की एन पी वी की संशोधित दरें सभी मामलों में लागू थी जहां वनभूमि के विपथन के लिए 28 मार्च 2008 के बाद पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन था।	41.42

[8] 2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[9] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[10] एनएचएमएआई, मै० प्रसाद सीडस लि०, वामशाधरा प्रोजेक्ट, एससीसीएल, अनन्तपुर माइनिंग कारपोरेशन, मै० अमर राजा बैट्रीज़ लि०, मै० एस शंकर रेड्डी, ककातिया सीमेंट शुगर इण्डस्ट्रियल, मै० स्वामी काशीरत्नम, मै० के सी पी लि०, मै० एनसीएल इण्डस्ट्रिज, मै० एस्सार स्टील लि०, मै० सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी, मै० तिरूमाला ग्रेनाइटस लि० आदि।
[11] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (1,053.10x5.8)
[12] इन्दिरा सागर पोलावरम परियोजना

क्रं सं	विवरण	राशि
3	नलगौण्डा वन मंडल में अगस्त – अक्तूबर 2007 के दौरान नलगौण्डा में कृष्णा नदी पर पुलीचि–ताला जलाश्य परियोजना के निर्माण के लिए 377 है० वन भूमि का विपथन अनुमत करते समय आरम्भिक प्रस्ताव में 102.80 है वन भूमि शामिल नहीं की गई थी इसके परिणामस्वरूप वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि न देने के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेंसी से एनपीवी की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 102.80 है० का अतिरिक्त क्षेत्र अभी राज्य वन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत था तथा प्रयोक्ता एजेंसी को तुरंत कार्य समाप्त करने की सूचना दी थी। मंत्रालय के उत्तर में अस्पष्टता थी क्योंकि एक तरफ ये स्पष्ट किया गया था। कि 102.80 है० का अतरिक्त क्षेत्र राज्य वन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत था तथा दूसरी तरफ निर्देश दिया गया था कि प्रयोक्ता एजेंसी को वन क्षेत्र पर कार्य समाप्त कर दें।	7.20
4	तीन वन मण्डलों[13] मे ₹ 3.86 करोड़ के एन पी वी की प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली नहीं हुई जिन्हें 1998 से 2004 के दौरान अंतिम अनुमोदन दिया गया था। इस राशि में से ₹ 3.46 करोड़ की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल की गई थी और लेखापरीक्षा के कहने पर 23 नवम्बर 2012 की तदर्थ कैम्पा में जमा की गई थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि इन मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की वसूली करने का कार्य या खनन पट्टों को रद्द करने का कार्य शुरू कर दिया था।	0.40
	कुल	110.10

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[14]		64.52	7.28		101.60	73.18		157.93	142.44
प्रतिपूरक वनरोपण		22.77	3.59		23.37	9.31		11.28	10.52
संरक्षित क्षेत्र[15]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.34	0.34		0.60	0.60
कुल	**89.78**	**87.29**	**10.87**	**120.74**	**125.31**	**82.83**	**118.57**	**169.81**	**153.56**

[13] अनन्तपुर (मै० मेहबूब मिनरल्स पुलीवेन्दुला के पक्ष में गूटी रंज के मुचुकोटा आरक्षित वन में 41.00 है० वन भूमि का विपथन), विशाखापत्तनम (एनएच 5 को चौड़ा करने के लिए बैयाबरम वन ब्लाक में 1.88 है० वन भूमि का विपथन), तथा इलूरू (पश्चिम गोदावरी जिले में कोव्वादकलुवा के चारों ओर जलाश्य के निर्माण को 39.37 है० आरक्षित वन भूमि का विपथन)

[14] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है

[15] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में 12 प्रतिशत और 2010–11 में 69 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2009–10, 2010–11, तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी सम्पूर्ण राशि खर्च नहीं कर सकीं। जब जारी राशियों से तुलना की गई तब व्यय के स्तर 2009–10 में 12 प्रतिशत और 2010–11 में 66 प्रतिशत तथा 2011–12 में 90 प्रतिशत थे। 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ पांच माह के विलम्ब के बाद संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे और निधियां वर्ष 2010–11 के लिए अक्तूबर 2010 में तथा वर्ष 2011–12 के लिए अगस्त 2011 में जारी की गई थीं। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास (31 मार्च 2012) ₹ 2,359.07 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी किए जा सकते हैं।

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[16]– 13,566.39 है०[17] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –14,208.60
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,512.17 है०। है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार –10,168.63 है०
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –4,054.22 है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4,039.97 है०
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 315.87 है० गैर वन भूमि पर –उ.न.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया जाना	निम्नीकृत वन भूमि पर –1,481.84 है० गैर वन भूमि पर – उ.न.
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि प्राप्त	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,360.39 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 230.80है०

[16]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[17]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 13,566.39 है०. थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 70 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 14,208.60 है० तथा 72 प्रतिशत थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 2,360.39 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित केवल 230.80 है० गैर वन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 1,481.84 है० था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन की गलत सूचना**	कोतागुडम वन मण्डल में 2006 में सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी (प्रा.) लि. के पक्ष में 231.94 है. वन भूमि के विपथन के लिए चरण I शर्तों के अनुपालन में कडपा वन मण्डल में 210.44 है. गैर वन भूमि के अधिकार में लेना गलत सूचित किया गया था और इसके आधार पर चरण II निर्बाधन दिया गया था। बाद में जनवरी 2009 में 210.44 है० की सीमाओं का सीमांकन नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी को शीघ्रता से वैकल्पिक सी ए भूमि प्रदान करने के लिए सूचना दी गई थी।
2	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सीए भूमि को अभयारण्य के रूप में घोषित न किया जाना**	मार्च 1993 में कुरनूल वन मण्डल में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने श्रीसेलम राइट ब्रांच कैनाल के लिए 177.47 है० वन भूमि के विपथन का अनुमोदन इस शर्त पर दिया था कि सीए के लिए अभिज्ञात गैर वन भूमि का स्वरूप ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (जीआईबी) के आवास के रूप में अनुरक्षित किया जाना चाहिए और अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए। प्रयोक्ता वन भूमि ने राज्य वन विभाग को 1990 में कूरनूल के मिदढूर मंडल में रोलापादु तथा सन कुशुला गावों में सीए के निष्पादन के लिए 246.77 है० गैर वन भूमि सौंपी परन्तु यह दिसम्बर 2012 तक जीआईबी के आवास के रूप में अनुरक्षित किए जाने के लिए अभयारण्य के रूप में घोषित नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि संबंधित वन मंडल को एक माह के अन्दर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत क्षेत्र को संचुरी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।
3	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार नहर**	अनन्तपुर वन मंडल में नवम्बर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चित्रावती संतुलन जलाशय नहर के लिए 118.71 है०[18] वन भूमि के विपथन का अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया था कि नहर किनारे रोपण परियोजना की लागत पर किया जाएगा। तथापि वन विभाग द्वारा न तो नहर किनारे रोपण करने की कार्ययोजना बनाई गई थी और न ही प्रयोक्ता एजेंसी

[18]अनन्तपुर मण्डल के दादीधोता आरएफ में 110.78 है० तथा प्रोददातूर मण्डल के दौरागल्लू में 7.93 है०

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
	किनारे रोपण न किया जाना	सिंचाई विभाग से निधियां प्राप्त की गई थी परिणामस्वरूप यह कार्य किया (दिसम्बर 2012)। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013)किसंबंधित मण्डलों में नहर किनारे रोपण किये जा रहे थे।
4	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार हरित पटटी स्थापित न करना**	अनन्तपुर वन मण्डल में मई 2002 में मुचुकोता आरएफ में 4.05 है. वन भूमि के विपथन की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि हरित पटटी/संवर्धन रोपण का विकास करने के द्वारा खानों के समूह के आसपास के क्षेत्रों को समृद्ध बनाने को योजना और एसएमसी[19] कार्य सभी पटटा धारकों की लागत पर कार्यान्वित किए जाएगे। तथापि इस प्रयोजन हेतु किए जा रहे ₹ 0.04 करोड़ के प्रावधान के बावजूद ऐसा कोई कार्यकलाप आरम्भ नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि हरित पट्‌टी रोपण वर्ष 2013–14
5	**विवादित भूमि का हस्तान्तरण**	जून 1999 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मै. आरियन्ट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में चूना पत्थर के खनन के लिए 100 है० वन भूमि के विपथन का अनुमोदन दिया जो बाद में मै. एपी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पक्ष में संशोधित किया गया था। सीए के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गई 100 है० गैर वन भूमि मे. से 40 है० गैर वन भूमि की विवादित और ग्रामीणों के खेती के अन्तर्गत भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा पहचान की गई थी। इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए एमओईएफ ने जून 2009 में लीज का नवीनीकरण आगे 20 वर्षो के लिए कर दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस तथ्य की अनदे में बताया कि 40 है० की वैलल्पिक सी ए भूमि आबंटन के लिए जिला कलेक्टर, आदिलाबाद के साथ मामले को आगे बढ़ाना था।
6	**वन विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि**	2006–08 की अवधि के दौरान मै. सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी (प्रा.) लिमि. के पक्ष में 567 है. वन भूमि के विपथन के बदले सीए करने के लिए श्रीकाकुलम मंडल में स्वीकृत 339.34 है. वन भूमि तदनन्तर 1976 से वृद्धि स्टाक के साथ गैर अधिसूचित वन ब्लाक के रूप में वन विभाग के अधिकार में पहले ही होनी पाई गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 339.34 है० की सीए भूमि की पूर्ण अधिसूचना तथा सीए करने के लिए मामलों को जोरदार रूप से आगे बढ़ाना होगा।
7	**वनरोपण के लिए पहले ही वनरोपित भूमि की स्वीकृति**	कडप्पा वन मंडल में डा. वाईएसआर स्मृति वनम के विकास के लिए अगस्त 2010 में 6.70 है. वनभूमि के विपथन के बदले हस्तान्तरित 25.08 एकड़ अभिप्रायिक वन भूमि ₹ 0.17 करोड़ की लागत पर राज्य वन विभाग द्वारा 2007–08 के दौरान किए गए रेड सैन्डर्स प्लांटेशन से पहले ही रोपित हुई पाई गई थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लेखे निर्धारित फॉरमेट में तैयार किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के लेखे दिसम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण

[19] मिट्‌टी तथा नमी संरक्षण

हो चुकी है और लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम किए जाने की प्रक्रिया में हैं (अप्रैल 2013)। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखाओं का फारमेट वैसा ग्रहण किया गया था जैसा राज्य वन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये थे तथा इन लेखाओं की चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा लेखापरीक्षा भी की गई थी। तथ्य यह शेष रहता है कि लेखाओं को महालेखाकार द्वारा निर्धारित किये गये फॉरमेट में तैयार नहीं किया गया था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। आंध्रप्रदेश कैम्पा की संचालन समिति व कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान निर्धारित छः की बजाय तीन बैठक हुई।

अरूणाचल प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[20]

अरूणाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 83,74,300 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 67,41,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 80.50 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 20,86,800 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 31,51,900 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 15,02,300 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 7,400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में कमी दर्शाई।

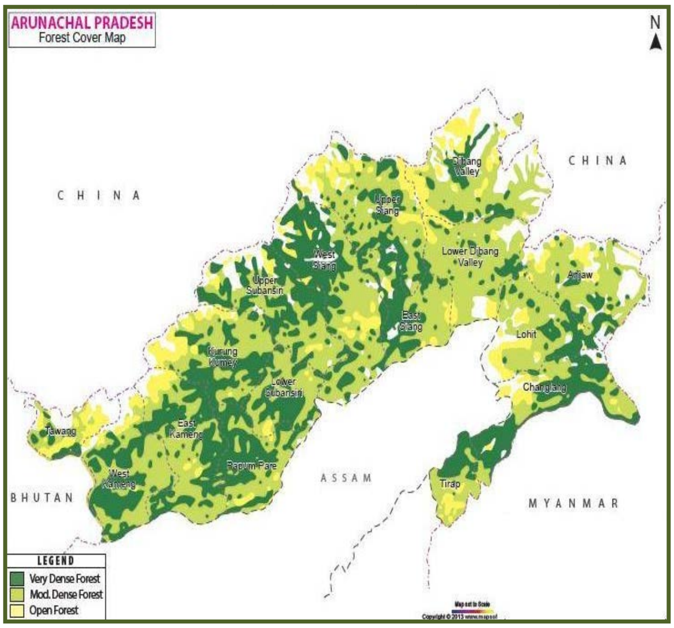

वन क्षेत्र – वन का प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

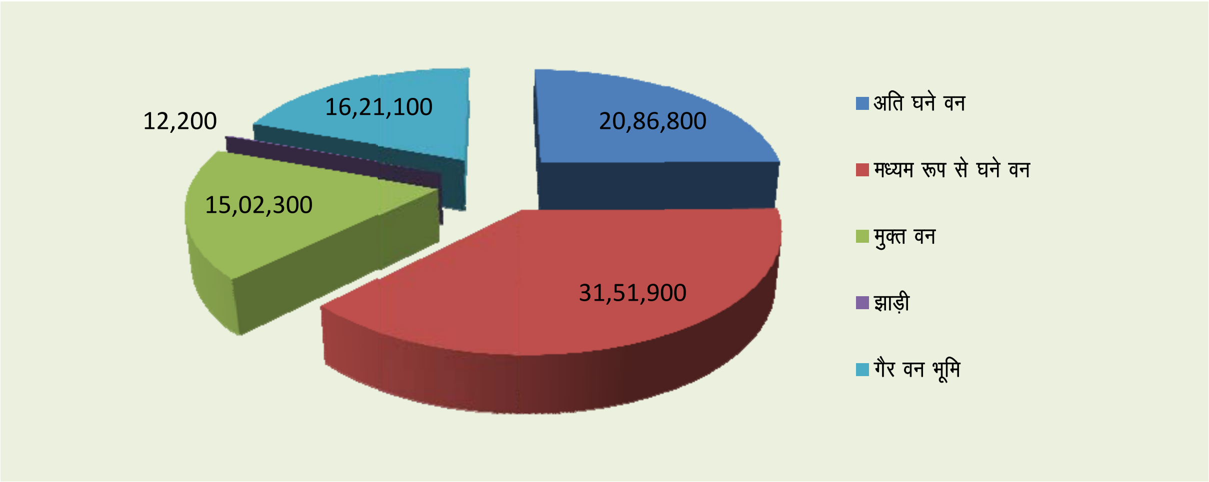

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा की राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[20] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[21]
2006-07	111.28	शून्य	शून्य	
2007-08	24.80	शून्य	शून्य	
2008-09	20.27	शून्य	शून्य	
2009-10	53.00	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	184.19	34.16	6.53	27.63
2011-12	45.28	41.19	उ.न.[22]	68.82
कुल	438.82	75.35	6.53	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2010–12 के बीच जारी किया गया था। 2010–11 में जारी ₹ 34.16 करोड़ में से 81 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 5.06 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

अरुणाचल प्रदेश में के एन पी वी/सी ए/पी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	264.63 है. की वन भूमि सम्मिलित 5[23] मामलों में जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[24] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	15.34[25]
2	₹ 32.59[26] करोड़ का एन पी वी/सी ए प्रयोक्ता एजेंसियों[27] से वसूल नहीं किया गया था, जिनको वर्ष 2010–12 के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन भूमि का विपथन किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों ने मंत्रालय के पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2001 तथा एफ सी एक्ट 1980 के अनुसार स्तर–1 अनुमोदन की अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन के लिए पांच वर्षों की अवधि में उनकी संविधानुसार निधि का निरपवाद हस्तांतरण किया। मंत्रालय का उत्तर तथ्य आधारित नहीं था क्योंकि वन भूमि के विपथन के लिए मंत्रालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन में ऐसी कोई शर्त अनुबद्धित नहीं थी।	32.59

[21] 2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[22] राज्य कैम्पा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं हुई
[23] 16 मार्च 2012 की एमओईएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
[24] बी.आर.टी.एफ
[25] लेखापरीक्षा ने इन मामलों में एनपीवी ₹5.80 लाख प्रति है० की न्यूनतम दन के आधार पर निकाला (264.43x5.8)
[26] ₹ 24.25 करोड़ एनपीवी एवं ₹ 8.34 करोड़ सीए
[27] बी आर टी एफ, पी डब्ल्यु डी, मै० आदिशंकर पॉवर प्रा० लि०, मै० केएसके द्रुविन पॉवर प्रा० लि० आदि

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	₹ 0.20 करोड़ का पी सी ए प्रयोक्ता एजेंसी (पी डब्ल्यू डी राज्य) से वसूल नहीं किया गया था जिसको एटालिन से मलिनी तक तथा अनीनी से मीपी तक सड़कों के निर्माण के लिए 2001 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भूमि का विपथन किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से बकाया देय राशि वशूल किये जाने के प्रयत्न किये गये थे।	0.20
कुल		**48.13**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[28]					16.99	4.56		उ.न.	उ.न.
प्रतिपूरक वनरोपण					4.40	1.72		उ.न.	उ.न.
संरक्षित क्षेत्र[29]					0	-		उ.न.	उ.न.
सीएटी योजना					0.56	0.22		उ.न.	उ.न.
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					1.01	0.03		उ.न.	उ.न.
कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	**34.16**	**22.96**	**6.53**	**41.19**	उ.न.	उ.न.

वर्ष 2009–10 का एपीओ तैयार तथा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों का एपीओ चार माह के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया था परिणामत: राज्य कैम्पा वर्ष 2010–11 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों का केवल 19 प्रतिशत उपयोग कर सका। इसके अलावा 2011–12 वर्षों के लिए राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों के निर्गम में विलम्ब हुआ था। तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2011–12 में नवम्बर माह में निधियां जारी की गई थीं। राज्य कैम्पा ने अपने चार मण्डलों[30] को निधियां मार्च माह में जारी की। मार्च माह में निधियां जारी करने की प्रतिशतता 36 से 100 के बीच थी।

राज्य के खर्च करने का निम्न स्तर इसके ₹ 799.01 करोड़ (ब्याज सहित) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास संचित हैं, को ध्यान में रखकर इस की अवशेषी क्षमता पर चिन्ता व्यक्त करती है और केवल निर्दिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

[28] एनपीवी वन रक्षा संरक्षण एवं विनयमन पर खर्च होता है
[29] संरक्षित क्षेत्र कोष वन विनयमन पर खर्च होता है
[30] लिखावाली, बन्डेरडेवा, हपोली, अंजा

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ए पी ओ की विलम्ब से तैयारी अपरिहार्य थी क्योंकि इसमें विभिन्न स्तरीय कार्यालयों, जैसे क्षेत्र, कैम्पा सैल, कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति शामिल थे। हालांकि भविष्य में पहले से ही ए पी ओ तैयार करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय का राज्य कैम्पा दिशा निर्देशो तथा एनसीएसी द्वारा प्राधिकृत न होना**	कैम्पा की निधियां राज्य वन मुख्यालय तथा इकापर्यटन के इन्फ्रास्टक्चर पर खर्च नहीं करनी चाहिए। राज्य कैम्पा के रिकार्ड की जांच से विदित हुआ कि (₹ 0.79 करोड) गाड़ियों की खरीद (₹ 2.19 करोड़) भवन, कार्यालय चित्रों, तथा आवासीय मोबाइल व फर्नीचर पर (₹ 0.12 करोड़) का खर्चा किया गया। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि कुछ मदों पर खर्चे पर सकावट पर राज्यों द्वारा आपति जताई गई और इन आपतियों के निपटान हेतु एन सी ए सी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। एन सी ए सी का निर्णय प्रतीक्षित था। इस विषय में कोई निर्णय होने के बाद तद्नुसार कार्य किया जाऐगा।	3.16
2	**समेकित कृषि–उद्यान – वन वर्धन योजना पर अनियमित व्यय**	2010–11 के एपीओं में स्वीकृत कृषि उद्यान वन वर्धन कृषि के माध्यम से भूमि क्षेत्रों का सुधार कार्यान्वित करने का राज्य कैम्पा का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत (सितम्बर 2011) किया गया था क्योंकि ऐसे कार्यकलाप की सीएएफ से अनुमति नहीं थी। राज्य कैम्पा ने योजना पर व्यय को उचित बताते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक पत्र लिखा (जनवरी 2012) और सीएएफ से सांगली वन मण्डल में इसे कार्यान्वित किया। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि कुछ मदों पर खर्चे पर सकावट पर राज्यों द्वारा आपति जताई गई और इन आपतियों के निपटान हेतु एन सी ए सी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। एन सी ए सी का निर्णय प्रतीक्षित था। इस विषय में कोई निर्णय होने के बाद तद्नुसार कार्य किया जाऐगा। यह भी कहा गया कि शासी निकाय ने लोंगों के द्वारा वन नष्ट करने को वचाये जोने तथा वन सुरक्षित रखने के लिए एक निर्णय लिया कि इस योजना को विशेष कार्यक्षेत्र योजना के रूप में चालू रखा जाए। यह उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि कथित योजना पर्यावरण मंत्रालय/ एनसीएसी की मान्यता के विना लागू की गई है।	0.06
3	**ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम(जीपीएस) की खरीद पर अधिक व्यय**	बंदरदेवा वन मंडल ने मार्च 2011 में ₹ 0.45 लाख की दर पर 20 गलोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की खरीद पर ₹ 0.05 लाख का अधिक व्यय किया जबकि उसी मंडल ने मार्च 2012 में ₹ 0.21 लाख की दर पर 40 जीपीएस की खरीद की। मंत्रालय ने बताया संबधित मण्डलों को वस्तु स्थिति प्रदान करने व विषयों पर किये गये कार्यों का स्पष्टीकरण देने के लिये अनुरोध किया गया था।	0.05
4	**क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के बजाय निधियों**	अन्जा वन विभाग ने ₹ 2.85 लाख (7.03–4.45 लाख) एस पी टी टाइप–II	

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	का दूसरे कार्यों के लिए विपथन	विल्डिग के बनाने पर अतिरिक्त खर्च किया जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण व मानव संसाधन विकास के लिए क्रमशः ₹ 2.82 लाख व ₹ 2.50 लाख रूपये में से कोई खर्च नहीं किया जबकि यह राशि इन मदों पर खर्च में प्रयुक्त होनी थी। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि वन मण्डलाधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के आदेश दे दिए गए है।	
	कुल		**3.27**

4.3 लेखापरीक्षा की सूचना/अभिलेख न भेजना राज्य कैम्पा ने निम्नलिखित सूचना/अभिलेख नहीं भेजे यद्यपि लेखापरीक्षा में मांग की गई

- प्रयोक्ता एजेंसियों से राशियों के संग्रहण तथा तदर्थ कैम्पा को इनके प्रेषण के अभिलेख
- वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर आने वाली विपथित वन भूमि के अभिलेख विपथन के मामले में क्या अलग समूह निधि सृजित की गई है।
- मामलों के अभिलेख जिनमें वन भूमि के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि प्रदान की गई/प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा यदि प्रदान की गई क्या यह आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई।
- दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर खर्च की गई सीए की राशि और वनरोपण के लिए पहचाने गए गैर वन /निम्नीकृत वन क्षेत्र के ब्यौरे
- मामले जिनमें गैर वन भूमि की अनुपलब्धता मुख्य सचिव द्वारा प्रमाणित की गई थी और निम्नीकृत वन के दोगुने क्षेत्र पर वनरोपण किया गया था।
- मामले जिनमें जनवरी 2006 से अप्रैल 2008 तक की अवधि के लिए स्कूल, अस्पताल पीडब्ल्यूडी सड़क आदि जैसी प्रयोक्ता एजेंसियों की कुछ श्रेणियों को छूट अनुमत की गई थीं।
- मामले जिनमें वन भूमि का विपथन खनन प्रयोजन हेतु किया गया था।
- मामले जिनमें वन निवासियों के अधिकारों का विभाग द्वारा की गई कार्रवाई/उठाए गए कदम द्वारा उल्लंघन हुआ।
- विपथन तथा वनरोपण की प्रक्रिया में क्रमशः गिर गए/रोपे गए पेड़ो की संख्या तथा प्रकार से संबंधित अभिलेख और वनरोपण की उत्तरजीविता रिपोर्ट।
- मामले जिनमें वन भूमि की कानुनी स्थिति बदली गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) राशि को संग्रहण करने के अभिलेख लेखा परीक्षा को दिये गये थे तथा दूसरी अन्य सूचनाएं तालिकाओं में दी थीं। तथ्य यह रहा कि मंत्रालय व सम्बद्ध विभागों ने मूल दस्तावेज जांच के लिए नहीं दिये।

कुछ चयनित क्षेत्रों में वनरोपण की तस्वीरें

बन्दरदेवा वन मण्डला अधिकारी के अधीन किमन में वन का गस्थ कार्यालय

वन मण्डलअधिकारी लिखावली के गॉव गोजर में वनरोपण

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[31] – 684.14 है.[32] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2547.16 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 89.49 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 205.86 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 594.65 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,341.30 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – उ. न. गैर वन भूमि पर – उ.न.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – उ.न. गैर वन भूमि पर – उ. नि.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसा – उ.न.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसा – उ.न.

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि लेखों में अपरीसीक्षित भिन्नताएं पायी गई जा कि राज्य कैम्पा के नोडल अफसर व सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रलेखों के अनुसार गैर वानिक प्रयोग के लिए 684.14 है० वनपूर्ति प्रदत की गई और उसके बदले केवल 13 प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई जवकि नोडल अधिकारी के रिकार्ड के अनुसार ये आंकडे 2,547.16 है० व 8 प्रतिशत थे। क्षेत्रीय कार्यालय व नोडल कार्यालय के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के लिए हस्तांतरित व

[31] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[32] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

परिवार्तित वन के रूप अधिसूवित की गई तथा गैर वन भूमि व निम्नीकृत वन भूमि पर कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	वर्ष 2010–11 तक विपथित 19,198 हैक्टेयर वन भूमि के प्रति केवल 6,748 है भूमि पर सीए किया गया था जो कुल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत था। इसके अलावा 2010–11 से 2014 –15 वर्षो की 10500 हैक्टेयर भूमि पर योजना के प्रति सीए केवल 2,047 हैक्टेयर भूमि अर्थात 19.50 प्रतिशत पर किया गया था। अप्रैल 2013 में मंत्रालय ने बताया कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में कमी का कारण (i) अपर्याप्त निधि (ii) देखी गई भूमि की अधिसूचित ना होने तव (iii) कार्यक्षेत्र में सीमित मानव संसाधन होना था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैमपा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2010–11 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ वही तथा सहायक खाता वही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता वही के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। कैम्पा शेषों तथा बैंक विवरणियों के साथ कोई मिलान नहीं किया गया था, 2010–12 की अवधि के अन्तर ₹ 0.01 करोड़ से ₹ 0.55 करोड़ के बीच थे।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होगी। परन्तु कोई लेखपरीक्षा नही कराई गई। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 ने) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया

6.1 राज्य के नियमित बजट में प्रतिपूरक वनरोपण पर कम व्यय

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के विस्तृत विनियोग लेखाओ से यह देखा गया था कि विभाग को नियमित बजट से प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति व्यय 2010–11 में ₹ 4.16 करोड़ से घटाकर 2011–12 में ₹ 1.25 करोड़ हो गया। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने सीए पर व्यय का अपना हिस्सा कम कर दिया है।

7. निगरानी

कैम्पा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान संचालन समिति की बैठकों में कमी हुई थी। संचालन समिति की वर्ष 2009–10 में कोई बैठक नहीं हुई और वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में दो के स्थान पर केवल एक बैठक हुई। शासीय निकाय की 2009–12 में सिर्फ एक बैठक हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में कहा कि भविष्य में उचित संख्या मे बैठकें कराई जाने के प्रयास किए जा रहे थे।

असम

1. पृष्ठभूमि[33]

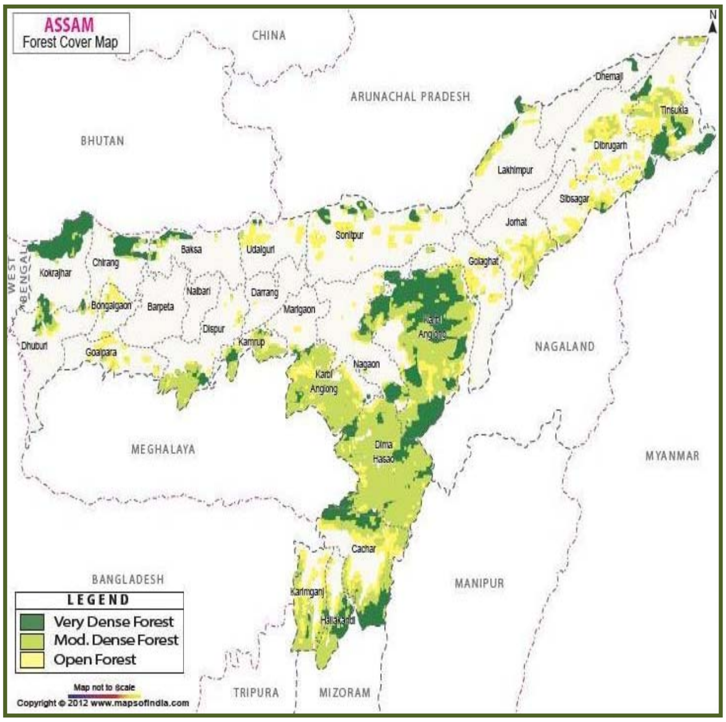

असम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 78,43,800 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 27,67,300 हैक्टैयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 35.28 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य के अति घने वन के अन्तर्गत 1,44,400 हैक्टेयर, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 11,40,400 हे० क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 14,82,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में1900 हैक्टेयर की अल्प हानि दर्शाई।

राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

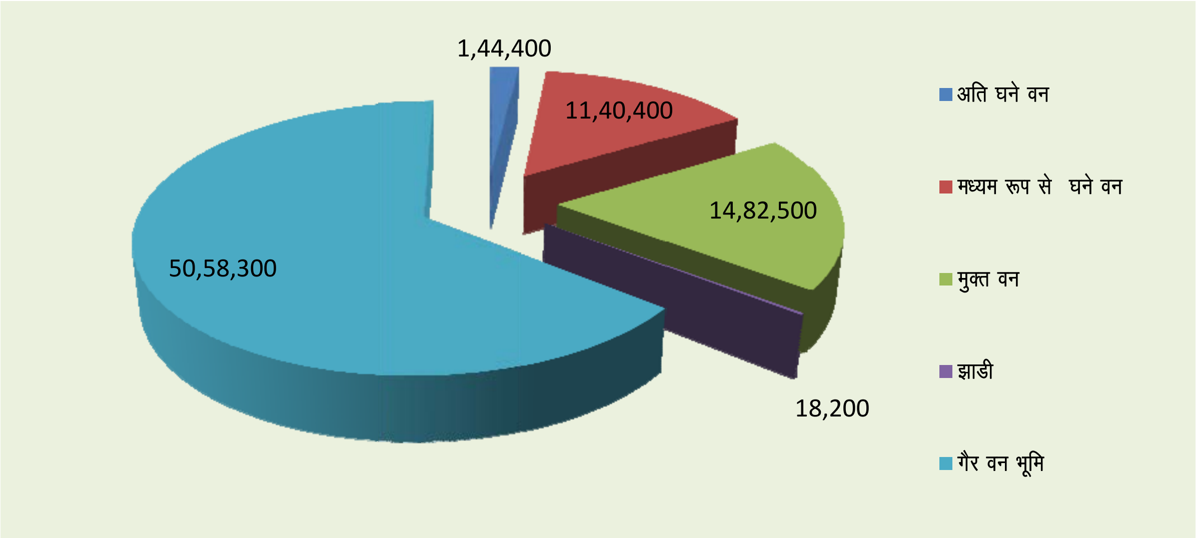

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2007 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत है :–

---

[33] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[34] के पास निधियों का संचय
2006-07	4.86	0	0	0
2007-08	5.39	0	0	0
2008-09	102.23	0	0	0
2009-10	13.91	12.38	0	12.38
2010-11	18.77	10.45	0.12	22.71
2011-12	12.66	0	11.42	11.29
कुल	**157.82**	**22.83**	**11.54**	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 22.83 करोड़ में से 49 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 26.64 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

असम में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायलय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दरों को संशोधित किया था। तथापि शिवसागर मंडल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 4.09 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए संशोधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसी (ओ एन जी सी) से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन पी वी में कोई कम वसूली नहीं किया गया था क्योंकि इस विषय में 10 प्रतिशत छूट स्वीकृत नहीं थी। मंत्रालय का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि 10 प्रतिशत छूट अमान्य मदों पर स्वीकृत थी परिणामतः एन पी वी में कम वसूली की गयी।	0.04
2	कपिली जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 1976–1977 में 3685.60 है0 वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी (मै0 निपको लिमि0) ने अप्राधिकृत रूप से अधिकार में ले लिया था, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियंत्रण में था, इस मामले में निम्नलिखित अनियमितताएं नोट की गई थी। • माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹ 5.80 लाख प्रति है0 एनपीवी की निम्नतम दर के बजाय प्रयोक्ता एजेंसी से 6625.55 प्रति है0 की दर पर ₹ 2.44 करोड़ के एनपीवी एकत्र किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 211.32 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई तथा ₹ 59.17 करोड़ की हानि हुई।	211.32

[34] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि
	• सीए की पूर्ति करने के लिए विपथित वन के दोगुने क्षेत्र का विचार न करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी (मै0 निपको लिमि0) से ₹ 7.15 करोड़ के सीए की भी कम वसूली हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सी ए की लागत तथा उपस्करि खर्च का उस समय पर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आकलन किया गया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एफ सी अधिनियम 1980 में अपेक्षित के अनुसार विपथित वन के दोगुने क्षेत्र का विचार न करने के कारण सी ए तथा उपस्करि खर्च की लागत कम वसूली गई थी।	7.15
3	प्रयोक्ता एजेंसी (पीडब्ल्यू डी, एनइ सी मण्डल) जिन्हे 2008 में जमुआंग–हरीपगान–दुलावचेरा सड़क के निर्माण के लिए 35.79 है0 वन भूमि विपथित की गई थी, से ₹ 2.96 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामतः ₹ 0.53 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन में एन पी वी/सी ए की राशि प्रयोक्ता एजेंसी ने जमा नहीं करवाई थी तथा प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने इस मामलें में दिये गएसैद्धान्तिक अनुमोदन को वापिस लेने या रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी।	2.96
4	लोअर सुबर्नसीरीधाम परियोजना के लिए 245 है0 वन भूमि के विपथन के बदले जुलाई 2004 में प्रयोक्ता एजेंसी (एनएचपीसी लिमि0 धेमाजी) से ₹ 1.45 करोड़ के सीए तथा अन्य प्रभारों का एक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ था परन्तु ड्राफ्ट समय पर तदर्थ कैम्पा के खाते में जमा नहीं किया गया था जिसके कारण इसकी समयावधि समाप्त हो गयी और यह प्रयोक्ता एजेंसी के पास लौट गयी। यह देखा गया था कि ₹ 1.45 करोड़ का पुनः वैधित ड्राफ्ट दिसम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ के सीए तथा अन्य प्रभारों की वसूली नहीं हुई और उसपर ₹ 0.51करोड़ के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि ₹ 1.45 करोड़ का सीए तथा अन्य प्रभार ब्याज सहित प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त किया जा चुका था और तदर्थ कैम्पा के खाते में जमा किया गया। जबकि संबंधित जमें का विवरण जवाब के साथ संग्लन नहीं किया गया।	1.45
5	धेमाजी वन मण्डल में ₹ 0.36 करोड़ का एनपीवी प्रयोक्ता एजेंसी से कम वसूला गया जिसे 2004 में दो परियोजनाओं के लिए 816.3 है0 वन भूमि विपथित की गई थी, परिणामस्वरूप आठ वर्षों के लिए ₹ 0.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 0.36 करोड़ की बकाया राशि तथा ₹ 0. 12 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इन मामलों में एन पी वी की वसूली की गई थी तथा कैम्पा खाते/राज्य सरकार खाते में जमा की गई थी। तथापि, जमा के तथाकथित प्रासंगिक ब्यौरे जवाब के साथ संलग्न होने थे, नही दिए थे।	0.36
	कुल	**223.28**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[35]		3.75			12.77	0		13.47	0.46
प्रतिपूरक वनरोपण		2.01			0	0.12		66.62	1.06
संरक्षित वन[36]		1.97			3.94	0		5.56	0
सीएटी योजना		0			0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		1.16			10.97	0		5.59	9.90
कुल	12.38	8.89	शून्य	10.45	27.68	0.12	शून्य	91.24	11.42

वर्ष 2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना जारी की गई थीं। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रशितता 2009–10 में शून्य प्रतिशत और 2010–11 में एक प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा 2011–12 में कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2009–10 तथा 2010–11 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। व्यय के स्तर जारी राशियों के 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में एक प्रतिशत से नीचे तथा 2011–12 में 13 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामीरूप से वृद्धि हुई है परन्तु राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 353.81 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है को ध्यान में रखकर चिन्ताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	निधियों का अनियमित निर्गम	नर्सरी के लिए 4.5 है0 उपयुक्त भूमि की उपलब्धता अभिनिश्चित किए बिना राज्य कैम्पा द्वारा जुलाई 2010 में ₹ 0.33 करोड़ की राशि जारी की गई थी और जोरहाट एवं करीमगंज वन मण्डल में सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त रही। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जोरहाट मंडल में, नर्सरियों की स्थापना का काम किया गया था करीमगंज मंडल में, कार्य जल्दी ही होगा। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योकि वर्ष 2010–11 में कार्य किया जाना था जो कि अभी भी पूर्ण होना था।	0.33

[35]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[36]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	अलग संग्रह सृजित न करना	राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में एकमात्ररूप से वन की सुरक्षा तथा संरक्षण करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किए धन से कोई अलग संग्रह सृजित नहीं किया गया था जैसा उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा राज्य कैम्पा मार्गनिदेशों में अपेक्षित था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल राशि को मुख्य वन्यजीवन वॉर्डन के पास रखा गया था तथा एक अलग संग्रह सृजित होना था जितना जल्द से जल्द वन्य जीवन क्षेत्र के लिए पैसा खर्च होगा। मंत्रालय का जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायलय के आदेशों तथा राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित, संरक्षित क्षेत्र के लिए प्राप्त निधियों के लिए एक अलग संग्रह सृजित नहीं किया गया था।	
	कुल		**0.33**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[37]–43.88 है0[38] एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 2,523.35 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–28.50 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–15.38है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,523.35है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–1,989.06है0 गैर वन भूमि पर–152.00 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–1,989.06है0 गैर वन भूमि पर– 152.00
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के चरण पर तथा

[37]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[38]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

मंत्रालय/राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 43.88 है० थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 65 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,523.35 है० तथा शून्य प्रतिशत थीं। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार, वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार 152 हैक्टेयर गैर भूमि पर तथा 1989.06 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	1,389.06 है0 निम्नीकृत वन भूमि के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2010–11 के लिए केवल 165.79 है0 पर सीए के लिए निधियां जारी की गई थीं। सीए कार्य के निष्पादन के लिए निधियां कम जारी करने के कारण अभिलिखित नहीं थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि शेष बचा हुआ वनरोपण वर्ष 2011–12 के दौरान किया गया था तथा प्रगति पर था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखे स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखाओं के समान फारमेट में तैयार किए जाने थे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इसकी आय तथा व्यय की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखा केवल वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित फारमेट में बनाया गया था। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए खर्च की रोकड बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) राज्य कैम्पा द्वारा अपनाई गई लेखा प्रक्रिया तब से तैयार की गई थी तथा सभी सम्बद्ध निकायों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दी गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। असम कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान केवल एक बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठक हुईं। शासीनिकाय की अगस्त 2009 में इसकी स्थापना से कोई बैठक नहीं हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि शासी निकाय की बैठकों को अल्प रूप से संगठित किया जाना था।

बिहार

1. पृष्ठिभूमि[39]

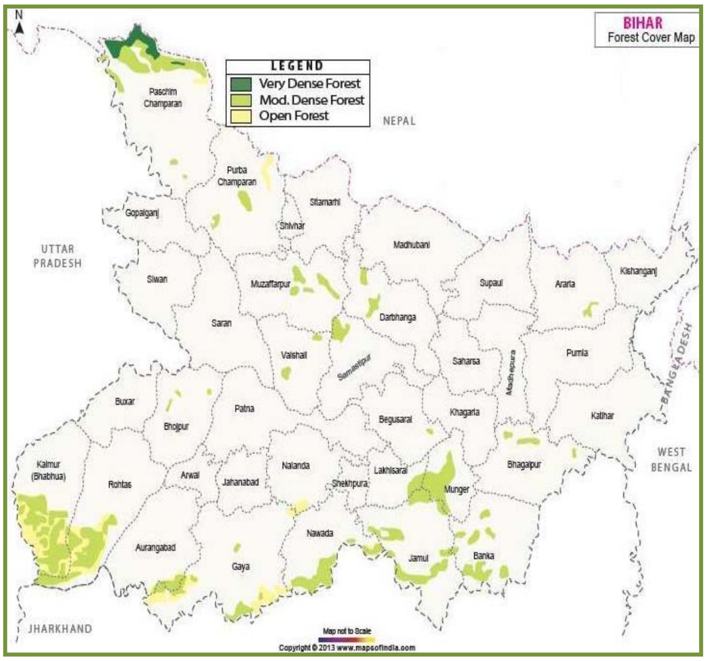

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,16,300 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 – जनवरी 2009 के सेटेलाइट आंकडों केभाषान्तरण के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 6,84,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अर्न्तगत 23100 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अर्न्तगत 3,28,000 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अधीन 3,33,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में निर्धारण 2011 में 4,100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शायी गई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)-2011

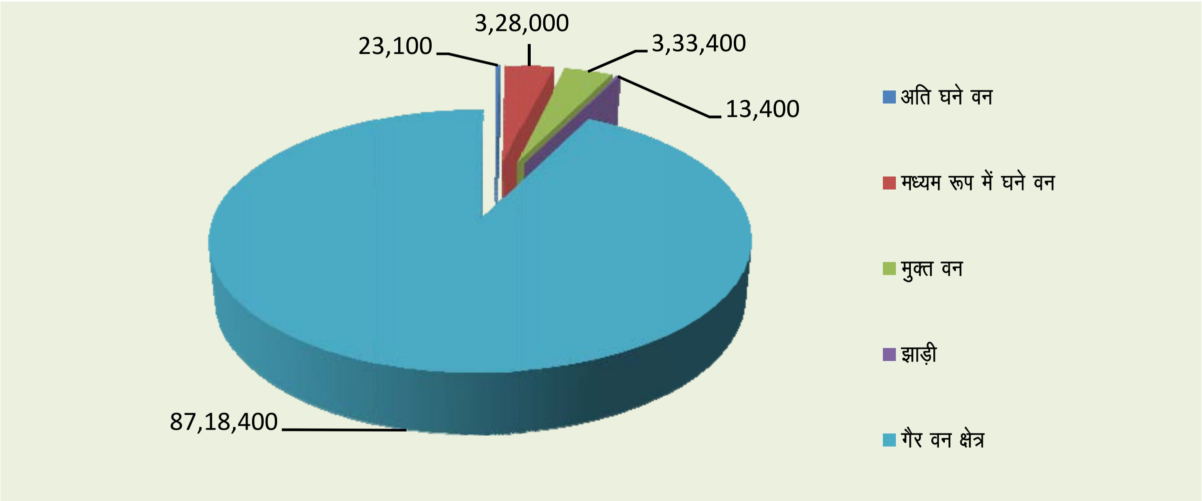

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[39]स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[40] के पास निधियों का संचय
2006–07	42.23	शून्य	शून्य	
2007–08	0.56	शून्य	शून्य	
2008–09	45.82	शून्य	शून्य	
2009–10	22.20	7.73	शून्य	7.73
2010–11	22.80	8.67	5.60	10.80
2011–12	38.73	8.04	लागू नही[41]	18.84
कुल	172.34	24.44	5.60	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी की गई था। 2009 और 2011के दौरान जारी ₹ 16.40 करोड़ में से 66 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 1.44 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा परीक्षण को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2013)।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

बिहार में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष 2007–10 के दौरान ₹ 75.83 करोड़ की उठी मांग के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों[42] से दिसम्बर 2012 तक ₹ 68.57 करोड़ चुकाये परिणाम स्वरूप रूपये 7.26 करोड की कम वसूली हुई मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन पी वी/सी ए की बकाया राशि जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों को निर्देश दिये जा रहे थे।	7.26
2	नवाडा वन जिलों में, यद्यपि जून 2011 में कोडम–तिलाइया रेलवे के निर्माण कार्य हेतु 330.70 हेक्टेयर वन भूमि के विपणन की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी गई थी, ₹ 4.10 करोड़ के सी ए के लिए मांग अक्टूबर 2012 में रेलवे प्रधिकरण को भेजी गई अर्थात 16 महीनों के विलम्ब के बाद और यह जनवरी 2013 तक गैर चुकता रहा। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी ए की राशि जमा नहीं की गई थी।	4.10
	कुल	**11.36**

[40] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[41] राज्य कैम्पा द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

[42] नेशनल हावेज्स ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, उत्तर रेलवे, आईआरसीओएन, सीपीडब्ल्यूडी, पॉवर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा राज्य एंजेसियां

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[43]					4.05	3.26		5.33	उ. न.
प्रतिपूरक वनरोपण					1.09	0.95		3.25	उ. न.
संरक्षित वन[44]					1.00	0.56		शून्य	उ. न.
सीएटी योजना					शून्य	शून्य		शून्य	उ. न.
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					1.03	0.83		0.81	उ. न.
कुल	7.73	शून्य	शून्य	8.67	7.17	5.60	8.04	9.39	उ. न.

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कार्यान्वयन एजेंसियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी/निर्गत राशि का प्रर्याप्त भाग व्यय नहीं कर सकी। 2009–10 में व्यय का स्तर शून्य था, और 2010–11 मे जारी–निर्गत राशि का 64 प्रतिशत था। खर्च का निम्न स्तर देरी से जारी की गई निधियों के कारण था। 2009–10 के लिए निधियां नवम्बर 2009 में जारी की गई और 2010–11 के लिए मार्च 2011 में। वास्तव में, 2009–10 और 2010–11 के लिए एपीओ की प्राति के बिना जारी की गई। इसके अलावा, वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए एपीओ की तैयारी में क्रमशः 12 और 15 महीनों का क्रमशः विलम्ब था। इस प्रकार स्टेट कैम्पा द्वारा वर्ष के दौरान की जाने वाली मुख्य गतिविधियों की योजना तथा पहचान अपर्याप्त थी जो कि राज्य कैम्पा को निर्गत राशि के उपयोगिता अधीन होने का परिणाम हुआ, जिसमें वर्ष 2011–12 में वन भुमि की उपलब्धता की पुष्टि किये बिना नारायनूर तथा कारमदीह में वन भुमि पर संयुक्त प्राकृतिक पुनरवधान तथा कारमदीह में वन भुमि पर संयुक्त प्राकृतिक पुनरुत्थान के अन्तर्गत वनरोपण के लिए ₹ 0.09 करोड़ का प्रावधान बना तथा परिणामतः गैर उपयोगी रहा। जारी निधियों के खर्च की धीमी गति राज्य की अवशोषी क्षमता के चिंता व्यक्त करती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012)तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 167.20 करोड़ (व्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वनिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किये जा सकते है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) में कार्यवाही की भविष्य योजना के अंतिम रूप देने और अभिलेखों के एकत्रीकरण तथा समायोजन के कारण ए पी ओ को तैयार करने में विलम्ब हुआ था।

[43]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

[44]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	**व्यय, राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि 2010–11 और 2011–12 के दौरान वाहनों की खरीद पर (₹ 3.38 करोड़) तथा 2011–12 के दौरान (₹ 1.13 करोड़) आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए (₹ 1.13 करोड़) व्यय किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा निरीक्षण सही नही है क्योंकि वाहनो की खरीद पर खर्च और विभागीय इमारतों के निर्माण को राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों मे अनुमति दी गई थी मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाहनों की खरीइ पर और इमारतों के निर्माण की अनुमति इंस्टेट मामले में रेंज स्तरीय अधिकारियों तक ही दी गई थी, ऐसा व्यय रेंज स्तरीय से ऊपर के अधिकारियों के लिए किया गया था।	4.51
2	**पर्यावरण वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षरोपण स्थल का बदलाव**	पर्यावरण वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षरोपण स्थल का बांस तथा वृक्षारोपण को बाहर सिंगी–गुडी रोड़, अरा तथा औरंगाबाद–अम्बा–हरिहरगंज रोड़ में किया गया जो कि राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (अप्रैल 2013)	0.45
3	**अवमानक वृक्षारोपण**	जमुई जिला मे, वृक्षरोपण की उत्तरजीविता दर 50 प्रतिशत थी जो कि पहले वर्ष में 80 प्रतिशत की इच्छित मानदंडों से काफी कम थी। इस प्रकार, अवमानक वृक्षरोपण पर ₹ 0.23 करोड़, मृत/गैर जीवित वृक्षरोपण पर लागत की सीमा का निरर्थक व्यय था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि नक्सल समस्या के कारण सभी ऑपरेशन समय पर नहीं किये जा सके और अत्यधिक झाड़ियों ने नये पौधों को ढक दिया था। जोकि निम्न उत्तरजीविता का कारण बना।	0.23
	कुल		**5.19**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य पत्र

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[45] के अभिलेखों के अनुसार–3,048.33 है0[46] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,286.25 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2,029.80 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–63.51 है0

[45]एमओईएफ का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा एसएफडी का नोडल अधिकारी (एनओ)
[46]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
अल्प प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–1,018.53 है[47] एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 2,222.74 है0
गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र की संलग्नता	नहीं
सीए के लिए निर्धारित क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,017.55 है0 व 5.5 किमी. गैर वन भूमि पर– शून्य है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–3300 है0[48] (2010–12 के दौरान) गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2.51 है0
गैर वन भूमि प्राप्त संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार– शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 3,048.33 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 2,029.80 हैक्टेयर थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,286.25 है० तथा 63.51 है० थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 2.51 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत भूमि पर 3,300 हैक्टेयर वृक्षारोपण किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमति बिना वन भूमि पर कार्य का निष्पादन	रोड निर्माण विभाग के 95 मामलों में ₹ 30.42 करोड़ के एन पी वी/सी ए/पी सी ए को जमा करने के उद्देश्य से गैर वन भूमि के लिए पांच वन जिलों मे 397.94 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रायल ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। यद्यपि प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 6.77 करोड़ किये थे, वन भूमि पर कार्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के विना ही प्रारंभ कर दिया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि बिहार राज्य में, 2006–07 से बड़े पेमाने पर विकास कार्य शुरू किया गया था, जिसमें सड़क निर्माण, सुंदृढ़ीकरण तथा चौड़ा करने को ज्यादा प्राथमिकता दी गई तथा 95 में से 80 उल्लंघन के मामलों में कार्योत्तर स्वीकृति प्रकियारत थी।

[47]इस अवधि दौरान प्राप्त बकाया भूमि
[48]2010–11 से 2011–12 के लिए

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जैसा वह निर्धारित करें। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फार्मेट मेंवित्तीय वर्ष 2010–11 और 2011–12 तक के वर्षों के लेखे तैयार नही किये। उचित लेखाओं के अभाव लेखापरीक्षा नहीं की जा सकीं।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि 2010–11 के वार्षिक लेखे विभागीय प्रपत्र में तैयार किये गऐ थे तथा 2011–12 के वार्षिक लेखे निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जा रहे थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की एक वर्ष में दो बार बैठक होनी चाहिए। बिहार कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 वर्षों के दौरान तीन बैठक हुई। शासी निकाय की 2009–12 के दौरान केवल एक बार बैठक हुई।

चण्डीगढ

1. पृष्ठभूमि[49]

चण्डीगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र 11,400 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर संघराज्य क्षेत्र (यूटी) में वन क्षेत्र 1678 हैक्टेयर था जो यूटी के भौगोलिक क्षेत्र का 14.72 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार यूटी का अति घने वन के अन्तर्गत 135 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 955 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 588 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया।

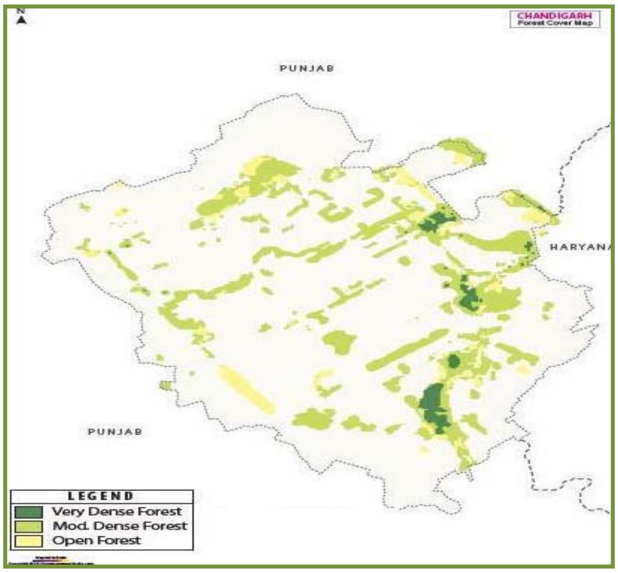

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर)– 2011

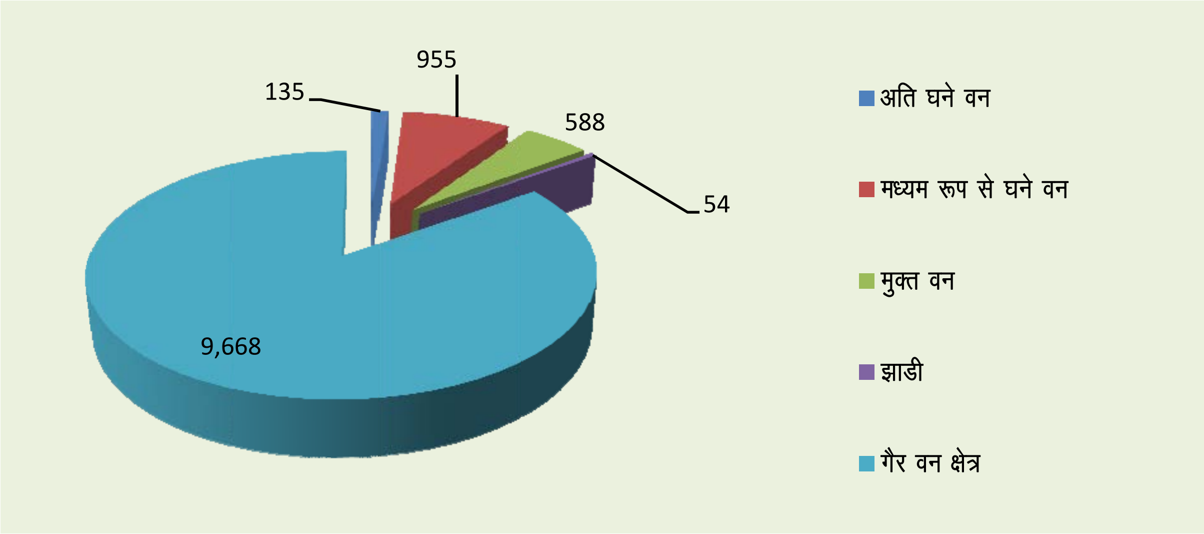

2. यूटी की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[49] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

क. सं.	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से यूटी कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	यूटी कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	यूटी कैम्पा के पास निधियों का संचय[50]
2006-07	1.25	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	0.79	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	शून्य	0.18	शून्य	0.18
2010-11	0.26	0.13	0.27	0.04
2011-12	0.05	शून्य	0.03	0.01
कुल	2.35	0.31	0.30	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को यूटी कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 13 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था।

3. कैम्पा निधियों का उपयोग

3.1 यूटी कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[51]		0			0	0			0
प्रतिपूरक वनरोपण		0			0	0			0
संरक्षित क्षेत्र[52]		0			0	0			0
सीएटी योजना		0			0	0			0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0.18			0.13	0.27			0.03
कुल	0.18	0.18	शून्य	0.13	0.13	0.27	शून्य	शून्य	0.03

[50] 2009 से तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पड़ी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[51] एन पी वी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च किया जाता है।

[52] संरक्षित वन निधि, वन्य जीवन प्रबंधन पर खर्च की जाती है।

यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा ने वित्त वर्ष 2010–11 के एपीओ तैयार नहीं किए और वित्त वर्ष 2011–12 के एपीओ मार्च 2012 में वर्ष के अंत में तैयार किया गया था। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यूटी कैम्पा ने वर्ष 2009–10 के दौरान एपीओ के आधार पर तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी ₹ 0.18 करोड़ में से कोई खर्च नहीं किया। तथापि इसने वर्ष 2010–11 के दौरान उपलब्ध ₹ 0.31 करोड़ में से ₹ 0.27 करोड़ खर्च किया। इसके अलावा वर्ष 2011–12 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा यूटी कैम्पा को निधियां नहीं जारी की गई थीं क्योंकि वर्ष 2011–12 का एपीओ तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं था। तथापि यूटीकी प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 6.89 करोड़ (ब्याज सहित) संचित थे और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी किया जा सकता है।

तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2009–10 की एपीओ के प्रति निधि न मिलने के कारण 2010–11 एपीओ प्रस्तुत नहीं की गई और 2011–12 को एपीओ मार्च 2012 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके प्रति निधि अभी भी प्राप्त हुई थी।

3.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
निष्फल व्यय	वन मंडल ने 2010–11 के दौरान चेन लिंक घेराबंदी के लिए स्टोन मैसनरी वाल पर ₹ 27.14 लाख और 2011–12 के दौरान निर्माण सामग्री की खरीद के लिए ₹ 3.47 लाख खर्च किए। यह देखा गया था कि स्टोन मैसनरी वाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था और चैन लिंक घेराबंदी दिसम्बर 2012 तक अभी संस्थापित की जानी थी। इसके अलावा स्थल पर कोई रोपण कार्य नहीं किया गया था यद्यपि रोपण/अनुरक्षण तथा चेन लिंक घेराबंदी करने की लागत संस्वीकृत एपीओ में शामिल थी। इस प्रकार ₹ 0.31 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि समय में धन की गैर रिहाई के कारण से चेन लिंक धेराबंदी और रोपण पूरा नहीं किया जा सका।	0.31

4. भूमि प्रबन्धन

4.1 तथ्यशीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[53]– 6.20 है.[54] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 8.67 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 6.87 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 8.14 है.

[53]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का, क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल राज्य वन विभाग का अधिकारी (एनओ)
[54]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – (–) 0.67 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 0.53 है.
गैर वन भूमि की उपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन क्षेत्र के बदले सभी वन भूमि विपथित/हस्तान्तरित– उ.न.
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–यूटी चण्डीगढ़ में निम्नीकृत वन भूमि नहीं है गैर वन भूमि पर –6.80 है०
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –शून्य गैर वन भूमि पर – शून्य
आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, यूटी कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 6.20 है० थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 6.87 है० थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 8.67 है० और 8.14 है० थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तांतरित/ प्रतिवर्तित और आर एफ/ पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर वनरोपण नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि विपथित वन भूमि के बदले में प्राप्त गैर वन भूमि का प्रतिवर्तन प्रक्रिया के अन्तर्गत था तथा प्रतिवर्तन के पश्चात, यह भूमि आर एफ घोषित होगी।

4.2 भूमि प्रबंधन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितताओं की प्रकृति स्वरूप	विवरण
वन भूमि के स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव नहीं होना	यूटी चण्डीगढ़ के वन मंडल में स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव नहीं था। इन अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वन भूमि का कौन सा क्षेत्र/प्रकार, गैर वन उपयोग के लिए विपथित/हस्तांतरित किया गया था तथा कौन सी गैर वन भूमि, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए वन भूमि के बदले में प्राप्त हुई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वन भूमि के स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव किया जा चुका।

5. यूटी कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्यों/यूटी कैम्पा के लेखाओं के लेखापरीक्षा ऐसे अंतराल पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि, यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इन लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं हो सकती थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अब से 2009–10 से 2011–12 और भविष्य में लेखा निर्धारित फारमेट में बनाया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देर्शों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्यों/यूटी कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा में ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

6. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। चण्डीगढ़ की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुईं।

छत्तीसगढ

1. पृष्ठभूमि[55]

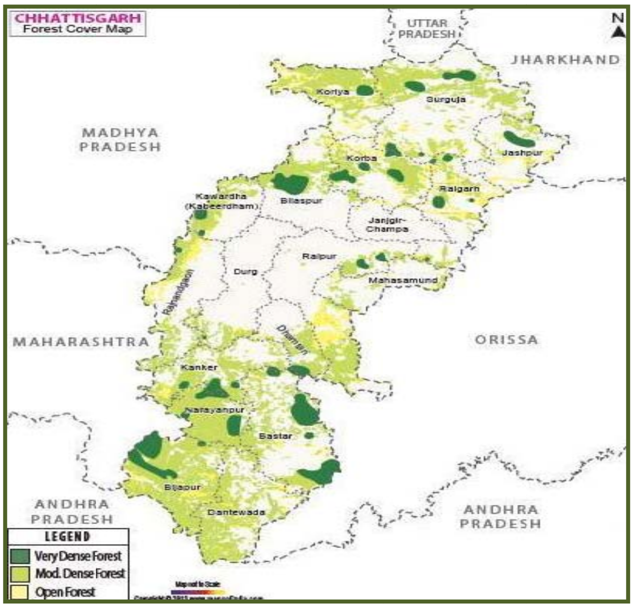

छत्तीसगढ़ का कुल भोगोलिक क्षेत्र 1,35,19,100 हेक्टेयर है। अक्तूबर 2008– जनवरी 2009 के सेटेलाइट डाटा की व्याखा के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 55,67,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 41.18 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 4,16,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अंतर्गत 34,91,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 16,60,000 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में कमी दर्शाई।

वन आवरण–वनों के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

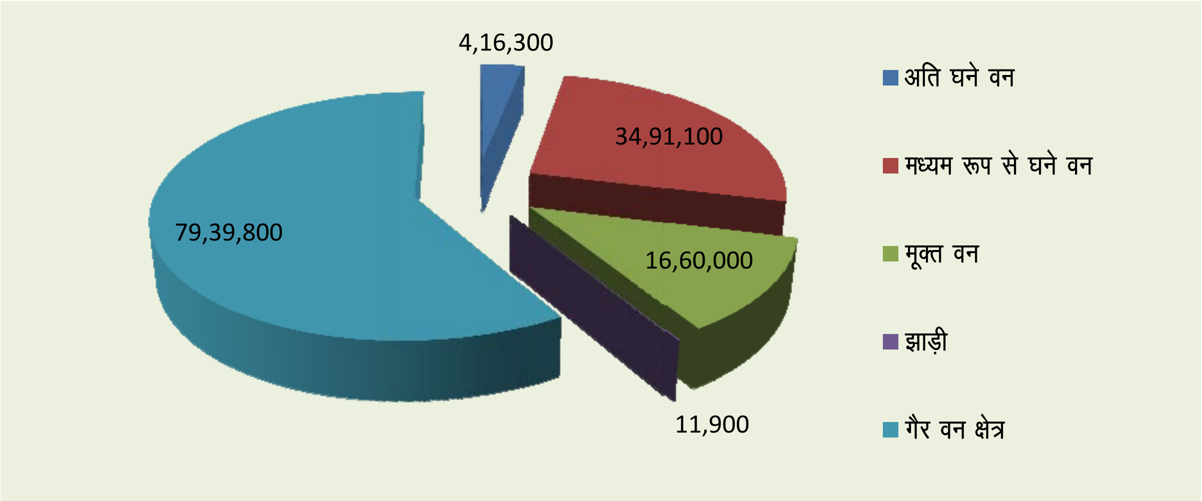

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जुलाई 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[55] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तांतरित राशि	राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा उठाया गया व्यय	राज्य कैम्पा से निधियों का संचय[56]
2006–07	45.82	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	42.87	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	127.03	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	450.59	123.21	3.94	119.27
2010–11	68.66	135.20	20.18	234.29
2011–12	379.84	99.54	93.92	239.91
कुल	1,114.81	357.95	118.04	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल वनरोपण का 32 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। ए पी ओ के प्रति जारी ₹ 357.95 करोड़ में से 67 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 0.17 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा के अन्तर्गत प्राप्तियां

छत्तीसगढ़ में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	राशि
1.	1,160.42 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 17 मामले[57] थे, जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[58] से एन पी वी एकत्र नहीं किया था जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व तथा अंतिम अनुमोदन उसके बाद दिया गया था।	67.30[59]
2	उच्चतम न्यायालय ने एन पी वी की दरें मार्च 2008 में संशोधित की थी। तथापि सी सी एफ (भूमि प्रबंधन) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 23 मामलों[60] में एन पी वी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (अप्रैल 2013)	34.06
3.	सीए के निर्धारण/आकलन के अन्तर्गत 46 मामलें में प्रतिदानों में मुद्रास्फीती के कारण सीए की दरों में वार्षिक वृद्धि का 10 प्रतिशत समावेशन नहीं किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मार्च 2002 में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली की गई थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2001–02 के लिए निर्धारित सी ए	5.15

[56] 2009 से तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत निधियों में से राज्य कैम्पा से समाप्त वर्ष पर संचयमान राशि जो कि अप्रयुक्त पड़ी रही।
[57] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[58] राज्य सरकार के विभागों भिलई स्टील प्लॉट मै0 ओसीएल इंडिया लि0, मै0 एसईसीएल (कोल माइनिंग), मै0 नागपुर अलोय कास्टिग लि0 आदि।
[59] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है0 (1160.423 x 5.8) पर अनुमानित की गई।
[60] मै0 सावित्री पॉवर प्रोजेक्ट प्राईवेट लि0, मै0 सीजी एनर्जी कार्न्सोटियम प्राईवेट लि0, मै0 गोदावरी पॉवर एण्ड स्टील लि0, भिलाई स्टील प्लांट, एनटीपीसी, राज्य एजेंसियां आदि।

क्रम सं0	विवरण	राशि
	की दरें वर्ष 2002–03 के लिए लागू की गई थी। यह सी ए की लागत में अल्प वसूली का कारण बना।	
4.	2009 में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध एन पी वी/सी ए/पी सी ए के भुगतान की मांग बिना वसूले रह गई (नवम्बर 2012)। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी/सी ए/ पी सी ए की वसूली का मामला सब–ज्यूडिस था और एन पी वी/सी ए/पी सी ए की वसूली के लिए कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद की जाएगी।	3.43
5.	पेसिड जलाशय निर्माण के लिए 61.64 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी ने 4.13 हैक्टेयर राजस्व भूमि और 57.07 हैक्टेयर ओरेंज भूमि[61] का हस्तांतरण किया। क्षेत्रीय सी सी एफ, भोपाल के आदेशों के बावजूद दुगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सी ए की लागत राशि ₹ 1.35 करोड़ जमा होनी होगी यह अभी तक जमा होनी थी (दिसम्बर 2012) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2013)।	1.35
	कुल	111.29

4. कैम्पा निधि का उपयोग

4.1 वर्ष तथा घटक के आधार पर राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों का वर्गीकरण तथा निर्गत निधियों का उपयोग।

(₹ करोड़ में)

कैम्पा निधि का उपयोग	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय
एनपीवी [62]		64.83	3.79		39.90	10.84		88.04	83.97
प्रतिपूरक वनरोपण		18.14	शून्य		16.90	8.87		11.00	9.47
संरक्षित क्षेत्र[63]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट गतिविधियां		15.00	0.15		10.00	0.47		0.50	0.48
कुल	123.21	97.97	3.94	135.20	66.80	20.18	99.54	99.54	93.92

उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसी को एपीओ के तहत तदर्थ कैम्पा से प्राप्त सम्पूर्ण राशि निर्गत नहीं की। निर्गत की गई राशि 2009–10 में 80 प्रतिशत, 2010–11 में 49 प्रतिशत, 2011–12 में 100 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत 2009–10 में 3 प्रतिशत, 2010–11, में 15 प्रतिशत और 2011–12 में 94 प्रतिशत था। इसके आगे, कार्यान्वयन एजेंसियां स्टेट

[61] ओरेंज भूमि एक वन भूमि है जिसका सीमांकन नहीं किया गया है और इसको वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
[62] एनपीवी को वन के सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंध पर व्यय किया जाता है।
[63] वन्य जीव प्रबंध पर संरक्षित क्षेत्र निधि का व्यय किया जाता है।

कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10 और 2010–11 में निर्गत राशि के अधिक भाग को विस्तृत नहीं कर सकी। निर्गत राशि के व्यय का स्तर 2009–10 में 4 प्रतिशत और 2010–11 में 31 प्रतिशत था। यद्यपि पिछले तीन वर्षों में व्यय का प्रतिशत उत्तरोतर बढा है, राज्य की ग्रहण क्षमता राज्य (₹ 2239.09 करोड़) (ब्याज सहित) के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा से संचय किया गया है और केवल विशिष्ट वन निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए ही निर्गत किया जा सकता है।

4.2 निधियों के उपयोग मं अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण	राशि
1.	राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा गैर प्राधिकृत व्यय	इको टूरिज्म और राज्य वन मुख्यालय पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच से पता चला कि वाहनों की खरीद, टाटा सफारी, टोयोटा इत्यादि पर (₹ 1.30 करोड़) डी एफ ओ कार्यालय के निर्माण पर रहन सहन आदि ₹ 5.82 करोड़ जिसमें ₹ 2.03 करोड़ पहले ही खर्च किया जा चुका है। और ईको टूरिज्म (₹ 4.86 करोड़ जिसका ₹ 0.71 करोड़ पहले ही खर्च था) मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मार्गनिर्देशों में रेंज स्तर से उपर के अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीद के प्रतिवंध से संबंधित कोई निर्देश नहीं था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में ये स्पष्ट उल्लिखित था कि सिर्फ रेंज स्तर तक अधिसंरचा के सुदृढीकारण के लिए निधियों का उपयोग होगा।	11.98
2.	अति सघन वनों में किया गया प्रतिपूरक वनरोपण	धर्मगंज, पूर्वी रायपुर और पूर्वी सुरगुजा जिलों में, निकृष्ट वनों के बजाय निर्धारण व सुधार कार्यवृत[64] में रखे गये सघन वनों में सीए लिया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि घने वन में सी ए नहीं किया गया था। मंत्रालय का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योकि उक्त मंडलों में घने वनों पर जहां सी ए किया गया था, उसका विवरण लेखापरीक्षा में बताया गया था।	1.40
3.	प्रतिपूरक वनरोपण पर संशयगत व्यय	पूर्व सुरगुजा जिले में कैम्पा के अन्तर्गत 2006–08 के दौरान रिक्त/स्टाक के अन्तर्गत क्षेत्र की 52.43 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा 2010–11 में उसी समान क्षेत्र की 50 हैक्टेयर भूमि पर यह दुबारा किया गया, चूंकि वनरोपण के लिए आगे कुछ भी क्षेत्र उपलब्ध न हो सकने की स्थिति ने वनरोपण की प्रमाणिकता के प्रति संशय खडा कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मामले की जांच होगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	0.18
4	अनुपयुक्त स्थल पर रोपण	बिलाईगढ में बांस रोपण, लाल मिट्टी तथा पहाड़ी द्वारा अधिकृत स्थल पर किया गया। लेखापरीक्षा तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन (जून 2012) करने पर उद्घटित हुआ कि अधिकतर पौधे या तो मृत	0.29

[64] उच्च गुणवत्ता वाले मध्य तथा परिपक्व आयु के सघन वनों को निर्धारण व सुधार कार्यवृतों में रखा गया है जहां सहायता प्राप्त प्राकृतिक नवनिर्माण/नवजन्म तथा मुख्य कटाव/गिराव आदि गतिविधियां की जाती है।

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण	राशि
		हो चुके थे या मरणासन्न थे। इस प्रकार, बांस रोपण के लिए निर्धारित स्थल का चयन वृक्षरोपण के लिए अनुपयुक्त था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी के कारण बांस के पौधों की पत्तियां गिर गई थी। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि साइट का भौतिक सत्यापन करने पर पता चला कि भू–भाग पहाड़ी था और बोल्डर से भरा पड़ा था तथा वृक्षारोपण असफल था।	
	कुल		13.85

चयनित वनरोपण की कुछ तस्वीरें

5. भूमि प्रबंध

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आर ओ[65] के अभिलेखों के अनुसार 20,456.19 हैक्टेयर[66] एन ओ के अभिलेखों के अनुसार 8,389.40 हैक्टेयर
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एन ओ के अभिलेखों के अनुसार – 323.08 हैक्टेयर
अल्प प्राप्त गैर वन क्षेत्र	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार – 20,456.19 हैक्टेयर एन ओ के अभिलेखों के अनुसार– 8,066.31 हैक्टेयर
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं, राजस्व विभाग के संकेत देने के बावजूद कि 5.78 लाख हैक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध है।

65 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा नोडल अधिकारी
66 मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
एन ओ के अनुसार सी ए के लिए निर्धारित क्षेत्र	निकृष्ट वन भूमि पर –5,143.14 हैक्टेयर गैर वन भूमि पर 134.82 हैक्टेयर
एन ओ के अनूसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,668.73 है० आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –33.18 है०
प्राप्त गैर वन भूमि का हस्तांतरण/परिवर्तन	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
गैर वन भूमि प्राप्त संरक्षित/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचना	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 20,456.19 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 8,389.40 है० तथा 4 प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अनुसार 33.18 है० गैर वन भूमि पर वनरोपित किये जाने वाले क्षेत्र का 71 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबंधन में देखी गई अनियमितताएं

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण
1.	एनपीवी/सीए/पीसीए का भुगतान किये बिना वन भूमि का उपयोग	जंजगीर–चम्पा मे, 44 है० राजस्व भूमि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकाश निगम को हस्तांरित कर दी गई थी जिस भूमि को प्रकाश उद्योग लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) (1990) को लीज पर दे दिया गया। वन विभाग ने इसका विरोध किया क्योंकि यह वन भूमि थी तथा परिणामस्वरूप आबंटन 1991 में रद्ध हो गया था। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तैयार एक आवेदन पत्र के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1993 में समान भूमि के लिए इन प्रीसिंपल अनुमोदन अनुबद्ध किया। ₹ 3.43 करोड़ के एन पी वी/सी ए/पी सी ए के भुगतान के लिए मांग विलम्ब करते करते, 16 साल के अन्तराल के 2009 तक उठाई गई परन्तु यह गैर–भुगतान के शेष रही थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी/सी ए/पी सी ए की वसूली के लिए कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद की जाएगी।
2.	एम ओ इ एफ के अनुमोदन के बिना गैर वन निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग	बस्तर में 77.50 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि का उपयोग पर्यटन को बढावा देने हेतु वन्य जीवन संरक्षण और शिक्षा केन्द्र (लमनी पार्क) के लिए किया गया जो कि एम ओ इ एफ के अनुमोदन के बिना एक गैर वन गतिविधि थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन जीवन संरक्षण तथा शिक्षा केन्द्र का विकास एफ सी अधिनियम 1980 के प्रावधान के अन्तर्गत था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही है क्योंकि उल्लिखित केन्द्र के विकास का कार्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुमोदन के बिना किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा की संचालन समिति ने 3 मई 2010 को अपनी बैठक में यह निर्धारित किया कि राज्य कैम्पा, राज्य वन विभाग पर लागू लेखा प्रक्रिया को ग्रहण करेगा। राज्य कैम्पा के संग्रहित लेखों को स्टेट कैम्पा को अग्रेषित एक प्रति और वन विभाग के लेखों के साथ सी सी एफ वित्त/बजट को जमा किया जाना था। राज्य कैम्पा मुख्यालय, निधि प्रबंध, लेखा पद्धति आदि कार्य राज्य कैम्पा द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा किया जाना था। तैयार खातों को संचालन समिति के पास प्रति वर्ष 31 मार्च से 30 जून के दौरान जमा किया जाना था। हालांकि 2009–10 से 2011–12 के खाते एक निर्धारित प्रारूप में बनाये जाने तथा राज्य कैम्पा निर्देश के अनुसार जमा किये जाने बाकी थे। इसके अलावा कि स्टेट कैम्पा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार तथा एम ओ ई एफ के पास शक्तियां थी कि वे विशेष लेखापरीक्षा या राज्य की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करें। हालांकि, इस प्रकार कि कोई लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा निर्देशों के अनुसार संचालन समिति को वर्ष में दो बार बैठक करनी थी। छत्तीसगढ़ की संचालन समिति ने 2009–12 के दौरान छः के प्रति पर केवल चार बार बैठक की। कार्यकारी समिति ने 2009–12 के दौरान सात बार बैठक की।

दिल्ली

1. पृष्ठभूमि[67]

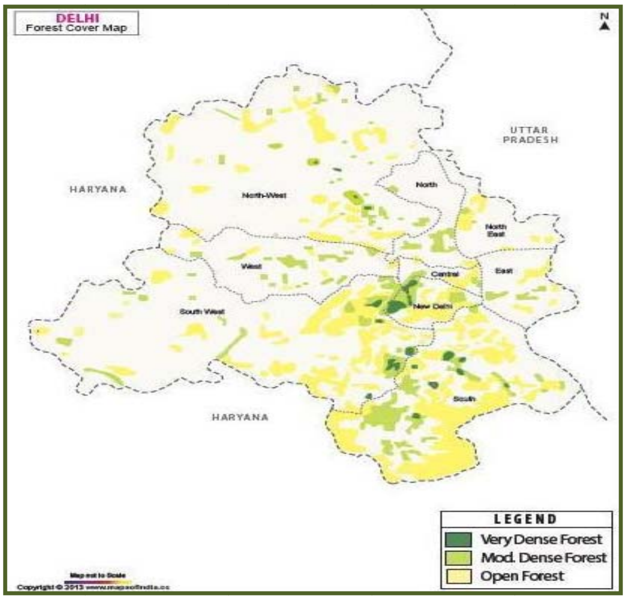

दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,48,300 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सेटेलाइट आंकडों की व्याखा के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 17,620 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 11.88 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 676 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 4,948 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 11,996 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण वन क्षेत्रमें 38 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र–वन का प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

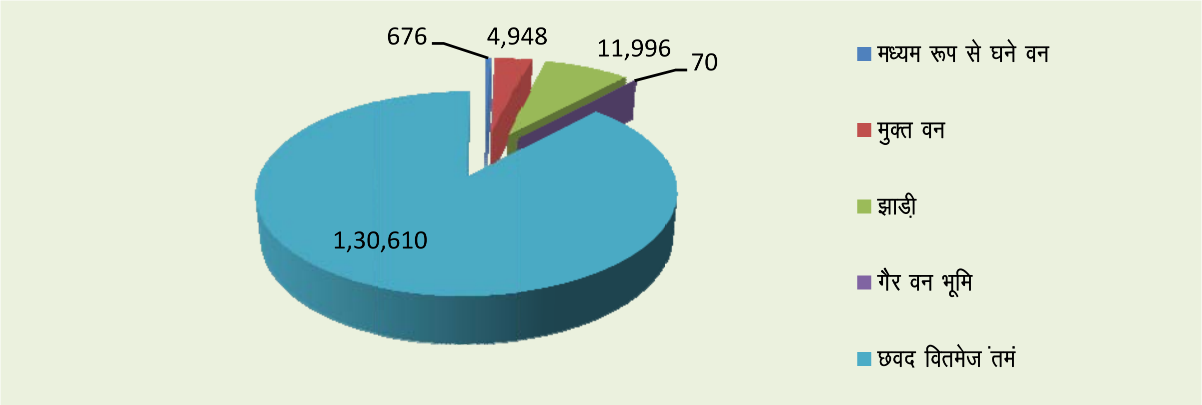

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[67] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तांतरित राशि	राज्य कैम्पाद्वारा तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वाराकिया गया व्यय	राज्य कैम्पा[68]निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	
2007–08	5.17	शून्य	शून्य	
2008–09	12.81	शून्य	शून्य	
2009–10	शून्य	1.85	शून्य	1.85
2010–11	3.66	1.40	0.01	3.24
2011–12	13.12	शून्य	1.19	2.05
कुल	34.76	3.25	1.20	

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है,सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनाके अनुसार कुल प्रतिपूरक वनरोपण विधि का 9 प्रतिशत राज्य द्वारा तदर्थ कैम्पा को वर्ष 2009 और 2012 के बीच में जारी किया गया। जारी राशि ₹ 3.25 करोड़ का 63 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियां संचित हुईं ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

दिल्ली में एन पी वी/सी ए/पी पी ए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसा लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिये गये हैं। इन मामलो का सार अध्याय 3 की तालिकाऐं 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	मार्च 2008 में उच्चतम न्यायालय ने एन पी वी की दरों को संशोधित किया था। हालांकि नमूना जांच में पता चला कि 4 मामलों[69] में एन पी वी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उक्त चार मामलों में ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से एन पी वी न्यायसंगत था। जवाब तर्कसंगत नहीं है चुंकि एन पी वी उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2008 में संशोधित दरों पर नहीं वसूला गया था।	0.25
2	डी एम आर सी ने वन भूमि के निम्नलिखित क्षेत्रों को बिना प्रधिकरण के अधिकृत कर रखा था तथा एन पी वी/सी ए का भुगतान नहीं किया था। (i) 1.35 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि 2008 में ऐयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस योजना के लिए। ii) 0.38 हेक्टेयर वन भूमि, नवम्बर 2002 में भूमिगत रेलवे लाइन की डायाफाम दीवार के निर्माण के लिए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 4.37 हैक्टेयर क्षेत्र का विपथन एन पी वी/सी ए इत्यादि के भुगतान पर अनुमोदित किया गया था। ऐयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस योजना के लिए 1.35 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के गैर–प्राधिकृत अधिग्रहण के लिए तथा भूमिगत रेलवे लाइन की डायाफ्राम दीवार के निर्माण के लिए 0.38 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए एन पी वी/सी ए की वसूली से संबंधित जवाब पर मंत्रालय चुप रहा।	0.56 0.12

[68] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[69] दिल्ली टूरिजम एण्ड ट्रांसपोर्ट डैवलपमैंट कारपोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	दो मामलों (दिल्ली पी डब्ल्यू डी और नई दिल्ली नगर निगम) को केन्द्रीय सरकार की योजनाएं मानी गई तथा जिनमें प्रतिपूरक वनरोपण का कम निर्धारण/वसूली हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इन सभी योजनाओ की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय अधिकारी, चढ़ीगढ़ द्वारा जांच की गई थी तथा सीए वसूला गया था। राज्य में गैर वन उपलब्ध नहीं होने के प्रभाव स्वरूप मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण दो मामलों में ₹ 0.98 करोड़ के सीए की गैर वसूली से संबंधित मंत्रालय का जवाब सामान्य प्रकृति का था।	0.98
	कुल	**1.91**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों के उपयोग वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरा।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[70]									0.16
प्रतिपूरक वनरोपण									1.01
संरक्षित क्षेत्र[71]									0
सीएटी योजना									0
अन्य विशिष्ट गतिविधियां						0.01			0.02
कुल	1.85	उ.न.	शून्य	1.40	उ.न.	0.01	शून्य	उ.न.	1.19

2009–10 और 2010–11 वर्षो में एपीओ न तो बनाया गया तथा न ही प्रस्तुत किया गया। 2011–12 के एपीओ को जुलाई 2011 में स्वीकृति दी गई, तदर्थ कैम्पा ने 2011–12 में कोई निधि जारी नहीं की। 2010–11 और 2011–12 के एपीआ के अनुमोदन के बिना व्यय किया गया। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत और 2010–11 में एक प्रतिशत से कम थी। 2011–12 में विशेष रूप से उस वर्ष के लिए जारी किए बिना व्यय किया गया। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में

[70]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[71]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.20 करोड़ (ब्याज सहित)संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है को ध्यान में रखकर चिंताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	व्यय राज्य कैम्पा के दिशा निर्देशों तथा एनसीएसी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना के लिए कैम्पा निधियों को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय वाहनों की खरीद पर हुआ– मारूति–जिप्सी (₹ 0.05 करोड़), छः मोबाइल फोन (₹ 0.29 लाख) तथा लेपटाप (₹ 0.01 करोड़) मंत्रालय ने बताया कि संचालन समिति ने इन सामानों की खरीद के लिए कार्य पश्चात अनुमोदन लिया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन सामानों पर किया गया व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एनसीएसी द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	0.06
2	ए पी ओ के अनुमोदन के बिना व्यय	वर्ष 2011–12 के लिए ए पी ओ तैयार नहीं होने के कारण राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय अप्रधिकृत था तथा 2011–12 के लिए एपीओ यद्यपि संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परन्तु तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि संचालन का कार्य पश्चात अनुमोदन व्यय हेतु प्राप्त किया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योकिं व्यय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा द्वारा, एपीओ के अनुमोदन के बिना किया गया।	1.20
	कुल		**1.26**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य पत्र

विवरण (2006–2012)	
विपथित वन भूमि	आरओ[72] के अभिलेखों के अनुसार–22.15 है0[73] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–40.29 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–22.15 है एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 40.29 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	10 में से 2 मामलों में, (2.22 है.) मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र नही प्राप्त किया गया।
एनओ के अनुसार ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–100है0 गैर वन भूमि पर– शून्य
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–100 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य

[72] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[73] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–2012)	
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार– शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए आकड़ों में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार, गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 22.15 है० तथा बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल शून्य प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 40.29 है. तथा शून्य प्रतिशत थीं। आरओ तथा एनओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी ।एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 100 प्रतिशत था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा ने निर्धारित प्रारूप में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नही किये। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नही की जा सकी। इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने जवाब दिया था कि क्षेत्र लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा 31 मार्च 2012 तक सम्पूर्ण की जा चुकी थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए।दिल्ली कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति दो बैठक हुईं। 2009–12 वर्षों के दौरान कार्यकारी समिति की तीनबैठक हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि दिशानिर्देशों के प्रावधानो के अनुसार समितियों की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

गोवा

1. पृष्ठभूमि[74]

गोवा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,70,200 हैक्टेयर है। फरवरी 2009 के सैट लाइट ऑकड़ों की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 2,21,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगौलिक क्षेत्र का 59.94 प्रतिशत था। वन वितान धनत्व वर्गो के अनुसार आते घने वन के अन्तर्गत 54,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 58,500 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 1,09,100 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण वन क्षेत्र ने 700 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई गई।

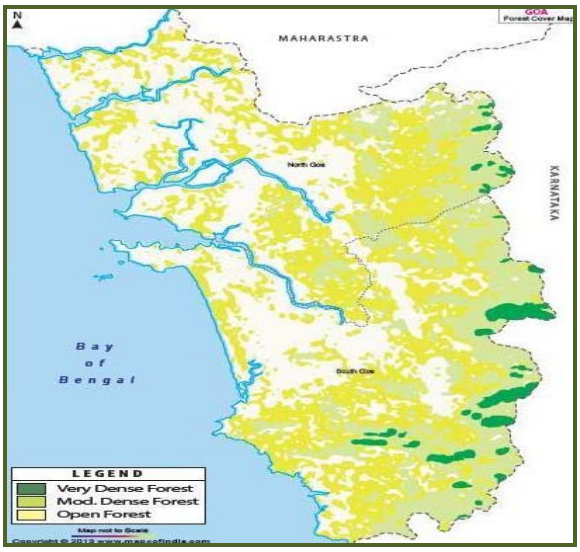

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

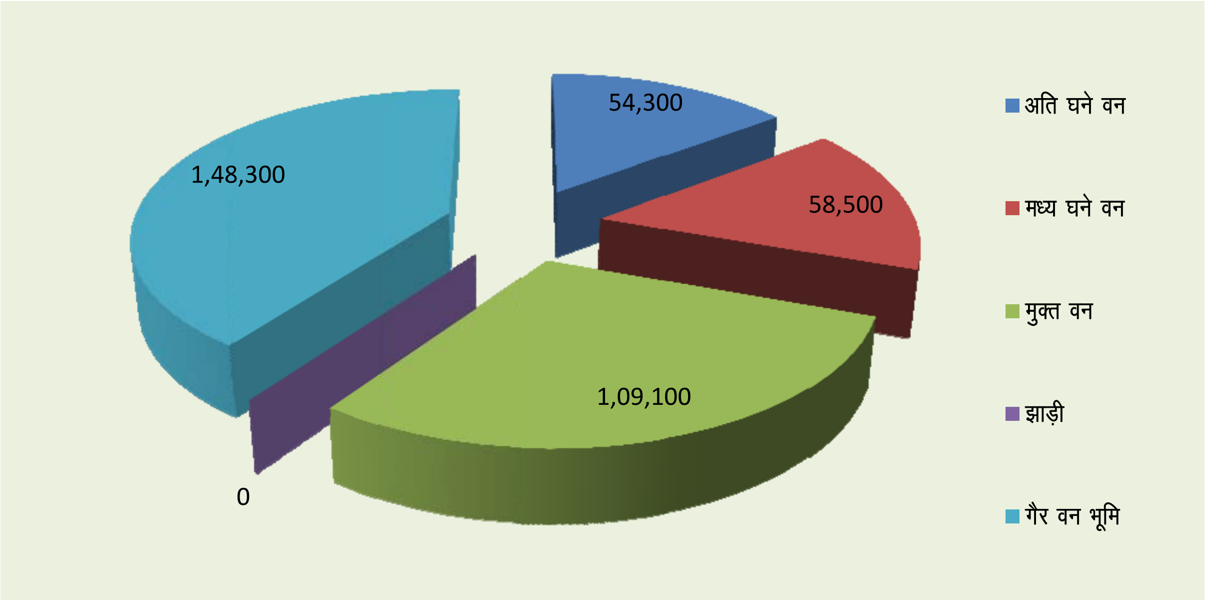

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा की जारी निधियां और वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान किये गये व्यय को ब्यौरा निम्नवत है।

[74] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा की हस्तांतरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[75]
2006–07	28.21	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	68.93	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	20.40	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	23.25	12.12	शून्य	12.12
2010–11	4.40	10.25	4.91	17.46
2011–12	1.78	शून्य	5.98	11.48
कुल	**146.97**	**22.37**	**10.89**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियां का 15 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओ के प्रति जारी ₹ 22.37 करोड़ में से 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

गोवा एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की। नमूना जांच में पता चला कि 5 मामलों[76] में एन.पी.बी संशोधित दरों पर संग्रहीत नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस संबंध में ली गई अंतिम कारवाई लेखापरीक्षा को सूचित होगी।	13.67
2	₹0.73 करोड़ का एनपीवी पटटाधारी मै. चन्द्रकान्त एफ नायक/श्री राजेश पी. टिम्बलो से कम संग्रहीत किया गया था क्योंकि एनपीवी वास्तव में विपथित 38.60 है. भूमि के स्थान पर 22.25 है. के लिए संग्रहीत किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लीस में कुल वन क्षेत्र के 38.60 हैक्टेयर लिए एन पी वी की वसूली उस समय प्रचलित दरों पर की गई थी। मंत्रालय का जवाब सम्बंधित दस्तावेजों से समर्थ नहीं था।	0.73
3	4 जनवरी 2008 के माननीव उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि खान मलिक खान पटटे के लिए संस्वीकृत ताजा तोड़ें गए क्षेत्र के बदले प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए निम्नीकृत वन भूमि	0.16

[75] 2009 के बाद तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास वर्ष के अंत में अप्रयुक्त पड़ी संचित राशि।

[76] मेसर्स सोसिदादे टिम्बलोप्सेस लिमिटिड, मेसर्स जी.एन अग्रवाल एट बिमबोल आयरन ओर माईन, मेसर्स एकमो गोवा प्राईवेट लिमिटिड, मेसर्स डेम्पो एण्ड कॅम्पनी प्राईवेट लिमिटिड, मेसर्स बदरूद्दीन एच मावानी एण्ड मेसर्स सेावा.

क. सं.	विवरण	राशि
	देने में असमर्थ है तब खान मलिक को ₹ 92,368 प्रति है० की दर पर सरकार को नए खनन पटटे में शामिल वन क्षेत्र के दो गुने के बराबर राशि का भुगतान करना पड़ता है। तथापि एक मामले में खनन पट्टा धारी, जिसे अक्तूबर 2010 में 8.44 है० नई खंडित क्षेत्र मंजूर किया गया था, से ₹ 0.16 करोड़[77] सीए का वसूल नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई थी। मंत्रालय ने (अप्रेल 2013) में राज्य कैम्पा के उत्तर की पुष्टि करते हुए यह बताया कि प्रयोक्ता ऐजेन्सियों से ₹ 0.16 करोड़ की वसूली के लिए स्पष्टीकरण हेतु बार बार अनुस्मारक देने के बावजूद मंत्रालय ने कोई उत्तर नही दिया	
	कुल	**14.56**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आंबटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार एवं संघटक के ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[78]					1.87	0.86		1.28	0.77
प्रतिपूरक वनरोपण					1.42	0.85		1.50	1.46
संरक्षित क्षेत्र[79]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.81	3.20		3.05	3.75
कुल	**12.12**	**शून्य**	**शून्य**	**10.25**	**4.10**	**4.91**	**शून्य**	**5.83**	**5.98**

तदर्थ कैम्पा द्वारा एपीओ के विना ही वर्ष 2009–10 के लिए राशि जारी की गई। अगस्त 2011 में संचालन समिति द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए एपीओ का अनुमोदन किया गया और 2011–12 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई राशि जारी नही की गई।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त सम्पूर्ण राशि जारी नहीं की। अपनी विभिन्न यूनिटों को राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि 2009 –10 में शून्य तथा 2010–11 में 40 प्रतिशत थी। व्यय के स्तर जारी राशियों के 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा

[77](8.44x₹92,368)
[78]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[79]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्य जीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

2010–11 में 48 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012) तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 171.71 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, को ध्यान रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों हेतु जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय, एक्सयूटिव टेवल, वाहनों, कम्प्यूटरों/लेपटापों इत्यादि पर किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वाहनों, कम्प्यूटरों छोटे फर्नीचर इत्यादि को अभिलेखों के रख–रखाव तथा वनों की सुरक्षा के लिए खरीदे गये थे तथा ये सामान मुख्य कार्यालय द्वारा खरीदे गए थे तथा सब–ओरडिनेट कार्यालय को वितरित कर दिए गए थे। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन सामानों की खरीद राज्य कैम्पा निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती थी।	0.75
2	**वृक्षारोपण में कमियां**	राज्य कैम्पा के अन्तर्गत रोपण के 19 स्थलों के अभिलेखों की नमूना जांच में रोपण में निम्नलिखित कमियों का पता चला। • वर्तमान रोपण वाले क्षेत्र और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो घनी वनस्पति से घिरे थे में रोपण किए गए थे (जैसा देखा और फोटो लिए)। रोपण का क्षेत्र पहले ही 0.4 तथा अधिक घनत्व वाला होना प्रतीत हुआ। • रोपण रजिस्टर रोपण के लिए क्षेत्र का चयन करने के कारणों का उल्लेख नहीं करता हैं। • रोपण के क्षेत्र की सघनता का किसी रोपण के प्रति रोपण रजिस्टर में उल्लेख नहीं किया गया है। • जैसा देखा गया रोपण ऐसे स्थानों में किए गए हैं जहॉ अकाकिया तथा यूकिलिप्टस रोपण पहले ही विद्यमान है। • रोपण निम्नीकृत वन भूमि में किए जाने थे न कि पूर्णतया विकसित वयस्क पेडों के साथ उच्च घने वन वाले क्षेत्रों में किये जाने थे। तथापि चयनित किसी क्षेत्र में यह मानदण्ड अपनाया नहीं गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विपथित क्षेत्र पर वन क्षेत्र की कमी की प्रतिपूर्ति करने के कारण वृक्ष क्षेत्र बढ़ाने के लिए निम्नीकृत वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था। तथापि, भविष्य में, वन रोपण को बढ़ाने के समय रोपण घनत्व को अभिलिखित करने हेतु संबंधित मंडलों को निर्देश जारी किए जाएगें।	

कुल चयनित वनरोपण की तस्वीरें

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार[80]– 1,513.09[81] है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 728.94 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार –60.85 एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 28.50 है
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – 1,452.24 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 700.44 है
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ केअनुसार क्षेत्र जिस पर सीए देय था	निम्नीकृत वन भूमि पर – 350.67 है. गैर वन भूमि पर – 24.10 है.
एन ओ केअनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –1007.98 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित / परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –24.10 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4.40 है.

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिये गये आंकड़ो में विसंगतियां थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनो हेतु विपथित वन भूमि 1513.09 है० थी और बदले सें प्राप्त वन भूमि चार प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह संख्या क्रमश: 728.94 है० और चार प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित परिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 24.10 है० गैरवन भूमि में से केवल 4.40 है०

[80]क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[81]मुक्त परियोजनाओ को छोडकर

गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नही किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर 1007.98 है० पर वनरोपण किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसे वह निर्दिष्ट करें। तथापि राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही तथा सहायक खाता वही नहीं बनाए। रोकड़ वही तथा सहायक खाता वहियों के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य कैम्पा द्वारा जमा की गई राशि तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा स्वीकार की गई राशि के बीच ₹ 1.33 करोड़ का अंतर था। अंतर का दिसम्बर 2012 तक मिलान नहीं किया गया। कार्यान्वयक मंडलों द्वारा 2010–11 के दौरान जारी ₹ 0.81 करोड़ तथा 2011–12 के दौरान जारी ₹ 0.52 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य कैम्पा में प्राप्त नहीं हुए थे।

इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने की शक्तियां थी, तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखपरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। गोवा कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठक हुई। वर्ष 2010–11 में शासी निकाय की बैठक नहीं हुई।

मंत्रालय ने बताया(अप्रैल 2013) कि राज्य विधानसभा के सत्रों, राज्य विधान सभा चुनाव तथा अन्य स्थानीय निकायों के कारण विभिन्न कमेटियों की बैठकों का निम्नतम संख्या को आयोजित करना कठिन था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संचालन कमेटी की एक वर्ष में दो बैठके निर्धारित थी।

गुजरात

1. पृष्ठभूमि[82]

गुजरात का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,96,02,200 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008 नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 14,61,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.46 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 37,600 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 5,23,100 हैक्टेयर तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 9,01,200 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

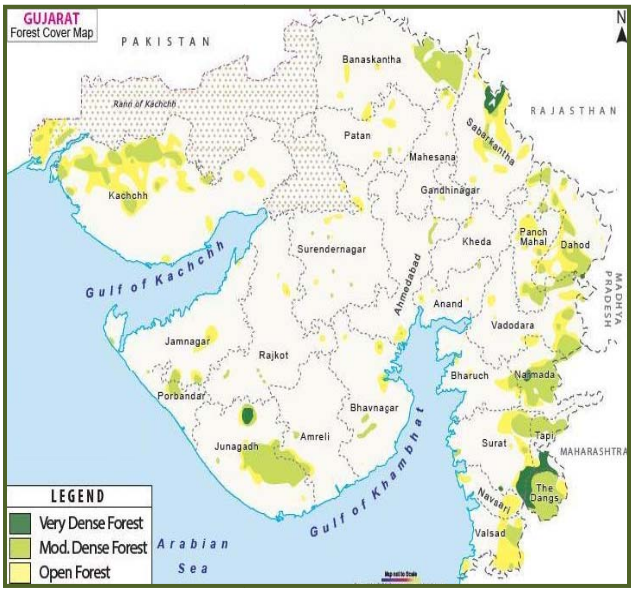

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

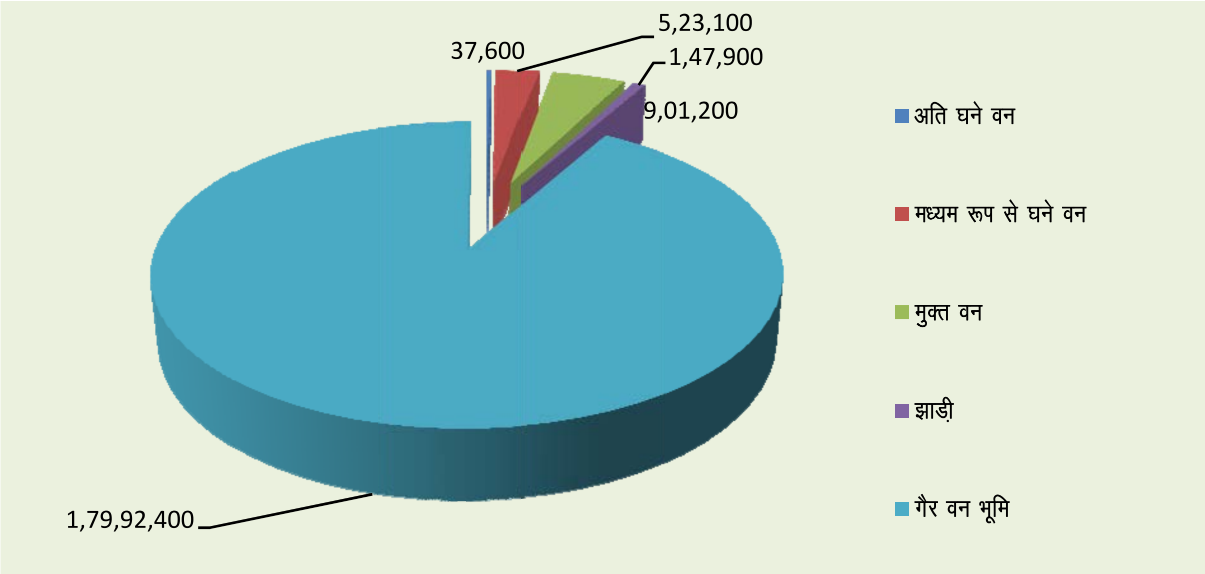

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत है :–

[82]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[83]
2006–07	64.74	शून्य	शून्य	
2007–08	55.84	शून्य	शून्य	
2008–09	81.96	शून्य	शून्य	
2009–10	170.44	24.96	8.57	16.39
2010–11	112.11	29.16	32.77	12.78
2011–12	98.40	26.30	28.77	10.31
कुल	**583.49**	**80.42**	**70.11**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 80.42 करोड़ में से 13 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

गुजरात मेंएनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है।इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	275.94 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 18 मामले[84] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[85] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	16.00[86]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दरें संशोधित की थी। तथापि तीन वन मंडलों[87] की नमूना जांच से पता चला कि प्रयोक्ता एजेंसी (एन एच ए आइ) से संशोधित दरों पर एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि एनपीवी बकाया राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता ऐंजेसियों को कहा गया है।	
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एनपीवी जमा करने के आधारित मै. एमपीएसईजैडएल (पूर्व में अडानी कैमीकल्स लिमि. के रूप में ज्ञात) मई तथा जून 2004 में क्रमशः 1840 है. तथा 168.42 है. आरक्षित वन भूमि के विपथन का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। तथापि 168.41 है. वन भूमि के लिए ₹ 15.16 करोड़ का एनपीवी निर्धारित और ₹ 9 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर अक्तूबर 2007 में वसूल किया गया था जो मार्च 2009 में गलती से ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर संशोधित तथा पुनः निर्धारित किया गया था और ₹ 7.78 करोड़ की अधिक राशि 1840 हैक्टेयर भूमि के विपथन को वसूली गई एनपीवी राशि के प्रति समायोजित की गई थी।	89.47

[83] 2009 और आगे तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पड़ी वर्ष के अंत में संचित राशि

[84] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार

[85] मै० एसआर स्टील कम्पनी, भारत ओमान रिफाईनीरिज़ आदि

[86] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (275.94x5.8)

[87] पाटन पालनपुर और राजकोट

क. सं.	विवरण	राशि
	इसी प्रकार 1840 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन का एनपीवी कंटीले वन को ध्यान में रखकर 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर निर्धारित (मार्च 2009) तथा जुलाई 2009 में वसूल किया गया था यद्यपि यह शाब्दिक तथा दलदल वन था जो ₹ 7.30 लाख प्रति है. की दर पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.73 करोड़ का कम निर्धारण तथा वसूली हुई। इस प्रकार एनपीवी की कम वसूली ₹ 61.51 करोड़ (₹ 7.78 करोड़ + ₹ 53.73 करोड़) बनी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि एमपीएसईजेडएल ने 168.41 हैक्टेयर वन भूमि में जलाऊ लकड़ी की लागत में अंतर के प्रति वसूलीयोग्य ₹ 5.35 करोड़ का भुगतान नहीं किया था। एमपीएसईजैडएल को राज्य सरकार के 17 नवम्बर 2009 के आदेश में यथा अपेक्षित घेराबंदी तथा सुरक्षा कार्यों के प्रति ₹ 7.73 करोड़ तथा ₹ 19 लाख की बैक गारंटी भी भेजनी थी। तथापि एमपीएसईजैडएल द्वारा दिसम्बर 2012 कि कोई बैक गारंटी नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विपथित वन भूमि इको क्लास–IV,ट्रापिका और थोर्न वन के अन्तगर्त, लिटोरल तथा स्वाम्प वन के अन्तर्गत नहीं थी और इसलिए इको क्लास–IV, के लिए ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की वसूली की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत विपथित क्षेत्र, इको क्लास–II, लिटोरल तथा स्वाम्प वन के अन्तर्गत था और उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशाधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी वसूला जाना था।प्रयोक्ता एजेंसी से फायरवुड की लागत में भिन्नता होने की ₹ 5.35 करोड़ की वसूली के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी से धन जमा करने को कहो गया था।	
4	भुज वन मंडल में गांधीधाम–कांडला राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 171 है. वन भूमि के विपथन के लिए 9 सितम्बर 2011 को भुज में इंडियन बैंक में प्रचालित उप सीएफ भुज (पूर्व) के खाते में एनएचएआई द्वारा ₹ 2.43 करोड़ का अतिरिक्त सीए क्रेडिट किया गया था। ₹ 2.43 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को आगे प्रेषण के लिए राज्य कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई थी इसके बजाय इसका राज्य कैम्पा सुप्रीम कोर्ट मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में सीधे डीएफओ द्वारा उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इंडियन बैंक में डिप्टी वन संरक्षक, कच्छ पूर्व मंडल के खाते में ₹ 2.43 करोड़ की राशि जमा की गई थी, क्योंकि यह एन पी वी या सी ए से संबंध नहीं रखती थी और योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए कार्य पर उपयोग की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹ 2.43 करोड़ की राशि गैर–प्राधिकृत रूप से उपयोग की गई थी और यह राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जानी थी।	2.43
5	वलसाड (दक्षिण) वन मंडल में ₹ 1.26 करोड़ का एनपीवी दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एसजीवीसीएल) वलसाड, जिसको जनवरी 2003 में 14 है. वन भूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक (चरण I) अनुमोदन दिया गया था, से वसूल नहीं किया गया था। उपसीएफ, वलसाड (दक्षिण) द्वारा आवधिक अनुस्मारकों के बावजूद डीजीवीसीएल ने अक्तूबर 2012 तक एनीपीवी का भुगतान नहीं किया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन पी वी वसूल करने का मामला तेजी से आगे बढाया जाना था।	1.26
	कुल	**176.02**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[88]		8.31	2.92		14.90	13.00		18.40	12.24
प्रतिपूरक वनरोपण		15.60	5.65		15.60	19.77		7.67	16.53
संरक्षित क्षेत्र[89]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0	0		0	0		0	0
कुल	**24.96**	**23.91**	**8.57**	**29.16**	**30.50**	**32.77**	**26.30**	**26.07**	**28.77**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के प्रति उठाये गये व्यय का प्रतिशत 2009–10 में 34 प्रतिशत था।यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है। परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 691.44 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देकर राज्य की अवशेषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**उच्चतम न्यायालय आदेशों के उल्लंघन मे क्लोन युकलिप्टस का रोपण**	माननीय उच्चतम न्यायालय के 30 जनवरी 2002 के आदेशों तथा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार क्लोन युकलिप्टस का रोपण नहीं किया जाना था जो जैव विविधता अधिनियम के अनुसार भी आपत्तिजनक था। तथापि नडियाद तथा आणन्द वन मंडलों में क्लोन युकलिप्टस का रोपण कार्य ₹ 2.30 करोड़ के व्यय पर एवं (संचालन समिति के अनुमोदन से, अतिरिक्त पी सी सी एफ के विरूद्ध होने के बावजूद) किया गया था। परिणाम स्वरूप, संचालन समिति के अनुमोदन के विरूद्ध, पूर्व वर्ष की बचत से ₹ 0.80 करोड़ पर वर्ष 2012–13 तथा 2011–12 में 50 हैक्टेयर अतिरिक्त में क्लोन लिप्टस वनरोपण किया गया था।	3.10

[88]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[89]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	**सीए कार्य पर निष्फल व्यय**	भुज वन मंडल में यद्यपि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव विचाराधीन था परंतु गुजरात राज्य कैम्पा की संचालन समिति ने 2009–10 से 2011–12 तक के दौरान किए जाने के लिए 161.27 हैक्टेयर में प्रतिपूरक वनरोपण का अनुमोदन किया जिसमें चौड़ा किए जा रहे भुज मचाऊ रोड पर 88.27 हैक्टेयर में सीए शामिल था। वन भूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के बिना सीए पर ₹ 0.60 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। चूंकि चौडाई कार्य सड़क विस्तार में चालू था इसलिए उस क्षेत्र पर सीए कार्य करने का परिणाम ₹ 0.60 करोड़ का निष्फल व्यय होगा क्योंकि रोपित पेड़ विपथन हेतु विचाराधीन भूमि विस्तार से हटा दिये जाएगें। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सी ए को रोड साइड़ पर करना रोका गया था तथा इसको ही ब्लाक वन क्षेत्रों पर होना था।	0.60
	कुल		**3.70**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[90] के अभिलेखों के अनुसार – 1,767.37 हैं.[91] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,795.82 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 591.65 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,767.37 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,204.17 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 5,800.24 है. गैर वन भूमि पर – 2,737.39 है.
क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – शून्य गैर वन भूमि पर – शून्रू
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 591.95 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5.43 है.

[90] क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[91] मुक्त परियोजनों को छोड़कर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए आकंड़ो में विभिन्नतायें थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 1,767.37 है० थी और बदले में प्राप्त गैरवन भूमि केवल शून्य प्रतिशत थी। जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार संख्या 5,795.02 है० तथा 10 प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई भी भूमि हस्तांरित परिवर्तित और आरएफपीएफ के रूप में अधिसूचित नही की गई थी। जबकि एमओके अनुसर 591.65 है० गैरवन भूमि में से वन विभाग के पक्ष दें हस्तांरित/परिवर्तित भूमि के 5.43 है० गैरवन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैरवन भूमि तथा निम्नीकृत भूमि पर कोई वन रोपण कार्य नही किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के इसके आय तथा व्यय की यथा तथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों की रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए, जिसके अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। भावनगर वन मंडल में यह पाया गया था कि रू. 0.23 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए कार्यकारी अभियंता, पंचायत आर एण्ड डी मंडल, भावनगर (दिसम्बर 2012) के पास अव्ययित पड़ी थी, राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वलसाड (उत्तर) वन मंडल में वर्ष 2010–11 के रोपण से संबंधित ₹ 0.41 करोड़ के वन अग्रिम के वाउचर प्रस्तुत करने मं आरएफओ विफल हुआ।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वार्षिक लेखे तैयार कर लिए थे और कार्यकारी समिति और संचालन कमेटी के पास अनुमोदन के लिए जमा होगे और तथा 2011–12 के लिए रोकड़ नहीं जल्द ही बना लिए जाएगे। रू 0.41 करोड़ के वाउचर के जमा न होने के संबंध में, यह बताया गया था कि उल्लिखित वाउचर मंडल कार्यालय में स्थित तथा रखे गये थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। गुजरात कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठक हुई।

हरियाणा

1. पृष्ठभूमि[92]

हरियाणा का कुल भैगोलिक क्षेत्र 44,21,00 हैक्टेयर है। अक्तूबर–नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 1,60,800 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.64 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 2700 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्य रूप से घने वन के अधीन 45,700 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अधीन 1,12,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 1400 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)– 2011

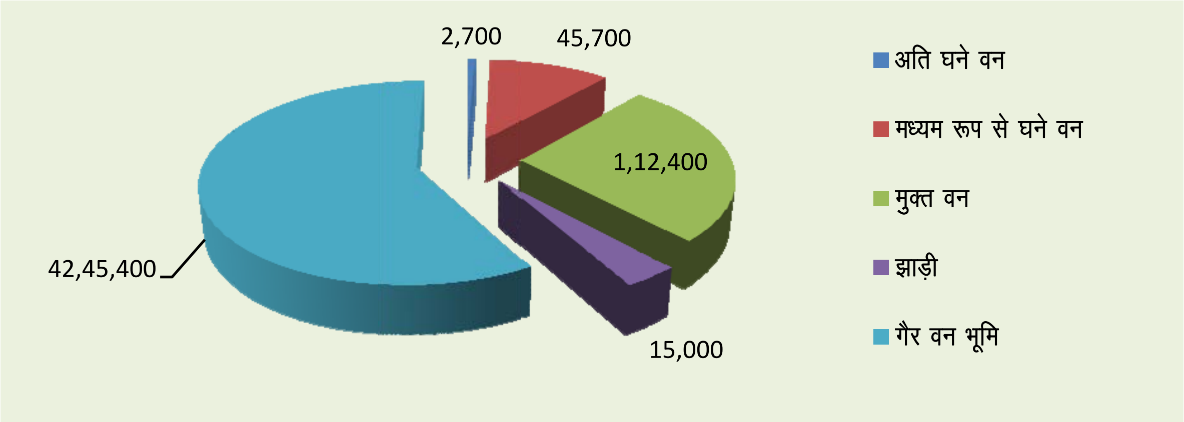

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वाराराज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[92] स्त्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[93] के पास निधियों का संचय
2006–07	28.01	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	18.26	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	50.25	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	103.10	19.11	शून्य	19.11
2010–11	49.57	18.89	11.23	26.77
2011–12	30.81	0.00	16.17	10.60
कुल	280.00	38.00	27.40	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी 38 करोड़ में से 28 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा किसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 18.94 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

हरियाणा मेंएनपीवी/सीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3की तालिका 24,26 ओर 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	8.48 हैक्टेयर की वन भूमि के एक मामले[94] में जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	0.49[95]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की थी। राज्य सरकार ने भी ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर एन पी वी नियत कर दिया था। तथापि हिसार वन मंडल के अभिलेखों नमूना जांच से पता चला कि प्रयोक्ता एजेंसी से संशोधित दरों पर एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि योजना के लिए अंतिम अनुमोदन दिया जाना बाकी था तथा शेष राशि, यदि कोई हो तो, जल्दी ही प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल होगी।	0.36
3	छः वन मंडलों[96] के सात मामलों में वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 के दौरान 37.28 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी/सी ए की अल्प वसूली हुई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी/सी ए के राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जानी थी।	3.57
	कुल	**4.42**

[93] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[94] एम ओ ई एफ द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्टेटस रिपोर्ट अनुसार।
[95] इन मामलो में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति हैक्टेयर (8.48X5.8)
[96] सोनीपत जीन्द, हिसार, कुरूक्षेत्र, पिंजोर तथा महेन्द्रगढ़

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा की आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[97]					11.17	6.26		12.59	10.31
प्रतिपूरक वनरोपण					7.10	4.41		6.61	5.09
संरक्षित वन[98]					0	0		0	0
सीएटी योजना					1.28	0.56		0	0.77
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.03	0		0	0
जोड़	**19.11**	**शून्य**	**शून्य**	**18.89**	**19.58**	**11.23**	**शून्य**	**19.20**	**16.17**

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा को ए पी ओ जमा नहीं किया था और वर्ष 2011–12 के लिए ए पी ओ वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद मई 2012 में जमा किया था। इस प्रकार, वर्ष 2009–12 के लिए राशि ए पी ओ के बिना राशि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई थी। तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 में कार्यान्वयक एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि जारी नहीं की थी। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में प्राप्त निधियां जैसे 2010–11 के दौरान कार्यान्वयक एजेंसियों को राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 19.58 करोड़ की राशि जारी की थी। 2011–12 में यद्यपि तदर्थ कैम्पा ने कोई निधियां जारी नहीं कीं परन्तु राज्य कैम्पा ने पूर्व दो वर्षों में संचित धन से निधियां जारी कीं। 2010–11 में व्यय का स्तर 57 प्रतिशत तथा 2011–12 में 84 प्रतिशत थे जब कार्यान्वयक एजेंसियों को जारी राशियों के साथ तुलना की गई। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से बढ़ी थी परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 390.34 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रही है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है।

---

[97] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है।

[98] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय, भवन इमारत, राज्य वन मुख्यालयों के नवीनीकरण पर उठाया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन सी ए सी ने अपनी 24 जून 2010 की बैठक में निर्णय लिया था कि मुख्यालयों के स्तर पर अधिसंरचना एफ डी पर कमाये व्याज से किया होगा तथा वन भवन में नवीनीकरणर का कार्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया था जो कि किसी भी मामले में ₹ 0.50 करोड़ तक के एक व्यय की वित्तीय तथा प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा निर्देशों के उलंघन में वन भवन के नवीनीकरण पर ₹ 0.15 करोड़ का व्यय उठाया गया था।	0.15
2	अननुमोदित स्थलों पर किया गया प्रतिपूरक वनरोपण	नमूना जांचित 11 वन मएडलों में से चार मण्डलों[99] में यह पाया गया था कि 336.35 आरकेएम[100] के क्षेत्र में फैले 25 अननुमोदित स्थलों पर सीए किया गया था।	0.93
	कुल		**1.08**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[101]–1,218.21 है0[102] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,154.89 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–43.79 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–51.67 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–1,174.42 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,103.04 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–4,182.00 है0 गैर वन भूमि पर–52.85 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–51.67 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–7.77 है0

[99] पानीपत, करनाल, सोनीपत तथा गुड़गांव
[100] मार्ग किलोमीटर
[101] क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग के नोडल अधिकारी (एनओ)
[102] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 1,218.21 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 4 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,154.89 है० तथा 2 प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 51.67 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित केवल 7.77 है० गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत भूमि पर कोई वनरोपणनहीं किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का प्रकार	विवरण
सभी शर्तों को पूरा किए बिनावन भूमि का विपथन	i. छः वन मण्डलों[103] के सात मामलों में **₹** 3.57 करोड़ के एनपीवी/सीए की वसूली किए बिना (दिसम्बर 2012) 2006–07 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान प्रयोक्ता एजेसियों को 37.28 है0 वन भूमि विपथित की गई थी। ii. पिंजौर मण्डल में सिंचाई विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तिम अनुमोदन तथा एनपीवी/सीए जमा किए बिना 11.70 है0 वन भूमि पर कार्य किया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य वन विभाग ने गैर वन भूमि को अधिकृत किया था तथा वन विभाग के पक्ष में भूमि का उत्परिवर्तन प्रक्रिया के अन्तर्गत था। मंत्रालय का एन पी वी/सी ए की बकाया राशि की वसूली से संबंधित जवाब मूक था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

2010–11 तथा 2011–12 के वार्षिक लेखे वन विभाग की प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्य कैम्पा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जो प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे क्योंकि यह निर्धारित फारमेट में नहीं था। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए। हरियाणा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल चार बैठकें हुईं। 2009–12 के दौरान कार्यकारी समिति की चार बैठकें हुई।

[103] सोनीपत, जींद, हिसार, कुरूक्षेत्र, पिंजौर तथा महेन्द्रगढ़

हिमाचल प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[104]

हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,67,300 हैक्टेयर है। अक्तूबर – दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 14,67,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 26.37 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने के अन्तर्गत 3,22,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,38,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 5,07,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में वन क्षेत्र ने 1,100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

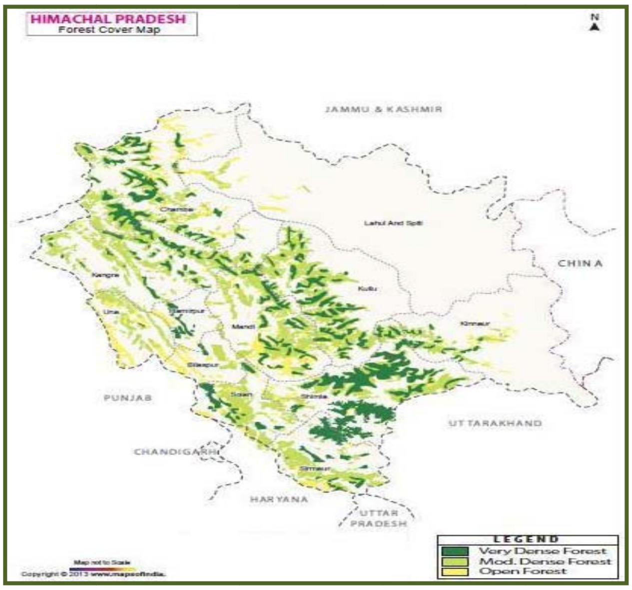

वनक्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

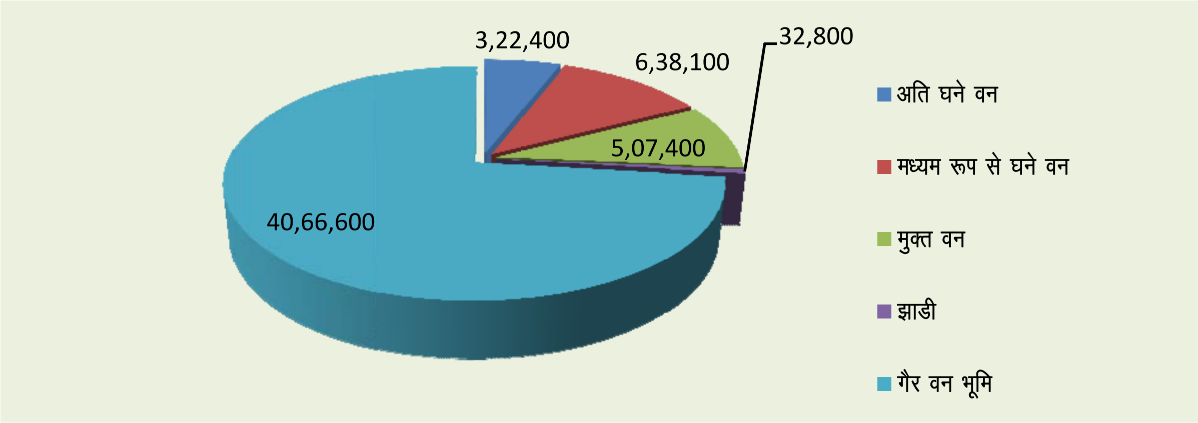

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

---

[104]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[105] के पास निधियों का संचय
2006–07	61.11	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	22.97	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	35.80	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	99.37	36.68	1.35	35.33
2010–11	370.07	42.17	37.07	40.43
2011–12	39.12	57.13	41.55	56.01
कुल	628.44	135.98	79.97	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 22 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया। जारी किये गये ₹ 135.98 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 21.51 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को नहीं दी गई तथा राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए एन पी/सी ए/पी सी ए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले निम्न लिखित है। जिनका सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	140.86 हे० वन भूमि के सात मामले[106] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी नही। लिया गया तथा जिनको अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन तथा बाद में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	8.17
2	राज्य कैम्पा द्वारा अक्टूबर 2002 से मार्च 2009 के दौरान वन भूमि विपथन के लिए ₹ 26.99 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किए गए।	26.99
3	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सड़कों के अनधिकृत निर्माण के 121 मामलों में ₹ 1.37 करोड/सीए करोड़ वसूल किया जाना था दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेसियों से इस सीए वसूल करने के लिए राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।	1.37
	कुल	**36.53**

उक्त टिप्पणियों के संबंध में मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन पी वी की इस वसूली में काफी सारी प्रयोकता एजेंसियां शामिल हैं इसलिए इसमें और समय लगेगा तथा तथा इसकी प्रगति के बारे में लेखापरीक्षा को उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा।

[105] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[106] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीबी (वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन)		4.44	0.18		11.48	10.72		15.43	12.71
प्रतिपूरक वनरोपण (सीए)		0	0		0.70	0.60		2.54	2.12
वन्यजीव प्रबन्धन (पीए)		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		2.85	1.17		21.83	22.59		16.38	15.69
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप यदि कोई हो		0	0		4.41	3.16		8.77	6.30
विविध प्रतिदाय		0	0		0	0		0	4.73
कुल	**36.68**	**7.29**	**1.35**	**42.17**	**38.42**	**37.07**	**57.13**	**43.12**	**41.55**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्व्यक एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त संपूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2009–10 में 20 प्रतिशत, 2010–11 में 91 प्रतिशत तथा 2011–12 में 75 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में चार प्रतिशत, 2010–11 में 88 प्रतिशत तथा 2011–12 में 73 प्रतिशत था। य़द्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामीरूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह की राज्य की अवशोषी क्षमता पर ध्यान रखते हुए प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,131.44 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	वन्य जीव के अनुरक्षण तथा सुरक्षा पर निधियों का उपयोग न करना	मार्च 2012 को ₹ 11.72 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए राज्य कैम्पा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा से प्राप्त ₹ 29.31 करोड़ में से ₹ 17.59 करोड़ उपयोग कर सका। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण कार्यकलापों, अर्थात वनों तथा वन्य जीव के संरक्षण,विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा आदि आरम्भ नहीं किया जा सके, जैसाकि वर्ष 2009–12 की योजना की गई, के इसके अतिरिक्त एपीओ अवास्तविक आधार पर बनाए गए थे। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013) कि विभिन्न कार्यकलापो पर राज्य कैम्पा के व्यय में 2009–12 के दौरान क्रमिक वृद्धि हुई है। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि इन वर्षों के दौरान ₹ 135.98 करोड़ में से केवल ₹ 79.97 करोड़ ही प्रयुक्त किए जा सके अर्थात 59 प्रतिशत ₹ 56.01 की अप्रयुक्त राशि जो कि वन्य जीव की सुरक्षा एवं रखरखाव में खर्च की जानी चाहिए थी।	11.72
2	योजना के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना	₹ 10.00 करोड़ के एक योजना के अन्तर्गत "ऊहाल चरण ।।। एचईपी सीएटी योजना" विभिन्न कार्यकलापों जैसे संवर्धन रोपण, सहायक वन वर्धन प्रचालन, समेकन तथा सीमांकन, वन सुरक्षा, सड़को का निर्माण भवनों का निर्माण, मिट्टी संरक्षण तथा आकस्मिक व्यय का निष्पादन करने के लिए तैयार की गई। योजना 2002–03 से 2012–13 तक 10 वर्षों की अवधि में निष्पादित की जानी थी। 540 हैक्टेयर वन भूमि के लक्ष्य के प्रति रोपण कार्य दिसम्बर 2012 को ₹ 6.00 करोड़ की अव्ययित राशि के साथ रोपण किए जाने के लिए 249 है. वन भूमि छोड़कर 2011–12 तक ₹ 4.00 करोड़ की लागत पर केवल 291 हैक्टेयर वन भूमि पर किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध निधियों के अनुसार सी ए टी योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है तथा अगले दो–तीन वर्षों में उसके पूर्ण होने की आशा है।	6.00
3	बंदर वन्धीकरण कार्यक्रम पर रू. 4.97 करोड़ की एनपीवी निधियों का विपथन	राज्य कैम्पा ने बंदर वन्धीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2011–12 वर्षों के दौरान ₹ 4.97 करोड़ की राशि जारी की जबकि 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के राज्य सरकार के विनियोग लेखा के अनुसार इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.77 करोड़ खर्च किया गया । इस प्रकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां के निर्गम के पूर्व, व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। इसलिए राज्य कैम्पा ने कथित योजना के कार्यान्वयन पर ₹ 4. 97 करोड़ का अनियमित व्यय किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि बंदी बंधीकरण कार्यक्रम राज्य कैम्पा संचालन समिति द्वारा ए पी ओ में शामिल किया गया था। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2011–12 तक उक्त कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था।	4.97
4	भण्डार मदों की खरीद पर अनियमित व्यय	छः वन मंडलों में प्रतिस्पर्धी बोली तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा उचित वित्तीय कार्यविधियां अपनाए बिना ₹ 2.53 करोड़ की लागत पर 2009–12 वर्षों के दौरान कुछ भंडार मदों की खरीद की थी जिसमें	2.53

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		जीएफआर का उल्लंघन हुआ इसलिए ₹ 2.53 करोड़ का संपूर्ण व्यय अनियमित था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि खरीदी गई वस्तुओं के साथ– साथ कार्यालयों के ब्यौरो तथा लेखापरीक्षा जल्दी ही भेज दिये जाएगें।	
5	**जीपीएस उपकरणों की खरीद पर रू. 20.22 लाख का अनाधिकृत व्यय**	राज्य कैम्पा ने दिसम्बर 2010 में ₹ 0.20 करोड़ की लागत पर मै. असीम इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली से 200 जीपीएस उपकरणों की खरीद की। तथापि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार जीपीएस उपकरण सम्बन्धित राज्य को भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा दिये जाने थे। इस प्रकार जीपीएस उपकरणों की खरीद पर किया गया ₹ 0.20 करोड़ का व्यय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रतिकूल था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि जी पी एस यंत्रों की आपूर्ति एफ एस आई देहरादून द्वारा की जानी थी।	0.20
6	**बाहय एजेंसी के माध्यम से अलाभकर रोपण**	प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 0.60 लाख प्रति हैक्टेयर के विभागीय वित्तीय प्रतिमानों पर कोल बांध जलाशय के पास 1531 हैक्टैयर क्षेत्र पर किनारा रोपण के लिए ₹ 9.15 करोड़ जमा किया। कार्य फरवरी 2006 में ईको टास्क फोर्स (ईटीएफ) को आवंटित किया गया था। लेखापीक्षा में पाया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किए गए ₹ 9.15 करोड़ के प्रति ₹ 5.47 करोड़ का अधिक व्यय करने के बावजूद 581 हैक्टेयर भूमि पर रोपण अभी किया जाना था। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभाग ने कोल बांध एचईपी सीएटी योजना के अन्य संघटकों से ₹ 7.34 करोड़ विपथित किया था । जिसके कारण अन्य कार्यकलापप्रभावित हुए। एक अन्य मामले में लारजी एचईपी सीएटी योजना की कुल लागत ₹ 12.80 करोड़ थी। जिसमें से ₹ 8.93 करोड़ ₹ 0.31 लाख प्रति हैक्टेयर के विभागीय वित्तीय प्रतिष्ठानों पर 2859 हैक्टेयर क्षेत्र पर वनरोपण के निष्पादन तथा अनुरक्षण के लिए उददिष्ट था। विभाग ने कार्य स्वयं नहीं किया परंतु मार्च 2010 में उसे ईटीएफ बी को आंवटित किया गया था। 2010–12 के दौरान ईटीएफ ने 614 हैक्टेयर में रोपण किया और ₹ 7.87 करोड़ (सैज एचईपी सीएटी योजना से विपथित ₹ 1.50 करोड़ की स्थापना लागत सहित का भुगतान किया गया था। यह देखा गया था कि कार्य का केवल 21 प्रतिशत (614 हैक्टेयर) कुल उदिदष्ट निधियों का 88 प्रतिशत उपयोग करने के बाद पूर्ण किया गया था। शेष कार्य ईटीएफ की वर्तमान दर पर ₹ 23.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार ईटीएफ को कार्य का आवंटन अलाभकर था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई टी एफ की स्थापाना को पुनः शामिल करने का मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है तथा इस मामलों में अंतिम निष्कर्ष उचित समयाअवधि में सूचित कर दिए जाएगें।	
7	**सीए कार्य का निष्पादन न करने के कारण पर्यावरण को हानि**	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के सभी मामलों में विपथित क्षेत्र के दोगुने में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण की हानि को पूरा करने के लिए अंतिम अनुमोदन के एक वर्ष के अन्दर किया जाना अपेक्षित था।	

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के विपथन, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जून 2002 तथा नवम्बर 2011 के बीच अनुमोदित किए गए थे, के 106 मामलों में अनुमोदन के एक वर्ष के अंदर विभाग द्वारा सीए नहीं किया गया था यद्यपि प्रयोक्ता एजेंसियों ने ₹ 8.20 करोड़ की सीए की लागत जमा कर दी थी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामरूवरूप पर्यावरण महत्व को बहुत हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सी ए कार्यों का कार्यान्वयन प्रगति पर है तथा वह सारे बचे हुए कार्यों को पूरा करने पर केंद्रित है।	
8	सीए के अन्तर्गत पौधों का जीवित न रहना	राज्य वन विभाग ने 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 71,87,592 पौधे लगाए। इनमें से 15,50,217 पौधे भारी सूखा आग दुर्घटनाओं तथा खराब मृदास्थितियों के कारण नष्ट हो गए। पौधों की नश्वरता 22 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य की जलवायु तथा पहाड़ी क्षेत्र में जीवितता अच्छी थी। सत्यता यह थी कि 22 प्रतिशत पौधे मर गये।	
	कुल		**25.42**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार[107]– 932.85 है.[108] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 4,080.23 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – 932.85 हैं एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 4,080.23 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	8240.04 है. दोगुनी निम्नीकृत भूमि पर सीए के लिए मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया , 7.56 है. के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं दिया गया
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 8,247.61 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2,789.51 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित, प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

[107] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[108] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

तालिका से स्पष्ट है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकडो एवं राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये आंकडों में अतुलनीय विसंगतियां पायी गई। आर के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि उद्देश्यों के लिए वन भूमि का विपथन 932.85 हे० थी। तथा उसके बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी। जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार ये संख्याएं क्रमशः 4,080.23 हे० तथा शून्य प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार कोई गैर वन भूमि हस्तांतरित/प्रविर्तित वन विभाग के पक्ष में नहीं हुई तथा आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित हुई। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनीकरण नहीं हुआ तथा निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनीकरण किये जाने वाले वनीकरण क्षेत्र का 34 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमिताएं

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना वन भूमिका विपथन**	करसौंग वन मंडल में एचपीपीडब्ल्यूडी तथा खण्ड विकास अधिकारी ने 34.2 हैक्टेयर वन भूमि पर 1997–98 से 2008–09 तक की अवधि के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना 42.9 कि.मी. लम्बी 27 सड़कों का निर्माण किया था। स्टेट कैम्पा द्वारा वनभूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति की कोई कार्रवाई नहीं की थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन का मामला हिमाचन प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अंतिम कार्यवाही की जाएगी।
2	**वन भूमि का अनियमित विपथन**	प्रयोक्ता एजेंसी से गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना मण्डी तथा कुल्लू जिलों में लारजिल एचईपी के निर्माण के लिए 1987 में 16.28 हैक्टेयर वन भूमि विपथित की गई थी और इस आशय, कि राज्य में गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं थी, मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र बिना 1992–94 के दौरान 32.56 हैक्टेयर वन भूमि पर सीए अनुमत किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) की मामला हिमालच प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी जैसे उनके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। तथापि राज्य कैम्पा ने दिसम्बर 2012 तक निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि दिसम्बर 2012 तक ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई। तथ्यों को स्वीकारते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) 2009–10 से

2011–12 के वर्षों के वार्षिक लेखाओं को बनाने का कार्य चार्टरड अकाउटेंट को दिया गया। तथा अंतिम लेखे सी ए फार्म से प्राप्त होते ही लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जाएगें।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। तथापि,कार्यकारी समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुई। संचालन समिति की 2009–12 के दौरान सात बैठकें हुईं। शासी निकाय ने 2009–12 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की। तथ्यों को स्वीकरतें हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि क्योंकि लेखे तथा अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुए थे इस लिए शासी निकाय की बैठक आयोजित नहीं जा सकी। अब लेखे कम्पाइल किये जा रहे है तथा पूर्ण होने के अंतिम चरण में है अतः शासी निकाय की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जायेगी।

जम्मू कश्मीर

1. पृष्ठभूमि[109]

जम्मू–कश्मीर का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,22,23,600 हैक्टेयर है। अक्तूबर –दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 22,53,900 हैक्टेयर था जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.14 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 4,14,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 8,76,000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 9,63,900 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र मे 2011 निर्धारण में 200 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई गई।

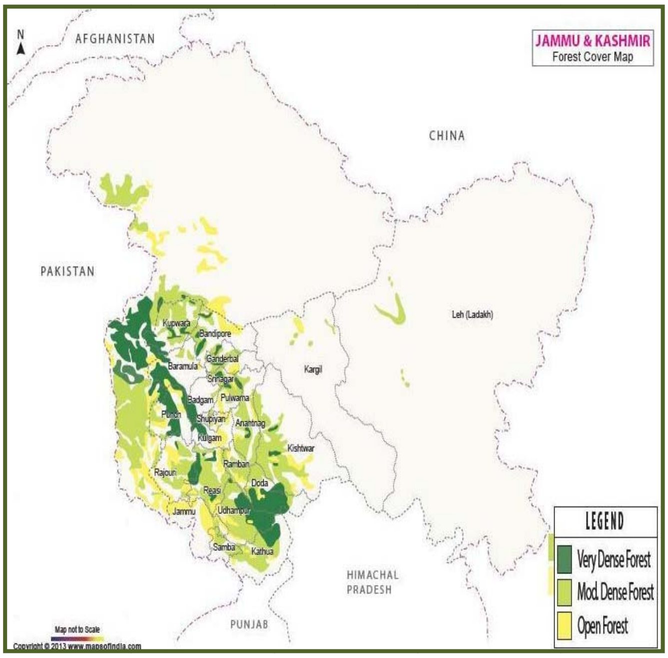

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

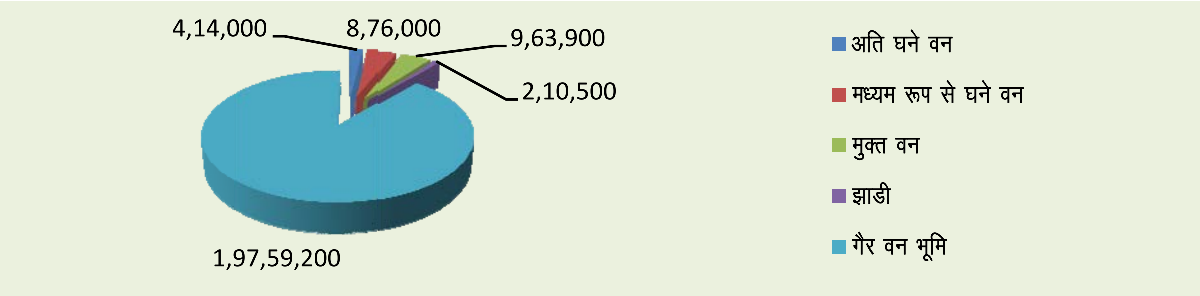

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

केन्द्रीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर वन विभाग, जम्मू कश्मीर संरक्षण अधिनियम (एफ सी ए) 1997 द्वारा शासित है। केन्द्रीय समर्थ कमेटी (सी ई सी) के निर्देशों (फरवरी 2010) के अनुसार जम्मू कश्मीर की राज्य कैम्पा को सिर्फ एन पी वी तदर्थ कैम्पा के पास जमा करना था तथा बाकी सी ए/ए सी ए इत्यादि राज्य कैम्पा द्वारा रखा जाना था। इसके अलावा सी इ सी की सिफारिशें थी कि जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा द्वारा सी ए से प्राप्त राशि का उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू की गई उच्चतम सीमा वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए ए पी ओ के

[109] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जा सकता था तथा बाद के वर्षों के लिए तदर्थ कैम्पा ए पी ओ के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित राशि जारी करेगा।

जम्मू कश्मीर अपने संरक्षण अधिनियम, 1997 से शासित होने से, राज्य कैम्पा का ए पी ओ इसलिए तदर्थ कैम्पा के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाता था। कार्यान्वयन एजेंसियों ने उनके विशेष देशीय/क्षेत्रीय मंडलों के संबंध में प्रथम चरण के रूप में पांच साल (2010–15) के लिए योजना प्रस्ताव (पी पी) तैयार कर लिये थे। ए पी ओ इन पी पी में से निकाले गए तथा कैम्पा की कार्याकारी समिति के पास सिफारिशों तथा संचालन समिति के पास अंतिम अनुमोदन के लिए जमा किए गए थे।

राज्य कैम्पा का गठन अप्रैल 2011 में हुआ था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत हैः–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[110] के पास निधियों का संचय
2006–07	27–04–2011 को तदर्थ कैम्पा को ₹ 74.05 करोड़ अन्तरित किये गये और ₹ 291.85 करोड़ के एफ डी आर केन्द्रीय तदर्थ कैम्पा के नाम प्रतिभूत दर्शाते थे	शून्य	शून्य	उ.न.
2007–08		शून्य	शून्य	उ.न.
2008–09		शून्य	शून्य	उ.न.
2009–10		11.15	2.75	8.40
2010–11		15.70	16.00	8.10
2011–12		40.24	36.93	11.41
कुल	365.90	67.09	55.68	

यह अवलोकन गया था कि वर्ष 2009–12 से तदर्थ कैम्पा ने जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा को कोई निधियां जारी नहीं की थी। जम्मू कश्मीर कैम्पा, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्तियों के संबंध में शीर्षवार/प्रयोक्ता वार लेखे नहीं बनाए गए थे इसके स्थान पर सभी धन जैसा एन पी वी/सी ए आदि परस्पर मिल गए थे।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

जे एण्ड के में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले, जो लेखापरीक्षा के ध्यान में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 तथा 27 में भी दिया गया है।

[110] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यालय न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की थी। तथापि आठ मंडलों[111] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एनपी वी संशोधित दरों परएकत्र नहीं किया गया था।	21.04
2	वन विभाग ने गैर वन प्रयोजनों हेतु एजेंसियों को 10683.86 है0 भूमि का विपथन किया (1991 से मार्च 2012) परन्तु ₹ 795.75 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था।	795.75
3	वन्यजीवन संचुरी भूमि का विपथन (679.12 हैक्टेयर) • अक्तूबर 2007 में मुगल रोड के निर्माण के लिए अभयारण्य से भूमि के विपथन के बदले एनपीवी की संशोधित दरें लागू न करने और वन्यजीव अभयारण्य के लिए निर्धारित एनपीवी की सामान्य दर का पांच गुना प्रभारित न करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी (मुगल रोड मण्डल शोपियां) से ₹ 25.04 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई। इसके अलावा ₹ 13.72 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि भी दिसम्बर 2012 एक प्रयोक्ता एजेंसी के प्रति बकाया थी। • मार्च–जुलाई 2010 के दौरान 600.68 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति छः मामलों में ₹ 3.00 करोड़ का सीए भी दिसम्बर 2012 को प्रयोक्त एजेंसियों (बीआरटीएफ तथा आईटीबीपी) से वूसल नहीं किया गया था। • बनिहाल से श्रीनगर तक एनएच–1 ए पर सुरंग निर्माण वन्यजीव अभयारण्य से भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 3.25 करोड़ का एनपीवी फरवरी 2007 मे कम वसूल किया गया था।	45.01
	कुल	**861.80**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[112]		0	0		0	0		0	0
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0	0		0	0
संरक्षित वन[113]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		11.15	2.75		15.70	16.00		40.24	36.93
कुल	शून्य	11.15	2.75	शून्य	15.70	16.00	शून्य	40.24	36.93

[111] बन्दरबाह,जम्मू, कामराज,अन्तनाग,लेनगेट,उद्यमपुर, लिद्वार, सौप्यन
[112] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[113] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

आईए के संबंध में आबंटन/व्यय की तुलना में निधियों की उपलब्धता के शीर्षवार/संघटकवार ब्यौरे राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लेखे चित्रित/संकलित नहीं किए गए हैं। लेन देन एक लेखा/एकल लेखा बहियों में परस्पर मिल गए हैं। आईए से लेखे तथा प्रगति रिपोर्टों के लम्बन के कारण लेखे किसी भी चरण पर संकलित नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप सभी आईए द्वारा खर्च की गई राशि की वास्तविक संकलित स्थिति उपलब्ध नहीं थी और अभिनिश्चित भी नहीं की जा सकी। तथापि एपीओ 2010–11 में निर्धारित कार्य वर्ष 2009–10 के दौरान अग्रिम में किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि राज्य के लिए व्यय और उपलब्धियों के रूप में वित्तीय तथा फिजिकल संख्याएं राज्य के लिए समायोजित की जा रही थी। तथापि बताए गये विवरण को उत्तर के साथ संलग्न किया जाना था, दिये नहीं गये थे।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमिताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनियमितता	विवरण	राशि
1	**अप्राधिकृत व्यय**	चूंकि केन्द्रीय अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को लागू नहीं था इसलिए राज्य स्तर संचालन समिति (एसएलएससी) ने अप्रैल 2007 में निर्णय किया कि कैम्पा निधियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों के समाधान तक राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि एसएएलसी के उपर्युक्त निर्णय के प्रतिकूल राज्य कैम्पा ने ऋण, अग्रिम, खेलकूद प्रतियोगिता, निजि होटलों को भुगतान आदि के भुगतान पर ₹ 5.25 करोड़ की कैम्पा निधियों की राशि खर्च की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.25 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ।	5.25
2	**सीए निधियों का विपथन**	20 राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2010–11 में ₹ 8.78 करोड़ और 2011–12 में ₹ 12.55 करोड़ रोपण पर खर्च किया गया था जिसमें से 2010–11 मे ₹ 5.04 करोड़ तथा 2011–12 में ₹ 8.41 करोड़ चेनलिंक फेसिंग/एंगल आयरन आदि पर खर्च किया गया था रोपण पर किये गये खर्च का जो कि 57 प्रतिशत वर्ष 2010–11 और 67 प्रतिशत 2011–12 था। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निधियों का विपथन और परिणामतः रोपण और परिगामी वनरोपण का मूल उद्देश्य वंचित हुआ था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जम्मू एवं कश्मीर में अंतिम अशांत अवधि के दौरान प्रभावी बाड़ तंत्र आवश्यक था और बाड़ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2013–14 के आगे से लाइव होप बाड़ के साथ निम्न लागत की कांटेदार तार वाली बाड़ पूरित की जा रही थी। यह बाड़ व्यय के अंश को कम रखेगा।	13.45

क्रम सं0	अनियमितता	विवरण	राशि
3	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एनसीएसी द्वारा अप्राधिकृत व्यय	अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि कारपेट, एलईडी, एसी, आई.पौड, सोफासैट, प्रोजेक्टर, कार्यालय केबिनों का संस्थापन, विद्युत ट्रांसफार्मर का संस्थापन, वाहनों आदि की खरीद जैसे कार्यकलापों पर ₹ 0.31 करोड़ खर्च किए गए थे जिनका मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत प्रबंधन नहीं था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि पिछले 2 वर्षो के दौरान कई मामलों में योजना की जमीनी स्थिती और शैशव अवस्था के कारण अप्रयुक्त राशि 30 प्रतिशत से तेतीस प्रतिशत के बीच मे रही। तथ्य रहा कि 2009–12 के दौरान स्टेट कैम्पा एनपीवी योजना हेतु उपलब्ध की गई राशि को प्रयोग नहीं कर सका ।	0.31
4	निधियों का कम उपयोग	2009–12 वर्षों के दौरान वित्त वर्ष के अन्त में बडा अव्ययित शेष था जो 24 से 75 प्रतिशत के बीच था।	
5	राज्य कैम्पा तथा वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों में बडा अन्तर	8 राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2011–12 के लिए राज्य कैम्पा तथा वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों में बडा अन्तर था। वर्ष 2011–12 में निधियों के आबंटन में अन्तर ₹ 0.03 लाख से ₹ 93.52 लाख के बीच और व्यय में अन्तर ₹ 31.27 लाख से ₹ 1.43 लाख के बीच था। इस प्रकार वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों का मिलान राज्य कैम्पा के आंकडों के साथ नहीं किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि बिना खर्च किये गये शेष तथा व्यय के ब्यौरों के साथ वर्ष 2011–12 के लिए मंडल वार निर्धारण किया गया था। तथापि उत्तर के साथ संलग्न किये जाने वाले बताये गये सहायक दस्तावेज दिये नहीं गये।	
6	सी ए की पुष्टि से संबंधित संचालन समिति के निर्णय का अनुसरण नहीं किया गया	संचालन समिति ने अप्रैल 2011 मे निर्णय किया कि वनरोपण हेतु कोई क्षेत्र किए जाने से पूर्व इसका समायोजन अक्षांश ओर देशांतर रेखा के रूप में अभिलिखित किया जाना था और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का फोटोग्राफी–वीडियोग्राफी के साथ–साथ सेटेलाइट इमैजिनरीस पर के रूप में अभिलिखित किया जाना था। यह नोटिस किया कि दिसम्बर 2012 के राज्य कैम्पा द्वारा लिये गये सी ए के पुष्टीकरण से संबंधित कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।	
	कुल		**19.01**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[114]– उ0न0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3,967.46 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	एनओ के अभिलेखों के अनुसार– उ0न0 आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार– उ0न0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3,967.46 है0
गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र की संलग्नता	जे एण्ड के संबंध में प्रमाणपत्र उप/मण्डल आयुक्त द्वारा जारी किया जाना है। अधिकांध प्रमाणपत्र संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे और कुछ प्रमाणपत्र स्वयं प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जारी किए गए थे।
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–14,312.00 है0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–7,838.00 है0 (2010–11 एवं 2011–12) गैर वन भूमि पर–शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार– उ.न. एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

एफ सी अधिनियम 1980 जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। एफ ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि 3,967.46 हैक्टेयर थी तथा इसके बदले में कोई गैर वन भूमि प्राप्त नहीं हुई थी। निम्नीकृति भूमि किया गया वन रोपण, वर्ष 2010–12 के दौरान वनरोपित अभिज्ञात क्षेत्र का 55 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का प्रकार	विवरण
वन्यजीव अभयारण्य भूमि का विपथन	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि छः मामलों में मार्च–जुलाई 2010 के दौरान 600.68 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति सीए करने के लिए गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक राज्य वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

[114]पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

कैम्पा की लेखाकरण प्रक्रिया एसआरओ–354 के प्रावधानों के अनुसार महालेखाकार, जम्मू तथा कश्मीर के परामर्श से विकसित किया जाना है। राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत की जानी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं के लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए यह पाया गया था कि जीएफआरएस के अनुसार अनुरक्षित किए जाने को अपेक्षित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टर यथा परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, सामग्री खरीद रजिस्टर, कार्य रजिस्टर तथा मस्टर रौल रजिस्टर आदि राज्य कैम्पा तथा इसके विभिन्न मण्डलों द्वारा बनाए नहीं गए थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) किकैम्पा लेख पुस्तिका का अंतिम रूप प्रक्रिया के अन्तर्गत था तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधी, प्रयोक्ता एजेंसियों को इस संबंध में जो भी मौजूदा भिन्नताएं थी उनके सख्ती से परिपालन के लिए निर्देशित किया गया था।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए उचित रूप से रोकड बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बहियों के अनुचित रखरखाव के कारण 2007–08 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके। इसके कारण कुछ कमियां निम्न थीं:

- बैंक के साथ आंकडों का मिलान नहीं– राज्य कैम्पा द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही में दर्शाए शेषों के आंकडों तथा 2007–12 के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक विवरण में दर्शाए आंकडों में ₹ 0.09 करोड़ से ₹ 5.41 करोड़ के बीच बडा अन्तर था।

  तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि रोकड़ पुस्तिका का सत्र नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित के अनुसार रख–रखाव होगा। यह भी बताया गया था कि लेखापरीखा में संकेत किया गया था, रोकड़ पुस्तिका तथा प्रगति रिपोर्ट के मध्य संख्याओं की भिन्नताएं सही करनी थी।

- बैंक द्वारा दर्शाए आहरण परन्तु रोकड़ बही में विद्यमान नहीं: बैंक विवरण के अनुसार राज्य कैम्पा के बैंक खाते से मार्च 2005 से जनवरी 2011 तक के दौरान ₹ 90.62 करोड़ आहरित दर्शाए गए थे जिसमें सात एफडीआर के प्रति ₹ 84.00 करोड शामिल थे। तथापि कैम्पा की रोकड़ बही में ऐसी कोई प्रविष्टियां नहीं पाई गई थीं।

- ₹ 33.27 करोड़ के गुम चैकः रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार 25 चैक (संख्या 8659423, 8659425, 8659428,8659432 से 8659444 8659446 से 8659450, 7285401, 7285402, 7285405, 7285409) गुम पाए गए थे। इन गुम चैकों के ब्यौरे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए गए थे। इसके अलावा ₹ 33.27 करोड़ के 162 चैक राज्य कैम्पा के खाते में गुम पाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.27 करोड़ की हानि हुई।

- ₹ 66.58 करोड़ के एनपीवी/सीए के क्रेडिट का लेखांकन नहीं करना : एनपीवी/सीए आदि के प्रति ₹ 66.58 करोड़ के चैक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे परन्तु उनका क्रेडिट बैंक खाते में खोजने योग्य नहीं था। इस प्रकार रोकड बही में दिखाई देने वाली परन्तु बैंक खातों में दिखाई न देने वाली प्राप्तियां ने इंगित किया कि या तो चैक बैंक में जमा नहीं किए गए थे अथवा उनके क्रेडिट बैंक द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.58 करोड़ की हानि/क्रेडिट का लेखांकन नहीं हुआ।

- रोकड़ बही में अग्रिमों का लेखांकन न करनाः सैल्फ चैक के प्रति बैंक से आहरित ₹ 8.49 लाख और जुलाई 2007 में प्रदत्त ₹ 5.00 लाख के अग्रिम की प्रविष्टि रोकड़ बही में खातो प्राप्ति अथवा भुगतान की ओर नहीं की गई थी। इसके अलावा मार्च 2008 को ₹ 33 लाख के अथशेष तथा जुलाई 2007 को ₹ 7.06 करोड़ के अथशेष की प्रामाणिकता उचित अभिलेखों का रखरखाव न करने के कारण लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

- कार्यान्वयन एजेसियों को जारी राशियों, जैसे प्रगति रिपोर्ट में दर्शाई गई और राज्य कैम्पा द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही में प्रदर्शित राशियों के बीच 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में क्रमशः ₹ 3.07 करोड़ तथा ₹ 2.01 करोड़ का अन्तर था।

- एफडीआर के अभिलेख न बनानाः एफडीआर का अथशेष/नवीन/नवीकरण/अन्तशेष आदि दर्शाने वाला कोई रजिस्टर राज्य कैम्पा द्वारा बनाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त एफडीआर की वास्तविक राशि, निवेशों की वास्तविक तारीख, पुनर्निवेश, परिपक्वता की तारीख, अर्जित ब्याज आदि दर्शाने वाली बैंक पुष्टियां राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थीं। खुले कागजों पर उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार ₹ 71.91 करोड़ के उपचित योग्य ब्याज सहित एफडीआर की मूल राशि ₹ 545.30 करोड़ और परिपक्वता मूल्य ₹ 617.21 करोड़ था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि पी सी सी एफ कार्यालय में एफ डी आर के पूर्ण कम्प्यूटरीकृत अभिलेख उपलब्ध थे। तथापि जवाब के साथ संलग्न किये जाने वाले बताये गये दस्तावेज, दिये नहीं गये। इस प्रकार रोकड़ बही शेष और बैंक के मिलान के लिए और अन्य संबंधित दस्तावेजों और रोकड़ बही व वार्षिक खातों के रख–रखाव की कार्यविधि और मानक नियमों के अनुसरण करने के लिए उसके स्थान पर कोई प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वारूप अनुचित विनियोजन के मामलों पर निर्णय नहीं किया जा सका था।

7. प्रतिपूरक वन रोपण निधियों का निवेश

7.1 निवेश नीति के ढ़ाचे का अभाव:–

- राशि जो तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित नहीं थी, एफडीआर में रखी जानी थी। निधियों के निवेश की ऐसी कोई नीति बनाई और अपनाई तथा कैम्पा के शिखर द्वारा अनुमोदित कराई नहीं गई थी। निवेश नीति न बनाने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई थी जो एफडीआर में निधियां रखे जाने पर प्राप्त होनी थी।

- जमाओं में कैम्पा धन का निवेश का अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कैम्पा को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको से कोटेशन मांगे जाने चाहिए थे। इसका (दिसम्बर 2009) में ईसी द्वारा भी निर्देश दिया गया था। तथापि राष्ट्रीयकृत बैंको से काई कोटेशन नहीं मांगे गए थे और पर्याप्त समय अवधि बीत जाने के बावजूद एफडीआर केवल जेएण्डके बैंक में रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ईसी द्वारा अपनी बाद की बैठकों में इस बावत कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामलों में प्रतिबिम्बित निवेश नीति के अभाव का प्रभाव निम्नवत है:–

7.2 एफडी में कैम्पा निधियों का निवेश न करने के कारण ₹ 14.60 करोड़ के ब्याज[115] की हानि–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त एनपीवी/सीए आदि की निधियां जनवरी 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान एफडी में अथवा सब्याज खातों में इनका निवेश करने के स्थान पर राज्य कैम्पा द्वारा चालू खाते के रखी गई थीं परिणामस्वरूप ₹ 8.94 करोड़ (यदि निधियां बचत खाते में जमा की जाती) से ₹ 14.60 करोड़ (यदि एफडी में निवेश की जाती) तक ब्याज ही हानि हुई। इसके अलावा विभिन्न वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि मण्डलों ने सब्याज के स्थान पर चालू खाते में निधियां रखी, परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के बयाज की हानि हुई।

7.3 वन मण्डलों द्वारा राज्य कैम्पा को निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण ₹ 8.12 करोड़ के ब्याज की हानि–

विभिन्न राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 2002–12 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा सीए निधियों के प्रेषण में एक से 95 महीनों के बीच विलम्ब हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 8.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

---

[115] ब्याज की गणना 4 प्रतिशत पर की गई.

7.4 राज्य वन्यजीव विभाग द्वारा राज्य कैम्पा को निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण ₹ 1.68 करोड के ब्याज की हानि–

लेह वन मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि प्रयोक्ता एजेंसी ने चुशमुले, डेमचौक रोड के निर्माण के लिए 124.80 हे0 वन भूमि के विपथन के बदले राज्य कैम्पा के स्थान पर सितम्बर 2010 में राज्य वन्यजीव विभाग के पास ₹ 55.87 करोड़ की निधियां जमा कीं। वन्यजीव विभाग द्वारा निधियां राज्य कैम्पा को नौ महीनों से अधिक के विलम्ब के बाद जून 2011 में अन्तरित की गई थीं परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

7.5 विभिन्न राज्य वन मण्डलों द्वारा प्राप्त सीए निधियों का मिलान न करना–

राज्य कैम्पा तथा इसके विभिन्न मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि प्राप्य राशि, प्राप्त राशि तथा सीए निधियों की बकाया राशि अभिनिश्चित करने के लिए वन भूमि के विपथन के बदले विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सीए निधियों का राज्य कैम्पा द्वारा अपने विभिन्न मण्डलों के साथ मिलान नहीं किया गया था।

7.6 बैंक में चैक जमा करने में विलम्ब के कारण ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की हानि–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 2007–12 के दौरान बैंक खातों को क्रेडिट के लिए 352 चैकों के प्रेषण में 8 से 369 दिनों के बीच विलम्ब के कारण ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

7.7 अन्य विभागों/एजेंसियों द्वारा ₹ 32.08 करोड़ की निधियों का अप्राधिकृत जमा–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 37 मामलों में 2007–12 वर्षों के दौरान वन भूमि के विपथन के किसी प्रस्ताव के बिना विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों ने ₹ 32.08 करोड़ की निधियां जमा की थीं।इस प्रकार, निवेश नीति/प्रक्रिया के अभाव में, इसमें राज्य कैम्पा द्वारा निधियों के निवेश में विलम्ब के कारण बकाया राशि के ब्याज की हानि तथा राज्य वन मंडल/प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की प्राप्ति/पावती में विलम्ब के मामले थे।

8. निगरानी

कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति की प्रत्येक छः महीने बाद इनकी बैठकें होनी थीं। यह देखा गया था कि ईसी की बैठक 1 माह से 10 महीनों के बीच की अवधि के अन्तर पर हुई थी। एससी की बैठक 4 माह से 11 महीनों के बीच की अवधि के अन्तर पर हुई थी। ईसी/एससी बैठकें आयोजित करने की कोई परिभाषित समय सूची नहीं थी।

झारखण्ड

1. पृष्ठभूमि[116]

झारखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79,71,400 हैक्टेयर था। नवम्बर 2008 जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य का वन क्षेत्र 22,97,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 28.82 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 2,59,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अन्तर्गत 9,91,700 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 10,47,000 हैक्टेयर क्षेत्र था । 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 8,300 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

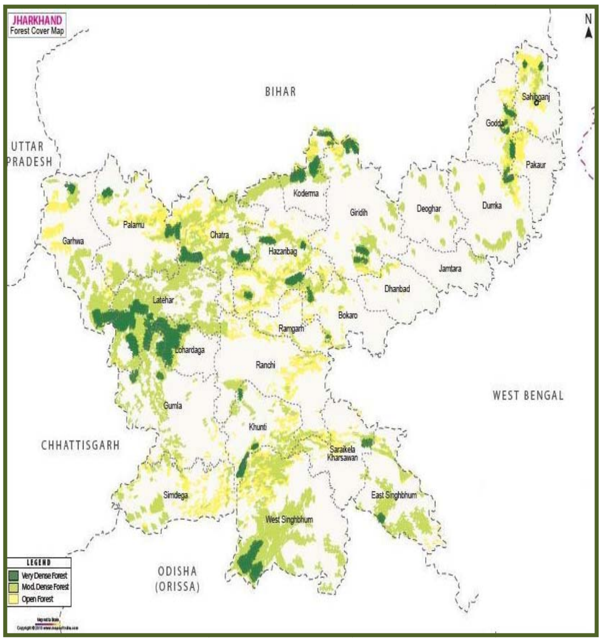

वन क्षेत्र – वन प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

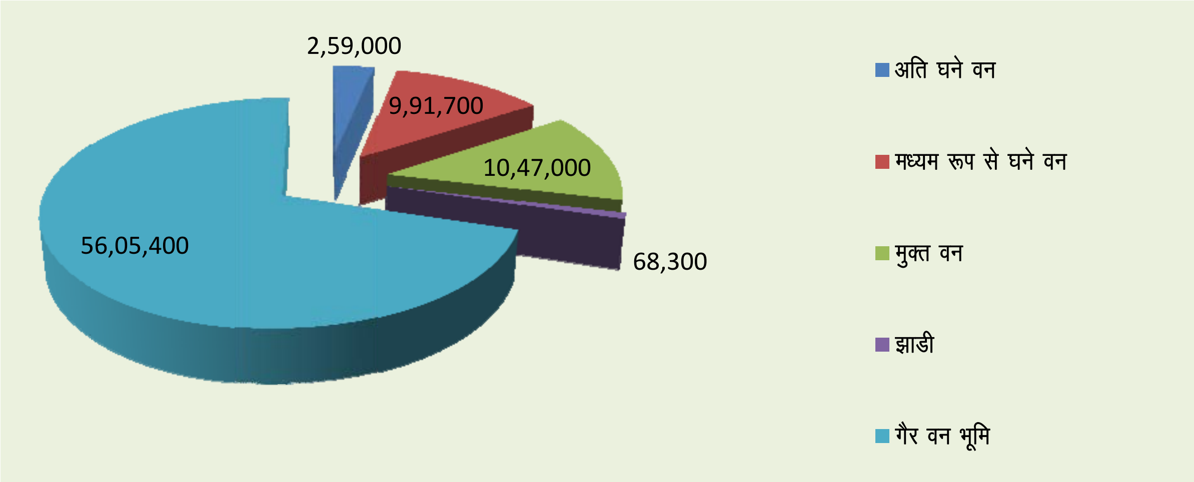

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[116] स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[117] के पास निधियों का संचय
2006–07	822.09	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	76.23	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	55.82	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	187.64	95.00	शून्य	95.00
2010–11	272.00	103.16	75.52	122.64
2011–12	184.54	62.50	109.79	75.35
कुल	15,98.32	260.66	185.31	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 16 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। प्राप्त ₹ 260.66 करोड़ में से 29 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 28.06 करोड़ तदर्थ कैम्पा को न देकर राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

झारखण्ड में लेखपरीक्षा में पाये गए एनपीवी सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के निम्नलिखित मामले नीचे दिये गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 तथा 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	विवरण	राशि
1	607.57 है० वन भूमि के 12 ऐसे मामले[118] जिनमे प्रयोक्ता एजेंसियों[119] से एन पी वी वसूल नहीं किया गया एवं जिनको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उसके बाद अंतिम अनूमोदन प्रदान किया गया।	35.24[120]
2	11 वन मण्डलों में, जिनको 2334.99 है. वन भूमि को गैर वनिकीय प्रयोजन हेतु नवम्बर 1993 एवं जुलाई 2012 के बीच सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन दिया गया, ₹ 70.05 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों[121] से वसूल नहीं किया गया। राज्य वन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि कोडरमा वन मण्डलों से सम्बंधित ₹ 0.60 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी (नवम्बर–दिसम्बर 2012) तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि ग्यारह वन मंडलों में से दो में यह राशि	69.45

[117] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[118] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार

[119] टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि., मैं. सी सी एल, भारतीय खेल प्राधिकरण, मै. एस्सार कोल फील्ड लि., मै. सेल, भरत राज सिंह आदि

[120] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (607.57×5.8)

[121] डीवीसी, एनटीपीसी, नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि., सीसीएल, जेएसईबी, एनएचएआई, तथा राज्य सरकार एजेंसियां आदि

क्रं सं	विवरण	राशि
	प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल और कैम्पा खाते में जमा की जा चुकी थी। तथापि मंत्रालय कोई लिखित प्रमाण नही दे पाया।	
3	छः वन मंडलों में नवम्बर 2012 तक 6 से 25 महीने बीत जाने के बाद भी पांच प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 5.69 करोड़ के सीए की वसूली की मांग नहीं की गई जिन्हें गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु 415.10 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए जनवरी 1995 से जून 2012 तक के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक/अंतिम अनुमोदन दिया गया । तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इस संबंध में संबंधित डीएफओ द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा रही थी तथा अंतिम निष्कर्ष से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।	5.69
4	दस वन मंडलों में सात प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 4.32 करोड़ के सीए की कम वसूली की गई जिन्हें गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु 833.87 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन की अक्तूबर 2003 से मई 2012 के दौरान सैद्धान्तिक /अंतिम अनुमोदन दिया गया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए की शेष राशि की वसूली की मांग की जा चुकी थी।	4.32
5	चतरा (दक्षिण) वन मंडल में प्रयोक्ता एजेंसी (सीसीएल) से ₹ 1.48 करोड़ के पीसीए की वसूली की मांग नहीं की गई थी जिसने पटटा अवधि अर्थात 16 फरवरी 2012 के बाद 43.30 हैक्टेयर वन भूमि पर कोयला खनन जारी रखा। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से पीसीए की ₹ 1.48 करोड़ की वसूली मांग की चुकी थी।	1.48
	कुल	116.18

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[122]		95.00			103.16	75.52		62.50	109.79
प्रतिपूरक वनरोपण		0			0	0		0	0
संरिक्षत क्षेत्र[123]		0			0	0		0	0
सीएटी योजना		0			0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0			0	0		0	0
कुल	95.00	95.00	0	103.16	103.16	75.52	62.50	62.50	109.79

[122]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

[123]संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

2009–10 के दौरान विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिए तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 95 करोड़ की राशि मार्च 2010 में प्राप्त हुई परन्तु वर्ष 2009–2010 के एपीओ का अनुमोदन न होने के कारण किसी मंडल को कोई धन अंतरित नहीं किया गया। यह तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के बीच समन्वय की कमी दर्शाता है।यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से बढ़ी है परंतु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012) तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 2,057.88 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते हैं।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वर्ष 2009–10 में एपीओ का अनुमोदन नहीं होने तथा तदर्थ कैम्पा से निधियां देरी से प्राप्त होने के कारण वन मंडलों को धन अंतरित नहीं किया जा सका।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**अनियमित व्यय**	i. आठ वन मंडलों[124] में 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के दौरान कार्यस्थल की तकनीकी संस्वीकृति, सक्षम प्राधिकारी का विशेष अनुमान प्राप्त किए बिना विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सभी संबंधित आधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया था कि कार्यस्थल की तकनीकी संस्वीकृति तथा सक्षम आधिकारी का विशेष अनुमान प्राप्त करने के बाद ही किसी योजना को कार्यान्वित किया जाए। ii. जून 2010 में दिए गए संचालन समिति के निर्देशों कि प्राकृतिक वन की स्थापना तथा पर्वतों की हरियाली योजना के अन्तर्गत कोई आरम्भिक कार्यकलाप नहीं किए जाने थे, के बावजूद पांच वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2010–11 के दौरान आरम्भिक कार्यकलाप किए गए थे। मंत्रालय ने (जून 2013) बताया कि वर्ष 2010–11 प्राकृतिक वन एवं पहाड़ी हरित करन योजना में की स्थापना की दरों की अनुसूची में कोई आरम्भिक कार्यकलाप को शामिल नहीं किया गया। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पांच वन मण्डलों में 2010–11 के दौरान आरम्भिक कार्य कलाप किये गये थे।	23.40 0.16
2	**अप्राधिकृत व्यय**	i. हजारीबाग पश्चिम वन मंडल में 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित 12 रोकबांध के प्रति 16 रोकबांधों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक रोक बांध का अनुमोदित स्थल से भिन्न स्थल पर निर्माण किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अनुमोदित राशि के अंतर्गत 16 रोकबांध बनाए गए थे।मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योकि 2011–12 के	0.20

[124] चतरा उत्तर, चतरा दाक्षिण, धनबाद, हजारीबाग वनरोपण, हजारीबाग पूर्व, गिरिडीह वनरोपण, रांची पश्चिम, रांची वन्यजीव

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		अनुमोदित एपीओ के अनुसार केवल 12 रोक बांधों का निर्माण किया जाना था। इसके अलावा अनुमोदित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर एक रोक बांध का निर्माण करने के बारे में मंत्रालय चुप रहा। ii. वन्य जीव वन मंडल, रांची में 2010–11 के अनुमोदित एपीओ के अनुसारएनपीवी योजना 'प्राकृतिक वनों की स्थापना' के अधीन खाई घेराबंदी/पत्थर दीवार का निर्माण किए बिना संरक्षण किया जाना था। अग्रिम कार्य 2011–12 के दौरान पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में 500 हैक्टेयर भूमि पर दस स्थलों पर आरम्भ किया गया था और दस स्थलों में से सात में कार्य खाई घेराबंदी से किया गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि घेराबंदी जिला प्रशासन के अनुमोदन से की गई। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2010–11 के एपीओ में खाई घेराबंदी/पत्थर दीवार निर्माण का अनुमोदन नहीं किया गया।	0.14
3	व्यर्थ व्यय	वन्यजीव वन मंडल, रांची में 300 हैक्टेयर में एनपीवी योजना के अंतर्गत 2010–11 के दौरान अग्रिम कार्य किया गया था परन्तु कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 2011–12 में कोई निधि जारी नहीं की गई थी जिससे अग्रिम कार्य पर किया गया व्यय व्यर्थ हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एक वर्षीय पौधे उपलब्ध नही होने के कारण वृक्षारोपण नही हो सका तथा उसे वर्ष 2012–13 में पूरा किया गया। मंत्रालय का उत्तर वर्ष 2011–12 में जो पौधे देखरेख नहीं होने के कारण जीवित नहीं बचे उनके बारे में मंत्रालय मूक वना रहा।	0.18
4	निष्फल व्यय	देवघर वन मंडल में दो स्थलों जलथर तथा कृपाहारी में विद्यमान रोपण प्रथम तथा द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य न होने के कारण विफल हो गया, परिणामस्वरूप 2008–09 तथा 2009–10 वर्ष में क्रमशः गहन वन विकास तथा कलमी आम कार्यक्रमों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यों पर किया गया व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वृक्षारोपण राज्य योजना के अर्न्तगत किया गया जिसके लिए पौधों की देखभाल संबंधी निधियां तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा द्वारा प्रदान नहीं करने के कारण यह निष्फल व्यय हुआ।	0.15
5	संदिग्ध व्यय	हजारीबाग सामाजिक वानिकी मंडल में सीए के अन्तर्गत पौधा बालवृक्ष कार्य 20 हैक्टेयर तथा 30 हैक्टेयर भूमि, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कार्यों के निष्पादन के लिए उपलब्ध थी, के बजाय रेकुआ तथा बांधडीह में क्रमशः 77 हैक्टेयर तथा 60 हैक्टेयर पर किया गया बताया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।	0.13
	कुल		24.36

कुछ चयनित वृक्षारोपण की तस्वीरें

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[125] के अभिलेखों के अनुसार – 8,320.00 है.[126] एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 15,881.06 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,989.82 है. एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 530.11 है
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,330.18 है. एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 15,350.95 है
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रामणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर –16,992.14 है० और 49 किमी. (झारखण्ड के एपीओ में गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि क्षेत्र के अलग–अलग आँकड़े नहीं दिए गए)। गैर वन भूमि पर –उपलब्ध नहीं
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 10,636.87 है० और 49 किमी. (2010–12) गैर वन भूमि पर–उ.न.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 530.11 है.
प्राप्त गैर वन भूमि आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

[125] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग नोडल अधिकारी (एनओ)
[126] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

भूमि 8,320.00 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 36 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 15,881.06 है० तथा तीन प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/परिवर्तित और न ही आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित की गई थी जबकि एनओ के अनुसार वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित 530.11 है० गैर वन भूमि में से कोई भी गैर वन भूमि आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित नहीं की गई।एनओ के अभिलेखों के अनुसार 10,636.87 है० और 49 किमी (2010–12 के दौरान) वन भूमि का वनीकरण हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि की अधिसूचना का कार्य जारी है तथा इसे आरएफ/पीएफ के रूप में अधिचूचित करने के निर्देश संबंधित डीएफओ को दे दिए गए है।

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
5.87 है. वन भूमि का अधिक विपथन	ढ़लभूम वन मंडल में 124.95 है. वन भूमि के विपथन के प्रयोक्ता एजेंसी के अनुरोध के बावजूद 130.82 है. वन भूमि के विपथन के लिए अप्रैल 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अंतिम अनुमोदन (चरण।।) दिया परिणामस्वरूप 5.87 है. वन भूमि का अधिक विपथन हुआ। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वन भूमि का कोई अधिक विपथन नही हुआ क्योकि प्रयोक्ता एंजेसियों द्वारा 130.82 है० वन भूमि के विपथन के लिए आवेदन किया गया। मंत्रालय का उत्तर तथ्य आधारित नही था क्योकि प्रयोक्ता एंजेंसी द्वारा 124.95 है० वन भूमि के विपथन के लिए आवेदन किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच में पाया कि ₹ 5.67 करोड़ की राशि का ढलभूम सामाजिक वानिकी जमशेदपुर एवं रांची वनमण्डलों में तथा ₹ 0.12 करोड़ ब्याज की राशि का बोकारो, देवघर एवं धनबाद वन मण्डलों में रोकड़ बहीं में लेखांकन नही किया गया। वर्ष 2010–11 में गिरिडीह वनीकारण प्रभाग की रोकड़ वही ₹ 0.92 करोड़ के वाउचर समायोजित नही होने के कारण मासिक रूप से बंद नही की गयी। देवघर तथा चतरा दक्षिण वन मण्डलों मे ₹ 0.31 करोड़ के वन अग्रिम असमायोजित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, राज्य कैम्पा द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में बैंक मिलान नहीं किया गया।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि विभागों की निधियों के लिए रखे जा रहे लेखाओं की तरह ही मण्डल स्तर पर रखे जाने के साथ–साथ लेखाओं के फार्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा वर्ष 2013–14 में सीएजी द्वारा नामित सीए से लेखाओं की लेखापरीक्षा करा ली जाएगी। सरकारी पैसे का लेखांकन नही करने/बैंक ब्याज/तथा वन अग्रिमों के असमायोजन के बारे में मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुपालन में कारवाई की जा रही है।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। झारखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की छः के प्रति 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुईं।

कर्नाटक

1. पृष्ठभूमि[127]

कर्नाटक का कुल भोगोलिक क्षेत्र 1,91,79,100 हैक्टैयर है। अक्तूबर 2008 फरवरी 2009 के सैटलाइट की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 36,19,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 18.87 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 1,77,700 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 20,17,900 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 14,23,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

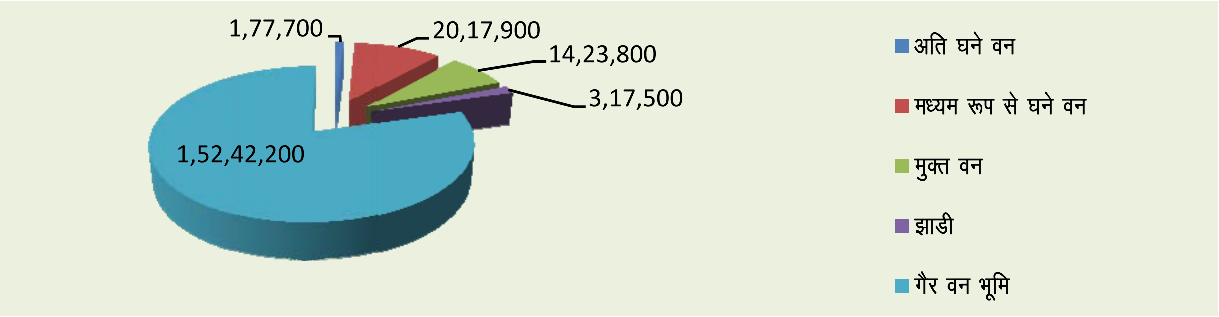

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जून 2010 में राज्य कैम्पा का गठन हुआ/2006–07 से 2011–12 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियों, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी की गई निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया हैः–

[127]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[128] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	235.69	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	238.10	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	69.53	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	38.11	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	62.27	58.56	शून्य	58.56
2010–11	111.37	50.91	80.65	28.82
2011–12	81.32	41.57	58.73	11.66
कुल	836.39	151.04	139.38	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 18 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 151.04 करोड़ में से आठ प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 9.66 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नहीं किया और राज्य सरकार के लेखे में जमा किए गए।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

कर्नाटक में लेखापरीक्षा में देखने में आए एनपीवी/सीए/पीए आदि के नही वसूले गए। कम वसूली के मामले निम्नलिखित हैं इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24,26 तथा 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	1,336.36 है० वन भूमि के 20 ऐसे मामले[129] जिनमें प्रयोक्ताओं[130] से एनपीवी नहीं लिया गया। तथा जिनमें अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन एवं उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	77.51
2	मार्च 2008 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी की दरें संशोधित की गई। तथापि सात वन मण्डलों[131] के अभिलेखों की जाँच में पाया कि 12 मामलों[132] में एनपीवी संशोधित दर से नही वसूला गया।	3.28
3	दिसम्बर 2012 तक 2002–12 के दौरान छः वन मण्डलों में 2,535.90 है० वन भूमि के विपथन के आठ मामलों[133] में एनपीवी/सीए/पीसीए/सीएटीपी/एस एम सी कार्यो आदि की वसूली नही हुई।	188.37

[128] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[129] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 26 मार्च 2012 की जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार

[130] मै० बालाजी माइन्स मिनरल्स (पी) लि०, मैसूर सीमेंटस लि० मै० किर्लोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज लि०, मै० मैसूर मिनरलस् लि०, मै० तुगंभद्रा मिनरल्स लि०, मै० सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि० मै० एस ए तवब।

[131] हसन, बेलगाम, बैंगलोर शहरी, रामनगर,, सागर, बैंगलोर ग्रामीण, बानरघाटा

[132] डब्ल्यू पी पी, के एन एन एल, बी एम आई सी परियोजना, के पी टी सी एल आदि।

क्रम सं.	विवरण	राशि
4	बारह मामलों में जिनमें 2002–12 के वर्षो के दौरान 489.58 है० वन भूमि का विपथन हुआ उनमें दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्त एंजेसियों[134] से एनपीवी के ₹ 28.40 करोड़ नही बसूले गए। ₹ 2.88 करोड़ एनपीवी वसूली का एक मामला न्यायालय में लंबित बताया गया।	28.40
5	11 मामलों में सीए गिरे हुए वृक्षों, औषधय पौधों के मूल्य का भुगतान, पोधों के उखाड़ने का मूल्य की उचित दरों के लागू नही करने के कारण ₹ 18.47 करोड़ सीए की प्रयोक्ताओं[135] से कमवसूली हुई।	18.47
6	दो मामलों में "अपर तुंगा प्रोजेक्ट" में 449.55 है० वन भूमि के विपथन के लिए दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एंजेसियों से सीए के ₹ 1.08 करोड़ तथा सीएटीपी के ₹ 2.01 करोड़ नही वसूले गए।	3.09
	कुल	319.12

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[136]		56.64	0		37.67	68.98		26.51	42.32
प्रतिपूरक वनरोपण		3.54	0		10.63	9.19		13.09	12.22
संरक्षित वन[137]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0.68	0		2.50	2.48		5.31	4.19
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		0	0		0	0
कुल	58.56	60.86	0	50.91	50.80	80.65	41.57	44.91	58.73

2009–12 वर्षो के लिए एपीओ 6 माह के विलम्ब के बाद संचालन समिति द्वारा मई–जून में अनुमोदित किए गए। यद्यपि 2009–10 और 2010–11 वर्षो के दौरान व्यय की प्रतिशतता में क्रमिक वृद्धि हुई फिर भी राज्य की अवशेषी क्षमता पर ध्यान दे तो राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के

[133]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल हैं, मै० के आई ओ सी एल लि०, मै० के एन एन एल, मै० सर्जन रीयलतीज् लि०, मै० सुजलोन एनर्जी लि०, मै० एनरकोन इंडिया प्राईवेट लि० आदि।

[134]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल है, मै० के एन एन एल, मै० सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग, मै० हिन्द ट्रेडर्स आदि।

[135]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल है, मै० के पी टी सी एल, मै० के आई ओ सी एल, मै० के एन एन एल, मै० सुजलोन एनर्जी लि० रेलवे, आर्मी आदि।

[136]वनो की सुरक्षा, संरक्षण एंव प्रबंधन पर एपीवी खर्च हुआ।

[137]सुरक्षा क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर व्यय हुई।

पास ₹ 1,028.60 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हुए तथा जो केवल विशिष्ट वानिकी कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**राज्य कैम्पा तथा एन सी ए सी द्वारा प्रधिकृत नही किया गया व्यय**	कैम्पा निधियों का राज्य वन मुख्यालयों तथा ईकोटूरिज्म संरचनात्मक निर्माण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथापि नमूना जाँच में पाया कि वाहनों की खरीद पर (₹ 3.36 करोड़) गैस्ट हाऊस/ कार्यालयीन भवन के रखरखाव पर (₹ 2.55 करोड़) अप्रचलित वीएफसी को वित्तिय सहायता देने पर (₹ 0.61 करोड़) तथा उद्यानों के सुधार पर (₹ 0.19 करोड़) व्यय किए गए।	6.71
2	**अलग लेखे नहीं बनाना**	राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र में वन भूमि के विपथन संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों या वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसियों वसूली गई धनराशि से एक पृथक निकाय बनाया जाएगा और एकमात्र रूप से राज्य के संरक्षित क्षेत्रों तथापि संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एंव सुरक्षा के लिए प्राप्त ₹ 8.08 करोड़ की धनराशि के लिए राज्य कैम्पा द्वारा बोर्ड पृथक लेखा नही बनाया गया। तथ्यों के स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि के लिए पृथक बैंक खाते के रखरखाव की कार्रवाई कर ली जाएगी।	8.08
3	**क्षेत्रीय वन अधिकारियों को वन अग्रिमों की अनियमित संस्वीकृति**	राज्य कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ₹ 0.02 करोड़ तक के वन अग्रिम केवल अपवाद स्वरुप ही संस्वीकृत किया जाना चाहिए तथा एक माह के अन्दर उनका समायोजन किया जाना चाहिए तथापि तेहरह राज्य वन मण्डलों में 2010–2012 के दौरान राज्य वन मण्डलों द्वारा ₹ 0.58 करोड़ तक के वन अग्रिमों की संस्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त मार्च 2011 में दिए गए ₹ 0.41 करोड़ के वन अग्रिमों का समायोजन मई 2011 तथा सितम्बर 2011 अर्थात 2 से 6 माह के विलम्ब के बाद के दौरान हुआ। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि सभी नियंत्रण अधिकारियों तथा कार्यान्वयन अधिकारियों को वन अग्रिमों की संस्वीकृति तथा उसके समायोजन के संबंध में राज्य कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दे दिए गए थे।	0.58
4	**अधिक व्यय**	बांदीपुर वन मण्डल ने वन विभाग के एसआर में निर्धारित 58 प्रतिघनमीटर के स्थान पर 107 प्रति घमी की उच्चतर दर पर कीचडदार स्थिति में टैंक/चैनल तली से गाद निकालने के कार्य पर ₹ 0.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। एक अन्य मामले में मण्डल ने वन विभाग के एसआर में निर्धारित दर की	0.16

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		तुलना में उच्च दर पर टैंक के निर्माण के लिए खुदाई कार्य के भुगतान पर ₹ 0.04 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि ये कार्य तकनीकी रूप से जाँची गई दरों पर किए गए थे तथा इन मामलों में कोई अधिक व्यय नही हुआ। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि इन कार्यो के लिए वन विभाग के एस आर में निर्धारित दरों को नही अपनाया गया था तथा ये कार्य उच्च दरों पर कार्यान्वित किए गए।	
	कुल		**15.53**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[138] के अभिलेखों के अनुसार–5,098.91 है0[139] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3354.11 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–3,053.74 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,231.96 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2,045.17है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–1,122.15है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,187.28 है0 गैर वन भूमि पर–2,594.07 है0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–19.60 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,231.96 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए ऑकड़ो में विभिन्नताएं पाई गई। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी कार्यो के लिए विपथित वन भूमि 5,098.91 है० तथा उसके बदले में जो गैर वन भूमि प्राप्त हुई उसकि प्रतिशतता 60 थी जबकि एन ओ के रिकोर्ड के अनुसार यह क्रमशः 3,354.11 है0 व 67 प्रतिशत थी। आर ओ

[138] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी।
[139] छूट प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर।

के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित नही हुई तथा आरएफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित हुई। जबकि एन ओ के अनुसार 2,231.96 है0 में से जो भूमि हस्तांतरित / परिवर्तित की गई कोई भी भूमि आरक्षित/संरक्षित वन धोषित नहीं की गई थी। एन ओ के रिकोर्ड के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था। निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपित होने वाले क्षेत्र के 1 प्रतिशत से कम था।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के उदाहरण**	चार मण्डलों मं छः मामलों में 323.05 है0 वन क्षेत्र के विपथन एफसी अधिनियम के उल्लंघन में किया गया। देखे गए मामलों में गोल्फ क्लब को दी गई वनभूमि, पटटा क्षेत्र से अधिक वन क्षेत्र का उपयोग, चरण IIअनुमोदन प्राप्त करने पूर्व ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्यों का आरम्भ आदि शामिल थे।
2	**माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा**	करकला वन मण्डल में अक्तूबर 2002 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क में केआईओसीएल को विपथित 4,605 है0 वन भूमि पर खनन कार्य 1 जनवरी 2006 से बन्द किए गए थे। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के बावजूद जनवरी 2007 में राज्य वन विभाग ने 3,703.55 है0 क्षेत्र को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया जिसमें 3,203.55 है0 का मुख्य भाग शामिल था, जिस पर खनन प्रचालन 1 जनवरी 2006 से बन्द किए गए थे। दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेंसी से 3,203.55 है0 वन भूमि पुनः वापस प्राप्त करने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
3	**प्रयोक्ता एजेंसी के पास पडी प्रयुक्त 600.16 है0 वन भूमि के लिए राज्य वन विभाग की निष्क्रियता**	• बंगलौर (ग्रामीण) वन मण्डल में बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए अगस्त 2002 में विपथित 565 है0 वन भूमि में से 102 है0 वन भूमि अप्रयुक्त पाई गई। सरकार ने पीसीसीएफ को सर्वेक्षण करने और पटटाधारी के पास अप्रयुक्त पडी अधिक वन भूमि को पुनः वापस प्राप्त करने का निर्देश दिया (जून 2010)। तथापि इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई (अक्तूबर 2012)। • एक अन्य मामले में 411.16 है0 वन भूमि अप्रयुक्त पाई गई थी जो "सी बर्ड" परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जुलाई 2000 में विपथित की गई। पुनर्वास प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई। क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों ने नकद पैकेज अपनाया था। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिनावन भूमि को राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया। • एक अन्य मामले में 2002–03 में "हाई पॉवर ट्रांसमिशन लाइन" बिछाने के लिए पीजीसीआईएल को दी गई 330 है० विपथित वन भूमि में से 87 है० अप्रयुक्त पड़ी वन भूमि वन विभाग द्वारा वापस नही ली गई।
4	**सीए कार्य न करना**	224 मामलों में 2002–09 के दौरान 8,692.96 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति 8,363.87 है0 गैर वन भूमि (3,853.29 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 4,510.58 है0 गैर वन भूमि) पर सीए किया जाना था। 31 मार्च 2012 तक सीए 5,658.82 है0 में किया गया (2,918.89 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 2,739.93 है0 गैर वन भूमि) और 2917.14 है0 (1,079.60 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 1,837.54 है0 गैर वन भूमि) में सीए अभी किया जाना बाकि था।

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि सीए कार्यो के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों का समाधान कर सी ए कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए मशीनरी को दुरूस्त किया जाना है।
5	**सीए कार्य के लिए गैर वन भूमि की गलत पहचान**	• बेल्लारी वन मण्डल में 659.30 है0 गैर वन भूमि पर सीए कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि पहचाना गया क्षेत्र पहाडी चट्टानी क्षेत्र था और रोपण करने के लिए उचित नहीं था। • इसके अलावा भद्रावती वन मण्डल में कि अक्तूबर 2010 में पहचानी गई 72.52 है0 गैर वन भूमि 2003–04 से राज्य वन विभाग के अधिकार में थी तथा 72.52 है० गैरवन भूमि में से 12.98 है० गैरवन भूमि पर 1990–91 में पहले से ही वन रोपण किया जा चुका था। मंत्रालय ने बातया (अप्रैल/जून 2013) कि सीए के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैरवन भूमि पहले से ही वन विभाग के पक्ष में परिवर्तित की जा चुकी है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योकि प्रयोक्ता एंजेसियों से प्राप्त गैर वन भूमि पौधो के लिए उपयुक्त नहीं थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाए जैसा कि वह निश्चित करे। तथापि राज्य कैम्पा द्वारा 2009–10 से 2011–12 वर्षो के लेखे निर्धारित फार्मेट में नही बनाए गए। निर्धारित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नही की जा सकी। इसके अतिरिक्त राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां है। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नही की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। कर्नाटक कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई।

मंत्रालय ने बातया (अप्रैल/जून 2013) कि क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव संचालन समिति के चेयरमैन है इसलिए मुख्य सचिव के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण कई बार बैठक निरस्त की गई। इस प्रकार राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की छः माह में एक बार बैठक हो पाना मुश्किल होगी। तथापि दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति को बैठकों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

केरल

1. पृष्ठभूमि[140]

केरल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 38,86,300 हैक्टैयर था। फरवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,30,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.52 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 1,44,200 हैक्टैयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 9,39,400 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 6,46,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में वनक्षेत्र में 2400 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

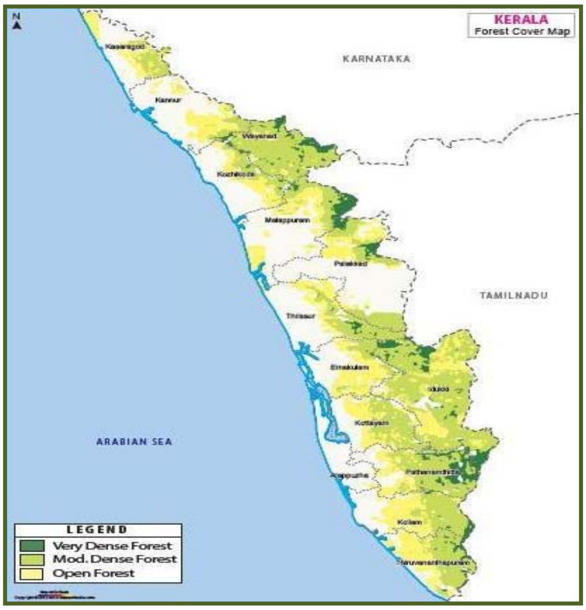

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टयर में)– 2011

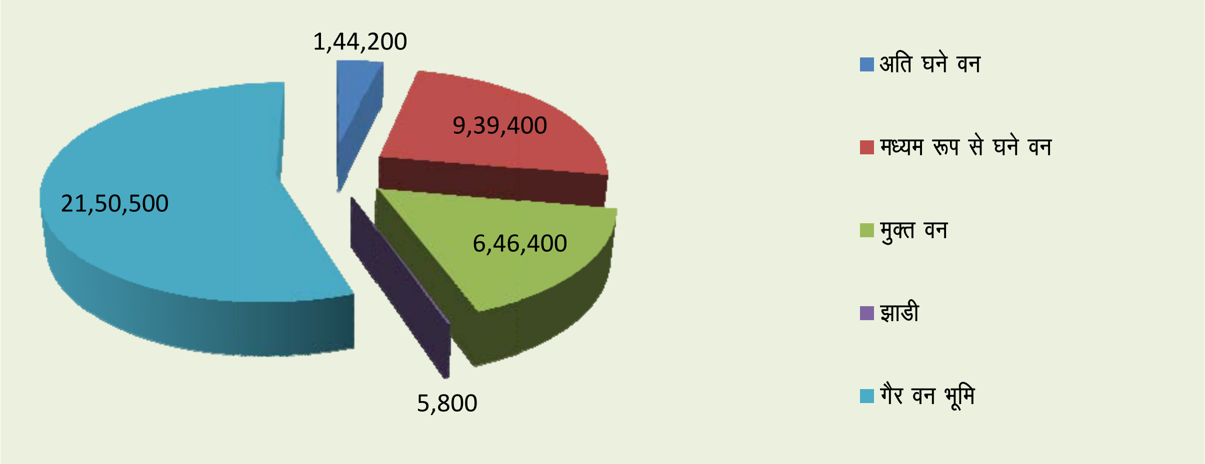

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

नवम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[140] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[141] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	11.69	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	10.98	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	5.93	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	0.59	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	0.34	1.37	0.97	0.40
2010–11	0.03	शून्य	शून्य	0.40
2011–12	1.43	शून्य	शून्य	0.40
कुल	**30.99**	**1.37**	**0.97**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 4 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹1.37 करोड़ में से 30 प्रतिशत अप्रयुक्त रही जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

केरल में एनपीवी/पीसीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	14.77 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 2 मामले[142]थे जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[143] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	0.86[144]
2	प्रयोक्ता एजेंसी से ₹0.29 करोड़ के एनपीवी/सीए की वसूली नहीं की जिसे संचरण लाइन बिछाने के लिए पुनालूर तथा कान्नी मंडलों में 4.4 है० वन भूमि के विपथन के लिए नवम्बर 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के विना 2006 के दौरान कार्य पूर्ण किया। पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय ने एनपीवी/सीए की वसूली के लिए काई कार्यवाई नहीं की (दिसम्बर 2012)।	0.29
3	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 30 अक्तूबर 2002 के बाद जनजातियों के पुनर्वास के लिए 7,693.23 है0 वन भूमि के विपथन के लिए कोई एनपीवी/सीए संग्रहीत नहीं किया गया था क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी के भुगतान से छूट का मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित चल रहा था।	
	कुल	**1.15**

[141] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[142] पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार
[143] प्लांटेन्शन कॉरपोरेशन
[144] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख/है0 की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एनपीवी की कुल राशि अनुमानित की गई (14.77x5.80)

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[145]		1.34	0.97		2.06				
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0.35				
संरक्षित वन[146]		0	0		0				
सीएटी योजना		0	0		0				
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0.03	0		0.29				
जोड़	**1.37**	**1.37**	**0.97**	**शून्य**	**2.70**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा ने मार्च 2010 में निधियां जारी की परंतु ए पी ओ मार्च 2011 में अनुमोदित किया गया। वर्ष 2010–11 के लिए संचालन समिति द्वारा एपीओ फरवरी 2012 में अनुमोदित किया गया था परंतु तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गयी थी। 2011–12 मे कोई एपीओ नहीं बनाया गया। 2009–10 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के प्रति व्यय 71 प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 और 2011–12 में कोई व्यय नहीं किया गया। राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2013) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.37 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है जो कि राज्य की अवशोषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चिंता की बात है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के एपीओ के प्रति निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी नहीं की गई थी। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि तदर्थ कैम्पा से वर्ष 2009–10 में ₹ 1.37 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा ने प्राप्त की थी और इसके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 0.97 करोड़ का व्यय किया गया था।

[145] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है
[146] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनिमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा गैर प्रधिकृत व्यय	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालय पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच से पता चला कि ₹ 0.96 करोड़ का व्यय, वाहनों की खरीद पर किया गया था अर्थात सम्पूर्ण राशि का व्यय किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) किवाहन की खरीद वन स्टेशनों की कार्य प्रक्रियाा के सुदृढीकरण के लिए सी ए कार्य के निष्पादन के लिए की गई थी। मंत्रालय का जवाब तथ्य पर आधारित नहीं था क्योंकि 2009–10 के लिए विशिष्ट साइट प्रति पूरक वनरोपण एपीओ में संभावित थी तथा सम्पूर्ण राशि सिर्फ इन वाहनों पर व्यय कर दी गई थी।	0.96

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[147] के अभिलेखों के अनुसार–75.99 है0[148] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–156.07 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–25.32 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–50.67है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–156.07 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	उ0न0
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–295.92 है0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 75.99 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर भूमि केवल 33 प्रतिशत थी जबकि कि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 156.07 है० तथा शुन्य प्रतिशत थीं। आर ओ एवं एन

---

[147] पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[148] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखे 31 मार्च 2013 के बाद तैयार होगे क्योंकि तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के ए पी ओ के लिए निधियां जारी नहीं की गई थी। जबाब तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योकि तदर्थ कैम्पा से वर्ष 2009–10 में ₹ 1.37 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा से प्राप्त की थी, और उसके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 0.97 करोड़ का व्यय उठाया गया था।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठकें होनी चाहिए। केरल कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान केवल दो बैठक हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बार बैठक हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य स्तरीय कमेटियों की बैठकों की बारम्बारता मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमित होगी।

मध्य प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[149]

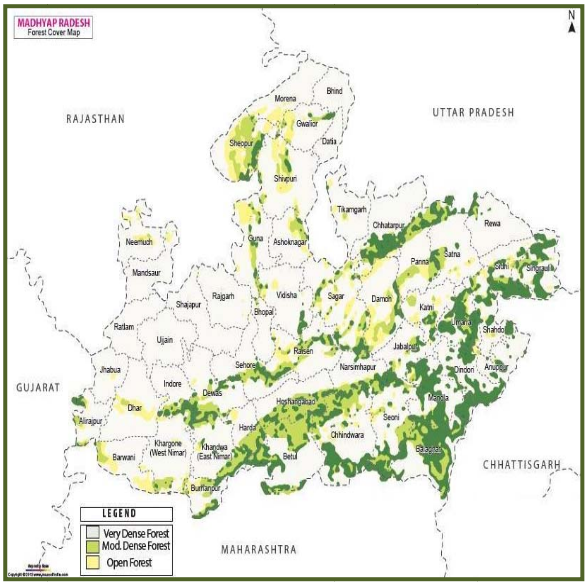

मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,24,500 हैक्टेयर है। अक्तूबर –दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 77,70,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.21 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 6,64,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 34,98,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 36,07,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

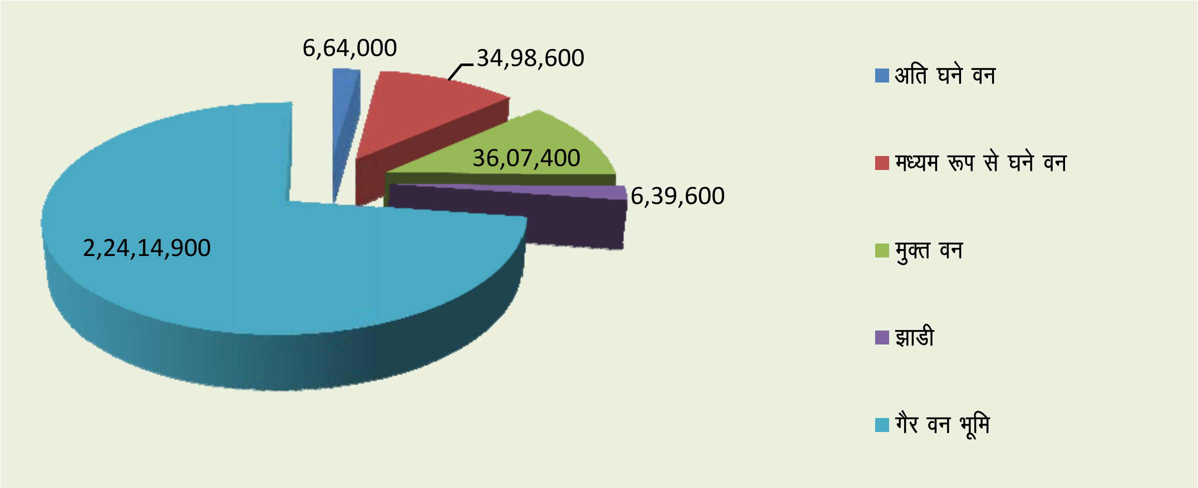

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत हैः–

[149] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[150] के पास निधियों का संचय
दिनांक उपलब्ध नहीं	49.43	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	225.7	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	103.51	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	114.38	53.05	शून्य	53.05
2010–11	285.10	50.97	32.66	71.36
2011–12	124.41	53.52	49.87	75.01
कुल	902.53	157.54	82.53	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 157.54 करोड़ में से 48 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तिया

मध्य प्रदेश में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	6,804.25 है० वन भूमि वाले 22 मामलों[151] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[152] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसकों अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन और इसके बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया था।	394.65[153]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दर संशोधित की थी। तथापि सात मण्डलों[154] के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 14 मामलों में एनपीवी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था।	3.80
3	₹ 68.72 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था जिन्हे वन भूमि पहले ही विपथित की गई थी।	68.72

[150] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[151] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार
[152] इनमें मुंडियाखेडा टैंक, ओमकारेश्वर वहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, अर्जुनगावा अंदर वाहान प्रोजेक्ट, एनएमडीसी, मनीष दिक्षित, मैसर्स एनसीएल, मैसर्स वीएलए इंडस्ट्री इत्यादि।
[153] लेखापरीक्षा में ₹5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (6804.25×5.8)
[154] इन्दौर,धार, सेन्धवा, सतना, उत्तरी सीवनी, नरशिंगपुर और देवाश

क्रम सं.	विवरण	राशि
4	छः मण्डलों में 1984 से 2011 तक संस्वीकृत भूमि विपथन के 36 मामलों में ₹ 45.67 करोड़ का एनपीवी तथा सीए जैसा लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित किया गया,की नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा गणना नहीं की गई थी।	45.67
	जोड़	**512.84**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार व्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[155]					2.48	2.35		78.30	21.83
प्रतिपूरक वनरोपण					42.76	28.64		49.69	23.80
संरक्षित वन[156]					0	0		12.00	1.00
सीएटी योजना					0.47	0.16		0.02	0.04
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					8.05	1.51		3.63	3.20
कुल	53.05	0	0	50.97	53.76	32.66	53.52	143.64	49.87

2009–10 तथा 2010–11 वर्षों के लिए निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा एपीओ के बिना जारी की गई थीं। 2011–12 वर्षों के एपीओ सात महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रशितता 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में 64 प्रतिशत तथा 2011–12 में 93 प्रतिशत थी। यद्यपि व्यय के स्तर जारी राशियों के 2010–11 में 61 प्रतिशत तथा 2011–12 में 35 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1341.19 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

[155] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[156] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[157]–20,740.52 है0[158] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–9,753.47 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,332.49 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–20,740.52 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–7,420.98 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–उ0न0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–5,136.97 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–492.80 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार शून्य एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपक्षित वन भूमि 20,740.52 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 9,753.47 है० तथा 24 प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में 492.80 है. वन भूमि हस्तान्तरित/प्ररिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में कोई भूमि अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एन ओ के अनुसार कोई गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्ररिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और 5,136.97 है० निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वर्तमान वित्त वर्ष में 137 योजनाओं में वनरोपण किया जाएगा।

[157] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[158] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**खनन पटटा की अनियमित मंजूरी**	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार खनन पटटों की मंजूरी/नवीकरण के लिए वन भूमि के विपथन का अनुमोदन एमएमडीआर अधिनियम 1957 अथवा उसके अधीन बनाए नियमों के अन्तर्गत दिए जाने को प्रस्तावित खनन पटटा की अवधि के साथ का टर्मीनस अवधि, परन्तु 30 वर्षों से अधिक नहीं, के लिए सामान्यतया मंजूर किया जाएगा। शिवपुरी वन मण्डल में पत्थर खनन पटटा शर्त लगाकर कि खनन पटटा की अवधि एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अधीन मंजूर किए जाने को प्रस्तावित खनन पटटा अवधि के साथ को–टर्मीनस अवधि के लिए होगी, अप्रैल 2007 में 217.06 है0 वन भूमि के लिए संस्वीकृत किया गया था। तथापि संस्वीकृति में एफसीए के अन्तर्गत यथा अपेक्षित 30 वर्षों तक पटटा अवधि सीमित नहीं की गई।
2	**वन्य जीव संरक्षण धन का अनियमित उपयोग**	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 11(ii) के अनुसार राज्य कैम्पा के प्रबंधन के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च इसके द्वारा निवेशित निधियों पर प्राप्त ब्याज से आय के भाग के उपयोग द्वारा पूरा किया जाएगा परन्तु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं 18, 26ए अथवा 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों से आय जैव विविधता तथा वन्यजीव सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग की जाएगी। तथापि जबलपुर मण्डल ने प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यकलापों पर ₹0.45 करोड़ का उपयोग किया जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने वार्षिक लेखेनिर्धारित फॉरमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए और तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही नहीं बनाए। इसके अलावा राज्य कैम्पा लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए भुगतान वाउचर तथा प्राप्ति बहियां प्रस्तुत करने में विफल हो गयामंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार करने की कार्यवाही की जा रही और इनको लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान दो बैठक हुईं । कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान सात बैठकें हुईं।

8. राज्य में अच्छी प्रथाएं

नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रोपण की नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन ई–ग्रीन वाच साफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा मानकीकृत तंत्र के अनुसार किया गया था।

महाराष्ट्र

1. पृष्ठभूमि[159]

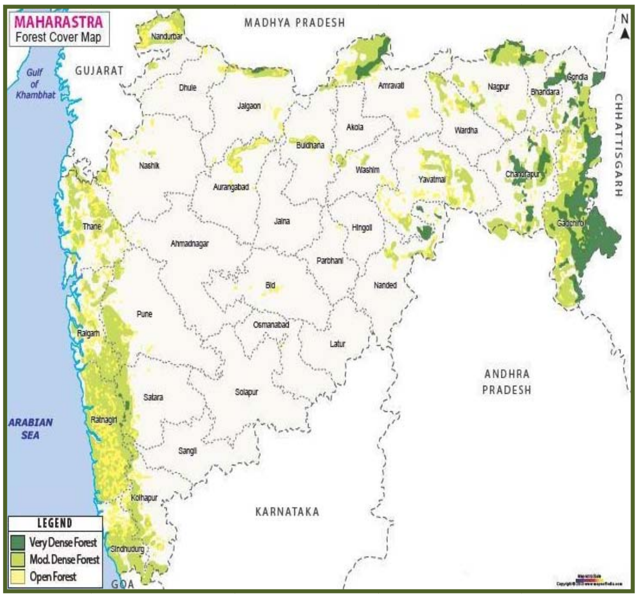

महाराष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र 3,07,71,300 हैक्टेयर था। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 50,64,600 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.46 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 8,73,600 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 20,81,500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 21,09,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में) – 2011

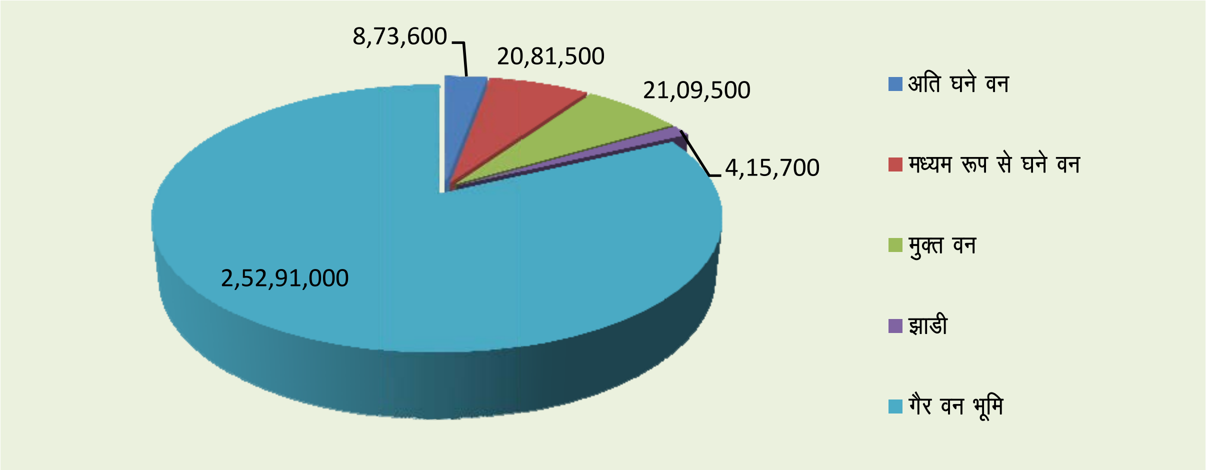

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियांतदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां, तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[159] स्रोत:भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[160] के पास निधियों का संचय
2006-07	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	उ.न	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	उ.न	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	243.05	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	176.60	89.00	89.00	शून्य
2011-12	318.80	167.64	130.00	37.64
कुल	**738.45**	**256.64**	**219.00**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्च्तम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 35 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। ₹ 256.64 करोड़ में से 15 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राप्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

महाराष्ट्र में एन पी वी/सी ए/पी सी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इल मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	1870.63 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 63 मामलों[161] में प्रयोक्ता एजेंसियों[162] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया जिसको अक्टूबर 2002 में सैद्धांतिक अनुमोदन एवं बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया था।	108.50[163]
2	106 मामलों में 2003 से 2007 तक के वर्षों के दौरान 1927.38 हैक्टेयर वन भूमि की विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों[164] से ₹ 111.79 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। विपथित वन भूमि खनन, पाइप लाइन बिछाने, जल परियोजनाओं, पत्थर खदान, टैंक, पवन परियोजना आदि के लिए उपयोग की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से शेष एन पी वी की वसूली के लिए प्रयत्न किये जा रहे है।	111.79
3	गढ़चिरौली , मध्य चन्दा, थाणे, शाहपुर तथा नन्दुरबार वन मंडलों में ₹ 62.48 करोड़ का एनपीवी प्रयोक्ता एजेंसियों[165] से वसूल नहीं किया गया था जिनको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था।	62.48

[160] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[161] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार

[162] मै. स्वास्तिक काम्पलैक्स, श्री महेश एच खेडिया, श्री नीरज एच खेडिया, मै. सवाला ट्रेडर्स, मै. बी आर आके, मै. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, मै. मैन्गैनिस ओर इन्डिया लि., मै. सबीर स्टोन, श्रीमती बारनबाई सीता राम काम्बले, मै. इन्दिराबाई गिराडे, श्री चन्द्रजीत सिंह बग्गा।

[163] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख/है० की न्युनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (1870.63×5.8)

[164] सिंचाई विभाग, पी डब्ल्यु डी, एम एस इ बी, मै. डी आर मात्रे, मै. डी एन पवार, मै. एम ए पाटिल, मै. एच एम शाहा, मै. मुम्ब्रा स्टोन क्रशिंग, मै. शफी इब्राहिम शेख, पटेल इंजीनियरिंग

[165] बी एस एन एल, सिंचाई विभाग, राज्य पी डब्ल्यु डी, एम एम आर डी ए, नर्मदा डेवलपमैंट डिपार्टमेंट, मेसर्स चेतक स्टोन, महावीर कंस्ट्रक्शन।

क्र. सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से शेष एनपीवी की वसूली के लिए प्रयत्न किया जा रहे हैं।	
4	सीए की निर्धारित दरें लागू न करने के कारण सिरोंचा से पातालगुडम तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के निर्माण के लिए 171.58 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी[166] से ₹ 8.41 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया(जून 2013) कि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं हुआ तथा सारे देय जमा करने के बाद ही इसे अंतिम अनुमोदन में शामिल किया जायेगा। इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सीए की परिवर्तित दरों को कार्यान्वित किया गया जो कि प्रयोक्ता एजेंसियों से अभी वसूल किया जाना था।	8.41
5	अलीबाग वन मंडल में ₹ 0.33 करोड़ का सीए 39.48 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से कम वसूला गया था क्योंकि सीए दोगुनी निम्नीकृत वनभूमि पर किया जाना था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जैसा कि वन विभाग को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा गैर वन भूमि दी गई थी, सीए राशि की दुगूनी वसूली वांछित थी। यद्यपि मंत्रालय का यह जवाब संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मान्य नहीं था।	0.33
	कुल	**291.51**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[167]		शून्य	शून्य		53.30	53.30		80.57	80.57
वन की सुरक्षा संरक्षण एवं प्रबन्धन प्रतिपूरक वनरोपण (सीए)		शून्य	शून्य		35.70	35.70		49.43	49.43
वन्यजीव प्रबन्धन[168]		शून्य	शून्य						
सीएटी योजना		शून्य	शून्य						
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप यदि कोई हो		शून्य	शून्य						
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**89.00**	**89.00**	**89.00**	**167.64**	**130.00**	**130.00**

[166] सीमा सडक संगठन
[167] एनपीवी वन की सुरक्षा , संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[168] संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

2009–10 में न तो एपीओ बनाया गया और न ही निधियां जारी की गयी। संचालन समिति ने 2010–11 का एपीओ अप्रैल 2011 में अनुमोदित किया जो कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर था। फरवरी 2010 में तदर्थ कैम्पा ने एपीओ के अनुमोदन के बिना निधियां जारी की। 2011–12 का एपीओ 10 महीने के विलम्ब के बाद अनुमोदित किया गया और निधियां एपीओ के अनुमोदन के बिना जारी की गई।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यानवयन एजेंसियां 2011–12 के वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी की गई धन राशि का एक बड़ा भाग खर्च नहीं कर सकी। 2011–12 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के व्यय का स्तर 78 प्रतिशत था। यद्यपि 2010–12 में व्यय की प्रतिशता में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है, परन्तु इसे ध्यान में रख कर राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2013) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,859.09 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापो को जारी की जा सकती है को ध्यान में रख कर चिंताए शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क.सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि ₹ 6.19 करोड़ अधिकारियों के वाहन, फर्नीचर कम्प्युटर एवं इको टूरिज्म, आरामगृह की मरम्मत और प्रशिक्षणों (₹ 0.40 करोड़) और भवन इमारत के निर्माण एवं आधुनिकीकरण (₹ 4.88 करोड़), वन भवन इमारत के लिए सौलर ऊर्जा संयंत्र की खरीद (₹ 0.91 करोड़) पर खर्च किये गये। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन सी ए सी के कोई भी निर्देश नही थे कि राज्य वन मुख्यालय के निर्माण पर किसी तरह का कोई खर्च न किया जाए। मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि एन सी ए सी की तीसरी मीटिंग में यह निश्चित हुआ था कि राज्य कैम्पा निधि से मुख्यालय के निमार्ण कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकता।	6.19
2	**सीसीएफ का गलत उपयोग प्रमाणपत्र**	जून – नवम्बर 2011 के दौरान मंडल कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टर तथा जल आपूर्ति के निर्माण के लिए जारी ₹ 1.19 करोड़ में से ₹ 0.91 करोड़ की राशि राज्य पीडब्ल्यूडी के पास अव्ययित पडी थी जबकि यह राशि 2010–11 के दौरान व्यय के रूप में दर्शाई गई थी। पीडब्ल्यूडी ने कोई खर्च नहीं किया था और उपयोग एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, उपयोगिता प्रमाणपत्र अतिरिक्त पीसीसीएफ (डब्ल्यूएल) मुम्बई को सीसीएफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर का दिसम्बर 2012 तक निर्माण नहीं किया गया था । इसके परिणास्वरूप एक वर्ष से अधिक के लिए ₹ 1.19 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा संपूर्ण व्यय और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी हुआ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एफसी एक्ट 1980, के अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टता न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। कार्यानवयन एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक कार्य विधिक कार्य था।	1.19

क.सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है जैसा कि कार्यनवयन एजेंसी द्वारा संस्वीकृत कार्य के ऊपर खर्च न किये बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया।	
3	**₹ 18.77 लाख की कैम्पा निधियों का अवरोधन**	वर्ष 2011–12 के दौरान सूक्ष्म योजना बनाने, पेयजल सुविधा, एलपीजी गैस, ढ़ोल की लकडी के पेड़ों के रोपण के एनपीवी संघटकों के अर्न्तगत रोपण हेतु दो विलेज ईको डवलपमेंट कमेटी (वीइडीसी) को ₹ 20.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। वीईडीसी ने दिसम्बर 2012 तक केवल ₹ 1.23 लाख (जारी राशि का 4 प्रतिशत) का उपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.77 लाख की कैम्पा निधियों का एक साल तक अवरोधन हुआ। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2012–13 के समाप्त होने पर सारी निधियों का उपयोग कर लिया जाएगा। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जो कार्य 2011–12 में पूरा होना था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया था।	0.19
	कुल		**7.57**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[169] के अभिलेखों के अनुसार – 2,867.22 है.[170] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 6,361.09 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4,077.99 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –2,867.22 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,283.10 है.
सम्बद्ध गैर वनभूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 3,916.65 है. गैर वन भूमि पर – 4,913.26 है.
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – शून्य गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तिरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –3,349.07 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी के उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 2,867.22 है० और उसके बदले में प्राप्त वन भूमि शून्य प्रतिशत थी

[169] पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[170] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

जबकि एन ओ अभिलेखों के अनुसार यह संख्याए 6,361.09 है० तथा 64 प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तानान्तरित/परिवर्तित नहीं की गई तथा आर एफ और पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नकृत वन भूमि पर कोई वन रोपण नही किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य का अनिष्पादन	नागपुर वन मंडल में 2008–11 के दौरान वन भूमि के विपथन के बदले विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन भूमि पर कोई सीए कार्य नहीं किया गया था यद्यपि सीए के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 21.73 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2013–14 के लिए एपीओ सीए कार्य योजनातर किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतराल पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्दिष्ट करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2010–11 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे नहीं बनाए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। यह देखा गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए खर्च के लिए रोकड़ वही तथा सहायक खाता बही उचित रूप में नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही के अनुचित अनुरक्षण के कारण 2010–12 वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। यह देखा गया था कि रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के बीच ₹ 0.07 करोड़ का अंतर था जिसका मिलान नहीं किया जा सका। (दिसम्बर 2012)। तीन मंडलों (थाणे, शाहपुर तथा नन्दुरबार) में यह देखा गया था कि परिसम्पति रजिस्टर इन मंडलों द्वारा बनाया नहीं गया था जैसाकि जीएफआर में बनाया जाना अपेक्षित था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अब से लेखाओं को एक निर्धारित फारमेट पर रखा जाएगा। कैश बुक का मिलान पास बुक तथा ऐसा रजिस्टर के रखरखाव पर कार्य किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होंगी ।तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल तीन बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान 13 बैठक हुई।

मणिपुर

1. पृष्ठभूमि[171]

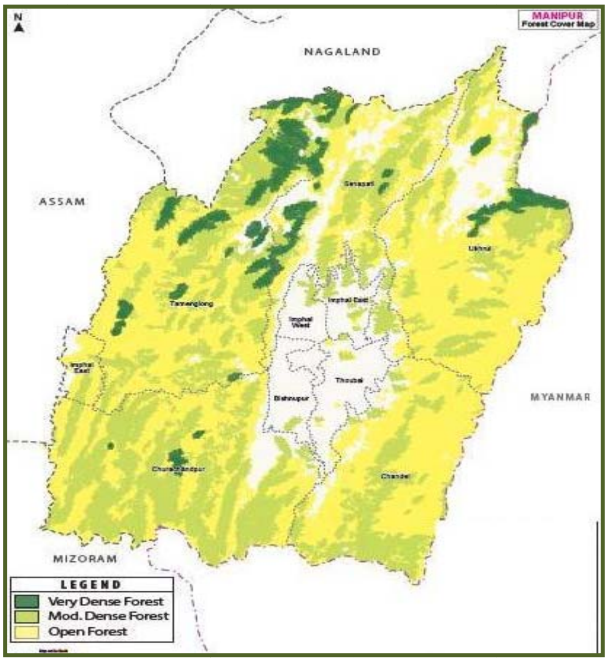

मणिपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्र 22,32,700 हैक्टेयर है। जनवरी–फरवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,09,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 76.54 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 73,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,15,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 10,20,900 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011में 19,000 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

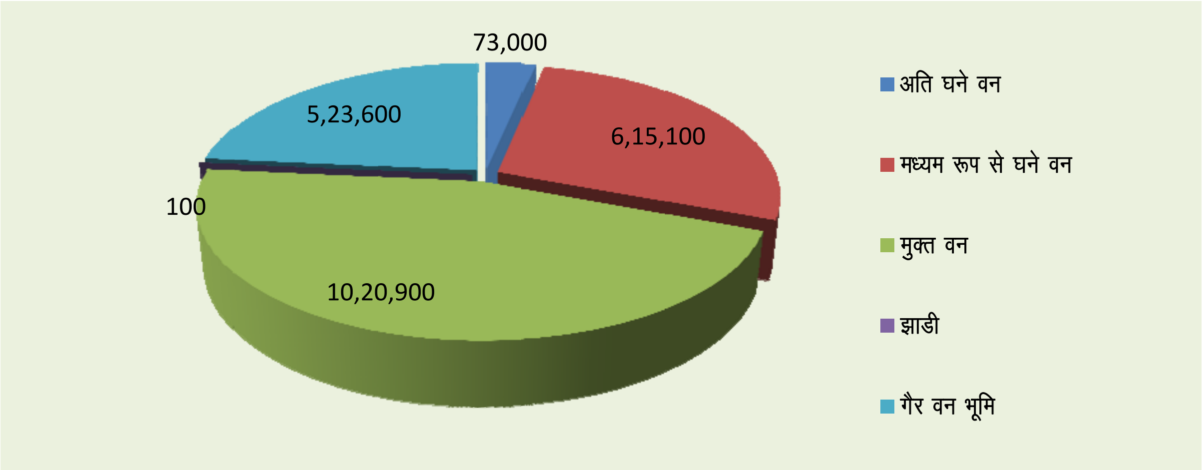

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

171 स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[172] के पास निधियों का संचय
2006–07	7.46	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	11.40	0.75	शून्य	0.75
2010–11	12.71	1.34	1.89	0.20
2011–12	3.02	शून्य	0.11	0.09
कुल	34.59	2.09	2.00	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का छः प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 2.09 करोड़ में से चार प्रतिशत अप्रयुक्त रहे।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

मणिपुर में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1	वर्ष 2009–11 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन के एक से चार वर्ष अवधि के बाद भी प्रयोक्ता एजेंसियों से (केन्द्रिय सरकार उपक्रम, राज्य विभागों) से 918.00 है० उन भूमि के विपथन के बदले एनपीवी/सीए आदि की ₹ 63.78 करोड़[173] की वसूली नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी/सीए की ₹ 47.64 करोड़ की राशि अभी तक जारी नहीं की गई थी। फरवरी 2013 तक ₹ 16.14 करोड़ एन पी वी/सी ए की राशि वाकी थी।	63.78
2	₹ 42.67 करोड़ एन पी वी/सी आदि (एन पी वी ₹ 38.73 करोड़, सी ए ₹ 3.84 करोड़, पी सी ए ₹ 0.10 करोड़) वन विभाग द्वारा एन एफ/एन ई रेलवे से वसूल नहीं की गई थी। यद्यपि प्रयोक्ता ऐजेंसी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम अनुमोदन के बिना कार्य आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन था।	42.67
	कुल	106.45

[172] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[173] एनपीवी–₹ 62.26 करोड़, सीए ₹ 1.33 करोड़, एसीए–₹ 0.19 करोड़

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[174]					0	0			0
प्रतिपूरक वनरोपण					0.05	0.05			0
संरक्षित वन[175]					1.60	1.56			0.11
सीएटी योजना					0	0			0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.31	0.28			0
कुल	0.75	शून्य	शून्य	1.34	1.96	1.89	शून्य	शून्य	0.11

2009–10 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां उपयोग नहीं की जा सकीं क्योंकि 2009–10 का एपीओ वर्ष के दौरान संचालन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके अलावा 2011–12 का एपीओ वर्ष के अन्तिम समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था। उस हैसियत से 2011–12 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी और इसलिए 2011–12 के दौरान एपीओ निष्पादित नहीं किया जा सका। यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.33 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट, वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंताए शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एन सी ए सी तथा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों द्वारा अनधिकृत व्यय**	राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म पर ढाँचा निर्माण के कैम्पा निधि प्रयोग नहीं की जानी चाहिए यद्यपि जांच परीक्षा ने यह उजागर किया कि कम्यूनिटी हाल के निर्माण, लोयल क्लब की सहायतार्थ, सिलाई मशीनों के वितरण, तथा इको टूरिज्म के विकास पर किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन संरक्षण तथा प्रबंधन गतिविधियों पर खर्च किया गया। जवाब संतुष्टिजनक नहीं है क्योंकि उपरिलिखित खर्च राज्य कैम्पा तथा एनसीएसी से अधिकृत नहीं है।	0.26

[174] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है
[175] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	वन्यजीव निधि का अनियमित उपयोग	राज्य कैम्पा में यह पाया गया था कि आरएसटीसी कार्यों के लिए वन भूमि के 10.00 है0 संरक्षित क्षेत्र के विपथन के लिए प्रयोक्त एजेंसी से प्राप्त ₹ 5.04 करोड़ की राशि के लिए समूह निधि के अन्तर्गत अलग खाता नहीं रखा गया था। इसके अलावा राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन के बिना सीधे वन्यजीव संरक्षण कार्यों पर ₹ 5.04 करोड़ में से ₹ 0.11करोड़ का उपयोग किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ऐसे मामलों मे लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भविष्य में संदर्भ के लिए अंकित किया गया है। और अलग से कारपस फंड खोलने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा से बातचीत की जाएगी।	0.11
3	अभिलेखों का रख–रखाव	दो वन क्षेत्रों (सेनापति एवं पूर्वी) में सेनापति वन क्षे द्वारा 172 हैक्टेयर भूमि पर ₹ 0.28 करोड़ की राशि व्यय की गई और पूर्वी वन क्षेत्र विभाग द्वारा पौधफार्म एवं रखरखाव के लिए वर्ष 2004–08 के दौरान 63 हैक्टेयर भूमि पर ₹ 0.18 करोड़ का व्यय किया गया। यद्यपि पौध कार्य एवं उनके रखरखाव के लिए विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि पेड़ो की कटाई और उनकी गिराई से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भविष्य में संदर्भ के लिए अंकित किया गया है।	0.46
	कुल		0.83

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[176]–266.00 है0[177] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–33.88 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–60.00 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–206.00 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–33.88 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
क्षेत्र जो नोडल कार्यालय के अनुसार सी ए के लिए चिन्हित किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,415.78 है0 (2003–11) गैर वन भूमि पर–शून्य
क्षेत्र जिसपर सीए,एनओ के अनुसार किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–263.44 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य

[176] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य सरकार का नोडल अधिकारी
[177]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
गैरवन क्षेत्र की प्राप्ति जो आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित थी।	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावणण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 266 हैक्टेयर थी और प्राप्त गैर वन भूमि 23 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 33.88 है० तथा शुन्य प्रतिशत थीं। आर ओ एवं एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था तथा निम्नीकृत वनभूमि पर किया गया वनरोपण उस क्षेत्र का 11 प्रतिशत था जिस पर वनरोपण किया जाना था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन कटाई के अभिलेख न बनाना**	2003–12 वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्र में 1,207.89 है0 वन भूमि विपथित की गई थी जिसमें वन कटाई/पेडों की गिराई शामिल थी। तथापि राज्य वन मण्डलों द्वारा वन कटाई/पेडों की गिराई और उनके बदले रोपित किए जाने को अपेक्षित पेडों की संख्या के काई अभिलेख नहीं बनाए थे। इन अभिलेखों के अभाव में वन कटाई के बदले किए गए वनरोपण की सीमा लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि भविष्य में संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अंकित किया गया है।
2	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन बिना परियोजना**	पश्चिमी वन, तमंगलौंग में डीएफओ तमंगलौंग, डीएफओ जिरिबाम तथा डीएफओ उत्तर वन मण्डलों के क्षेत्राधिकार के अन्दर 491.67 है0 वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव जून 2012 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को किया गया था। तथापि कर आयुक्त मणिपुर द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के प्रति सत्यापन में प्रकट हुआ कि कथित परियोजना 2010 से प्रयोक्ता एजेंसी यथा एनएफ रेलवे इम्फाल द्वारा आरम्भ की गई थी मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन से संबंधित प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन था।
3	**विपथित भूमि के रिहायशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन**	रहने के लिए अथवा स्वयं की खेती के लिए वन भूमि में नियंत्रण तथा जीवन के अधिकार के उलंघन के परिणमी प्रभाव के साथ थाऊबल बहुप्रयोजन परियोजना आरम्भ करने के लिए 2009–10 के दौरान 595 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के परिणाम स्वरूप उनको आवासों से वन भूमि में रह रहे 404 परिवारों को विस्थापित किया गया था। वन विभाग द्वारा प्रमाणित परिवारों के समाधान के संबंद्ध में की कोई कार्यवाही नही की गई थी। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि प्रमाणित परिवारों के पुनर्वास व स्थापन करने का दायित्व राज्य सरकार का था ना कि वन विभाग का। तथ्य यह रहता है कि मंत्रालय ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का विषय राज्य सरकार से नहीं उठाया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार, राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार के द्वारा निर्धारित अंतराल पर की जानी चाहिए।

जबकि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखाओं के निर्धारित फारमेट में तैयार नही किया था। वर्ष 2009–10 एवं 2011–11 की वार्षिक विवरणी और प्राप्तियों एवं भुगतान के आधान पर सी ए द्वारा तैयार किया गया। आगे राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के पास जमा राशि का मिलान नहीं किया। इससे अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा की निष्पादन लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा को संचालित करने के शक्ति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पास है। हालांकि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में वताया कि लेखों के निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने व प्राप्तियों के पुनर्विक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। मणिपुर कैम्पा की संचालन समिति की छः की तुलना में 2009–12 के दौरान दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की छः की तुलना में 2009–12 के दौरान चार बैठक हुईं।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल 2013) कि संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति की बैठकें मार्गनिर्देशों के आधार पर बुलाई जाएगी।

मेघालय

1. पृष्ठभूमि[178]

मेघालय का कुल भौगोलिक क्षेत्र 22,42,900 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,27,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 77.02 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार में अति घने वन के अन्तर्गत 43,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 9,77,500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 7,06,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 4600 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

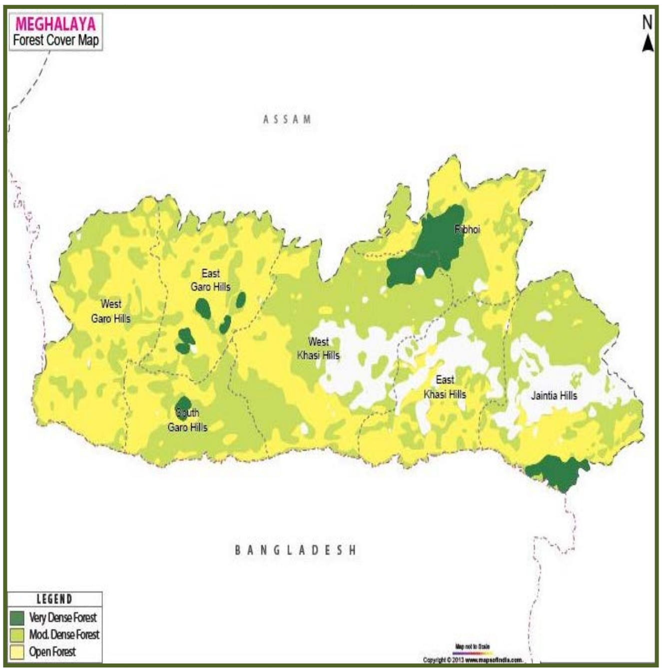

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

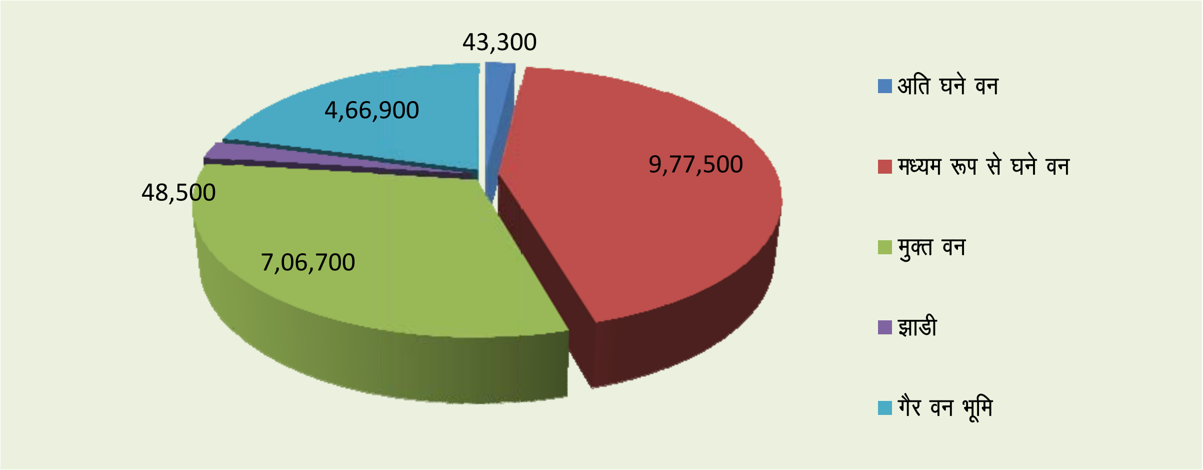

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

दिसम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[178] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारती राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[179] के पास निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	0.64	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	0.33	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	शून्य	0.10	शून्य	0.10
2010–11	88.11	शून्य	शून्य	0.10
2011–12	1.28	शून्य	शून्य	0.10
कुल	90.36	0.10	शून्य	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 0.11प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 0.10 करोड़ में से 100 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।इससे यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–12 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा एन पी वी/सी ए की कोई भी योजना चालू वहीं की गई। ₹ 96.92 करोड़ (ब्याज सहित) राज्य के प्रतिपूरक वनरोपण निधि के खाते में तदर्थ कैम्पा में (31 मार्च 2012) तक संचित होती रही और यह केवल विशेषत: वानिकी संबंधित क्रिया कलापों के लिए जारी किया जा सकता है जो कि राज्य की अवशोषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चिंता की बात है। ₹ 0.06 करोड़ की निधि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई और राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्राप्यों के कम निर्धारण/कम वसूली के निम्नलिखित अन्य उदाहरण लेखापरीक्षा में मेघालय मेंदेखने में आए उनका सार अध्याय3 की तालिका 24, 26, एवं 27 में दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	99 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित एक मामले[180] जिनमें प्रयोक्ता एजेसियों[181] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था। जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	5.74[182]
2	मार्च 2008 में एन पी वी संशोधित की जबकि राज्य कैम्पा के अभिलेखों की जांच पडताल से पता चला कि चार मामलों[183] में परिवर्तित दर के हिसाब से एन पी वी एकत्रित नही किया गया था।	0.42

[179] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[180] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार

[181] हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट

[182] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (99x5.8) पर अनुमानित की गई है।

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	मार्च 2008 से पहले तीन मामलों[184] में एनपी वी दरों की अनुमोदनों में कमी के कारण एन पी वी की वसूली कम हुई। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता ऐजेंसियों से एन पी वी एकत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी थी।	0.37
4	राज्य कैम्पा लेखापरीक्षा में पता चला कि सात सीमेंट कम्पनियों[185] के पास 2,608.43 है भूमि धारिता थी। इसमें से 838.04 है0 वन भूमि निर्धारित की गई थीं कम्पनियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन निर्बाधन प्राप्य मंत्रालय का जबाव किए बिना प्रचालन कर रही थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि जहां पर जरूरत है, प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की वसूली के लिए कार्रवाई की जा चुकी थीं।	55.05[186]
	कुल	61.58

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**सीए कार्य न किया जाना**	वर्ष 2010–11 के दौरान सीए कार्य नहीं किया गया था क्योंकि अप्रैल 2010 में राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रेषित मेघालय में₹0.10 करोड़ की सीए निधियां ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य कैम्पा के पास अभी भी अप्रयुक्त पडी थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब नही प्रषित किये।	0.10
2	**गिरे पेडों के बदले सीए कार्य न किया जाना**	सितम्बर 2008 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सीए गिरे पेडों की संख्या के 10 गुने की योजना के रूप में राज्य वन विभाग द्वारा किया जाना था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ₹1.39 करोड़ के भुगतान के प्रति 1999–2011 की अवधि के दौरान 10 प्रयोक्ता एजेंसियों[187] को पेडों को गिराने के बदले सीए कार्य की अनुमति दी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि25 प्रस्तावों में पेड़ गिरने की संख्या के स्थान पर सी ए कार्य का कार्यान्वयन किया जाएगा	1.39
कुल			1.49

[183]बर्ड विक्टरी चर्च, शिलोंग, स्पोर्टस ऑथरिटी ऑफ इण्डिया शिलोंग, नार्थ इस्टर्न पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, चर्च ऑफ गोड, अपर शिलोंग

[184]केन्द्रीय विधालय, बारापानी, नार्थ इस्टर्न हिल्स विश्वविद्यालय, म्यनटडू लेसका जल विद्युत परियोजना

[185]इनमें आधुनिक सीमेंट लिमिटेड, अमृत सीमेंट अद्योग लिमिटेड, सीमेंट उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, एवं सहायक, ग्रीन बैली उद्योग लिमिटेड गोल्ड स्टोन सीमेंट लिमिटेड, हिल सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और मेघालय सीमेंट लिमिटेड शामिल है

[186]इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹6.57 लाख प्रति है० (838.04x6.57) पर अनुमानित की गई।

[187]इसमें इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, उत्तरी पूर्वी पॉवर ट्रांसमिशन भारत की खेल कुद अर्थोटी एवं ट्रेनिंग केन्द्र लोक कार्य विभाग, बृहदशिलोंग जल आपूर्ति योजना, मेघालय ऐनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर पूर्वी हिल यूनिर्वसिटी, पूर्व उत्तर पुलिस ऐकेडमी, उत्तरपूर्वी इंदिरागाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल साईंस संस्थान (निग्रम्स), निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं इंजिनियरिंग बिंग आदि शामिल है।

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[188]–119.56 है०[189] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–245.33 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–119.56है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–245.33 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	2008–09 में 114.02 है० के विपथन के अलावा सभी मामलों में प्राप्त किया गया।
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–521.13 है0 गैर वन भूमि पर–2.40 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य प्राधिकरणों द्वारा आंकडो में भिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपक्षित वन भूमि 119.56 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 245.33 है० व शून्य प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वनभूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था।

[188] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी
[189] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
अनियमित खनन	प्रयोक्ता एजेंसी–मै0 लाफार्ज उमयाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (एलयूएमपीएल) ने अप्रैल 2005 में खनन प्रचालन आरम्भ किया था और अप्रैल 2010 तक अप्राधिकृत रूप से खनन प्रचालन जारी रखे जब पर्यावरण एव वन मंत्रालय ने मै0 एलयूएमपीएल के पक्ष मे चूना पत्थर खनन के लिए 116.59 है0 वन भूमि के विपथन के लिए अन्तिम अनुमोदन दिया। इसके अलावा जुलाई 2010 में मै0 एलयूएमपीएल से संग्रहीत ₹ 136.73[190] करोड़ ₹ 79.99 करोड़ केवल तदर्थ कैम्पाको जांच करवाए गए और शेष राशि ₹ 56.74 करोड़ राज्य कैम्पा के पास बचे थे। यह देखा गया कि पांच वर्षो से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस प्रयोजन हेतु पहचाने गए गारो पहाडियों में 270 हैक्टेयर निम्नीकृत भूमि पर सी ए कार्य नहीं किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जवाब प्रेषित नहीं किया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में 2009 से 2011–12 तक के वर्षों के इसके आय तथा व्यय की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नही की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय की रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बहियों के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके। तदर्थ कैम्पा के पास जमा निधियों का मिलान राज्य कैम्पा द्वारा केवल मई 2009 तक किया गया था। उसके बाद तदर्थ कैम्पा के पास जमाओं के लिए कोई मिलान नही किया गया था।

राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा का लेखापरीक्षा एवं विशेष लेखा परीक्षा करवाने की शक्ति है। जवकि ऐसा कोई लेखापरीक्षा नहीं किया गया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। मेघालय के राज्य कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छह के प्रति एक बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान एक बैठक हुई।

[190]एनपीवी/सीए/पीसीए ₹ 75.06 करोड़ और एसपीवी ₹ 56.73 करोड़ सुरक्षा जोंन क्षेत्र का सीए/सीएटीपी इत्यादि ₹4.94 करोड़

मिजोरम

1. पृष्ठभूमि [191]

मिजोरम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 21,08,100 हैक्टेयर है। जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 19,11,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90.68 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 13,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,08,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 12,89,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 6,600 हैक्टेयर की कमी दर्शाई

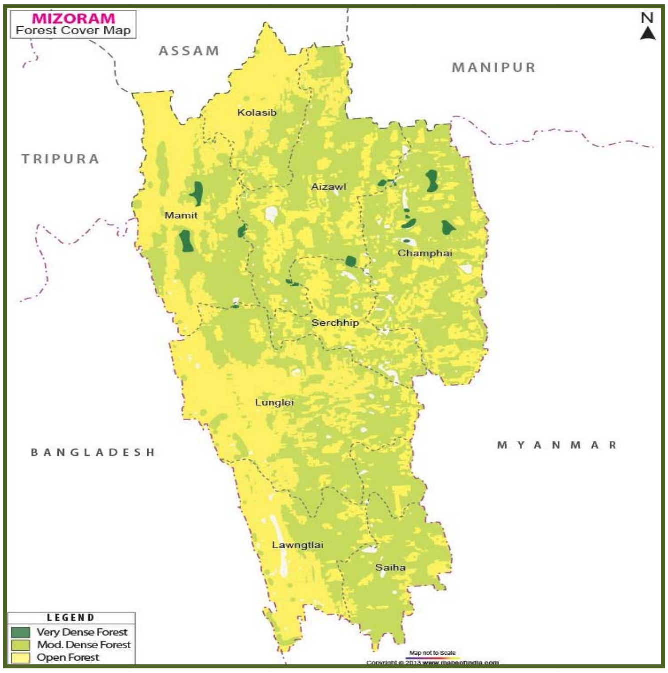

वन क्षेत्र–वन के प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

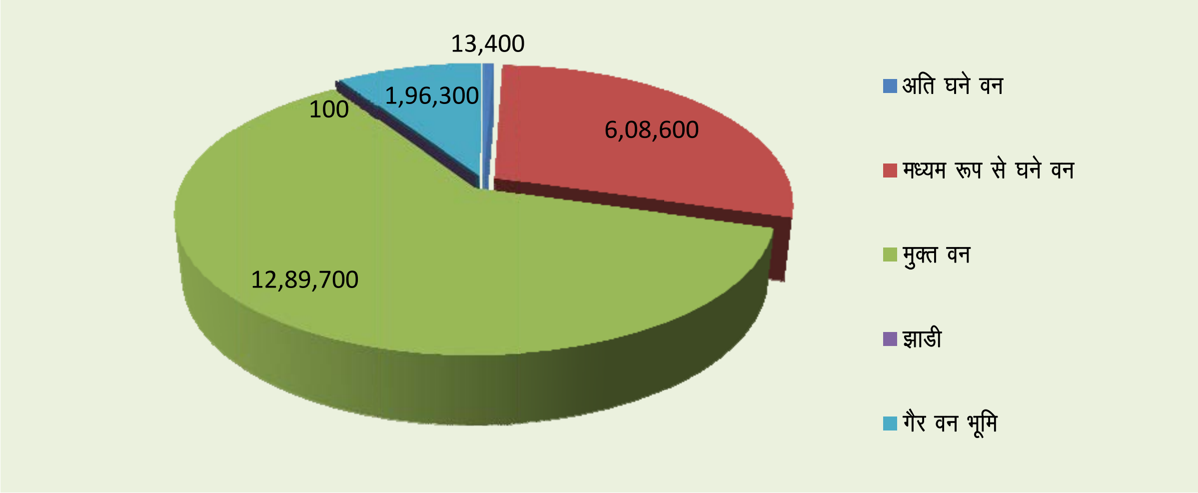

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[191] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[192] के पास निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	10.62	शून्य	शून्य	शून्य
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	10.62	शून्य	शून्य	शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई भी निधि राज्य कैम्पा को जारी नहीं की गयी। यद्यपि राज्य कैम्पा ने ₹ 10.62 करोड़ ₹ 2009–12 के बीच तदर्थ कैम्पा को दिये। तदर्थ कैम्पा ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

मिजोरम में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	143.97 हैक्टेयर की वन भूमि सम्मिलित 2 मामलें[193] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[194] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदित तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की राशि के वसूली के लिए कदम लिया जा चुका है।	8.35[195]
2	3,002.80 हैक्टेयर वन भूमि के अप्रचालन के गैर वनीय उद्देश्य के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसियों से एन पी वी के ₹ 219.20 करोड़ जारी नही किये गए। तीन[196] में से दो मामलो में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अंतिम अनुमोदन के विना ही कार्य किया जा रहा था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की राशि के वसूली के लिए कदम लिया जा चुका है।	219.20
3	मार्च 1991 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ₹17 करोड़ की सी ए टी पी राशि जा कि सेरलुई 'बी' हायडल परियोजना के लिए 30 स्केवयर किलोमीटर वन क्षेत्र के प्रचालल के लिए इन–प्रिंसिपल अनुमोदित कि गई थी, प्रयोक्ता ऐजेंसियों द्वारा जारी नहीं किया गया, हालांकि	17.00

[192] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[193] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[194] एच एफ ओ आधारित डीज़ल जनरेटिंग प्लान्ट, राज्य सरकार एजेंसी
[195] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (143.97x5.8)
[196] बिजली एवं शक्ति, गृह एवं राज्य पीडब्ल्यूडी

क्रम सं.	विवरण	राशि
	अप्रैल 2010 में परियोजना को तकनीकी रूप से संचालित किया गया था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता ऐजेंसी से सीए टीपी राशि की वसूली के लिए नया प्रस्ताव संशोधित परियोजना के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।	
4	2004–05 के दौरान वन लाईफाई वन क्षेत्र में राज्य जन कार्य विभाग द्वारा सड़को के 1.66 हैक्टेयर वन क्षेत्र का अनाधिकृत अप्रचालन किया गया और दिसम्बर 2012 तक राज्य जन कार्य विभाग से एनपीवी/ सीए के ₹ 12.99[197] लाख की राशि की वसूली नही की गई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) एनपीवी/सीए की राशि की वसूली के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ इस मामले को रखा जाएगा।	0.13
5	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि तुरियल हाइडल प्रोजेक्ट, जिसके लिए सितम्बर 1994 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5380 है0 भूमि के विपथन के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था और अन्तिम अनुमोदन मार्च 2000 में दिया गया था, के अन्तर्गत सात वर्षों के लिए ₹16.51 करोड के सीए/सीएटीपी/एपीएस की शेष राशि की वसूली न होने के कारण ₹4.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी। मार्च 2000 में अनुमोदन मिला। चलित मामले में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा मूल अनूमोदन में निर्धारित शर्तों को पूरा किये विना ही अंतिम अनुमोदन दिया गया। जो कि सात वर्षों के अन्तराल के पश्चात जून 2012 में ₹16.51 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, परिणामतः ₹4.62 करोड़ की ब्याज राशि का नुकसान हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तकनीकी कारणों, पब्लिक लिटिगेशन इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसियों द्वारा परियोजना को रोका गया जिसके परिणाम स्वरूप भूगतान राशि पर बुरा प्रभाव पड़ा। ₹4.62 करोड़ के ब्याज राशि की वसूली के लिए जबाब नहीं मिला।	
	जोड़	244.68

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

वर्ष 2009–10 के लिए एपीओ तैयार नहीं किया गया था और 2010–11 के लिए ए पी ओ तैयार किये गये थे लेकिन तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं किए गये थे। वर्ष 2009–12 के लिए सी ए के लिए तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा को कोई निधि प्राप्त नहीं गई।

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[198] के अभिलेखों के अनुसार–शून्य[199] है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–128.28 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–17.50 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

[197] ₹ 12.14 एनपीवी और ₹ 0.85 लाख सीए
[198] क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोडल ऑफिसर राज्य वन विभाग
[199] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
	एनओ के अभिलेखों के अनुसार–110.78 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर– उ.न गैर वन भूमि पर– उ.न
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर– उ.न गैर वन भूमि पर–उ.न.
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –उ.न
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी राज्य कैम्पा व क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन मंत्रालय के दिये गये आंकड़ों में अनियोजित भिन्नता थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार मुक्त श्रेणी के अलावा कोई भी वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग के लिए नहीं दी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार ये आंकड़े 128.28 है० व 14 प्रतिशत क्रमानुसार थे। क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार कोई गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित तथा आरक्षित/सुरक्षित नहीं हुई। एन ओ के दस्तावेज अनुसार गैर वानिकी भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा निर्धारित अंतराल पर की जानी थी। वर्ष 2009–12 में तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए कोई निधि नहीं दी गई थी। फलस्वरूप राज्य कैम्पा निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं कर सका। राज्य कैम्पा दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार व पर्यावरण वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा के विशेष निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अधिकार था। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। जबकि वर्ष 2009–12 के दौरान कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति की बैठक केवल एक बार हुई और 2009–12 के दौरान अधिशासी निकाय की बैठक नही हुई।

ओडिशा

1. पृष्ठभूमि[200]

ओडिशा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,55,70,700 हैक्टयर है। अक्तूबर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 48,90,300 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 31.41 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 7,06,000 हैक्टेयर, क्षेत्र, मध्यम घने वन के अन्तर्गत 21,36,600 है0 क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 20,47,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 4800 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

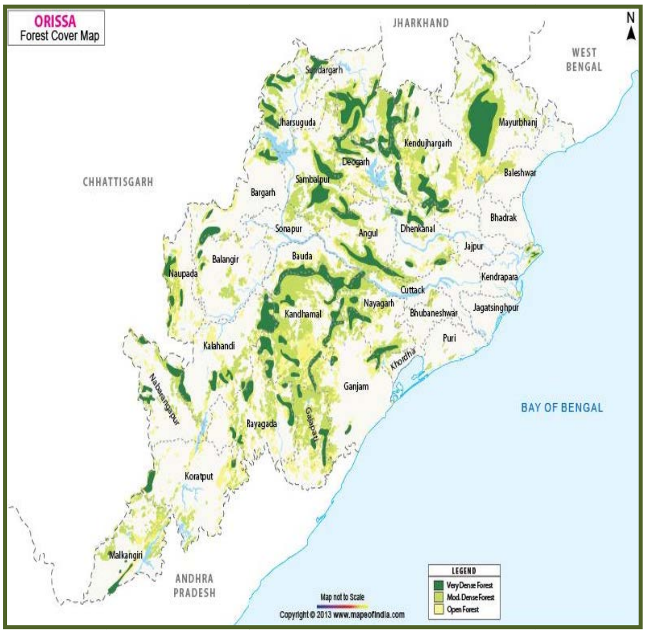

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में) – 2011

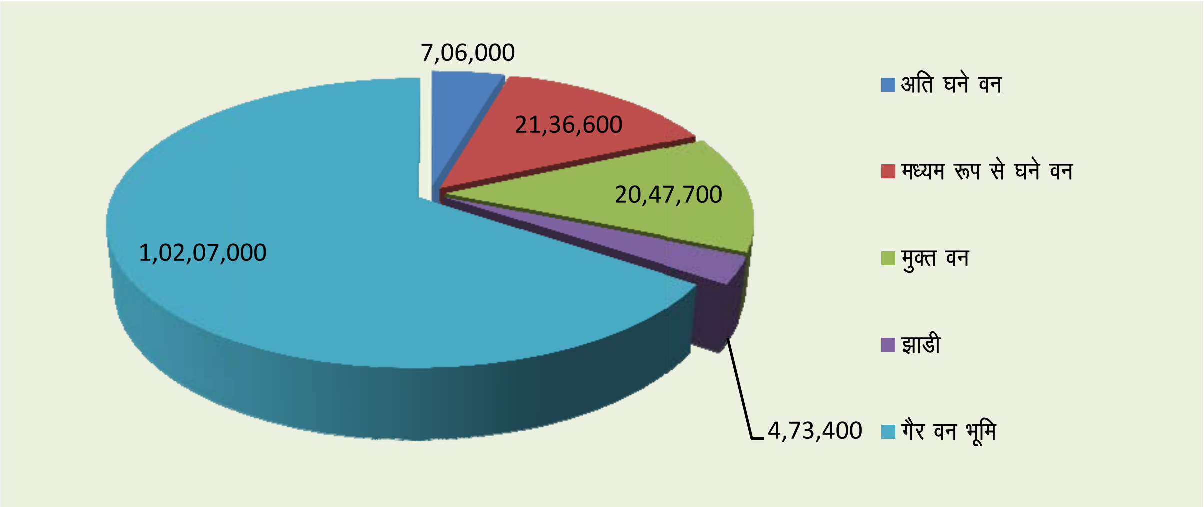

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा 2006.–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत हैः–

---

[200]स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[201] के पास निधियों का संचय
2006-07	448.25	शून्य	शून्य	
2007-08	408.26	शून्य	शून्य	
2008-09	337.14	शून्य	शून्य	
2009-10	449.40	131.06	124.09	6.97
2010-11	1889.42	140.18	72.16	74.99
2011-12	114.79	176.09	23.60	227.48
कुल	3967.26	447.33	219.85	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 12 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के लिए ₹ 447.33 करोड़ जारी किए गए, 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियां का संचय हुआ। ₹ 13.61 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई और वह राज्य सरकार के लेखा में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

ओडिशा में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1.	3,679.69 हे० की वन भूमि वाले 36 मामलों[202] हुए थे में जिनमें प्रयोक्ता ऐजेंसियों[203] से एनपीवी एकत्रित नहीं किया गया जिसकों अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन तथा बाद में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	213.42[204]
2	23 मंडलों से संबंधित 320 मामलों में ₹ 2476.26 करोड़ के एनपीवी की मांग के प्रति केवल ₹ 1,567.08 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों[205] से वसुल किए जा सकें जिससे ₹ 909.18 करोड़ जारी की वसूली नहीं हुई।	909.18

[201] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[202] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 के जारी रिपोर्ट अनुसार

[203] मै० ओर एम सी लि०, मै० महानन्दी कोल फील्डस लि०, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लि०, मै० रूंग्टा माइन्स लि०, मै० नैशनल एन्टरप्राइंजिज (आई आर ओ एन), डी सी जैन, मै० मीनाक्षी पॉवर लि०, गिरधारी लाल अग्रवाल, मै० ए ओ आई के ए टी एच, मै० के जे एस आहलूवालिया मै० टाटा रिफैक्ट्रीज

[204] इन मामलों संतुलित आधार पर न्यूनतम दर ₹ 5.80 लाख प्रति हे० (3,679.69x5.8) एन पी वी की लेखापरीक्षा द्वारा कुल अनुमानित राशि

[205] इनमें शामिल थे, मै० पटनायक मिनरल्स, मै० सेल, मै० डी सी जै, मै० ओ एम सी लि०, मै० के सी प्रधान, मै० आर बी ठाकुर, मै० डा० सरोजनी प्रधान, मै० क्योझारा मिनरल्स प्राईवेट लि०, मै० श्री बी के मोहन्ती, मै० एस सी मलिक, मै० बी एल नेवतिया, मै० ए एक्स एल एक्सफ्लोरेशन प्राईवेट लि., मै० रूंग्टा सन्स, मै० आई एम एफ ए लि०, मै० घनश्याम मिश्रा एण्ड संस (पी) लि०, मै० जी एस चौबे, मै० एस के चौरसिया, मै० मनीश्री रिफ्रैक्ट्रीज लि०, मै० फैक्टर लि० आदि।

क्रं सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सभी खनन पट्टा जहाँ एनपीवी का अंशतः या पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया था वो खनन कार्यरत नहीं थी और कुछ मामलों में खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। तथ्य यह शेष था कि मंत्रालय ने खनन पट्टा के इन मामलों में एनपीवी की वसूली के लिए और खनन पट्टा की समाप्ति के बाद वन भूमि की वापसी के लिए कोई कदम नही उठाया।	
3	ओडिशा सरकार ने क्योंझर तथा बोनाई वन मंडलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वन्यजीव प्रबन्धन योजना के कार्यन्वन के लिए दिसम्बर 2005 में निर्देश जारी किए। यह योजना 23 मार्च 2008 से राज्य के सभी अन्य जिलों मे लागू की गई थी। प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत खान मालिक वन विभाग के राजस्व शीर्ष में संबंधित मंडल वन अधिकारी के पास पटटा धारित क्षेत्र के आधार पर ₹ 20,000 प्रति हैक्टेयर (22 मार्च 2008 तक ₹ 15,000 प्रति है.) जमा करने को उत्तरदायी थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 से जनवरी 2012 तक के दौरान नौ वन मंडलों के 105 मामलों में खनन पटटा क्षेत्रों की 23609.87 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया। परियोजना रिपोर्टों के अनुसार खनन प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि में वन्यजीव प्रजातियां विद्यमान थी। वन्यजीव प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत पटटा धारियों को ₹ 47.21 करोड़ जमा करने थे जिनमें से केवल तीन मंडलों ने ₹ 10.21 करोड़ जमा किए परिणामस्वरूप ₹ 37.01 करोड़ की वसूली नहीं हुई।	37.01
4	₹ 32.49 करोड़ का एनपीवी तीन मंडलों[206] से संबंधित छः प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया था। छः[207] में से तीन मामलों में एनपीवी की इस आधार पर मांग नहीं की गई कि पटटाधारियों ने नियत समय में खनन पटटा के नवीकरण के लिए आवेदन किया था। तथापी खनन पटटा के नवीकरण के आवेदनों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण न तो अस्वीकर्त किए गए थे और न ही पटटा रदद किया गया था इस प्रकार के मामलों में एनपीवी वसूली योग्य था। एक अन्य मामले में एनपीवी की मांग पूर्व संशोधित दर पर की गई थी जबकि एनपीवी 28 मार्च 2008 के बाद संशोधित की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इन मामलों में एनपीवी की गैर/कम वसूली ₹ 23.19 करोड थी और एनपीवी की वसूली के लिए कार्यवाई की गई थी. मंत्रालय का उत्तर तथ्य पर आधारित नही था क्योंकि एनपीवी की वसूली योग्य राशि इन मामलो में ₹ 32.49 करोड़ बनती थी।	32.49
5	बोनाई वन मंडल में खनन पटटा अवधि के दूसरे नवीकरण के लिए मैसर्ज़ सैल के पक्ष में खनन तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 2341.93 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मार्च 2011 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया और एक और वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित भू उपयोग योजना के अनुसार पट्टा धारित क्षेत्र में वन भूमि के खंडित क्षेत्र पर कार्य करने की प्रयोक्ता एंजेंसियों को अनुमति दी। इस मामले में ₹ 28.09 करोड़ का अतिरिक्त सी ए देय था। एक बर्ष बीत जाने के बाद भी दिसम्बर 2012 तक राज्य कैम्पा द्वारा कोई मांग नही की गई थी । मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि फरवरी 2013 में प्रयोक्ता ऐजेंसी से	28.09

[206]बोलन्गीर, बोनाई तथा कयोंझर

[207]इनमें मै0 सरकुण्डा माइनस आफ ई एम एण्ड आई लि0, टोडा आयरन माइन्स आफ मै0 सेल, राजभाषा भालूडूँगरी सोपस्टोन माईन्स आफ एसडीएस, मै. दीपक स्टील एण्ड पावर लिमि0, लोअर सुकटेल इर्रीगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं।

क्र सं.	विवरण	राशि
	₹ 18.45 करोड़ के एसीए की बसूली की गई थी। मंत्रालय का यह जवाब मान्य नही है क्योंकि एसीए की वसूली योग्य राशि ₹ 28.09 करोड़ बनती थी जिसमें केवल ₹ 18.45 करोड़ प्रयोक्ता ऐंजेसी से वसूल किए गए।	
6	1984–85 से 1993–94 तक के दौरान वन भूमि के विपथन के सात मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों[208] से ₹ 4.93 करोड़ के सीए की कुल मांग के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा केवल ₹ 2.67 करोड़ जमा किए गए परिणामत: ₹ 2.26 करोड़ की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि संबंधित डीएफओ को इन मामलों में अनुपालन रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।	2.26
	कुल	1,222.45

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[209]		19.97	19.96		40.12	32.98		87.59	13.55
प्रतिपूरक वनरोपण		70.00	70.00		58.71	22.85		32.84	0.31
संरक्षित क्षेत्र[210]		15.00	13.08		15.00	3.12		20.00	0.57
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट योजना		26.09	21.05		19.35	13.21		29.46	9.17
कुल	131.06	131.06	124.09	140.18	133.18	72.16	176.09	169.89	23.60

2009–10 के लिए एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई थीं। इसके अलावा 2009–10 से 2011–12 वर्षों के एपीओ समवर्ती रूप से चल रहे थे। केवल 2009–10 का एक एपीओ 31 दिसम्बर 2011 को बंद किया गया था और अन्य दो एपीओ जो कि 2010–11 तथा 2011–12 से संबंधित थे अभी चालू थे।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में 95 प्रतिशत, 2010–11 में 51 प्रतिशत तथा 2011–12 में आजतक 14 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियां 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास

[208]प्रयोक्ता एजेंसियोंमें आर्डनेंस फैक्टरी, सिंचाई विभाग आदि शामिल है।
[209]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च की जाती है
[210]संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर व्यय की जाती है।

₹ 4570.17 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल निर्दिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1.	**एनसीएसी एवं राज्य कैम्पा के दिशानिर्देश के अनुसार व्यय प्राधिकृत नही था**	कैम्पा निधियों को राज्य वन मुख्यालय पर आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एंव इको टूरिजम पर खर्च नही किया जाना चाहिए। हालांकि नमूना जांच पड़ताल से पता चला कि कार की खरीद के लिए यह व्यय किया गया।	0.07
2	**सीए निधियों का उपयोग न करना**	1982–83 से 2011–12 तक के दौरान 384 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किए गए ₹ 97.31 करोड़ की सीए निधियों में से केवल ₹ 42.44 करोड़ खर्च किए गए थे जिससे ₹ 54.87 करोड़ अव्ययित रहे। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन सूचित किया जाएगा।	54.87
3	**अवसंरचना विकास में भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में कमी**	2009–10 के एपीओ में निर्धारित ₹ 238.39 करोड़ के कुल परिव्यय में से तदर्थ कैम्पा से ₹ 131.06 करोड़ प्राप्त हुए और ₹ 6.97 करोड़ अप्रयुक्त रहे। अवसंरचना के विकास के सभी संघटकों के भौतिक लक्ष्य अप्राप्त रहे। लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 53 से 100 प्रतिशत के बीच थी। मंत्रालय ने कहा (जून 2013) कि तदर्थ कैम्पा से राशि प्राप्त न होने की वजह से अवसंरचना विकास में भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में कमी आई।	6.97
4	**कैम्पा निधि का अनियमित विपथन**	नन्दनकानन चिडियाघर, भुवनेश्वर में राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में ₹ 0.41 करोड़ की राशि व्यय की सामान्य मदों को विपथित की गई जिनका राज्य कैम्पा के एपीओ में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अलावा 2009–10 के एपीओ से यह पाया गया था कि बरीपदा, एसटीआर में ₹ 16 लाख अन्य संघटकों के अप्रयुक्त शेष से यूबीके रेंज में रेंज कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विपथित किया गया था।	0.57
5	**कैम्पा निधियों का अबरोधन**	चार वन मंडलों से संबंधित चार मामलों में अस्वीकृत वाउचरों के प्रति 17.46 लाख की राशि और ₹ 7.24 लाख के असमायोजित अग्रिम समायोजन न करने के कारण अवरूद्ध हो गए। तथ्य को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल/जून 2013) कि शेष कैम्पा निधि की वसूली के लिए संबंधित डी एफ ओ को निर्देश दिए गए है।	0.25
6	**अधिक व्यय**	₹ 50.88 करोड़ के व्यय पर 50,000 के भौतिक लक्ष्य के स्थान पर 2009–10 की अवधि के दौरान 33,465.60 हैक्टेयर भूमि पर रोपण किया गया था। योजना में शून्य वर्ष के ₹ 12,150 की दर पर लागत प्रतिमान के अनुसार व्यय ₹ 40.66 करोड़ होना था, परिणामस्वरूप 16,534 हैक्टेयर के	10.45

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		भौतिक लक्ष्य की कमी के साथ ₹ 10.22 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। इसके अलावा दो वन मंडलों[211] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि विभिन्न संघटकों पर ₹ 0.23 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 10.45 करोड़ का कुल अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों की कटौती की वजह से लक्ष्य परिवर्तित हुआ और राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा व्यय अनुमोदित था।	
7	प्रशासनिक अनुमोदन/अनुमान संस्वीकृति बिना कार्यों का निष्पादन	तीन वन मंडलों में प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कैम्पा निधि से ₹ 0.51 करोड़ की अनुमानित लागत पर 14 कार्य किए गए थे। मंत्रालय ने (अप्रैल/जून 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।	0.51
8	विषय आधारित प्रशिक्षणों पर निधियों का उपयोग न करना	बारगढ़ वन मंडल निर्धारित संघटक पर निधियों का उपयोग न करने के कारण नवम्बर 2012 तक विषय आधारित प्रशिक्षण के लिए 2010–11 के एपीओ में आवंटित ₹ 0.02 करोड़ खर्च नहीं कर सका, जिससे विषयं आधारित प्रशिक्षणों की योजना का मूल प्रयोजन विफल हो गया। तथ्यों के स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि आवश्यक अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित मण्डलों को दे दिए गए थे।	0.02
	कुल		73.71

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्यशीट

विवरण **(2006-12)**	
विपथित वन भूमि	आरओ[212] के अभिलेखों के अनुसार – 8,814.71 है.[213] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 75,24.80 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,261.96 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ. न
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,552.75 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ. न
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र	नहीं

[211] कयोंझर तथा बरीपदा

[212] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)

[213] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

विवरण (2006-12)	
एनओके अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 3388.72 है. गैर वन भूमि पर – 4380.46 है.
एनओके अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 5341.99 है. गैर वन भूमि पर – 6951.54 है.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – उ.न. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ.न.
आरक्षित /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2238.74[214]है.

जैसा तलिका से स्पष्ट है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए आकॅड़ो में असंगत विसंगितां पाई गई। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 8,814.71 है० थी तथा उसके बदले में प्राप्त वन भूमि केवल 60 प्रतिशत थी जबकि एनओ द्वारा 2006–12 की अवधि के दौरान प्राप्त गैर वनभूमि के वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिए गए। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित तथा आर एफ/पीफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई जबकि एनओ के अनुसार राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित/परिवर्तित गैर वनभूमि के बारे में कोई सूचना लेखापरीक्षा को नहीं भेजी गई थी। अभी तक 2238.74 है0 गैरवन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार, गैरवन भूमि पर 159 प्रतिशत वनीकरण किया गया तथा निम्नीकृत वनभूमि पर वनीकरण किए जाने वाले क्षेत्र का 158 प्रतिशत क्षेत्र पर वनीकरण किया गया।

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी गई अनियमितताएं

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति निष्फल व्यय**	15 मामलों में यद्यपि 1996 से 2011 तक की अवधि में आठ वन मंडलों[215] द्वारा ₹ 0.54 करोड़ व्यय किया गया था परंतु किसी परियोजना के प्रति कोई वनरोपण नहीं किया गया। वनरोपण न करने के कारण लेखापरीक्षा को बताए नहीं गए। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 15 में से 6 मामलो में वृक्षारोपण की प्रगति के बारे में संबंधित डीएफओ से मालूम किया जा रहा है और शेष नौ मामलों में वर्ष 2012–13 में किया जाएगा।
2	**वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क से भूमि का विपथन**	सात वन्यजीव मंडलों में 28 मामलों में 1950.93 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन हुआ। तथापि वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत विपथित श्रेणीवार भूमि के ब्यौरे दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं था। इन ब्यौरों के अभाव में संग्रहीत एनपीवी की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि संरक्षित वन क्षेत्र में कोई वन भूमि विपथित नही की गई। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में वन भूमि विपथित की गई थी तथा उसके बदले में प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी भी योग्य था।

[214] छः मण्डलों के 39 मामले

[215] टंगुल, कटक, जयपुर, राउरकेला, बोनाई, क्योंझर, भद्रक (डब्ल्यु एल), राजनगर (डब्ल्यु एल)

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा शामिल नहीं की जा सकी। लेखा अभिलेखों में देखी गई कमियां नीचे दी गई है:

- यह सुनिश्चित करने कि राज्य कैम्पा द्वारा जमा की गई निधियां वास्तव में तदर्थ कैम्पा में जमा हो गई थी, के लिए राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा के साथ कोई मिलान नहीं किया गया था।
- पीसीसीएफ (वन्यजीव) तथा मुख्यजीव रक्षक, ओडिशा ने रोकड़ बही नहीं बनाई जिसके कारण 31 मार्च 2012 को अंतशेष अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- तीन[216] वन मंडलों में कैम्पा रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान नहीं किया गया इसके अलावा राज्य कैम्पा के बचत बैंक खाते में अर्जित ब्याज कैम्पा निधियों में लेखांकित नहीं की गई थी।
- पुरी वन्य जीव मंडल में 31 मार्च 2012 को रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में बीच ₹ 0.83 करोड़ का अंतर था जिसका दिसम्बर 2012 तक मिलान नहीं किया गया।
- राज्य कैम्पा में यह पाया गया कि अक्तूबर 2011 में 2009–10 के एपीओ की समाप्ति पर ₹ 6.97 करोड़ का अव्ययित शेष था। अव्ययित शेष की राशि न तो तदर्थ कैम्पा को वापस की गई थी और न ही दिसम्बर 2012 तक संचालन समिति द्वारा पुनः वैघ की गई।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि कैम्पा निधि का तदर्थ कैम्पा के साथ मिलान किया जा रहा था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। ओडिशा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः के प्रति चार बैठक हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठक हुईं।

[216] पुरी वन्य जीव मण्डल, चन्दका वन्य जीव मण्डल, सुंदरगढ मण्डल

पंजाब

1. पृष्ठभूमि[217]

पंजाब का कुल भौगोलिक क्षेत्र 50,36,200 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 17,64,00 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.50 प्रतिशत था। वन वितान धनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत कोई क्षेत्र नहीं था, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 73600 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 1,02,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्वनिर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 10000 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

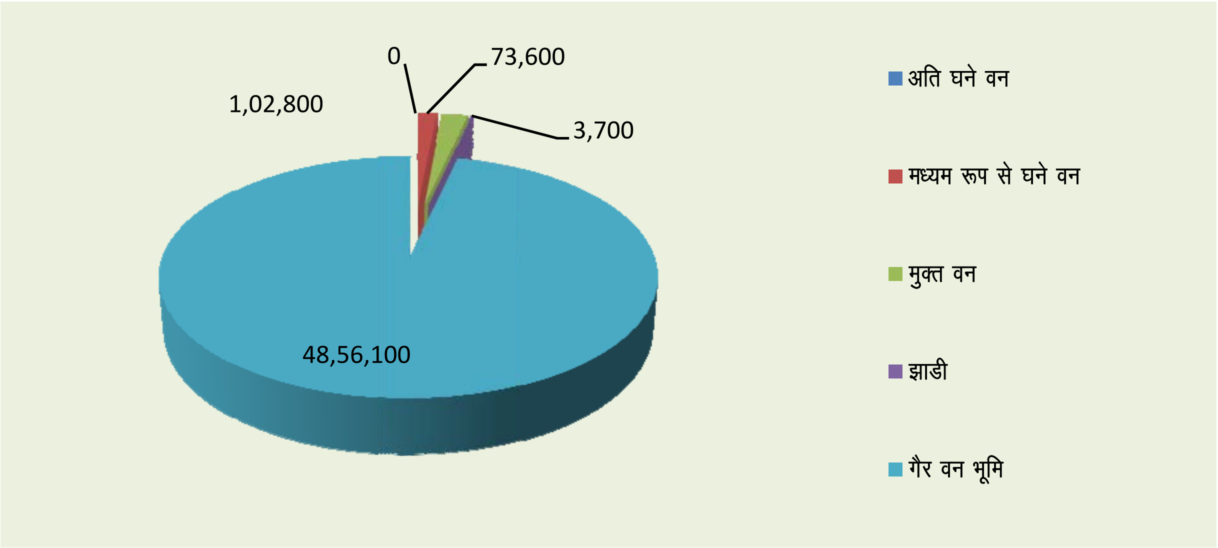

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा सितम्बर 2009 में गठित किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

[217] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[218] के पास निधियों का संचय
2006 से पहले	38.59	0	0	0
2006–07	63.01	0	0	0
2007–08	34.26	0	0	0
2008–09	31.17	0	0	0
2009–10	73.63	33.05	0	33.05
2010–11	28.02	26.52	14.83	44.74
2011–12	17.65	22.08	30.58	36.24
कुल	286.33	81.65	45.41	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 29 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया। एपीओ के प्रति जारी ₹ 81.65 करोड़ में से 44 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

पंजाब में लेखापरीक्षा के नोटिस में आया एन पी वीकी गैर वसूली का मामला नीचे दिया गया है। मामलें का सार अध्याय 3 की तालिका 24 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
401.05 है० वन भूमि के दो मामले[219] थे जिसमें उपयोग कर्ता एजेंसियों[220] से एनपीवी नहीं लिया गया जिनको अक्टूबर 2002 से पहले अनुमोदित किया गया तथा इसके बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया।	23.26[221]

[218] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[219] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (401.05x5.8)

[220] पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मै० कण्डी कैनाल

[221] इन मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कुल देय एन पी वी संतुलित आधार पर कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (401.05X5.8) अपनाते हुए लगाई गई।इन

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[222]		0	0		21.83	11.09		41.67	23.21
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0	1.53		0	5.15
संरक्षित वन[223]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		5.90	2.21		5.48	2.22
कुल	33.05	0	0	26.52	27.73	14.83	22.08	47.15	30.58

वर्ष 2009–10 में तदर्थ कैम्पा द्वारा बिना एपीओ के निधियां जारी की गई थी तथा वर्ष 2010–11 व 2011–12के लिए ए पी ओ संचालन समिति द्वारा छह महीने की देरी के बाद अनुमोदित किए गए। 2009–10 वर्ष के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा कोई व्यय नही किया गया। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में पिछले तीन वर्षों से प्रगामी वृद्धि हुई परन्तु यह कि राज्य की अवशेषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए (31 मार्च 2012) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 464.08 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी किए जा सकते हैं।

4.2 निधियोंके उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय जो राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा प्रधिकृत नहीं किया गया**	कैम्पा निधियां राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म बुनियादी ढ़ांचा निर्माण में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। तथापि नमूना जाँच में पाया कि वाहन इत्यादि की खरीद पर किया गया व्यय अन्य शीर्ष निधि के विपथन द्वारा किया गया। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013)कि वाहन इत्यादि की खरीद पर किया गया व्यय एपीओ में बनाए गए प्रावधानों से बाहर किया गया। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि अन्य शीर्षो से निधि का विपथन, वाहनों की खरीद के लिए किया गया, जो अनियमित है।	0.10
2	**निधि का**	पटियाला वन मण्डल में चेन लिंक फेंसिग के निर्माण के लिए वर्ष 2010–12 में ₹ 1.65 करोड़ मूल्य की कीमत की सामग्री की खरीद की। केवल ₹ 56.40	1.09

[222]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[223]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	अवरोधन	लाख मूल्य की सामग्री का उपयोग किया जा सका और ₹ 1.09 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री अप्रयुक्त थी। परिणामस्वरूप निधियों का अवरोध हुआ। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013 कि वित्त वर्ष 2013–14 में वन्य जीव अभयारण्य की चेन लिंक फेंसिंग को पूरा करने प्रयास किए जा रहे थे।	
3	अधिक व्यय	होश्यारपुर वन मण्डल ने 2010–11 में 125 आरकेएम सिंगल लिव हेज के निर्माण के लिए ₹ 7.13 लाख की अनुमानित लागत के प्रति 115 आरकेएम सिंगल लिव हेज के निर्माण पर ₹ 34.96 लाख का व्यय किया परिणामस्वरूप 10 आरकेएम सिंगल लिव हेज के भौतिक लक्ष्य की कम प्राप्ति के अतिरिक्त ₹ 27.83 लाख का अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एपीओ में किए गए प्रबंधन तथा बाद में संशोधित किए गए और प्रर्याप्त नहीं पाए गए क्योंकि "वैजिटोटिवलिव हैज" की दरें संशोधित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित दरें विना उचित तर्कसंगतता के थी।	0.28
4	अनियमित व्यय	रोपड़ वन मण्डल में 575 है. वन भूमि के निम्नीकृत वन का संवर्धन रोपण तथा सुधार का अग्रिम कार्य ₹ 56.15 लाख की लागत पर कराया गया परन्तु वास्तविक रोपण कार्य केवल 395 ह. पर किया गया और शेष 180 है. क्षेत्र बिना रोपण के रहा, परिणामस्वरूप किए गए अग्रिम कार्य पर ₹ 56.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 180 है. के अग्रिम कार्य के प्रति रोपण का कार्य मोहाली मण्डल द्वारा 2011–12 वर्ष के दौरान किया गया। मंत्रालय का उत्तर प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नही था।	0.56
5	निष्फल व्यय	दसूया तथा होश्यारपुर वन मण्डलों ने 2010–11 में वन क्षेत्र में आग बुझाने के फायर टेंडर के लिए ₹ 14.18 लाख के वाहनों की चैसिस खरीदी। तथापि चैसिस का उपयोग फायर टेंडर प्रतिष्ठापन के बाद ही किया जा सकेगा, अग्नि उपकरण/टेंडर दिसम्बर 2012 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप ₹ 14.18 लाख का व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि पहले से खरीदे गए चेसिंस पर फायर टेंडर लगाने के लिए टेंडर जारी किए जा रहें है तथा यह कार्य वित्तिय वर्ष 2013–14 तक पूरा कर लिया जाएगा।	0.15
	कुल		2.18

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[224]–2149.56 है0[225] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2190.49 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–1.51 है०
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2149.56 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2188.98 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र	उ0 न0
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2883.40 है० गैर वन भूमि पर–1.51 है०
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सी ए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर– शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वनभूमि	आरओ अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
आरक्षित/सरक्षण वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी राज्य कैम्पा व क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन मंत्रालय के दिये गये आंकड़ों में अनियोजित भिन्नता थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 2,149.56 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,190.49 है० तथा शून्य प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आरएफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	पीएसएफडीसी द्वारा निधियों का अनियमित टोका जाना	पंजाब सरकार ने नवम्बर 2011 में पंजाब राज्य वन विभाग निगम (पीएसएफडीसी) के माध्यम से वन विभाग की बावत प्रतिपूरक रोपण के लिए गैर वन भूमि की खरीद के लिए नीति बनाई। भूमि इस प्रयोजन हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई राशि से खरीदी जानी थी। पीएसएफडीसी ने गैर वानिकी उपयोग के लिए विपथित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि

[224]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[225]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		की खरीद के लिए 2010–12 वर्षों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 51.59 करोड़ प्राप्त किए। तथापि पीएसएफडीसी ने गैर वन भूमि की खरीद पर केवल ₹ 1.44 करोड़ का व्यय किया परिणामस्वरूप ₹ 50.15 करोड़ की निधियों का कम उपयोग हुआ, जिसे कैम्पा के खाते में जमा नही किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से पीएसएफडीसी के द्वारा वन भूमि के विपथन के बदले गैरवन भूमि की खरीद के लिए ₹ 51.49 करोड़ की निधि कैम्पा के दिशा निर्देशो के अर्न्तगत नही था। मंत्रालय का जवाब अस्पष्ट तथा भ्रामक था क्योंकि वन भूमि के विपथन के बदले जो राशि प्रयोक्ता एजेंसियों के द्वारा प्राप्त की गयी उसे कैम्पा के खाते में जमा किया जाना था।
2	**वन भूमि का अप्राधिकृत कब्जा**	अमृतसर वन मण्डल में 558 कैनाल 3 मरला वन भूमि निजी पाटियों के अप्राधिकृत कब्जे में है तथा गैर वन उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही है। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय नें बताया (अप्रैल 2013) कि अतिक्रमण की बेदखली के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10से 2011–12 तक के वर्षों के वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। उचित लेखाओं के अभावमें, इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावाराज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां है। तथापि, ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 2009–10 से 2011–12 वर्षो के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान लेखे तैयार कर लिए गए थे तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिए गए थे। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वार्षिक लेखे विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किए गए थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक होनी चाहिए। तथापि 2009–12 के वर्षो के दौरान आयोजित शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों से संबंधित कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

राजस्थान

1. पृष्ठभूमि[226]

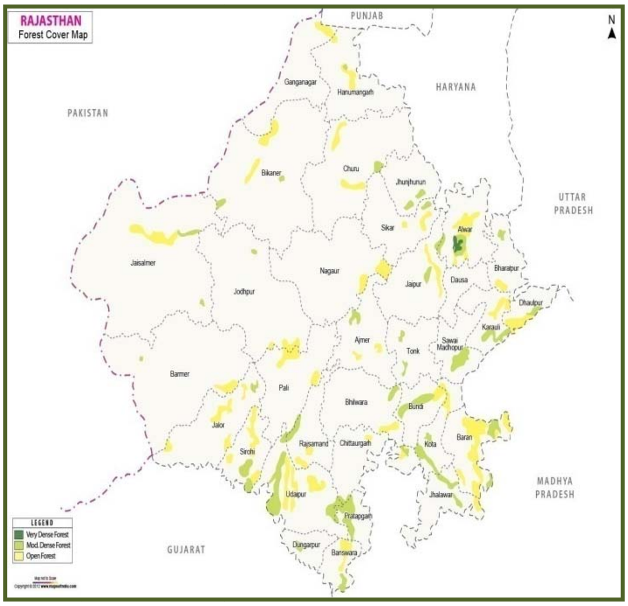

राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,23,900 हैक्टेयर था। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 16,08,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.70 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गो के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 7200 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अधीन 4,44,800 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अधीन 11,56,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व आकलन की तुलना करने पर, 2011 में ऑकलन में 5100 है० वन की कमी दशाई गई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

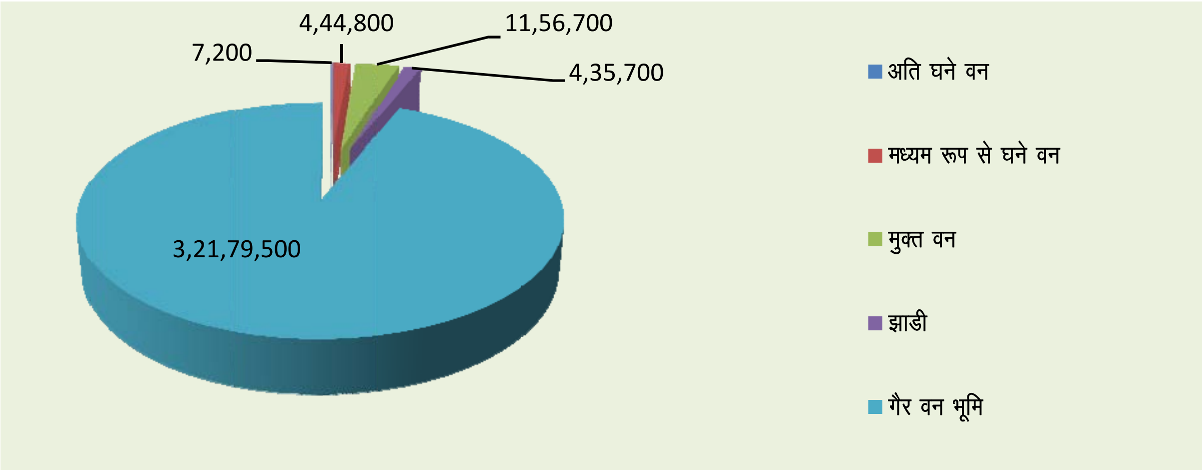

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

नवम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

---

[226] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[227] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	1.53	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	69.16	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	85.12	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	28.61	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	81.26	32.59	शून्य	32.59
2010–11	60.27	42.06	25.82	48.83
2011–12	28.80	31.89	37.18	43.54
कुल	354.75	106.54	63.00	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है जारी ₹ 106.54 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को ₹ 1.91 करोड़ रूपये प्रेषित नही किये गये तथा राज्य सरकार के खाते में जमा किये गये।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

राजस्थान में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले, जो लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इस मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	893.99 है० वन भूमि वाले 13 मामले[228] हुएथे जिसमें प्रयोक्ता एंजेंसियों[229]से एनपीवी को एकत्र नहीं किया गया, जिनको सैद्धान्तिक अनुमोदन अक्टूबर 2002 के पहले ही प्रदान किया गया था और उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की बकाया राशि को वसूलने का प्रयास किए जा रहे थे।	51.85[230]
2	तीन मंडलों[231] के चार मामलों में वन भूमि का विपथन ₹ 6.97 करोड़ के एनपीवी तथा ₹ 0.05 करोड़ के सीए वसूली के बिना किया गया था।	7.05
3	नमूना जांच के दौरान 84 मामलों में यह देखा गया था कि मजदूरी दरों का संशोधन न करने के कारण सीए कम निर्धारित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अप्रैल 2013) स्वीकार कर ली।	6.17
4	जयपुर (मध्य) वन मण्डल में यह पाया गया कि बदनपुरा, जयपुर में लक्षमण डंगरी के पास ईको	0.44

[227] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[228] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार
[229] ओरियंटल टाल्क प्रोडक्सन प्रा. लि., मै. उदयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिंडीकेट, श्री साह कस्तूर माल, विनोद के अग्रवाल, महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, मै. आरएसडीएमसी
[230] लेखापरीक्षा में रू 5.80 लाख/है० की न्युनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (893.99×5.8)
[231] चित्तौरगढ़, बारन और धौलपुर

क्रम सं.	विवरण	राशि
	टूरिज्म परियोजना के संबंध में 9.40 हे० विपथित वन भूमि के लिए चारदीवारी के निर्माण तथा वृक्षारोपण के लिए ₹ 0.44 करोड़ की वसूली नहीं की गई जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन सितम्बर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013)बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी से बकाया राशि को वसूलने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।	
5	नमूना जांच में पता चला कि निम्नलिखित परियोजनाओं में गिरे पेडों की लागत वसूल नहीं की गई थी। पण उदयपुर (मध्य) वन मण्डल में रोहिणी सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में 4.32 हे वन भूमि के विपथन की परियोजना पपण जयपुर (मध्य) मण्डल में घाट की गुणी के विकास तथा सुरंग के निर्माण की परियोजना मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि गिरते पेड़ों की लागत राज्य की प्राप्ति थी तथापि इस संबंध में अनुपालन को लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा।	 0.03 0.17
	कुल	65.71

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा कों आबंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[232]					22.83	18.12		30.27	23.75
प्रतिपूरक वनरोपण					5.25	3.98		11.59	8.41
संरक्षित क्षेत्र[233]					4.50	3.42		7.56	4.96
सीएटी प्लान					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0.98	0.30		2.57	0.06
कुल	32.59	शून्य	शून्य	42.06	33.57	25.82	31.89	51.99	37.18

[232] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च किया जाता है

[233] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्य जीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10 की निधियां बिना एपीओ के जारी की गई तथा वर्ष 2010–11 के एपीओ का अनुमोदन दिसम्बर 2010 में तथा वर्ष 2011–12 के एपीओ का अनुमोदन सितम्बर 2011 में संचालन समिति द्वारा किया गया। वर्ष 2009–10 में राज्य कैम्पा द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण राशि को राज्य कैम्पा खर्च नहीं कर सका। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण राशि की तुलना में व्यय के स्तर 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 61 प्रतिशत थे। यद्यपि गत तीन वर्षों में खर्च के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 857.07 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते है, को ध्यान में रख कर चिंताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों तथा एनसीएसी के द्वारा प्राधिकृत नहीं**	कैम्पा निधि का उपयोग राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म के ढाचे के संरचना में नहीं करना चाहिए था।तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय बिल्डिंग के रखरखाव पीओएल चार्ज तथा सेलुलरफोन चार्ज पर किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि वाहन खरीददारी इत्यादि पर व्यय वर्ष 2010–11 में किया गया जिसपर आपत्ति की गई थी तथा आगामी वर्षों में इन समानों पर व्यय राज्य कैम्पा में जमा पूंजी से अर्जित ब्याज से किया जा रहा था। मंत्रालय का जबाव तर्कसंगत नही था क्योंकि निधियों का व्यय उन कार्यकलापों पर नहीं किया गया जिसके लिये निर्मुक्त की गई थीं।	2.04
2	**चारदीवारी का अधिक निर्माण**	छः मामलों में 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ में चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्धारित दरों से अधिक खर्च किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार चारदीवारी में बाद के संशोधनों के कारण अधिक व्यय हुआ। जवाब तर्कसंगत नही है क्योकि अतिव्यय एपीओ में बने प्रावधानों से परे था तथा समर्थ अधिकारी से अनुमोदित नही था।	0.33
3	**गश्त वाहनों के व्यय का अनियमित प्रभार**	जयपुर (मध्य) वन मण्डल में गश्त वाहनों पर किया गया व्यय कार्यों, अर्थात रोपण, पक्की दीवार का निर्माण आदि पर एपीओ के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से प्रभारित किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कोई उत्तर नहीं दिया।	0.02
4	**मण्डल कार्यालयों को निधियों के निर्गम में विलम्ब**	28 वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि मण्डल कार्यालयों को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कारण 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान वन मण्डल द्वारा क्रमशः ₹ 4.13 करोड़ तथा ₹ 4.43 करोड़ की राशि उपयोग नहीं की जा सकी थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि पिछले साल की बचतों को उपचित ब्याज के साथ बाद के वर्ष में उपयोग किया जा रहा था।	

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही था क्योंकि निधियाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के लिए आंबटित की गई थीं जैसा अनुमोदित एपीओ में उल्लेख किया गया।	
	कुल		2.39

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[234]–8,152.66 है0[235] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,975.84 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 584.97 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,698.72 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 7,567.69 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार –1,277.12 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–273.72 है0 गैर वन भूमि पर–917.07 है0
क्षेत्र जिस पर सी ए किया गया एन ओ अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–914.95 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–645.32 है0

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में असंगत अन्तर थे। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि 8,152.66 है० थी और इसके जगह पर सात प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार आंकडा क्रमशः 2,975.84 है० तथा 57 प्रतिशत थे। आरओ के अभिलेखों के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित थी। जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित/परिवर्तित 914.95 है० गैर वन भूमि किया गया,में से केवल 645.32 है० गैर वन भूमि

[234] क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[235] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन तथा अनउपजाऊ भूमि पर कोई भी वनीकरण नहीं किया गया।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
अन्तिम (चरण–II) अनुमोदन के बिना वन भूमि का विपथन	i. चित्तौड़गढ़ में यह पाया गया था कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सैद्धान्तिक अनुमोदन की प्राप्ति के बिना 16.10 है0 वन भूमि भारतीय रेल को विपथित की गई थी और वन विभाग के पक्ष में 14.04 है0 गैर वन भूमि के हस्तांतरण बिना 30.00 है0 वन भूमि सिंचाई विभाग को विपथित की गई थी। ii. बारन में 52.30 है0 वन भूमि सिंचाई विभाग को चरण–II अनुमोदन के बिना विपथित की गई थी। iii. धौलपुर में ₹ 0.08 करोड़ का सीए प्राप्त किए बिना 13.00 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को विपथित की गई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि अंतिम अनुमोदन की कार्यवाहीजारी थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पीएजी के परामर्श के बिना राज्य कैम्पा की लेखाकरण प्रक्रिया 14 मार्च 2012 को राज्य सरकार ने अनुमोदित की।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की ऐसे अन्तराल, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, पर महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन (अप्रैल 2013) को स्वीकार किया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। राजस्थान कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12के दौरान छः बैठकों के प्रति दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुई। 2009–12 के दौरान शासी निकाय की केवल एक बैठक हुई।

सिक्किम

1. पृष्ठभूमि[236]

सिक्किम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 7,09,600 हैक्टेयर है। दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 3,35,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 47.34 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वर्ग के अन्तर्गत 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वने अन्तर्गत 2,16,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 69,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया।

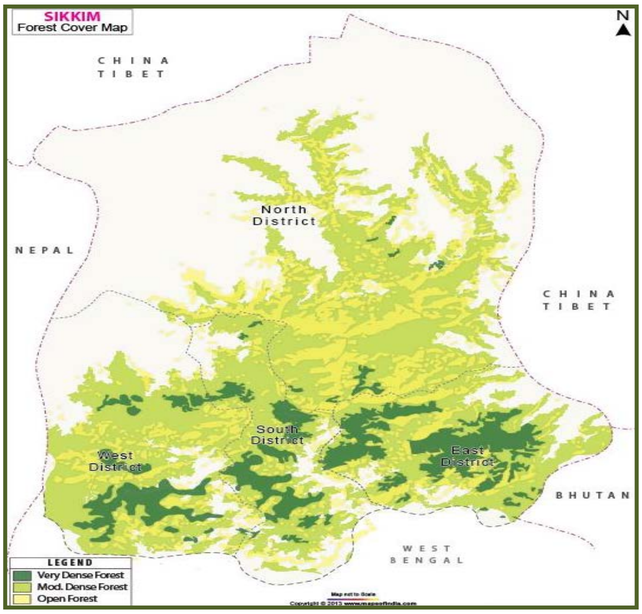

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर)– 2011

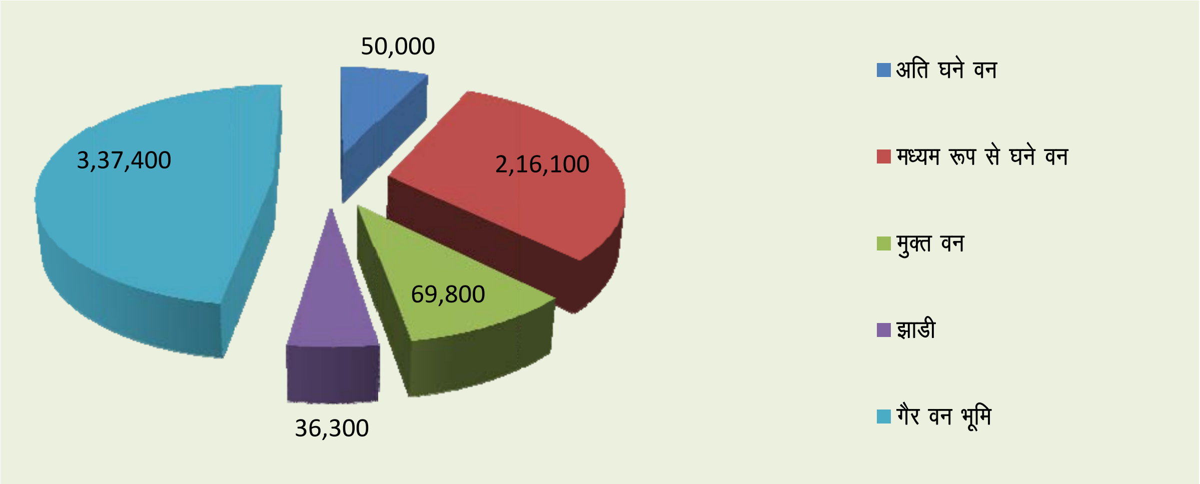

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा अगस्त 2009 में गठिन किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :–

[236]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[237] के पास निधियों का संचय
2006–07	11.60	शून्य	शून्य	
2007–08	34.36	शून्य	शून्य	
2008–09	24.79	शून्य	शून्य	
2009–10	47.64	8.01	4.43	3.58
2010–11	40.63	10.23	13.35	0.46
2011–12	19.84	9.04	10.07	(-)0.57
कुल	178.86	27.28	27.85	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के 15 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओं के प्रति जारी ₹ 27.28 करोड़ में से पूर्ण राशि का राज्य कैम्पा द्वारा उपयोग किया गया था।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

सिक्किम मेंएनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /अल्प वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए, का विवरण निम्नलिखित है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रं स.	विवरण	राशि
1	1992–93 से 2011–12 तक के बीच अनुमोदित गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के 25 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 30.34 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। प्रयोक्ता एजेंसियों में मै. सिक्किम ब्रेवरीज लिमि., आर्मी बीआरओ, राज्य सरकार विभाग जैसे डब्लयूएस एण्ड पीएचईडी , आरएम एण्ड डी डी, पर्यटन आदि शामिल थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) किएन पी वी की वसूली का मामला प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ उठाया जा रहा था।	30.34
2	2001–02 से 2011–12 तक की अवधि से समबंधित वन भूमि के विपथन के 23 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 8.22 करोड़ का सीए वसूल नहीं किया गया था। प्रयोक्ता एजेंसियों में मै. सिक्किम ब्रेवरिज लिमिटेड, आर्मी, बीआरओ, राज्य सरकार विभाग जैसे डब्ल्यूएस एण्ड पीएचईडी, आरएम एण्ड डीडी, पर्यटन आदि शामिल थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि मामला प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ द्वाराउठाया जा रहा था।	8.22
	कुल	38.56

[237] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[238]		उ. न.	1.66		उ. न.	1.92		उ. न.	1.88
प्रतिपूरक वनरोपण		उ. न.	1.35		उ. न.	1.50		उ. न.	2.24
संरक्षित क्षेत्र[239]		उ. न.	0.05		उ. न.	0		उ. न.	0.55
सीएटी योजना		उ. न.	1.37		उ. न.	9.93		उ. न.	5.40
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		उ. न.	0		उ. न.	0		उ. न.	0
कुल	8.01	उ. न.	4.43	10.23	उ. न.	13.35	9.04	उ. न.	10.07

2009–12 के एपीओ पांच से 10 महीनों के विलम्ब के बाद अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2009–10 में व्यय तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों का 55 प्रतिशत था। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में 2009–10 से 2011–12 में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परंतु यह कि राज्य (31 मार्च 2012) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 202.45 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधि के उपयोग की अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	एन सी ए सी तथा स्टेट कैम्पा दिशानिर्देशों द्वारा व्यय का अधिकृत न होना	राज्य वन मुख्यालयतथा इको–टूरिज्म पर ढाचा निर्माण के लिए कैम्पा निधि प्रयोग नहीं की जानी चाहिए यद्यपि जांच परीक्षा ने यह उजागर किया कि वाहनो की खरीद पर किया गया व्यय (₹ 0.25 करोड) वन संचिवालय इमारत की बाड तथा इसका विस्तार, डी एफ ओ आवास तथा कार्यालयों की मरम्मत तथा वन क्वाटरो का सहायक संरक्षकआदि पर व्यय (₹ 1.99 करोड़) किया गया। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में लेखापरीक्षा का अवलोकन स्वीकार किया।	2.24
2	अतिरिक्त व्यय	जनवरी 2006 से मई 2008 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पांच विद्युत एजेंसियों द्वारा हाइडल परियोजनाओं के निर्माण के लिए 236.73 है० वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया था। अनुमोदित शर्तों के अनुसार सीएटी कार्यक्रम को तीन से पांच साल की अवधि के दौरान पूर्ण	1.89

[238]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च की जाती है।
[239]संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती हैं।

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		करना था। तथापि कार्य के निष्पादन में तीन वर्षों तक का विलम्ब हुआ जिसके कारण परियोजनाओं में ₹ 1.89 करोड़ तक लागत वृद्धि हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि अति व्यय, मजदूरी तथा सामान की कीमतों में बढोतरी के कारण हुई।	
3	अधिक व्यय	राज्य कैम्पा ने सी ए पी टी के अन्तर्गत 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के एपीओ में अनुमोदित से अधिक दरों पर खर्च किया परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से यह अनुरोध किया गया कि सी ए टी योजना के शेष भाग के लिए अंतर राशि का भुगतान करें।	1.15
4	लाभ से वंचित करना और निधियों का अवरोधन	ईंधन लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने से उन्हें रोकने के लिए लाभार्थियों को वितरण हेतु 2009–10 के दौरान 193 एलपीजी गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम, सिक्किम (एसटीसीएस) को राज्य कैम्पा ने ₹ 8.99 लाख का अग्रिम भुगतान किया। तथापिएसटीसीएस द्वारा एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं की गई थी इस प्रकार अभिप्रेत लाभार्थी लाभों से वंचित हो गए थे तथा ₹ 8.99 लाख की निधि एटीसीएस के पास अवरूद्ध रही। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2013)	0.09
5	जैव विविधता तथा वन्यजीव के संरक्षण तथा सुरक्षा की योजनाएं लागू न करना	वन्यजीव अभयारण्य (2008–09 एवं 2009–10) 20.89 है. भूमि विपथन के लिए विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 9.29 करोड़ (एनपीवी ₹ 6.55 करोड़, सीए ₹ 1.70 करोड़ तथा वन्यजीव /जैवविविधता संरक्षण तथा प्रबंधन योजना (बीसीएमपी) ₹ 1.04 करोड़) की प्राप्ति के बावजूद जैवविविधता तथा वन्यजीव की सुरक्षा के कार्यकलाप केवल ₹ 16.42 लाख तक सीमित था। संरिक्षत क्षेत्र में सुरक्षा तथा संरक्षण के कार्यकलाप न करने के कारण लिखित में नहीं थे। मंत्रालय (अप्रैल 2013) कहा कि तदर्थ कैम्पा से निधि कम प्राप्त होने के कारण, कुछ मामलों में प्रतिबंधित क्षेत्र में और अधिक संरक्षण सुरक्षा गतिविधियां नहीं की जा सकी। उत्तरी सिक्किम में तीस्ता स्टेज–III हाइडोइलैक्टिक पावर प्रोजेक्ट के सुरक्षित क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्र से सटे हुए वन्य जीव बहुल्य क्षेत्र में जैविविधता संरक्षण कार्य जारी है तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि जारी न करने से जैवविविधता तथा वन्य जीव सुरक्षा की गतिविधियां नही जा सकी।	
6	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अलग बैंक खाता न खोलना	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, के अन्तर्गत जैव विविधता तथा वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित कार्यकलाप करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संग्रहित निधियों के लिए राज्य कैम्पा ने अलग बैंक खाता नहीं खुलवाया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, के अर्न्तग समग्रनिधि के लिए बैंक खाता तदर्थ कैम्पा तथा राज्य वन विभाग को मंत्रणा के बाद खोला जाएगा।	

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
7	**पेड़ो की गणना से संबंधित अभिलेखों का न बनाया जाना**	वन विभाग के क्षेत्रीय मंडल विद्यमान पेडों की गणना करने, प्रभावित वन क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए प्रति पूरक वन रोपित किए जाने वाले पेडों की संख्या तथा किस्म से संबंधित मानकों, रोपित किए जाने वाले पेडों की प्रजातियों के प्रकार तथा संख्या का विशेष उल्लेख करने आदि के लिए उत्तरदायी थे। तथापि वन विभाग के क्षेत्रीय मंडल में कोई गणना नहीं की गयी तथा कोई अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि इस प्रकार परियोजना के गणना रजिस्टर में पेडों को प्रभावित किया तथा परियोजना के अलग रिकार्ड को राज्य नोडल कार्यालय में अनुरक्षित किया जा सकता था।	
8	**जलग्रहण क्षेत्र संसाधन (सीएटी) परियोजना का विलम्बित कार्यान्वयन**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा चूजाचेन, रोंगली मे 99 मे०वा० चूगाचेन हाइड्रों इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 7.46 है० वन भूमि का विपथन जनवरी 2006 में अनुमोदित किया। तदनुसार ₹ 1.69 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा के जीआईएल द्वारा अंतरित की गई थीं (मार्च 2007)। पर्यावरण निर्बाधन की शर्तों के अनुसार सीएटी योजना परियोजना के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर अर्थात जनवरी 2009 तक पूर्ण की जानी थी। संवीक्षा में पता चला कि प्रथम चरण से संबंधित कार्य परियोजना के अनुमोदन के तीन वर्ष बाद 2009–10 के दौरान आरम्भ किया गया। दूसरे मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डैन्स इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डीईपीएल) द्वारा दक्षिण तथा पश्चिम सिक्किम में 96 मे०वा० जोरेथंग लूप हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजक्ट के निर्माण के लिए 32.05 है० वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया (मई 2008) । तदानुसार मार्च 2008 में ₹ 1.37 करोड़ डीईपीएल द्वारा राज्य कैम्पा को अंतरित किया गया पर्यावरण निर्वाधन के शर्तों के अनुसार सीएटी योजना को अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर पूरा करना था तथापि यह देखा गया था कि प्रथम चरण से संबंधित कार्य एक वर्ष के विलंब के साथ 2009–10 के दौरान आरम्भ किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने अपर्याप्त निधि को सीएटी के कार्यान्वयन में देरी को जिम्मेदार ठहराया।	
9	**राज्य सरकार द्वारा वनरोपण योजना के कार्यान्वयन का भार तदर्थ कैम्पा पर डालना**	2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन 2006–07 की तुलना में एक प्रतिशत तथा शून्य प्रतिशत था। इस प्रकार राज्य सरकार ने वनरोपण योजना के कार्यान्वयन में तदर्थ कैम्पा पर सम्पूर्ण भार डाल दिया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि राज्य बजट में सीए के रखरखाव की लागत लगातार कम होती गई तथा वर्ष 2011–12 से राज्य बजट में सी ए का आवंटन बंद हो गया।	
	कुल		**5.37**

5. भूमि प्रबंधंन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[240]–351.54 है.[241] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,359.91 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –351.54 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,359.91 है.
सम्बद्ध गैर वनभूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	1,359.91 है. वनभूमि के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। तथापि मुख्य उसकी सचिव द्वारा एकवार प्रमाणपत्र जारी किए गए थे और उसकी जेरोक्स प्रति गैरवन भूमि की अनुपलब्धता के शेष मामलों में उपयोग की गई थी।
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2,306.21 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
क्षेत्र जिस पर सीए किया गया एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 511.09 हैक्टेयर गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

तालिका से स्पष्ट है, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केसम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी तथा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों में गैर सामंजस्य था आर ओ के रिकार्ड के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 351.54 है० तथा गैर वन भूमि को इसके बदले शून्य प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि एनओ के आकडों के अनुसार 1359.91 है० तथा शून्य प्रतिशत था। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तानान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गयी थी एनओ के रिकार्ड के अनुसार कोई गैर वन भूमि पर तथा निम्नकृत वन भूमि पर वृक्षारोपित किया जाने वाले क्षेत्र के 22 प्रतिशत भाग पर वन रोपित किया गया।

[240] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[241] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
मुख्य सचिव के प्रभाव प्रमाणपत्र का सत्यापन न करना	राज्य कैम्पा ने मूल प्रमाण पत्रों के बिना क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव भेजे और इसके स्थान पर नेमी रूप में पहले जारी प्रमाणपत्र की फोटो प्रति भेजी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) किमामला का एक ही प्रयोजन से संबंधित होने के कारण प्रत्येक विषय के लिए मुख्य सचिव से अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करना संभव नहीं था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योकि वन भूमि का विपथन मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के बिना किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जानी थी जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की इसके आय तथा व्यय की यथा तथ्यता की लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा संचालन के लिए शक्तियां थी। यद्यपि ऐसा कोई लेखपरीक्षा संचालित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि लेखे तैयारी का कार्य सीएएस को सौंपा गया तथा जितनी जल्दी सीएएस द्वारा लेखा तैयार हो जाएगा उसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। सिक्किम कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति तीन बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई।

तमिलनाडु

1. पृष्ठभूमि[242]

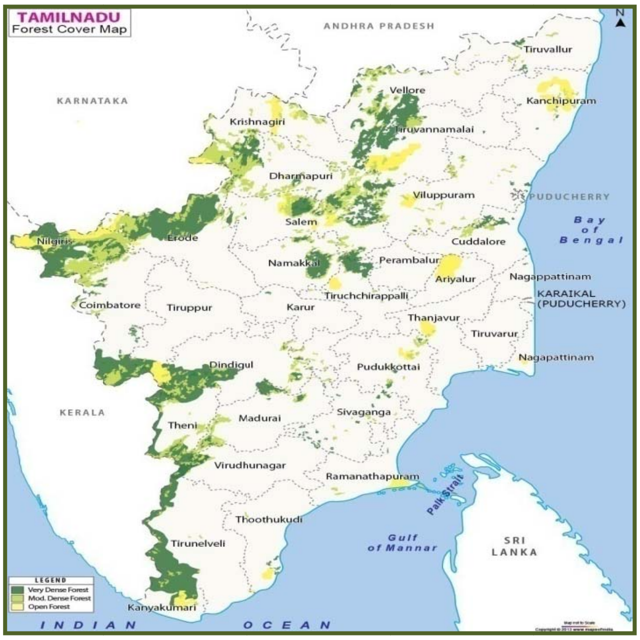

तमिलनाडू का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,30,05,800 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–मई 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 23,62,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 18.16 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 2,94,800 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 10,32,100 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 10,35,600 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 4600 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

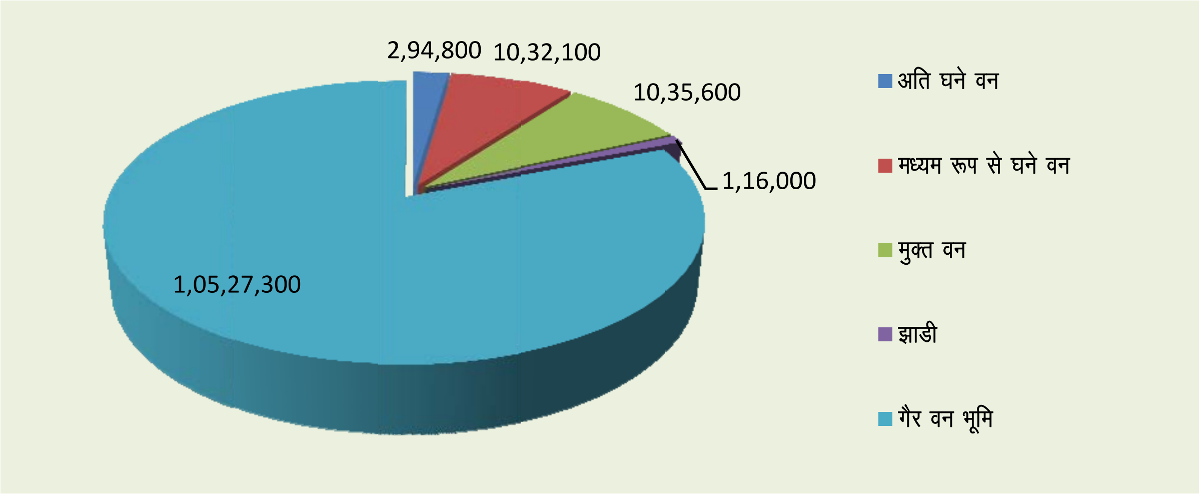

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

राज्य कैम्पा सितम्बर 2009 में गठित किया गया। 2006–07 से 2011–12 कि अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषिति निधि, तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को दी गई निधि तथा किए व्यय का विवरण निम्नलिखित है–

[242] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[243] के पास निधियों का संचय
2006–07	2.00	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	7.56	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	9.56	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	3.53	1.97	शून्य	1.97
2010–11	0.97	1.70	0.67	2.00
2011–12	3.40	1.38*	1.31	2.07
कुल	27.02	5.05	2.98	

*जून 2012 में ₹ 1.38 करोड़ की राशि प्राप्त हुई

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियोंका 19 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओ के बिना जारी ₹ 5.05 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रही जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 19.45 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई तथा सरकारी खाते में जमा कर दी गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के नोटिस में तमिलनाडु में एन पी वी/सी ए/पी सी ए आदि के गैर वसूली/कम वसूली का मामला नीचे दिया गया है।इन मामले का सार अध्याय 3 की तालिका 24 व 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क सं.	विवरण	राशि
1	यहां 107.40 है० मे शामिल सात[244] मामले थे जिनमें एनपीवी, प्रयोक्ता एजेंसियों[245] से इकटठा नहीं किए गए जिनको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया तथा अक्टूबर 2002 से पहले अंतिम अनुमोदन मिला। मंत्रालय ने कहा(अप्रैल 2013) कि संबंधित डीएफओ द्वारा मामले का अनुसरण किया गया। (अप्रैल 2013)	6.23[246]
2	₹ 0.37 करोड़ का एनपीवी (वन्यजीव वार्डन, चेन्नई ₹ 0.25 करोड, डीएफओ नीलगिरि दक्षिण – ₹ 0.08 करोड़ तथा डीएफओ, शिवगंगा ₹ 0.04 करोड़) तथा ₹ 0.87 लाख की शिवगंगा डी एफ ओ से सीए की अल्प वसूली की गई। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि इन मामलों में एनपीवी/सीए इत्यादि का अल्प संग्रह नही	0.37

[243] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[244] 16 मार्च 2012 को जारी एमओईएफ की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार
[245] बल्लाकल जलाशय, वरात्तर जलाशय
[246] लेखापरीक्षा द्वारा कुल एनपीवी की राशि सामान्य रूप से ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से निकाली गई है (107.40 x 5.8)

क सं.	विवरण	राशि
	हुआ। यद्यपि, उत्तर का संबंधित दस्तावेजों से समर्थन नहीं किया गया।	
3	₹ 0.17 करोड का पीसीए उदागई नगरपालिका से अप्राप्त रही। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग पीसीए की वसूली के मामले को प्रयोगकर्ता एजेंसी के साथ अनुसार कर रहा था।	0.17
4	वन्यजीव वार्डन चेन्नई द्वारा पीसीए वसूल नहीं किया गया, यह तथ्य जानते हुए भी प्रयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा औपचारिक अनुमोदन से पहले भी काम किया जा रहा था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि पीसीए की वसूली, प्रयोगकर्ता एजेंसी से, अंतिम अनुमोदन में शामिल नहीं की गई अतः मंत्रालय ने स्वीकार किया पीसीए की वसूली प्रयोक्ता एंजेसियों से नहीं की गई।	
	कुल	6.77

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौर

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[247]		0	0		0.66	0.66		0.42	0.43
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0.60	0.56		0.96	0.87
संरक्षित वन		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		0.49	0.45		0.05	0.01
कुल	1.97	0	0	1.70	1.75	1.67	1.38	1.43	1.31

वर्ष 2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधि बिना एपीओ के थी बिना उद्देश्य या लेखा के शीर्ष को उल्लिखित किए विना जिसके लिए यह जारी किए गए थे। 2011–12 वर्ष के लिए निधि माह जून 2012 में प्राप्त की गई। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 33.95 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है को ध्यान में रख कर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंताए शेष रहती है और विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं।

[247] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**अनियमित व्यय**	₹ 0.48 करोड़ की राशि कुछ मदों, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत की गई थीं, पर 2010–11 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा खर्च की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि इन मदों (3 वन विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षण कक्ष का विस्तार, प्रयोगिक इनफारमेशन सिस्टम प्रयोगशाला में आधारभूत सुविधाएं तथा राज्य कैम्पा कक्ष के लिए) पर खर्च धारित जमाओं पर अर्जित ब्याज से पूरा किया जाए। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा किकथित मदों को संचालन समिति के नोटिस से उचित आदेश/अनुसर्मथन की बैठक के दौरान सामने लाया जाएगा।	0.48
2	**व्यय करना जो एपीओ/माडल अनुमान के अन्तर्गत नही आता**	बचत से ₹ 0.26 करोड की राशि का एपीओ में अस्वीकृत कार्यों पर व्यय किया गया तथा ₹ 0.10 करोड रूपए में की राशि माडल अनुमान में नहीं शामिल कार्यों पर की गई। इस प्रकार ₹ 0.36 करोड़ का व्यय एपीओ में बिना किसी प्रावधान किया गया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग को मामले का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।	0.36
3	**भूमियुक्त कराने के लिए सीए निधियों का अनियमित विपथन**	₹ 0.15 करोड़ की सी ए की राशि कार्य के लिए डी एफ ओ का काचीपुरम को जारी की गई थी जो कि सी ए के लिए अभी ज्ञान भूमि के स्थान पर अतिकमित विकशित भूमि में सी ए कार्य के लिए राज्य कैम्पा द्वारा डी एफ ओ तिरूबल्लूर को भूमि विपथित की गई थी। इनमें से ₹ 0.06 करोड़ सितम्बर 2012 तक व्यय किए जा चुके थे। मंत्रालय ने कहा(अप्रैल 2013) कि मामले अतिक्रमणकी पुनरावृत्ति को टालने के लिए वनीकरण पर व्यय किया गया। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य पर आधारित नहीं था कि व्यय वनीकरण पर किया गया परन्तु यह अतिक्रमण की बेदखली पर किया गया।	0.15
4	**भुगतान वाउचर का ना देना**	मार्च 2011 में ग्राम वन परिषद को भुगतान के लिए ₹ 0.04 करोड़ तथा ₹ 0.01 करोड़ के भुगतान वाउचर राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग ने राज्य कैम्पा को प्रासंगिक वाउचर प्रस्तुत कर दिया है। तथ्य यह है कि इन वाउचर को अब तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है।	0.05
	कुल		**1.04**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[248] के अभिलेखों के अनुसार–269.33 है0[249] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–323.09 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–230.01 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–230.95 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–39.32 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–92.14है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–147.51 है0 गैर वन भूमि पर–226.95 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–66.97 है0(2008–09) गैर वन भूमि पर–144.12 है०
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–226.95 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–57.01 है0

जैसा कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केसम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी तथा द्वारा दिये गये आंकडों भिन्नताएं थीआरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु विपथित वन भूमि 269.33 हैक्टेयर थी और बदले में व्यक्त गैर वन भूमि 85 प्रतिशत थी। जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार यह संख्या 323.09 हैक्टेयर एवं 71 प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांतरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 226.94 है० में से 57.01है०गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित/प्रतिवर्तित की गई थी, जो कि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित थी। एन ओ के अभिलेखाओं के अनुसार 144.12 है० गैर वन भूमि पर वनरोपण किया गया और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किये जाने वाले क्षेत्र का 45 प्रतिशत था।

मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि शेष क्षेत्रों में सीए सूचीबद्ध तरीके से किया जाएगा।

---
[248] क्षेत्रीय कार्यलय (आर ओ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं नोडल अधिकारी (एन ओ) राज्य वन विभाग
[249] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन भूमि का अप्राधिकृत विपथन**	वडकू पचयारीकर जलाशय का 1996–2003 के दौरान तिरूनेलवेली जिले में 191.60 है0 वन भूमि पर अप्राधिकृत रूप से निर्माण किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ₹ 19.17 करोड़ का एनपीवी/पीसीए/सीए आदि और ₹ 1.78 करोड़ के जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना (सीएपीटी) प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करने के लिए जुलाई 2005 में पूर्वप्रभावी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान मामले में ₹ 19.17 करोड़ का एनपीए/पीसीए/सीए राज्य वन विभाग से वसूल नहीं हुआ और राज्य वन विभाग के पास जमा ₹ 1.78 करोड़ के सीएटीपी प्राप्य की राशि फसल कृषि कार्य शीर्ष को गलतरूप से वर्गीकृत तथा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई इस प्रकार परियोजना का निष्पादन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि प्रयोक्ता एजेसियों एन पी वी/सी ए से ₹ 19.17 करोड की वसूली तथा अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निदेश दिए। इस संबंध में यह कहा गया कि तदर्थ कैम्पा से ₹ 1.78 करोड़ के गैर प्रेषित की कार्यवाही की जा रही थी।
2	**द्वितीय चरण अनुमोदन की अनियमित मंजूरी**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2.91 है0 गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना पुलीकट झील पर उच्च स्तर पुल के निर्माण के लिए 1.46 है0 वन भूमि के विपथन का द्वितीय चरण अनुमोदन दिया। गैर वन भूमि के मामलों में गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना द्वितीय चरण अनुमोदन की मंजूरी अनियमित थी। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा किप्रयोक्ता एजेंसियों से गैर वन भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।
3	**पांच वर्षों तक वन भूमि का संग्रहण**	रेडियो एस्ट्रोनामी सेंटर ऊटी को 21 सितम्बर 1966 से 20 सितम्बर 1991 तक 25 वर्षों के लिए पटटा आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27.51 है0 वन भूमि का विपथन मंजूर किया गया था। 5 वर्षों का अन्तराल छोडकर 21 सितम्बर 1996 से पन्द्रह वर्षों के लिए पट्टा का नवीनीकरण किया गया। इस प्रकार 27.5 हैक्टेयर भूमि पट्टा धारी के अधिकार में 5 वर्षों तक अप्राधिकृत रही। एक अन्य मामले में राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि उडगमण्डल नगरपालिका को 1992 तक पटटा आधार पर 2.23 है0 वन भूमि का विपथन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया था। उसके बाद पटटा का नवीकरण नहीं किया गया था। अगस्त 1994 में नीलगिरिज साउथ रेंज द्वारा यह सूचित किया गया था कि उडगई नगरपालिका ने मूलपटटाकृत 2.02 है0 भूमि के प्रति ठोस अपशिष्ट डालने के लिए 4.80 है0 आरएफ भूमि पर अधिकार कर लिया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया था। उसके बाद पटटा का नवीकरण नहीं किया गया था कि उडगई नगरपालिका ने मूल पटटाकृत 2.02 है0 भूमि के प्रति ठोस अपशिष्ट डालने के लिए 4.80 है0 आरएफ भूमि पर अधिकार कर लिया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अगस्त 2007 में नगरपालिका को 6.07 है0 वन भूमि के विपथन के लिए प्रथम चरण अनुमोदन मंजूर किया। शर्तों, यथा गैर वन भूमि का हस्तान्तरण और नगरपालिका द्वारा पीसीए आदि प्रेषित नही करना, का अनुपालन न करने के कारण द्वितीय चरण

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		अनुमोदन मंजूर नहीं किया जा सका। इस प्रकार 4.80 है0 वन भूमि अठारह वर्षों के लिए अप्राधिकृत रूप से पटटाधारी के अधिकार में रही। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि पट्टा के नवीकरण के लिए कार्यवाही की जा रही थी। इस संबंध में उडगई नगरपालिका द्वारा वनभूमि का अनधिकृत कब्जे के बारे में कहा गया कि संबंधित वन विभाग मामले का अनुसरण प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ कर रहा है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य कैम्पा की लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे।तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वार्षिक लेखे निर्धारित फार्मेट में तैयार नहीं किए गये। ऐसा पाया गया कि तदर्थ कैम्पा को 2009–10 तक के लिये ₹ 22.65 करोड़ प्रेषित किये गये ₹ 0.32 करोड़ की राशि तदर्थ के पास मिलान के लिए पड़ी थी। 2010–11से 2011–12 के वर्षो का मिलान नहीं किया गया था। क्षेत्र अधिकारियों को जारी निधि का राज्य कैम्पा द्वारा बैंक मिलान भी नहीं किया गया।

इसके अलावा, राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा के विशेष लेखा परीखा या निष्पादन लेखा परीक्षा आयोजित करने की शक्ति थी, तथापि ये लेखापरीक्षा आयोजित नही की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी थी। तमिलनाडू कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल दो बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठक हुई।

त्रिपुरा

1. पृष्ठभूमि[250]

त्रिपुरा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 10,49,100 हैक्टेयर है। जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 7,97,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 76.04 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 10,900 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 4,68,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 3,18,200 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में 2011 निर्धारण में 800 हैक्टेयर कमी पायी गई।

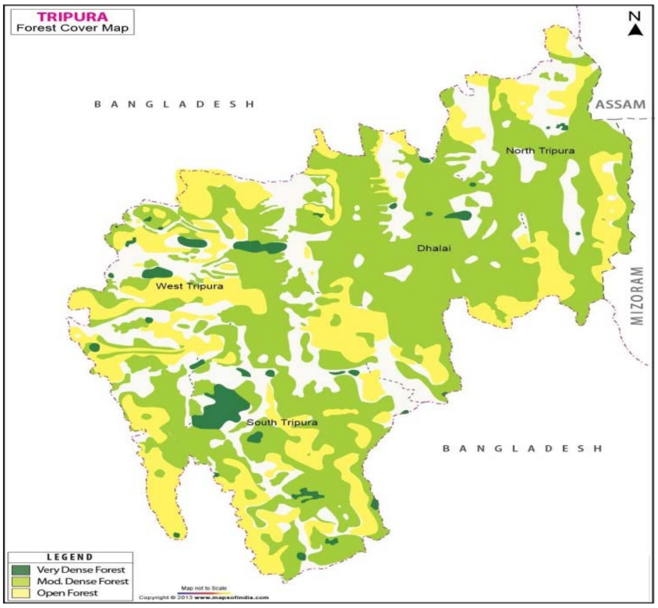

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

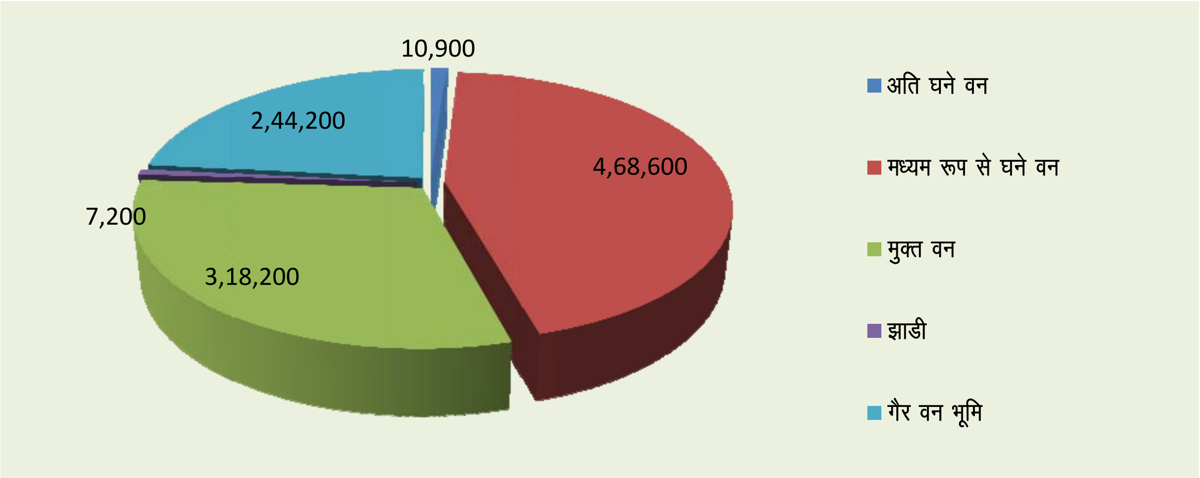

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा का गठन अक्टूबर 2009 में किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषिति निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए व्यय का विवरण निम्नलिखित है

[250]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[251] के पास निधियों का संचय
2006–07	9.67	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	4.53	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	2.78	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	2.19	3.54	शून्य	3.54
2010–11	34.23	2.58	0.54	5.58
2011–12	4.03	शून्य	1.39	4.19
कुल	57.43	6.12	1.93	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के 11 प्रतिशत 2009–12 के बीच ₹ 6.12 करोड़ एपीओ के प्रति जारी किए गए थे, 68 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

त्रिपुरा में गैर वसूली एनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा में देखने में आए, नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 और 26 में भी दिया गया है।

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	यहां 5,741.55 है० की वन भूमि के साथ शामिल 16 मामले[252] है जिनमें एनपीवी प्रयोग कर्ता एजेंसियों[253] से इकट्ठे नहीं किए गए जिनको अक्टूबर 2002 से पहले अनुमोदन दिया गया तथा अंतिम अनुमोदन इसके बाद मिला।	333.01[254]
2.	एक्सपर्ट समिति की सिफारिश पर मार्च 2008 से उच्चतम न्यायालय ने एनपीवी की दरों को पुनरीक्षित किया। यद्यपि चार वन मण्डलों[255] की जांच परीक्षा ने उजागर किया कि 12 मामलों में एनपीवी को पुनरीक्षित दर पर इकट्ठा नहीं किया गया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि प्रयोगकर्ता एजेंसियों से बाकी एनपीवी की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी थी।	0.18
	कुल	333.19

[251] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[252] 16 मार्च 2012 को जारी एमओईएफ की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
[253] रबर प्लानटेशन गैस बेस्ड काम्बी नेड साइकिल पावर प्रोजेक्ट, गोवमेंट एजेंसिस
[254] सामान्य लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल राशि ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से अनुमानित की गई है (5,741.55 x 5.8)
[255] तेलीमुरा, बागफा, वेस्ट एण्ड त्रिष्मा।

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारी जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[256]					2.30	0.54		2.24	1.31
प्रतिपूरक वनरोपण					0.09	0		0.26	0.08
संरक्षित क्षेत्र[257]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0	0		0	0
कुल	3.54	शून्य	शून्य	2.58	2.39	0.54	शून्य	2.50	1.39

*लेखापरीक्षा में आवंटन तथा व्यय के आंकडे केवल छः मंडलों के संबंध में हैं। सम्पूर्ण राज्य की सूचना नोडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

वर्ष 2009–10 के एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं। वर्ष 2010–11 का एपीओ अक्तूबर 2010 में प्रस्तुत किया गया था ओर दस माह के विलम्ब के बाद जनवरी 2011 में निधियां जारी की गई थीं।

तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 9 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2010–11 तथा 20011–12 में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है परंतु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 92.73 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है, इसे देखते हुए राज्य की अवशोषी क्षमता पर प्रश्न उठता है तथा यह राशि केवनल वन संबंधित विशेष कार्यो के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
निधियों के आवंटन से अधिक व्यय	निर्देश तथा प्रशासनिक मंडल, अगरतला ने 2011–12 के एपीओ में ₹ 0.04 करोड़ के प्रावधान के प्रति टीए पर रू. 0.07 करोड़ का व्यय किया और सदर वन मंडल ने ₹ 0.06 करोड़ के प्रावधान के प्रति टीए पर ₹ 0.08 करोड़ का व्यय किया और अन्य कार्यकलापों से निधियों के विपथन द्वारा 2011–12 के एपीओ में ₹ 0.13 करोड़ के प्रावधान के प्रति वन संरक्षण तन्त्र को सुदृढ़ करने पर ₹ 0.22 करोड़ का व्यय किया।	0.14

[256]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[257]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कहा कि व्यय, एपीओ में बनाए गए प्रावधान में ही किया गया। उत्तर इस तथ्य पर आधारित नहीं था कि उपरोक्त मुख्य पर किया गया व्यय, एपीओ में अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए प्रावधानों से निधि विपथन कर किया गया।	

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[258] के अभिलेखों के अनुसार – 191.42 है[259] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –696.22 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 10.91 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 10.95 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 180.51 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 685.27 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र एनओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 1,597.45 है. गैर वन भूमि पर – 10.95 है.
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया एनओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 80.00 है. गैर वनभूमि पर – शून्य
प्राप्त गैर वन भूमिहस्तान्तरित / परिवर्तित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 10.95 हैं
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए सूचना में पर्याप्त भिन्नताएं है।क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 191.42 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 6 प्रतिशत थी जबकि नोडल अधिकारी के अनुसार आँकड़े 696.22 हैक्टेयर तथा 2 प्रतिशत था। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित नहीं की गई तथा कोई भी वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई।नोडल अधिकारी के अनुसार 10.95 हैक्टेयर गैर वन भूमि जो वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित हुई, इसमें से कोई भी वन भूमि आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित नहीं की गई।एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर किसी भी प्रकार का वन रोपण नहीं किया गया तथा वन रोपण निम्न वन भूमि पर किया गया जो वनरोपण भूमि क्षेत्र का 5 प्रतिशत था।

[258]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) तथा नोडल राज्य वन विभाग का अधिकारी (एनओ)।
[259]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	2006–12 के दौरान 124 मामलों में 696 है. वन भूमि के विपथन बदले 1,608 है भूमि (1,597 है वन भूमि तथा 11 है. गैर वन भूमि) पर सीए किया जाना था। तथापि वर्ष 2006–07 में ₹ 0.17 करोड़ की लागत पर 60 है वन भूमि के केवल दो मामलों में सीए किया गया था। उसके बाद गत पांच वर्षों 2007–2012 के दौरा कोई सीए नहीं किया गया। आगे 2010–11 के ए.पी.ओ. में केवल ₹ 0.09 करोड़ का प्रावधान किया गया था और 2011–12 के एपीओ में सीए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि राज्य में सीए कार्यकलापों की अनदेखी की गई थी।मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कहा कि राज्य कैम्पा द्वारा सीए नही किया गया क्योंकि कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था। यह उत्तर राज्य सरकार की सीए गतिविधियों को लेकर निम्न प्राथमिकता दर्शाता है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसे वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय के अनुसार (अप्रैल 2013) वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए राज्य कैम्पा के वार्षिक लेखओं की रिपोर्ट तैयार किए जा रहे थे, तथा शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। त्रिपुरा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः की तुलना में दो बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान एक बैठक हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियां (अप्रैल 2013) स्वीकार की।

उत्तर प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[260]

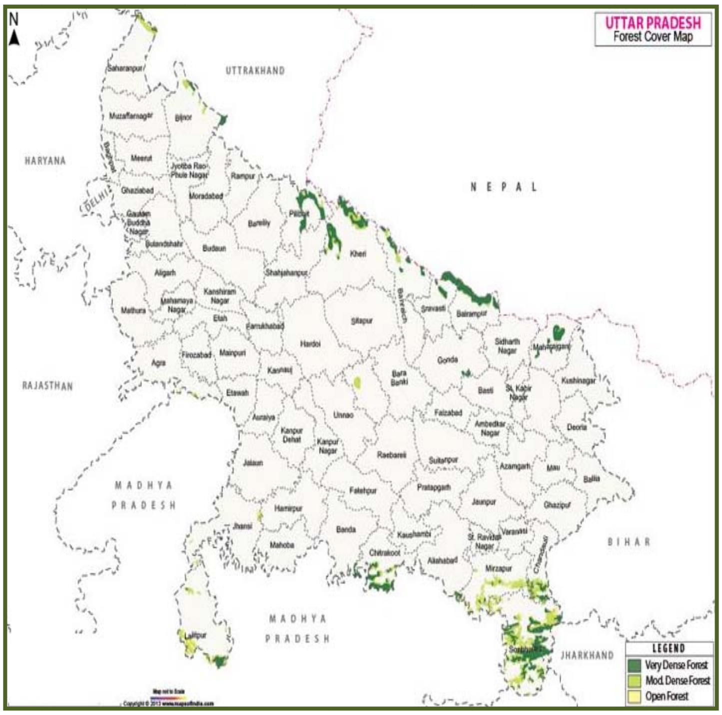

उत्तरप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,92,800 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र14,33,800 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 5.95 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गो के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 1,62,600 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अंतर्गत 4,55,900 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 8,15,300 क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 के निर्धारण में 300 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

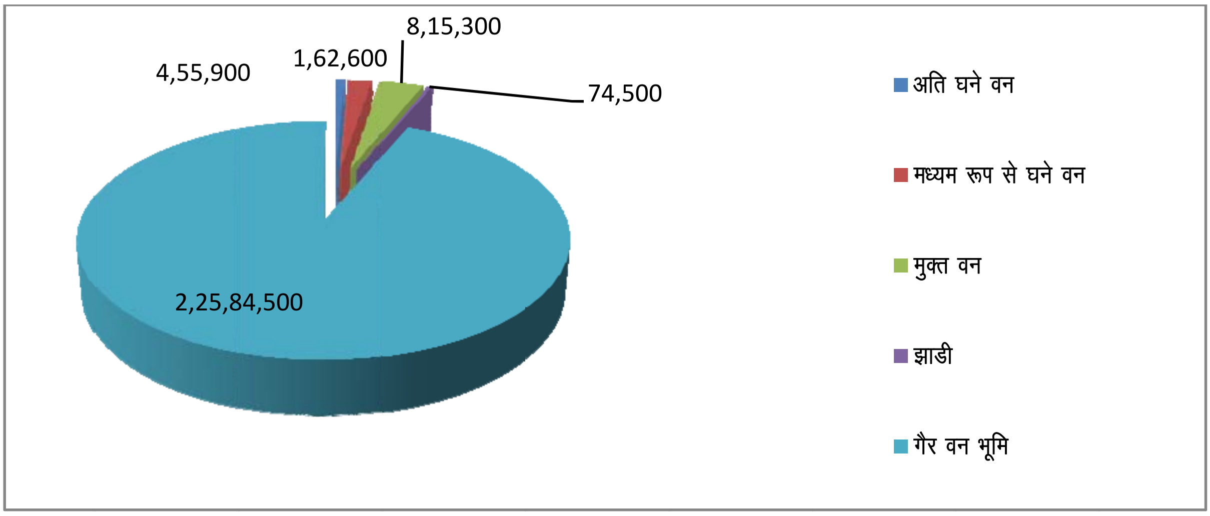

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

कैम्पा सलाहकार परिषद की चौथी सभा जो कि 25 जनवरी 2012 थी में यह निर्णय लिया गया कि राज्य कैम्पा को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1862 के अर्न्तगत कार्य नही करना चाहिए और जिस किसी भी राज्य में राज्य कैम्पा ऐसी सोसाइटियों की तरह पंजीकृत है उसे आवश्यक रूप से भंग कर देना चाहिए यदि वे राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती। राज्य कैम्पा के लेखों की नमूना जाँच में पाया गया

[260] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

कि राज्य कैम्पा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा काम कर रही है।

राज्य कैम्पा का गठन अगस्त 2010 में हुआ, निधियां जोकि तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा के द्वारा हस्तान्तरित की गई, तथा तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को प्राप्त हुई और उनके लिए अवधि 2006–07 से 2011–12 में किए गए व्यय का संक्षेप ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[261] के पास निधियों का संचय
2006-07	303.37	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	91.21	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	35.97	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	16.90	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	95.23	47.10	32.51	14.59
2011-12	41.84	35.35	6.05	43.89
कुल	**584.52**	**82.45**	**38.56**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्च्तम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 82.45 करोड़ में से 53 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 22.93 करोड़ की निधि को राज्य कैम्पा के द्वारा तदर्थ कैम्पा को अंतरित नहीं किया गया तथा राज्य सरकार खाते में जमा किया गया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

उत्तरप्रदेश में एनपीवी/सीए/पीसीए की गैर वसूली/कम वसूली/अधिक वसूली इत्यादि जोकि लेखापरीक्षा में पाए गए मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 एवं 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	विवरण	राशि
1	ऐसे दो मामलें हैं[262] जिसमे वन भूमि 1149.87 है० सम्मिलित है जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों के द्वारा एनपीवी की वसूली नहीं की जा सकी, जिनका सैद्धांतिक अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन हुआ।	66.69
2	5 दिसम्बर 2007 के राज्य सरकार आदेश में प्रावधान किया गया कि पेडों के गिरने के स्थलों पर भूमि मुहैया करने में कठिनाइयों के कारण एनएचएआई 10 मीटर पटटी के बराबर भूमि के बाजार मूल्य और पटटी पर रोपण लागत के बराबर राशि उपलब्ध कराएगा और पटटी पर रोपण के बराबर राशि उपलब्ध कराएगा। नवम्बर 2009 में राज्य सरकार ने शर्त को हटा दिया और प्रावधान	54.11

[261] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[262] 16 मार्च 2012 को जारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार

क्रं सं.	विवरण	राशि
	किया कि 14 जनवरी 2009 तक एनएचएआई द्वारा उपलब्ध की गई भूमि अथवा इसकी कीमत के अतिरिक्त उस संबंध में कोई अतिरिक्त मांग नहीं की जाएगी। दिसम्बर 2007 के राज्य सरकार के आदेश के बावजूद 13 जिलों में राजमार्ग की लंबाई पर 10 मीटर पटटी के बराबर भूमि की कीमत के लिए एनएचएआई से ₹ 54.11 करोड़ की कोई मांग नहीं की गई थी। परियोजना वर्ष 2009–10 में पूर्ण हो गई थी। नवम्बर 2009 के राज्य सरकार के आदेश के दृष्टिगत कोई मांग नहीं की जा सकी। इस प्रकार मंडलों की निष्क्रियता के कारण परियोजना में शामिल 13 जिलों में 652.31 हैक्टेयर भूमि के संबंध में राज्य कैम्पा ने ₹ 54.11 करोड़ (ग्रामीण कृषि भूमि के लिए संबंधित जिले की सर्किल दरों को ध्यान में रखकर) की हानि उठाई।	
3	गौण्डा वन मंडल में की 4.10 है0 वन भूमि का नवम्बर 2006 में बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा विपथन किया गया था। इसमें से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन में निर्धारित ₹ 0.01 करोड़ के पीसीए की वसूली के बिना अनुमोदित किया गया। इसके साथ ₹ 0.07 करोड़ का प्रीमियम और प्रीमियम पर ब्याज भी नही वसूला गया था। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, प्रयोक्ता एजेंसियो के द्वारा 0.01 करोड़ की पीसीए की वसूली की गई। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के प्रीमियम और ब्याज की वसूली पर मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।	0.08
4	तीन वन मंडलों (मथुरा, बाहराइच तथा चित्रकूट) में ₹ 0.10 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली नहीं की गई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, सभी वन विभागों को एनपीवी/सीए की वसूली के लिये कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं।	0.10
5	बहराइच वन मंडल में 3.32 है. वन भूमि का विपथन ₹ 0.05 करोड़ का सीए जमा किए बिना यूपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को अनुमत किया गया था। राशि दिसम्बर 2012 तक वूसली किए बिना रही जिसके लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 0.05 करोड़ की सी ए की राशि को जमा नहीं किया है जबकि उसके लिए उन्हे कई स्मरण पत्र दिये गये तथा इस मामले ने किसी सीए की आवश्यकता नही थी और नियोक्ता कम्पनी को केवल नुकसान की राशि को पूर्व सावधानी के उपाय के तौर पर जमा करवाने को कहा गया था। तथ्य यह है कि ₹ 0.05 करोड़ की वसूली राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से नहीं की गई।	0.05
6	9 मई 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमिगत आप्टीकल फाइबर (केवल बिछाने के लिए एनपीवी के भुगतान से पूर्ण छूट अनुमत की गई थी यदि (क) पेडों का गिरना अन्तर्ग्रस्त नहीं था, और (ख) क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य के बाहर आता है तथापि वन विभाग ने 2009–2011 की अवधि में ₹ 2.81 करोड़ की अनियमित वसूली आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने पर की।	2.81
7	तीन वन मंडलों (बहराइच, नजीबाबाद तथा बाराबंकी) में विपथित वन भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 0.82 करोड़ के एनपीवी की अधिक वसूली की। प्रयोक्ता एजेंसियों में एनई रेलवे, पीजीसीआईएल, एमओआरटी तथ आईओसी शामिल थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, एनपीवी की वसूली के मामलें मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उच्चतम दर ₹ 9.20 प्रति है० पर प्रचुर सावधानी बरतते हुए वसूली की गई।	(-) 0.82
	कुल	123.84

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को निधियों के आंबटन एवं इसके उपयोग के वर्ष वार एवं संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[263]					11.94	11.34		0	0
प्रतिपूरक वनरोपण					21.75	20.56		12.32	6.05
संरक्षित क्षेत्र[264]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					2.53	0.61		0	0
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**47.10**	**36.22**	**32.51**	**35.35**	**12.32**	**6.05**

वर्ष 2009–10 के लिए एपीओ नहीं बनाया गया था और तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी नहीं की गई थीं। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के एपीओ आठ से 12 महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी सम्पूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2010–11 में 77 प्रतिशत और 2011–12 में 35 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2010–11 में 69 प्रतिशत तथा 2011–12 में 17 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वय एजेंसियां 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 752.94 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है। और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवरोधी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**वनरोपण धनराशि का अनियमित विपथन**	2008 में अन्य परियोजना के लिए एयरटेल से प्राप्त निधि से लखनऊ फैजाबाद राजमार्ग के साथ–साथ 20 हैक्टेयर क्षेत्र में ₹ 0.97 करोड़ की लागत पर वनरोपण किया गया था। एक अन्य प्रयोक्ता एजेंसी की परियोजना के प्रति वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सीए धन का विपथन अनियमित था।	0.97

[263]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[264]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार द्वारा यह पारित किया जा चुका है कि वनरोपण पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़को के साथ–साथ भी किया जा सकता है। यह जबाव तर्कसंगत नहीं है क्योकि धनराशि का विपथन एक प्रोजेक्ट से अन्य पर अनियमित था।	
2	**राज्य कैम्पा द्वारा यूनिटों को निधियां जारी करने में विलंब**	राज्य कैम्पा ने 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा से प्राप्त ₹ 47.10 करोड़ की राशि में से मार्च 2011 में अपनी विभिन्न यूनिटों को निधियां जारी की। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में किए जाने वाले कार्यों के लिए मार्च 2011 माह में वर्ष के अंत में राज्य कैम्पा द्वारा निधियों का जारी करना अनुचित था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार कर लिया।	
3	**कार्यों पर संदिग्ध व्यय**	बस्ती वन मंडल ने जून 2011 में संशोधित दरों के आधार पर अक्तूबर 2011 में प्रथम चरण में कार्यों के लिए ₹ 0.33 करोड़ तथा द्वितीय चरण के लिए ₹ 0.11 करोड़ की अतिरिक्त मांग की जबकि 23 अगस्त 2011 को बस्ती वन मंडल द्वारा भेजे ₹ 6.70 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया कि संपूर्ण राशि 20 अगस्त 2011 तक उपयोग की गई थी। इस प्रकार अतिरिक्त राशि की मांग और मंडल को इसका प्रेषण उचित नहीं था क्योंकि कार्य पहले ही पूर्ण हो गया था। मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2013 में व्यक्त किया गया कि संबंधित विभागों से उत्तर प्रतिक्षित थे।	0.44
4	**वनरोपण पर अतिरिक्त व्यय**	फैजाबाद मंडल ने अन्य मंडलों द्वारा अपनाई गई ठेका दर के स्थान पर ₹ 63000/मी0ट0 की दर पर अल्पावधि निविदा आधार पर कांटेदार तार की खरीद की। इसके अलावा फैजाबाद मंडल ने ₹ 281 प्रति नग की दर पर आरसीसी खंभों की भी खरीद की जबकि अनुमोदित अनुमान ₹ 170 प्रति नग था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, अधिक व्यय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई। तथ्य यह है कि वस्तुओं का संपादन दूसरे विभागों के द्वारा अपनाई गई संविदा दरों पर नही किया गया।	0.29
5	**ब्रिक गार्ड में रोपण पर अतिरिक्त व्यय**	अवध वन मंडल ने शहर/बसावट क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आयरन ट्री गार्ड में रोपण किया और गोरखपुर वन मंडल नें ₹ 0.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर गोरखपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर 3000 ब्रिक गार्ड में पेड लगाए। सामाजिक वानिकी के मानकों के अनुसार ब्रिक गार्ड ऐसे क्षेत्र में जहां मानव जनसंख्या काफी कम है अथवा राजमार्गों के साथ साथ उपयोग किया जाता है जबकि आयरन ट्री गार्ड शहरी/बसावट क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। शहरी सीमाओं में ब्रिक गार्ड का उपयोग सामाजिक वानिकी प्रतिमानों का उल्लंघन था और इसके कारण ₹ 0.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि ब्रिकगार्ड का सृजन गोरखपुर डिविजन के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार हुआ। जबाव तर्कसंगत नही है क्योकि ब्रिकगार्ड/आयरन गार्ड का निर्माण सामाजिक वानिकी के मानदंडो के अनुसार नही हुआ।	0.21

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
6	जीप उपयोग रोड के निर्माण पर अधिक व्यय	बांकी तथा कैम्पियरगंज रेंज में 48,500 मीटर जीप के उपयोग के रोड का ₹45 प्रति मीटर की अनुमोदित दर के प्रति ₹ 57.70 प्रतिमीटर की दर पर निर्माण किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 0.06 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि उत्तर सवंधित विभागों से प्रतिक्षित था।	0.06
7	सीए निधियों का असंगत आवंटन	एपीओ किसी विवेक के बिना तैयार किए गये थे क्योंकि सीए धनराशि का आवंटन प्राप्तियों पर आधारित नहीं था। उदाहरण के लिए फैजाबाद तथा उन्नाव ने सीए के आवंटन के रूप में प्राप्तियों का 96 तथा 92 प्रतिशत प्राप्त किया जबकि शिवालिक तथा रेनूकूट ने प्राप्तियों का 15 तथा 2 प्रतिशत प्राप्त किया और ललितपुर को ₹ 6.83 करोड़ की प्राप्ति होने के बावजूद 2009–10 के एपीओ में कोई आवंटन नहीं मिला। सीए का यह असंगत आवंटन एपीओं का अनुमोदन करते समय राज्य संचालन समिति द्वारा सही नहीं किया गया था। सीए का आवंटन प्राप्तियों के आधार पर अनुपातिक रूप से किया जाना चाहिए था। मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2013 में व्यक्त किया गया कि सीए निधियों का असंगत आवटन एपीओ जमा न करने या देर से जमा करने के कारण हैं।	
8	कार्य निष्पादन के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करना	मनरेगा के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्य जॉब कार्ड वाले ग्रामीण लोगों को दिया जाना था और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना था। अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सभी वन मंडलों द्वारा मस्टर रोल के माध्यम से मजूदरों को नकद भुगतान किया गया और भुगतान मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए दिसम्बर 2011 तक लागू ₹ 120 प्रतिदिन और जनवरी 2012 से ₹ 125 प्रतिदिन के स्थान पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर पर किए गए थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार के 2007 के अधिसूचना के अनुसार मजदूरों का भुगतान ₹100 प्रतिदिन किया गया था। तथ्य यह है कि मजदूरों का भुगतान संशोधित दरों से नही किय गया और भुगतान नगद के रूप में किया गया और उनके बैंक खातों में मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार जमा नही किया गया।	
9	गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र	राज्य कैम्पा ने विभिन्न मंडलों को ₹ 23,351 प्रति लाइट की दर पर सोलर लाइटों के संस्थापन के लिए ₹ 0.70 करोड़ की राशि जारी की। तथापि 2011–12 के दौरान ₹ 7,100 की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध थी यदि खरीद एनईडीए से की जाती। वन मंडलों ने आर्थिक सहायता का लाभ लेने के बाद ₹ 16,251 प्रति लाइट की दर एनइडीए से सोलर लाइटों की खरीद की। तथापि उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 23,351 प्रति लाइट के भेजे गए थे। इसलिए ₹ 7,100 प्रति लाइट उपयोगिता प्रमाण पत्र में अनियमित रूप से दर्शाए गए थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, सारे विभागों के सौर–प्रकाश के सबसिडी का लाभ नही उठाया।	
10	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन बिना रोपण स्थलों	अवध वन मंडल ने 27 में से 22 मामलों में ऐसे स्थलों जो 2009–10 के एपीओ में अनुमोदित स्थलो से भिन्न थे, पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना वनरोपण कार्य किए।	

क्रं सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	का विपथन	मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, संशोधित एपीओ के द्वारा सुधार किया गया। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही है क्योकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के अनुमोदन के बिना वृक्षारोपण स्थलो को बदल दिया गया था।	
11	**सब्याज बैंक खाता देर से खोलने के कारण ब्याज की हानि**	राज्य कैम्पा के अनुसार राज्य कैम्पा में प्राप्त धन राष्ट्रीयकृंत बैंक में सब्याज खाते में रखा जाएगा और संचालन समिति अनुमोदित एपीओ के अनुसार कार्यों के लिए आवधिक रूप से आहरित किया जाएगा। अवध, गोरखपुर, फैजाबाद वन मंडलों में राज्य कैम्पा से प्राप्त निधियों के लिए सब्याज बैंक खाता खोलने में विलम्ब के कारण ₹ 8.60 लाख(@4%) के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार कर लिया।	
	कुल		**1.97**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण **(2006-12)**	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[265]– 1,117.24 है.[266] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,995.23 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 53,5.23 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –374.23 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 582.01 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,621.00 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 1,731.11 है. गैर वन भूमि पर – 229.91 है.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –1,177.40 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –255.77 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 61.04 है.

तालिका से स्पष्ट है कि जो आंकड़ा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एव वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके सामंजस्य में काफी विभिन्नताएं थी। आरओ के

[265]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) और राज्य वन विभाग के नोडल अधिकारी।
[266]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

अभिलेखों के अनुसार गैर–वानिकी के लिए 1,117.24 है० वनभूमि विपथित हुई और इसके जगह पर 48 प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई। जवकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह आंकडा क्रमशः 2,995.23 हैक्टेयर तथा 12 प्रतिशत था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार, कोई गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित/परावर्तित नही की गई जो आर एफ/पी एफ के रूप अधिसूचित थी जबकि एन ओ के अभिलेखों अनुसार 255.77 है० गैर वन भूमि में से जा वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित/प्रविर्तित थी, केवल 61.04 है. गैर वन भूमि आर एफ के रूप में घोषित थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई भी वनीकरण नही किया गया तथा गैर निम्नीकृत वनभूमि पर वनीकरण पूरी वनीकृत भूमि का केवल 68 प्रतिशत ही किया गया। 38 वन विभागों में (2002 में) गैर वानिकी उद्देश्य के लिये 29,271.22 है० वन भूमि विपथित थे, जिसकी जगह पर गैर वन भूमि (विपथित भूमि का 1.28 प्रतिशत) 374.24 है० प्राप्त हुई थी। 28,838.61 है० गैर वन भूमि प्राप्त नहीं हुआ था। 28,838.61 है० का गैर वनभूमि का मूल्यांकन ₹3,323.84 करोड़ पर हुआ। (इसकी गणना संबंधित जिला[267] में उपयुक्त सर्कल मूल्यो के आधार पर है)

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि, सभी मामलों मे यह आवश्यक नही है कि वनभूमि के विपथन में उतनी ही गैर वन भूमि ली जाये। जवकि मंत्रालय ने इन मामलों का व्यौरा नहीं दिया है, जिनमें गैर–वन भूमि की प्राप्ति वनभूमि के विपथन में नहीं हुई है।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**गैरवन उद्देश्यों हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना वन–भूमि का उपयोग**	ललितपुर वन मण्डल में राज्य सिंचाई विभाग ने 70.84 है० वन भूमि पर चार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया और यूपी एसएमडीसी (राज्य पीएसयू) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 32.78 है० वन भूमि पर खनन कार्य किया। इन मामलों में कोई एनपीवी/सीए वसूल नहीं किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सिंचाई विभाग द्वारा 368.10 है० भूमि शाजाद बांध बनाने के लिए प्रयुक्त की गई। 1974 से 1992 के दौरान परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अस्तित्व में आने पर वन भूमि के विपथन के लिए कायोन्तर अनुमोदन का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2000 में भेजे गए। परियोजना की अन्तिम मंजूरी अभी तक प्रतीक्षित हैं। मांग की गई ₹ 53.29 करोड़ एनपीवी/सीए/पीसी के विरूद्ध केवल ₹ 2.10 करोड़ रूपये वसूल किये गये तथा ₹ 51.19 करोड़ की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, खनन को वन भूमि पर नही होनी चाहिए तथा यह मुद्दा राज्य सरकार के अन्तर्गत विचाराधीन है।
2	**में खनन पटटों की मंजूरी में नियमों का उल्लंघन**	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा एमएमडीआर अधिनियम 1957 की शर्तों के अनुसार, खनन पटटों की मंजूरी/नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन सामान्यतया 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा। रेनूकूट वन मंडल में एनसीएल, दूधी चुआ तथा खरिया का खनन पटटा 40 वर्षों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था जो नियमों के प्रतिकूल था।

[267]भूमि का मूल्य कृषियोग्य भूमि की सर्किल दरों का निम्नतम लेकर परिकलित किया गया है जो प्राप्त किया जा सका। गैर वन भूमि का कुल मूल्य निकालने के लिए सभी सर्किल दरों का प्रबन्ध (एन ओ) करने के प्रयास किए गए थे जो प्राप्त नहीं हो सके।

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार से विचार करने के बाद यह पारित हुआ कि खनन को 40 वर्षो तक पट्टे पर दिया जाए। तथ्य यह है कि खनन को 30 वर्षो से अधिक पट्टे पर देना एफसी अधिनियम 1980 तथा एम एम डीआर अधिनियम 1957 का उल्लंघन है।
3	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदेशों के उल्लंघन में परियोजना का निष्पादन**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ओएम दिनांक 2 दिसम्बर 2009 के अनुसार सभी परियोजनाएं जो राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों की 10 किमी सीमा के अन्दर आते हैं, वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थाई समिति की सिफरिश के अघ्ययीन होंगी। कैमूर वन्यजीव मंडल में जेपी एसोसिएटस लिमिटेड (जेएएल) ने वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से निर्बाधन प्राप्त किए बिना कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थान (लगभग 1.5 कि.मी.) पर 4X60 मेवा आन्तरिक विद्युत संयंत्र का निर्माण आरम्भ किया क्योंकि इसमें भूमि उपयोग का परिवर्तन तथा अभ्यारण्य के 10 किमी. के अंदर निर्माण अंतर्ग्रस्त था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार किया।
4	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना पहुँच मार्ग का निर्माण**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना संरक्षित वन क्षेत्र के बगल में पेट्रोल पम्पों होटलों तथा अन्य वाणिज्यक स्थापनाओं के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण किया गया जोकि एफ सी अधिनियम 1980 का उल्लघंन था। तथ्यों का स्वीकारते हुये मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि सारे वन विभाग को इन मामलों में कार्योत्तर पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। कथित प्रावधान के बावजूद राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 के वार्षिक लेखाओ को निहित फारमेट में अपने वार्षिक लेखे नहीं बनाये तथा न ही लेखाओं की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा कराई गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठक के प्रति तीन बैठक हुई । कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान केवल एक बैठक हुई।

उत्तराखण्ड

1. पृष्ठभूमि[268]

उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,48,300 हैक्टेयर है। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 24,49,600 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 45.80 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अंतर्गत 4,76,200 है. क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अंतर्गत 14,16,700 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अंतर्गत 5,56,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

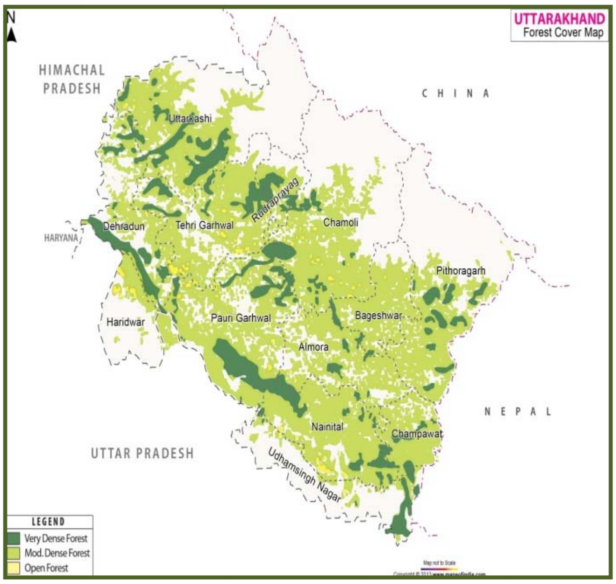

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

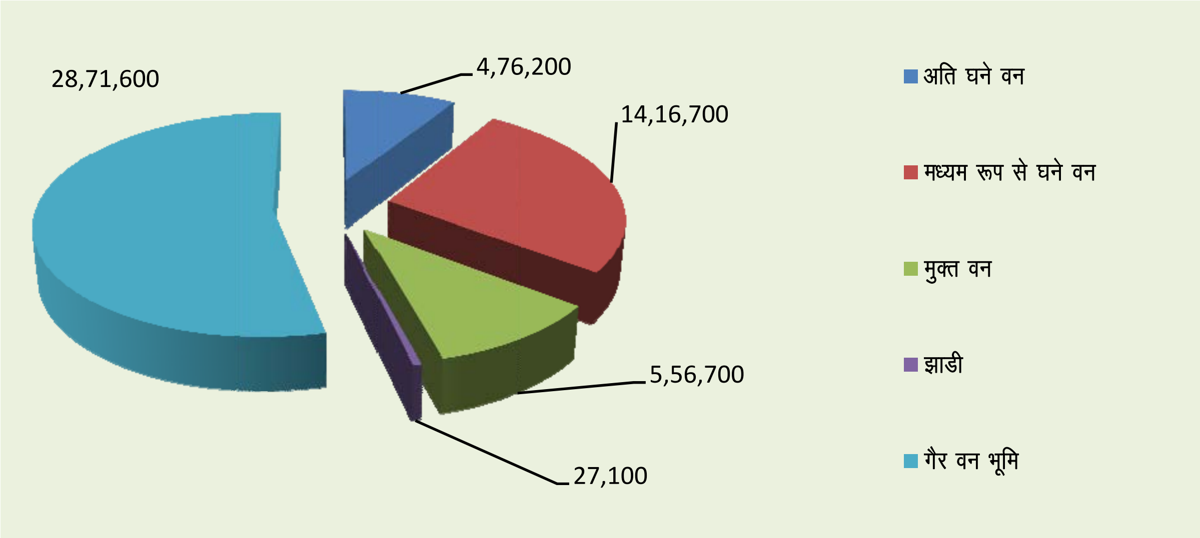

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

राज्य कैम्पा का गठन नवम्बर 2009 में हुआ,जो कि तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा अंतरित की गई, तथा तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को प्राप्त हुई और उनके लिए अवधि 2006–07 से 2011–12 में किये गये व्यय का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :–

[268]स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण, द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[269] के पास निधियों का संचय
2005-06	228.34	शून्य	शून्य	शून्य
2006-07	206.96	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	226.34	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	161.17	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	299.15	81.65	शून्य	81.65
2010-11	105.52	82.75	43.60	120.80
2011-12	69.48	शून्य	60.28	60.52
कुल	1,296.96	164.40	103.88	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 13 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 164.40 करोड़ में से 37 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 8.92 करोड़ की निधि को राज्य कैम्पा के द्वारातदर्थ कैम्पा को अंतरिम नहीं किया गया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

उत्तराखण्ड मेंएनपीवी/सीए/पीसीए इत्यादि की वसूली नहीं हुई/कम वसूली के मामले जो कि लेखापरीक्षा में देखने में आए, नीचे दिये गये हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1	ऐसे 23 मामलें[270] है जिसमें वन भूमि 3,433.27 हेक्टेयर सम्मिलित है जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[271] के द्वारा एन पी वी वसूली नहीं जा सका, जिनका मुख्य अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले तथा अंतिम अनुमोदन उसके बाद पारित हुआ।	199.13[272]
2	हरिद्वार वन मंडल में ₹ 18.10 करोड़ की आवश्यकता के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी, जिसे 2012 तक की उपाधि के 10 वर्षों के लिए खनन पटटा दिया गया था, द्वारा केवल ₹ 12.45 करोड़ जमा किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 5.65 करोड़ की कम वसूली हुई।	5.65

[269] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[270] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[271] मै० हल्द्वानी स्टोन कम्पनी लालकुंआ सरकारी एंजसी
[272] सामान्य लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल राशि ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से अनुमानित की गई है (3433.27 x 5.8)

क्रं सं.	विवरण	राशि
	इसके अलावा यह देखा गया था कि वर्ष 2006 में तदर्थ कैम्पा बनने के बाद डीएफओ, हरिद्वार के पास यूवीवीएन द्वारा वास्तव में जमा किए गए ₹ 9.77 करोड़ में से केवल ₹ 4.17 करोड़ की राशि राज्य नोडल कार्यालय को अंतरित की गई थी शेष ₹ 5.60 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा निर्देशों के उल्लंघन में 2007–12 के दौरान डीएफओ द्वारा उपयोग की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है और इसका जवाब बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।	
3	नदियों[273] के 2,358.69 हे० से लघु खनिजों के निष्कर्षण के लिए चार खनन पट्टे यूवीवीएन को अप्रैल 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस शर्त पर दिए गए कि प्रयोक्ता एजेंसी वन विभाग को वर्तमान मजदूरी दर पर सीए उगान तथा अनुरक्षण करने की लागत अंतरित कोशी परियोजना की जाएगी, के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। यह भी विशेष उल्लेख किया गया था कि लघु खनिजों के संग्रहण के निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ का 50 प्रतिशत एसपीवी के लिए जमा किया जाएगा जो एकमात्र रूप से नदी प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा लघु खनिजों के संग्रहण के लिए विपथित वन भूमि उसी पडौस में वनों एवं वन्य जीव के प्रबन्धन/सुरक्षा के लिए उपयोग की जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि गौला नदी के संबंध में वसूले ₹ 20.81 करोड़ में से ₹ 16.04 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई थी और कोसी, दबका तथा शारदा नदियों के संबंध में कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं, यद्यपि पटटा अवधि अप्रैल 2012 में पहले ही समाप्त हो गया। इस प्रकार यूवीवीएन द्वारा वसूले ₹ 4.77 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को आगे प्रेषण के लिए राज्य कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई थी। इस संबंध में राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि इस राशि को तदर्थ कैम्पा के खाते में जमाकर दिया गया है। मंत्रालय का जवाब किसी भी प्रासंगिक दस्तावेजों से समर्थित नहीं है।	4.77
4	तराई पूर्व वन मंडल हल्दवानी में प्रयोक्ता एजेंसी (यूवीवीएन), जिसे दस वर्षों के लिए नैनीताल तथा उद्यमसिंह नगर की नन्दौर तथा कैलाश नदियों में 468 हे. के विपथन के लिए खनन पटटा अक्तूबर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था, ने ₹ 2.78 करोड़ की आवश्यकता के प्रति डीएफओ के पास केवल ₹ 47.85 लाख की राशि जमा की परिणामस्वरूप ₹ 2.30करोड़ की कम वसूली हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है और इसका जवाब बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।	2.30
5	पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर रोड से संबंधित कचरा निपटान के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी (बोर्डर रोड़) संगठन से ₹ 25.45 लाख की राशि नवम्बर 2012 तक वसूल नहीं की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध में चलाया जा रहा है।	0.25
6	जून 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए सैद्धान्तिक (चरण– I) अनुमोदन और मार्च 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए अंतिम (चरण II) अनुमोदन में शर्तों तथा निबन्धनों में यथा अपेक्षित दो प्रयोक्ता एजेंसियों[274] से ₹ 16.55 लाख की राशि वसूल नहीं की गई थी। तथापि वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसियों को पहले ही हस्तांतरित की गई थी।	0.17

[273]जिला नैनीताल के गोला (1497 हे०), कोसी (254 हे०), ढबका (223 हे०) और शारदा (384.69 हे०)

[274]स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और उत्तराखंड रूरल रोड डवलपमेंट एंजसी

क्रं सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध चलाया जा रहा है।	
7	तीन मामलों में एनपीवी 13.25 है. वन भूमि के स्थान पर केवल 13.14 है. के लिए प्रभारित किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 1.28 लाख के एनपीवी की कम वसूली हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध में चलाया जा रहा है।	0.01
	कुल	**212.28**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौर

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[275]					51.99	43.43		57.31	45.45
प्रतिपूरक वनरोपण					0	0		13.29	11.90
संरक्षित क्षेत्र[276]					0.75	0.17		0.79	0.79
सीएटी योजना					0	0		2.68	0.57
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0	0		1.80	1.57
कुल	**81.65**	शून्य	शून्य	**82.75**	**52.74**	**43.60**	शून्य	**75.87**	**60.28**

तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–2010 के लिए निधियां एपीओ बिना जारी की गई थीं। वर्ष 2009–10 का एपीओ राज्य कैम्पा द्वारा तैयार नहीं किया गया था इसके बजाय 16 मार्च 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 10 वर्षीय परियोजना भेजी गई थी। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के एपीओ पांच से सात महीनों के विलम्ब के बाद तैयार किए गए थे। इसके अलावा राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद मई 2011 तथा अक्तूबर 2012 में संशोधित किए।इस प्रकार एपीओ के प्रस्तुतीकरण में विलंब तथा वित्तिय वर्षो की समाप्ति के बाद इनके संशोधन में विशेष वर्षो के दौरान किए गए कार्यकलापों की खराब योजना दर्शाई।

[275]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च किया जाता है
[276]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयक एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त संपूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 64 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 53 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों 2010–11 तथा 2011–12वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। व्यय के स्तर जारी राशि के 2010 –11 में 83 प्रतिशत तथा 2011–12 में 79 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से बढ़ी है परंतु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,527.93 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है. और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं, को ध्याान में रखकर राज्य की अवशेषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

कैम्पा कार्यक्रम में सुधार के लिए तदर्थ कैम्पा ने अगस्त 2009 में पहली किस्तमूल्य ₹ 81.65 करोड़ अंतरित की परन्तु एपीओ के न बनने के कारण किसी भी निधि को राज्य कैम्पा खर्च नही कर सकी। 2010–11 और 2011–12 अवधि 2009–10 के दौरान, कैम्पा कार्यक्रम को पांच श्रेणियों में कार्यान्वित किया गया, ये थे– शूद्ध निवल मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूर्ण वनीकरण (सीए) संरक्षित क्षेत्र (पीए), अन्य कार्य[277] तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी)। केवल दो कार्यकलाप जो कि एनपीवी तथा पीए थे, को कार्यान्वित किया गया तथा कैम्पो के मूल्य कार्याकलाप जो कि सीए तथा कैट योजना थी, उनपर राज्य कैम्पों ने वर्ष 2010–11 में कोई भी जोर नहीं दिया गया।मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि सीए व कैट योजना को वर्ष 2010–11 और 2011–12 में जोर दिया गया। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीए तथा कैट योजनाओ के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में कोई भी व्यय नहीं किया गया।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताए

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों और एन सी ए सी के द्वारा अधिकृत नहीं था।**	कैम्पा निधि का उपयोग राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्मढ़ाचे के निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए। तथापि जांच परीक्षण में यह उजागर हुआ कि व्यय जो प्रधान सचिव के कार्यालय आवास के नवीनीकरण (₹ 0.16 करोड़), आवास के नवीनकरण (₹ 0.24 करोड) पी सी एफ वी पी के लिये गाड़ी खरीद के लिए (₹ 0.05 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.72 करोड़), ब्रिकवेटिंग मशीन (₹ 0.13 करोड़), अटल आदर्श ग्राम योजना (₹ 04.90 करोड़), वनपंचायत (₹ 5.35 करोड़), का सशक्तिकरण और परिचालक व्यय इत्यादि पर किये गये। मानदेय (₹ 0.62 करोड़) इत्यादि। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के व्यक्त किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।	12.26
2	**कैम्पा निधियों से अनियमित व्यय**	कैम्पा निधि से निम्नलिखित अनियमित व्यय किया गया	6.14

[277]सड़क किनारे रोपण, खाली स्थान भरना, ठिगनी प्रजातियां रोपण, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		• देहरादून वन मंडल में राज्य विधान सभा द्वारा वन विभाग के बजट अनुमोदन (मार्च 2011) के समय पर लंच देने के लिए ₹ 2.84 लाख का व्यय किया गया था जो इसके अपने बजटीय प्रावधान से विधान सभा सचिवालय द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय 2010–2011 के मुद्रण से संबंधित ₹ 0.02 करोड़ का भुगतान कैम्पा निधियों से देहरादून मंडल द्वारा किया जायेगा। • राज्य कैम्पा ने इस तथ्य कि बोर्ड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, के बावजूद पर्यावरण तथा पलास्टिक उन्मूलन के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 'स्पर्श गंगा बोर्ड' को ₹ 0.22 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की और इसलिए ₹ 0.22 करोड़ की वित्तीय सहायता अनियिमित थी। • ₹ 2.13 करोड़ का व्यय 19 कार्यकलापों पर किया गया था जो 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित दिए नहीं गए थे। • इसी प्रकार ₹ 3.74 करोड़ का व्यय 2010–2011 के एपीओ में किए गए प्रावधानों से अधिक 25 कार्यकलापों पर किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया कि उपरोक्त कार्य पर जो व्यय गया वह एपीओ के द्वारा अनुमोदित था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही था क्योंकि जो उपरोक्त कार्य पर जो व्यय किया गया था वह राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।	
3	**संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य कार्यकलापों पर अनियमित व्यय**	वर्ष 2011–12 में कारबेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के प्लेटीनम जुबली समारोह पर कैम्पा निधियों से ₹ 0.35 करोड़ का व्यय किया गया था जो 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित नहीं था। इसके अलावा 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के दौरान वन रक्षक चौकियों के भवनों के निर्माण पर ₹ 0.15 करोड़ का व्यय किया गया था जो राष्ट्रीय पार्कों में किसी नए निर्माण को प्रतिबंधित करने वाले एफसी अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के बयान में व्यक्त किया कि लेखा परीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकार से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।	0.50
4	**सीएटी योजना का कार्यान्वयन**	जलविद्युत परियोजना (एचईपी) कार्यकलापों के परिणामस्वरूप क्षरण तथा भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए सीएटी योजना अभिप्रेत थी। तदनुसार मिटटी क्षरण तथा भूस्खलन जोखिमों की देखरेख करने के लिए व्यापक सीएटी योजना राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार आरंभ की जानी अपेक्षित थी। वन क्षेत्र की सीएटी योजना की लागत एचईपी के संबंधित मालिक द्वारा वहन की जानी थी जो कुछ परियोजना लागत के लगभग दो प्रतिशत थी और कैम्पा निधि का भाग बनती है। तथापि सीएटी योजना के लिए उद्दिष्ट ₹ 9.21 करोड़ वर्ष 2010–11 में उपयोग की गई थीं और केवल ₹ 0.57 करोड़ (6 प्रतिशत) की अल्प राशि का वर्ष 2011–12 में उपयोग किया जा सका। तथ्यों को मानते हुये, मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया कि वर्ष 2011–12 में कैट योजना के कियान्वयन में सुधारात्मक कदम उठाये गये थे।	

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
5	**कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां**	राज्य कैम्पा में विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कमियां हुई थी। संचालन समिति (एस सी) की वर्ष 2012–13 के चालू परिव्यय के अनुमोदन के लिए 04 अक्टूबर 2012 को बैठक हुई परंतु यूनिटवार/कार्यकलाप वार प्रस्ताव दर्शाते हुए विस्तृत एपीओ एससी के समक्ष रखा नहीं गया था। केवल ₹ 100 करोड़ का मुख्य संघटका[278] की मात्रा एससी द्वारा अनुमोदित की गई थी और यूनिटों/कार्यकलापों वार एपीओ इसके निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए केवल चार माह रहने के साथ तैयार नहीं किया गया था (नवम्बर 2012) एससी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यह तथ्य कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीए कार्य केवल मानसून मौसम में किया जा सकेगा, जानते हुए चालू वर्ष (2012–2013) में 4,681 है. अग्रिम मिटटी कार्य और 540 है. में सीए कार्य किया जाएगा इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि कार्यान्वयक एजेंसियो द्वारा सीए कार्य के ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकेंगे।	
6	**गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निधि**	उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीएफओ, मिटटी संरक्षण मंडल, रानीखेत, पिथौरागढ़ वन मंडल तथा रूद्रप्रयाग वन मंडल को राज्य कैम्पा द्वारा दी गई निधियां आरंभ में 13–15 महीनों के बीच की अवधि के लिए गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों (ग्रामीण/सहकारी बैंक) में रखी गई थीं जबकि डीएफओ चम्पावत को दी गई ₹ 1.90 करोड़ की निधियां 16 महीनों की अवधि के लिए गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते मे रखी गई थीं। इस प्रकार डीएफओ द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कैम्पा निधियों का रखा जाना कैम्पा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था।	
7	**कैम्पा निधि पर ब्याज अर्जित करना**	राज्य कैम्पा के आलेख के जांच परीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया गया कि राज्य कैम्पा ने उपस्थित निधियों को निवेश किया तथा उस पर ₹ 18.02 करोड़ का वापसी अर्जित किया तथापि उसी समय तदर्थ कैम्पा के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का ठीक समय पर उपयोग न करना, राज्य के अभिप्ररित उद्देश्य को प्रतीक करता है। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के में व्यक्त किया कि राज्य कैम्पा का सारा ध्यान कैम्पा के कार्य को मार्गनिदेश के अनुसार सख्ती से लागू करने वाले ढांचे को सक्षम बनाने पर था। मंत्रालय के इस जवाब को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योंकि तदर्थ कैम्पा के अनुउपयोग निधियों को प्रेषित करने की बजाय उसके बैंकों में निवेश किया जिसका साक्ष्य लेखपरीक्षा अवलोकन में मिला।	
	कुल		**18.90**

[278]एनपीवी (₹ 54.06 करोड़), सीए (₹ 15 करोड़), पीए (₹ 2 करोड़), कैट प्लान (₹ 20.94 करोड़), अन्य (₹ 8 करोड़)

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[279] के अभिलेखों के अनुसार –1,281.01 है०[280] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,669.74 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,315.23 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – (–) 2,034.22 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,669.74 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	हाँ। मुख्य सचिव के 2002 और 2009 सामान्य प्रमाण पत्र प्रेषित किया। अलग–अलग मामलों पर अलग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वनभूमि पर 19,339.46 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2006–11 के लिए शून्य, 2011–12 में 4,178 है० तथा गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तांतरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

तालिका से स्पष्ट है, कि जो आंकड़े राज्य के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी ने दिये है उसके सामंजस्य में काफी विभिन्नता है। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी उद्देश के लिए विपथित वन भूमि 1,281.01 हैक्टेयर तथा इसके बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 3315.23 है० (सिविल सोयम भूमि को वन प्रयोजन हेतु विपथित भूमि के दो गुना मात्रा मे प्राप्त करने को कहा गया) जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार विपथित वन भूमि 9669.74 है. था और इसके बदले कोई भी गैर वन भूमि प्राप्त नहीं की गई। आर ओ एवं एन ओ के अनुसार कोई भी गैर वनभूमि वन विभागके पक्ष में हस्तान्तरित/प्रविर्तित नहीं की गई। एन ओ के रिकार्डनुसार गैर वानिकी की भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत वनभूमि के 22 प्रतिशत पर वृक्षारोपण किया गया।

आगे 19,339.48 है० निम्नीकृत भूमि पर राज्य कैम्पा द्वारा सीए किया जाना था जिसके लिये तदर्थ कैम्पा के पास 2006–12 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 82.84 करोड़ जमा किये गये थे। तथापि यह देखा गया कि 2011–12 के दौरान ₹ 11.90 करोड़ की लागत पर 4,178 है० निम्नीकृत भूमि पर सी ए किया गया था। यह आगे देखा गया कि धन के उपलब्ध होने के बावजूद राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 मेंसीए के

[279] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[280] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसके अलावा सीए के लिए वर्ष 2012–13 में किया गया प्रावधान अप्रयुक्त रहा क्योंकि बढती मानसून मौसम बिना किसी वृक्षारोपण कार्य के बीत चुका था। इसके अलावा लेखापरीक्षा में यह अवलोकन किया कि प्रति है० सीए की लागत प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली निधियों के अनुरूप नहीं था। 2011–12 में सीए कार्य को विभाग के द्वारा ₹ 34,000 प्रति है० के दर पर किया गया जबकि प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 74,100 प्रति हैक्टैयर प्रतिभारित किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि 2002–09 में मुख्य सचिव ने प्रमाणित किया था कि राज्य में और कोई गैरवन भूमि उपलब्ध नही थी। मंत्रालय का उत्तर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित नहीं था। मंत्रालय ने आगे बताया कि वनभूमि के विपथन से संबंधित डाटा तथा तदर्थ कैम्पा से निधियों का मिलान संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह भी बताया गया था कि सीए की दरें सीसीएफ द्वारा संशोधित की गई थीं और एपीओ में शामिल संशोधित दरें संचालन समिति द्वारा अनुमोदित थीं।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**खनन पटटे देने में कमियां**	एफसी अधिनियम 1980 के पैराग्राफ 4.16 (I) के अनुसार खनन पटटा देने/नवीकरण के लिए वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन खान एवं खनिज विकास (निगमन) अधिनियम 1957 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दी गई खनन पटटा अवधि के कोटर्मीनस अवधि के लिए दिया जाना था। तथापि यह देखा गया था कि मुख्य खनिज के खनन पटटों के नवीकरण के दो मामलों में एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए खनन पटटों के कोटर्मीनस नहीं था जैसा नीचे विस्तृत है: ● मै. अल्मोड़ा मैगनीसाइट के पक्ष में खनन पटटा मई 2003 तक की अवधि के लिए आरम्भ में तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 1984 में दिया गया था और एफसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केवल फरवरी 2003 तक पटटा दे सकेगा। तथापि इस प्रावधान के उल्लंघन में एफसी अधिनियम के अंतर्गत पटटा का 20 वर्षों (2021 तक) की अवधि के लिए मई 2001 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नवीकरण किया गया था जबकि एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत खनन पटटा करने की अनुमति नहीं थी। ● इसी प्रकार मै. एन एस कार्पोरेशन, झारकोट के पक्ष में सोप स्टोन के खनन का एक अन्य खनन पटटा जो 20 वर्ष के लिए आरम्भ मे 1974 मे दिया गया था, का अन्य 20 वर्ष (2015 तक) के लिए जून 1995 में नवीकरण किया गया था। एफसी अधिनियम के अंतर्गत पटटा का नवीकरण इस शर्त के साथ जुलाई 2000 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया था कि विपथन की अवधि पटटा के नवीकरण (मई 2015 तक) के कोटर्मीनस होगी। तथापि उपर्युक्त शर्त के प्रतिकूल यह देखा गया था कि एफसी अधिनियम के अंतर्गत फर्म को वन विभाग द्वारा दिया गया पटटा राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने (सितम्बर 2000) से 20 वर्ष (2020 तक) के लिए था। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि क्षेत्र स्तर अधिकारियों पर लेखा परीक्षा आपत्तियों का जवाब बाद में दिया जाऐगा।
2	**वनभूमि का अतिक्रमण**	9,672.44 है. वन भूमि अतिक्रमित पडी थी, वन भूमि खाली कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में व्यक्त किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने चकराता मसूरी, अलमोडा तथा पोडी में चार सीए स्थलों का भी दौरा किया जिसमें निष्पादित रोपण कार्य विद्यमान पाये गये थे परन्तु इन रोपणों की उत्तरजीविता दर अभिनिश्चित नही की जा सकी क्योकि रोपण केवल वर्ष 2011–12 में किया गया था।

वृक्षारोपण कार्य पनुवा–1 (डीएफओ कलसी)

वृक्षारोपण कार्य मसूरी वन विभाग

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा निर्धारित किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के इसकी आय तथा व्यय को लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही तथा सहायक खाता नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायकंदबपदह खाता बही के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) के में व्यक्त किया गया कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 का वार्षिक लेखापरीक्षा निर्धारित रूप में तैयार किया हुआ था। तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 2009–12 की वार्षिक लेखापरीक्षा निर्धारित फारमेंट में को प्रस्तुत नही की गई थी।

7. वन की ओर से गिरता बजटीय प्रवृति

2008–09 से 2011–12 तक की अवधि के वन विभाग के राज्य के बजट तथा व्यय के विश्लेषण से पता चला कि विभागीय बजट प्रावधानों तथा किए गए व्यय में गिरती प्रवृति थी जैसा की नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष (एम एच) वार व्यय*				रोपण तथा वन के संरक्षण के अंतर्गत व्यय
	एम एच – 2406 (योजना)		एम एच – 4406	एम एच – 6406	
	बीई	वास्तविक			
2008-09	195.23	146.89	17.35	शून्य	49.68
2009-10	139.08	88.09	13.40	शून्य	27.41
2010-11	109.65	95.05	16.47	शून्य	40.33
2011-12	115.83	79.04	16.36	शून्य	28.71

*स्त्रोतः विभाग एवं वित्त लेखे आकड़े (*अनुदान संख्या 27,30 एवं 31 की संक्षप्तिकृत स्थिति)

उपर्युक्त ब्यौरों से यह स्पष्ट है कि वर्षों से विभागीय बजट तथा व्यय की गिरती प्रवृति रही है। वर्ष 2008–09 की तुलना में 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान मुख्य शीर्ष –2406 (योजना) के अंतर्गत व्यय क्रमशः 60 प्रतिशत 65 प्रतिशत व 54 प्रतिशत था जो वर्ष 2009–10 से राज्य में कैम्पा कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के कारण हो सकता है। इस प्रकार राज्य में वन प्रबन्धन के लिए बजटीय सहायता की क्रमिक वापसी रूकावट थी क्योंकि कैम्पा के अंतर्गत प्राप्त की जा रही निधियां हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए थीं जो राज्य में विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के कारण हुई हैं।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि क्षेत्र स्तर अधिकारियों पर लेखा परीक्षा अपत्ति का जवाब बाद में दिया जाएगा।

8. निगरानी

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार विषय संचालन समिति को एक वर्ष में दो बार मिलना था। उत्तराखण्ड कैम्पा कीसंचालन समिति 2009–12 के दौरान छह की जगह केवल दो बैठकें हुईं। शासी निकाय तो 2009–12 के दौरान केवल एक वैठक हुई।

9. राज्य में अच्छी प्रथा

गढ़वाल वन मंडल पौडी द्वारा किए गए सड़क किनारे रोपण (पौडी–श्रीनगर रोड) का कार्य लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया था और कार्य सराहनीय था जैसा नीचे दिए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है :

ढेला क्षेत्र में निर्मित भवनों की छवियां (लेखापरीक्षा दल के द्वारा प्रत्यक्ष जांच के दौरान ली गई) साथ में देखी जा सकती है।

पश्चिम बंगााल

1. पृष्ठभूमि[281]

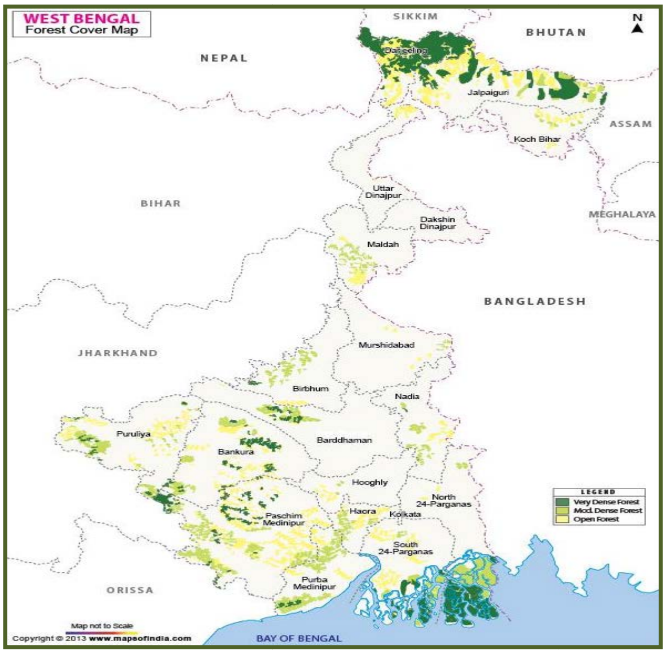

पश्चिम बंगाल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 88,75,200 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 12,99,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 14.64 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 2,98,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अधीन 4,64,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अधीन 5,36,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शायी।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

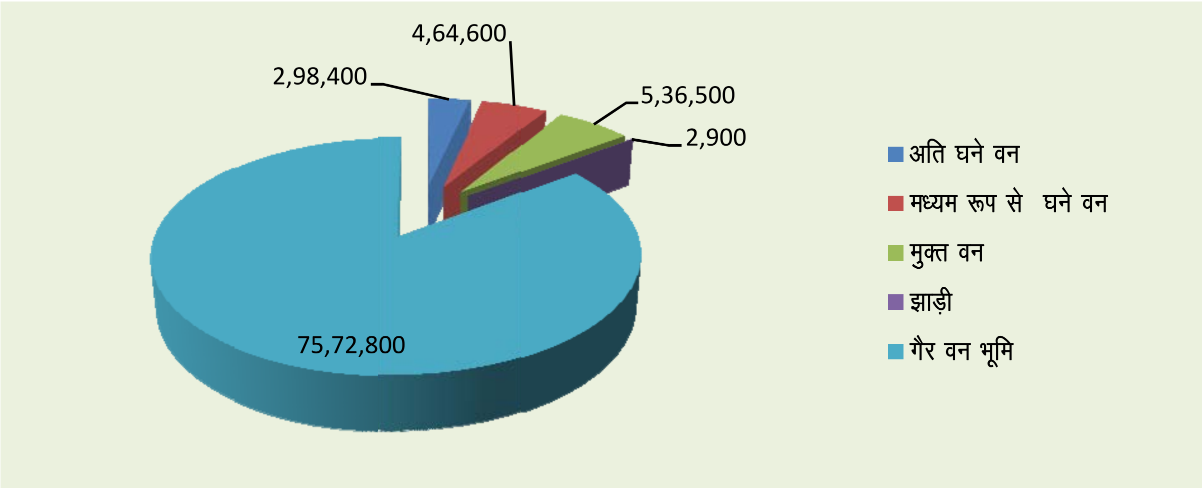

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां एवं 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान किया गया व्यय का ब्यौरा निम्नवत था:

[281] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[282] के पास निधियों का संचय
2006–07	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	27.51	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	22.32	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	32.62	5.30	शून्य	5.30
2010–11	10.38	6.28	5.12	6.46
2011–12	3.16	4.84	2.86	8.44
कुल	**95.99**	**16.42**	**7.98**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 16.42 करोड़ में से 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 7.85 करोड की निधि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा की प्रषित नहीं की गई तथा राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के नोटिस मे आए पश्चिम बंगाल में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली का मामला नीचे दिया गया है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 व 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	यहां 14.70 है० भूमि के साथ शामिल एक मामले[283] में प्रयोगता ऐजेंसी[284] से एन पी वी इकट्ठा नहीं किया गया जिनको मुख्य अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले प्राप्त हुआ तथा अंतिम अनुमोदन इसके बाद प्राप्त हुआ इन मामलों में ₹ 5.80 लाख की न्यूनतम दर पर एन पी वी इकट्ठा किया गया।	0.85[285]
2.	दुर्गापुर वन मण्डल में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी 1996 में 10 वर्षों की अवधि के लिए ईसीएल द्वारा कोयला खनन के लिए झांजरा क्षेत्र मे 90.30 है0 वन भूमि के विपथन का अनुमोदन किया। प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 9.15 करोड़ की पर्यावरण हानि की निर्धारित राशि के प्रति 1995 में केवल ₹ 1 करोड़ का भुगतान किया। बाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हानि ₹ 18.14 करोड़ परिवर्तित की गई थी । दुर्गापुर वन मण्डल ने मामले को आगे नहीं बढाया और राशि की वसूली नही की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्तमान आंकलन पर आधारित राशि पट्टा के नवीकरण के	17.14

[282] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[283] एम ओ ई एफ द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्टेटस रिपोर्ट अनुसार
[284] बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र

[285] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर रूपये 5.80 लाख प्रति है0 (14.70X5.8)

क्रम सं.	विवरण	राशि
	बाद वसूल की जाएगी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि पट्टा अवधि के लिए पुरीक्षित दरों पर पर्यावरण हानि को भुगतान के लिए प्रयोक्ता एजेंसियां उत्तरदायी थीं।	
3.	जलाशय बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र (अगस्त 1994) के निर्माण के लिए 238.54 है0 वन भूमि विपथित करने का चरण 1 अनुमोदन पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने एनपीवी/सीए जमा किए बिना जलाशय का निर्माण आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से नए प्रस्ताव मांगे गए थे तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रचलित दर पर एन पी वी इकट्ठा किया जाएगा।	14.93
4	फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए राज्य मात्सयिकी विभाग को काकद्वीप चार (सितम्बर 2004) में 10 है0 वन भूमि विपथित करने का चरण 1 का अनुमोदन दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने एनपीवी/सीए जमा किए बिना फिशिंग हार्बर का निर्माण आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीसी/सीए की वसूली प्रयोक्ता एजेंसियों से करने के लिए कार्यवाई की जा रही थी।	0.69
	कुल	**33.61**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[286]						3.77			1.86
प्रतिपूरक वनरोपण						0.40			0.77
संरक्षित वन[287]						0			0
सीएटी योजना						0.95			0.02
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप						0			0.21
कुल	5.30	उ.न.	शून्य	6.28	उ.न.	5.12	4.84	उ.न.	2.86

संघटक वार ब्यौरे नहीं दिये गए :

[286] एन पी वी वन की सुरक्षा संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च की जाती है।
[287] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंध पर खर्च की जाती है।

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि बिना ए पी ओ के जारी की गई तथा वर्ष 2011–12 के लिए अप्रैल 2011 में ए पी ओ संचालक समित द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य कैम्पा द्वारा 2009–10 में कोई व्यय नहीं किया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किया गया व्यय 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में 82 प्रतिशत तथा 2011–12 में 59 प्रतिशत था। गत तीन वर्षों में किए निर्गम के कम उपयोग को ध्यान में रखकर राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 114.96 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देते हुए राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एन सी ए सी तथा राज्य कैम्पा के दिशानिर्शों द्वारा अनधिकृत व्यय**	राज्य वन मुख्यालय तथा इकोट्यूरिज्म पर बुनियादी ढ़ाँचा निर्माण के लिए कैम्पा निधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि नमूना जांच में यह उजागर किया गया कि व्यय आधारशिला समारोह तथा वाहन को किराये पर देने इत्यादि पर खर्च किया गया।	0.18
2.	**निधि निकाय के अंतर्गत अलग खाता न खोलना**	राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित संचल वन्यजीव अभ्यारण में पानी जलाशय के निर्माण के लिये 0.99 है० वन भूमि के विपथन के लिये जुलाई 2009 में जो जल प्राप्त किया गया उसके रखरखाव के लिये निधि निकाय के तहत कोई अलग खाता नहीं था।	2.46
3	**वन मण्डलों से बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र**	2009–12 वर्षों के दौरान विभिन्न वन विभाग से राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि के लिए यूसी, वन विभाग से बकाया पड़े रहें। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि वन विभागों से बकाया यूसी इकट्ठा करने का कार्य जारी था।	1.36
4	**चीता बचाव केन्द्र पर निष्क्रिय व्यय**	24 परगना (दक्षिण) वन मण्डल में सुंदरवन क्षेत्र मे चीता बचाव केन्द्र झारखली ₹ 1.23 करोड़ का व्यय (दिसम्बर 2012) करने के बाद भी कुछ आवश्यक मदों के अभाव में परिचालन में नहीं आ सका। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि कुछ प्रशासनिक कारणों से चीता बचाव केन्द्र संचालित नहीं किया जा सका उदाहरणतः कार्यकारी समिति व संचालन समिति की बैठक न बुलाना तथा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही थी।	1.23
5	**सीए की गुणवत्ता उदाहरणात्मक नहीं**	4 मण्डलों[288] के अभिलेखों तथा जीपीएस पठन की नमूना जांच में पता चला कि 10 स्थानों में से 4[289] में सीए उदाहरणात्मक नहीं था।	0.39

[288] कंगसाबटी (उत्तरी), क्रुसेंग वाइल्ड लाइफ–2 और दार्जिलिंग

[289] पुआपुर मौजा, लालफा ब्लॉक, टोंडू रिवन्यू मौजा और पेशॉक–1 बीट

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) पुराने वनीकरण के रखरखाव के साथ सी ए की कमी उपलब्ध कैम्पा निधि से की जाएगी।	
6	**कैम्पा निधियों का अवरोधन**	कुर्सियांग वन मण्डल में तीस्ता निम्न बांध के संबंध में एनएचपीसी से प्राप्त गैर वन भूमि के सीमांकन के लिए सीमा खम्भे नवम्बर 2012 तक अप्रयुक्त पडे थे। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) दार्जिलिंग हिल्स मैं राजनीतिक अशांति के कारण कार्य नही किया जा सका। कुर्मियांग मंडल में दोबारा से कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार के एलओसी प्राप्त करने तथा विधि निर्धारण के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।	0.22
7	**निष्फल व्यय**	(उत्तर) वन मण्डल में मार्च 2011 में कैम्पा निधियों से निर्मित स्टाफ क्वार्टर बिजली कनेक्शन के अभाव में स्टाफ सदस्यों द्वारा अधिकार में नहीं लिए गए थे और दिसम्बर 2012 को टूटी फूटी स्थिति में पाए गए थे। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि विभाग को निर्देश दिए जा रहे है कि जिन कार्यों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए गए थे उनका उन्ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए	0.08
	कुल		**5.92**

कुछ चयनित क्षेत्रों पर वनरोपण की तस्वीरे

टोंडू राजस्व मौजा जुलाई 2012 में बाढ प्रभावित था परन्तु अप्रयाप्त निधि के कारण पुर्नस्थापित नहीं हो सका

बाग डोगरा क्षेत्र के लालफा खण्ड में हाथीयों से कुचला हुआ प्रतिपूर्ति वनरोपण

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[290]–226.96 है0[291] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–425.17 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–190.36 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–186.39 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–36.60 है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार–238.78 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–469.77 है0 गैर वन भूमि पर–186.39 है0
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–108.83 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –186.39 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2.80 है0

तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एव वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन भूमि के लिए 226.96 है० गैरवानिकी के लिए विपथन किया गया तथा इसके बदले मे गैर वन भूमि को 84 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जवकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह आंकडा क्रमशः 425.17 हैक्टेयर तथा 44 प्रतिशत थे। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार, कोई गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित परिवर्तित नही की गई तथा आर एफ/पी एफ के रूप अधिसूचित नही की गई जबकि एन ओ के अनुसार 186.39 है० गैर वन भूमि वन विभाग को स्थानान्तरित परिवर्तित की गई, केवल 2.80 है० गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित की गई। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैरवन भूमि पर कोई वनीकरण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत भूमि के 23 प्रतिशत पर वनीकरण किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	रोपण का अननुरक्षण	2011 में वन्यजीव वन मण्डल द्वारा ₹ 0.23 करोड़ की लागत पर 30 है0 गैर वन भूमि पर किए गए सीए का कोई अनुरक्षण नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप इन रोपणों को हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वनीकरण का रखरखाव राज्य कैम्पा के साथ उपलब्ध निधि के साथ किया गया।

[290] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[291] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
2	सीए के लिए अनुपयुक्त गैर वन भूमि का हस्तानतरण	जनवरी 2004 में प्रयोक्ता एजेंसी (एनएचपीसी)[292] से प्राप्त 183.49 है0 गैर वन भूमि में से 72.60 है0 वन भूमि सीए के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी (16.53 है0 चटटानी तथा पथरीला, 3.24 है0 सिंकिंग तथा लैण्ड स्लिप, 1.48 है0 झोरा तथा 51.35 है0 पहले ही वनस्पति से ढका, पेड़ वृद्धि और अन्य विविध अग्रिम वृद्धि) मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि परियोजना कार्य के निष्पादन के दौरान 21.25 है० क्षेत्र वनीकरण के लिए अनुपयुक्त पाया गया तथा वनीकरण से मृदा संरक्षण पैमाने द्वारा अनेक्षित स्थायीकरण है तथा इस प्रकार यह मानल परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संबधित विभाग द्वारा लिया जा रहा था। तथ्य वही है कि सी ए के लिए अनुपयुक्त गैर वन भूमि को प्रयोग कर्ता एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया।
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के चरण II अनुमोदन बिना वन भूमि का विपथन	निम्नलिखित उदाहरणों में चरण 1 अनुमोदन में निर्धारित शर्तों को पूरा किए और चरण II अनुमोदन प्राप्त किए बिना वन भूमि विपथित की गई थी: i. फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए काकद्वीप चार (सितम्बर 2004) में 10 है0 वन भूमि विपथित करने के लिए राज्य मात्सयिकी विभाग को अनुमति दी गई थी जिसका निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना निर्माण किया गया था और ii. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को जलाशय बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र (अगस्त 1994) के निर्माण के लिए 238.54 है0 वन भूमि विपथित करने की अनुमति दी गई थी। प्रयोक्ता एजेंसी ने निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना जलाशय का निर्माण आरम्भ किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि विपथन को नियमित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
4	वन भूमि का अनियमित पुनर्विपथन	दक्षिण 24 परगना वन मण्डल में 1954 में हेरोभंगा 1, 2 तथा 3 ब्लाकों में 8054 एकड़ वन भूमि शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास (आरआरएण्डआर) विभाग को विपथित की गई थी जिसने आगे 8054 एकड वन भूमि में से लगभग 1400 एकड़ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 1991 में सुन्दरवन विकास बोर्ड को हस्तान्तरित की। एसजीबी को 1400 एकड़ वन भूमि के पुनर्विपथन को 35.15 करोड़[293] के एनपीवी के भुगतान के साथ एफसी अधिनियम 1980 के अनुसार विनियमन अपेक्षित था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि वन भूमि विपथन को नियमित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
5	प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त छिन्न भिन्न तथा अतिक्रमणित गैर वन भूमि	बांकुरा (दक्षिण) वन मण्डल में 2007 में बांकुरा मुकुट मणिपुर रेल लाइन के लिए सितम्बर 2009 में 14.30 है0 वन भूमि रेलवे को विपथित की गई थी। बदले में प्रयोक्ता एजेंसी ने भिन्न–भिन्न स्थानों पर पांच भिन्न मौजाओं में राज्य वन विभाग को निहित भूमि का हस्तान्तरण किया। वन विभाग बांकुरा जिले के बाराघाट मौजा में 6.7 एकड़ गैर वन भूमि पर अधिकार नहीं ले सका क्योंकि सम्पूर्ण क्षेत्र स्थानीय महिला स्वयं–सहायता समूह द्वारा अतिक्रमित था और भूमि पहले ही बबुई घास, असन तथा अर्जुन पेडों से घिरि थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा तर्को को स्वीकार किया।

[292] तीस्ता निम्न बांध परियोजना (चरण III) के निर्माण के लिए 302.49 है0 वन भूमि के विपथन के बदले

[293] 6.26 लाख प्रति है0 की एनपीवी की निम्नतम दर पर परिकलित

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जानी थी जैसा कि उसके द्वारा निहित है। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 के वार्षिक लेखे निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं किए । वार्षिक लेखे चार्टर्ड फर्म द्वारा तैयार किये गये थे जो कि राज्य कैम्पा की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थे ।

इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने का अधिकार था। तथापि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं कराई गई ।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए थी। कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल तीन बैठकें हुईं। 2009–12 में कार्यकारी समिति की सात बैठकें हुई। शासी निकाय की 2009–12 वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उपरोक्त समितियों की शीघ्र अतिशीघ्र बैठक बुलाने का प्रयास किया जाएगा।

(गुरवीन सिद्धु)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनाँक : **20 अगस्त 2013**

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक : **20 अगस्त 2013**